राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 12

मंगलवार;

11 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा (सवाईमाधोपुर) में इदारा के चयन में प्राप्त शिकायतों की जांच

266. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)(श्री रूपाराम के स्थान पर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महिला विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा जिला इदारा के रूप में चयन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और किस संस्था का चयन किया गया? चयनित संस्था के उद्देश्य व संविधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा (सवाईमाधोपुर) के इदारा में चयन से मार्च, 2000 तक किस-किस योजना में किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस विभाग द्वारा स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इदारा सवाईमाधोपुर की शिकायतों की जांच के लिए निदेशालय स्तर से जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जांच रिपोर्ट व आडिट रिपोर्ट में दर्शित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री माधव सिंह दीवान) : अध्यक्ष महोदय, (1) जिला महिला विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर में जिला इदारा में चयन हेतु जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के बाद कुल पांच संस्थाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा, सवाईमाधोपुर का जिला इरादा हेतु जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर की अनुशंसा के आधार पर चयन किया गया। संस्था के उद्देश्य एवं संविधान की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा (सवाईमाधोपुर) को मार्च, 2000 तक निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :

वर्ष	राशि	योजना	विभाग	कार्य
1996–97	50,000	इदारा योजना	जिला महिला विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर	
1997–98	1,61,000			प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम हेतु
1997–98	2,00,000	राजगीर योजना		महिलाओं के समूह के लिए प्रशिक्षण के क्रम में।
1998–99	1,00,000	इदारा योजना		चिकित्सा विभाग के लिए ममता किट निर्माण हेतु
1998–99	3,75,000	द्वाकरा योजना		ममता किट निर्माण
1999–2000	50,000	इदारा योजना		कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण

(3) परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्मित कराये गये ममता किट्स से सम्बन्धी कार्यों में विभागीय अंकेक्षण दल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की जांच निदेशालय स्तर से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है।

(4) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है, गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जिला इदारा के रूप में जिस संस्था का चयन किया जाए उसके लिए तीन वर्ष का पूर्व पंजीयन व आडिट रिपोर्ट होना आवश्यक है? जिला महिला विकास अभिकरण की तत्कालीन अध्यक्ष जसकौर

(श्री संयम लोढ़ा)

मीणा ने जिस जनजाति महिला विकास संस्था, मैनपुरा का प्रस्ताव किया उसकी अध्यक्ष जसकौर मीणा स्वयं थी और उक्त संस्था का पंजीयन व आडिट की जो तीन वर्ष की शर्त है वो पूरी नहीं करती थी। इसके अलावा ममता किट्स का जो निर्माण करना था, वो उन गरीब बी.पी.एल. की महिलाओं का जो द्वाक्रा समूह बना है, उसके द्वारा किया जाना था लेकिन जसकौर मीणा ने अपनी उस जेबी संस्था को वो काम दिया और लाखों रुपयों की राशि का दुरुपयोग किया। अब आपके विभाग ने उसकी जांच भी करायी। अब आपने यह कहा है कि, अन्तिम खण्ड के उत्तर में कि, एफ.आई.आर. दर्ज करने के मामले में गुणावगुण के आधार पर फैसला किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि संयुक्त विधि परामर्शी क्या कहते हैं कि "पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ममता किट्स तैयार करने हेतु राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा एक प्राइवेट संस्था को राशि किन नियमों एवं किन शर्तों पर दी गयी।" फिर वो कहते हैं अन्त में, "यदि गबन किया गया है तो जांच की जाकर क्या फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती?" फिर आपके डाइरेक्टर क्या लिखते हैं इस मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि "Even then it would need to be examin[illegible] [illegible] an F.I.R. could be lodged against the sitting M.P. without seeking the permission from the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha. On this issue it will be better to seek the opinion of the Law Department." और ला डिपार्टमेंट ने [illegible] को मैंने पढ़ दिया। अब जब यह फाइल अन्तिम चरण में आती है तो राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी, जो उप सचिव स्तर के हैं, वो क्या लिखते हैं सरकार के लिए "The only option which is available to the Govt. is to take a decision about the filing of an F.I.R. Even in this direction all the pros and Cons have to be taken into account with respect to the fact that Smt. Jaskaur Meena is now a Member of the Central Council of Ministers in her position as the Minister of State for the Ministry of Human Resource Development Department." एक कांस्टेबल पकड़ा जाता है, आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। आप उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब यह घोटाला प्रमाणित हो गया कि उन गरीब महिलाओं की लाखों रुपये की राशि दुरुपयोग की गयी। आपके अधिकारी असहाय पा रहे हैं कि वो केन्द्र की एक बड़ी नेता है उसके

(श्री संयम लोढ़ा)

खिलाफ कैसे एफ.आई.आर. लाज करवायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सरकार जवाबदेही, पारदर्शी शासन देना चाहती है उस सरकार के मंत्री इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराने को तैयार हैं कि नहीं, सरकार इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करवाएगी कि नहीं? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विज्ञप्ति जारी की गयी थी 12.5.1995 को, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं कि "जिला विकास अभिकरण के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम अनुसंधान हेतु महिला विकास की गतिविधियों से जुड़ी हुई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्हें उक्त गतिविधि के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव हो एवं महिला विकास की गतिविधियों में रुचि रखती हों, वो अपना आवेदन पत्र 25.5.1995 तक प्रगति रिपोर्ट एवं उक्त तीन वर्षों के अंकेक्षण रिपोर्ट व अन्य ब्यौरा सहित अभिकरण कार्यालय में–6, राजनगर, मानटाउन, सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत करें, ताकि सर्वश्रेष्ठ संस्था का चयन कर महिला विकास सम्बन्धित कार्यों में योगदान किया जा सके।" यह जब विज्ञप्ति निकली उसके बाद में वहां के तत्कालीन कलक्टर ने एक संस्था, जो कि जयपुर की थी, उसको इस इदारा के तहत काम देने हेतु रिकमण्ड किया। रिकमण्ड करके वो फाइल यहां पड़ी रही। उसके बाद में यहां से लिखा गया कि चूंकि यह संस्था जयपुर की है, यथासम्भव आप ऐसी संस्था ढूंढ़िये जो सवाईमाधोपुर की हो। उसके बाद वहां पर विचार किया गया। पांच संस्थाओं ने, जैसा मैंने इसमें निवेदन किया है, पांच संस्थाओं ने आवेदन किया। कलक्टर ने एग्जामिन करने के बाद वहां से इस संस्था का नाम रिकमण्ड किया। आप चाहे तो यह नोटशीट है, नोटशीट में रिकमण्ड करके, यह बात सही है कि उस समय तत्कालीन पी.डी. भी जसकौर मीणाजी थीं और जैसा कि मैंने आपको इस संस्था के जो यह विधान पत्र है, संविधान पत्र, इस विधान सत्र में भी जो पत्रावली साथ में है उसमें भी जो कार्यकारिणी है उसके अन्दर अध्यक्ष भी श्रीमती जसकौर मीणाजी हैं। परन्तु जो कलक्टर ने रिकमण्ड किया है उसमें यह लिखा है कि "The only agency directly dealing with the women development is Jan Jati Mahila. The name may be recommended." यह कलक्टर ने रिकमण्ड करके ही भेजा है यहां निदेशालय में और निदेशालय द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गयी। हालांकि माननीय सदस्य की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 30 मार्च, 1994 को ही हुआ था तो जब संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ तो नेचुरली

(श्री माधव सिंह दीवान)

जब यह रिकमण्ड किया गया तब इस संस्था ने तीन वर्ष पूरे नहीं किये थे।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहा है कि इस घोटाले के सम्बन्ध में आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाएंगे कि नहीं? मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जिस महिला ने ममता किट में घोटाला किया, महिला राजगीर योजना में घोटाला किया, जिला इदारा योजना में घोटाला किया, महिला चेतना योजना में घोटाला किया, महिला स्वयं सहायता समूह में घोटाला किया, महिला समृद्धि योजनान्तर्गत अनियमितता की वो खुद ही पी.डी. थी। सारी अनियमितताओं के लिए वो जिम्मेदार हैं। अंकेक्षण डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कौन उसके खिलाफ कार्यवाही करे, यह सारा घोटाला होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहती है? जिन गरीब महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए पैसा देते हैं, उन गरीब महिलाओं का, बी.पी.एल. की महिलाओं का पैसा ये नेता खा जाते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। अब जब मामला साबित हो गया कि 15 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं, तब भी आप कार्यवाही नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, जनता के धन के दुरुपयोग का यह गम्भीर मामला है। उन गरीब और निर्धन महिलाओं के हकों का पैसा खा गये। अध्यक्ष महोदय, हर योजना में इन्होंने घोटाला किया है और यह मंत्री होने की वजह से डर रहे हैं, उसके दबाव में आ रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आप अनावश्यक रूप से शोर क्यों मचा रहे हैं? जो क्वेश्चन है उसका जवाब आ जाये बात खतम हो गई। आप शोर मचा रहे हैं अनावश्यक रूप से।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दे कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार क्या भयभीत है इसलिए एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराना चाहती है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेसी नेताओं ने गड़बड़ घोटाले किये हैं उनकी जांच करायेंगे क्या? करवाइए हमें कहां आपत्ति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था का चयन तत्कालीन जिला कलक्टर की सिफारिश पर हुआ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद अपने उत्तर में कहा है पूरे परीक्षण के पश्चात् जिला कलक्टर ने संस्था...(व्यवधान) और आज जांच पेंडिंग है...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप तो यह बता दो, जसकौर मीणा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे?

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : दोषी महिला के खिलाफ आप कार्यवाही चाहते हैं या नहीं चाहते?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इन +++ के खिलाफ एफ.आई.आर. कराओगे या नहीं कराओगे?

डा. के.सी. चौधरी : चूंकि केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं चाहते, चारों तरफ उन्होंने घोटाले किये हैं। आज की बात सुनकर केन्द्रीय मंत्री की हैसियत से उनको नैतिकता पर तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। आप जसकौर मीणा से इस्तीफा मांगिए तुरन्त। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा को राजनीतिक मंच बनाना चाहते हो आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कितने अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह घोटाले किये हैं +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : +++

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चौधरी, बैठिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था अगर तीन साल तक...(व्यवधान) ऐसी कोई संस्था मिली नहीं है इस आधार पर जिला कलक्टर ने इस संस्था को काम देने के लिये...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू): आप तो यह बता दो कि इन +++ के खिलाफ एफ. आई.आर. कराओगे या नहीं कराओगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक जनजाति महिला की संस्था... (व्यवधान) दूसरी कोई संस्था मिली नहीं है तत्कालीन जिला कलक्टर को जब दूसरी संस्था नहीं मिली, उन्होंने खुद ने रिकमंड किया कि इसी संस्था से काम लिया जाये और जब संस्था को काम मिल गया तब यह राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये +++ बात कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) मैम्बर आफ यूनियन कैबिनेट उसके खिलाफ यहां इस प्रकार के आरोप लगाकर चर्चा करना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अत्यन्त गम्भीर मामला है, जनजाति महिला को इस ढंग से जो सदन में उपस्थित नहीं है यह क्या करेंगे, कलक्टर की अनुमति से कोई काम दिया हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, गरीब और बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं का हक छीनने वाले...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप तो इनके खिलाफ एफ.आई.आर. कराओगे तो नहीं कराओगे, इतना बता दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, एक जनजाति महिला जो सदन में उपस्थित नहीं है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : आज कितना अफसोस का विषय है कि +++ यह सोचने का विषय है।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकी जांच पूरी हो चुकी है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सदन में एफ.आई.आर. लाज होगी क्या? एक जनजाति महिला जो सदन में उपस्थित नहीं है उनके बारे में आप आपत्तिजनक तरीके से बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह एम.पी. फण्ड के दुरुपयोग के मामले हैं। आज +++ और उसको रोकने के लिये आवश्यक है कि सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके कलक्टर ने जांच करा कर उस रजिस्टर्ड संस्था को काम दिया है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विधायक जो मंत्री बने बैठे हैं अपने खेत की चारदीवारी करा दी, उस पर तो कोई कार्यवाही ही नहीं हुई आज तक। उनको प्रमोट करके मंत्री बना दिया। और बातें कर रहे हैं यूनियन मंत्री की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ उसकी तो जांच नहीं करवा रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, गरीबों का पैसा खा गये हैं और ऐसे +++ को बचा रहे हैं आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री रतन लाल ताम्बी (खादी एवं ग्रामोद्योग, राज्य मंत्री) : जसकौर मीणा की जांच में आपको क्या तकलीफ है, मेरी दस बार जांच कराओ, जांच कराते रहो रोज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उसकी जांच क्यों नहीं होती, उसकी एफ.आई.आर. लाज क्यों नहीं होती?

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. इंक्वायरी होनी चाहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप चुप खड़े हो, +++ उसकी एफ.आई.आर. लाज क्यों नहीं हुई।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. इंक्वायरी होनी चाहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी जमीन में चारदीवारी कर दी ऐसे घोटाले, एक मंत्री ने +++ उसकी एफ.आई.आर. लाज क्यों नहीं हो रही? बड़े आये दूध के धुले हुए।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट बयान नहीं देगी तो हम सरकार के खिलाफ धरना देंगे। हमें विवश होकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हो कि हम...(व्यवधान) और दूसरी तरफ गरीब महिलाओं के मामले में लाखों

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री संयम लोढ़ा)

रुपये की जो लूट हुई है उस पर आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बड़े आये दूध के धुले। आप कितने दूध के धुले हुए हो, बेईमानी में डूबे हो...(व्यवधान) आप लोग किसकी जांच कराओगे। +++ किस किस की जांच कराओगे। एफ.आई.आर. लाज कोई मंत्री करायेगा क्या?

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार चाहे इस तरफ हो या उस तरफ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप सी.बी.आई. से इंक्वायरी की रिकमंड करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, हम जो कह रहे हैं उसकी इंक्वायरी कीजिए, कितने कांग्रेसी विधायकों ने जमीन अलाट की अपने रिश्तेदारों को। (व्यवधान) एफ.आई.आर. लाज कीजिए उन सारे मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, गरीब महिलाओं के लाखों रुपये की लूट का मामला है।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक हाई कोर्ट का जज बैठें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले अपने खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करो।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सदस्य, जनजाति की महिला होने से उसको घोटाला करने की छूट है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जो +++ करते हो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. होनी चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा : जो मजदूरी मिलनी चाहिये थी वह मजदूरी नहीं मिली।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) ताम्बीजी को जेल भिजवा दिया क्या आपने? धारीवालजी को जेल भिजवा दिया क्या आपने?

श्री अध्यक्ष : संजीव कुमारजी, बैठिए आप।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री संयम लोढ़ा : +++ अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानेदव आहूजा : गौशाला को गलत जमीन अलाट कर दी, आपका एक विधायक धरने पर बैठ गया, आपका एक विधायक मरणासन्न पड़ा हुआ है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तीन लाख रुपये की जमीन भरतपुर में मिलती है, अलवर में मिलती है और सवाईमाधोपुर में 5 लाख 41 हजार की हो जाती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है, शर्म की।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनकी एफ.आई.आर. लाज हो गई क्या? शिवनारायण नागर एम.एल.ए. को मारा गया...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप एफ.आई.आर. कराओगे या नहीं कराओगे, यह बता दो आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करा रहे हो या नहीं करा रहे हो? गौशाला को गलत जमीन अलाट हो गई (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इन +++ के खिलाफ एफ.आई.आर. कराओगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अरुण सिंह : आप मुख्य मंत्रीजी को रिकमंड करें कि हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाये और धारीवालजी साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाये। गलत जमीन अलाट कर दी।

श्री अरुण सिंह :...(व्यवधान) आप एक ईमानदारी मंत्री हो, हाई कोर्ट का एक जज इस मामले में इंक्वायरी करे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप डाइरेक्टर एफ.आई.आर. कर दो इन +++ के खिलाफ वरना चोरी बढ़ती जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी हो चुकी है और एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिये। विभाग के अधिकारी डर रहे हैं कि वह भारत सरकार में मंत्री है। विभाग के अधिकारी असहाय महसूस कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ दर्ज होनी चाहिये क्योंकि शिवनारायण नागर विधायक को मारा गया, पीटा गया। गलत जमीन अलाट हो गई गौशाला को।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, मंत्रीजी। कृपया बैठिए।

श्री माधव सिंह दीवान : आप कृपया सुनिए।

श्री हीरासिंह चौहान : जांच में चल रहा है मामला।

श्री संयम लोढ़ा : जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। डाइरेक्टर ने क्या कहा मैंने पढ़कर सुना दिया। ला डिपार्टमेंट ने क्या कहा वह मैंने पढ़कर सुना दिया। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा, पढ़कर सुना दिया।

श्री अरुण सिंह : जांच हो गई है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप एफ.आई.आर. करायेंगे या नहीं करायेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिये। कांग्रेस के एक विधायक को मारा पीटा गया, गौशाला को गलत जमीन हो गई। बारां जिले में गलत जमीन अलाट हो गई और वह जिनके खाना खाने गये वह खुद पार्टी से निकाले हुए...(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : मंत्री महोदय आप तो जसकौर मीणा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाइए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भास्कर में आया है शांति धारीवालजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो और मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जिन्होंने गौशाला की जमीन का +++ किया है बारां में। मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन करने गये, भास्कर में आया।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजाजी, बैठिए। श्री संजीवजी।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती जसकौर मीणा शिक्षा विभाग में कार्यरत थी उनका डेपुटेशन महिला बाल विकास विभाग में प्रोजेक्ट डाइरेक्टर के पद पर हुआ और प्रोजेक्ट डाइरेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने वालेंटरी रिटायरमेंट हेतु एप्लीकेशन दी तब वह शिक्षा विभाग से...

श्री संयम लोढ़ा : सवाल यह नहीं है, माननीय मंत्री महोदय। सवाल यह है कि नहीं अध्यक्ष महोदय, आप मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय सदस्य, मैं आपको पूरी स्थिति से अवगत करा रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं अवगत हूं, आप तो खाली यह बताओ...

एक माननीय सदस्य : एफ.आई.आर. कराओगे या नहीं कराओगे, यह बताओ, आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं एक ही प्रश्न में 20 मिनट निकल गये, और भी कई प्रश्न लगे हुए हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ऐसे घोटलों में एक घंटा निकल जाये, वह भी कम है। +++ तुम्हारी पोल खुल रही है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी आप तो यह बता दो कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने घोटाला किया। राज्य सरकार के मंत्री उस घोटाले को बचाने में लगे हुए हैं, क्या यह सही है?

श्री माधव सिंह दीवान : बिलकुल नहीं लगे हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जांच को कई महीने हो गए फिर गुण अवगुण क्या देख रहे हो?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जनप्रतिनिधियों से तो विश्वास ही उठ जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री घोटाले... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आपको इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। एफ.आई.आर. लाज कराइये।

श्री अमराराम (धोद) : न केवल इन्होंने घोटाला किया बल्कि सांसद कोष से लाखों रुपये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : करोड़ों रुपये का घोटाला है।

श्री अमराराम (धोद) : अपने नाम से संस्था बनाकर यह घोटाला किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की विधान सभा में...(व्यवधान) मंत्रीजी आप बताइये। आपकी जांच अभी पूरी हुई कि नहीं हुई?

एक माननीय सदस्य : जांच पूरी हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आरोप लगा रहे हैं।

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : जांच पूरी हो चुकी, कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : जांच तो लिख रहे हैं। (व्यवधान) एफ.आई.आर. करवाइये। मैनेजर बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे हैं, एफ.आई.आर. करवाइये, फिर कौनसी जांच बाकी हो गई?

श्री सांवर लाल : डाइरेक्टर सरकार से बड़ा है क्या? क्या है डाइरेक्टर?

श्री संयम लोढ़ा : सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं।

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : सरकार से मांग कर रहे हैं, आपसे मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : घोटाले को (व्यवधान) बचाने में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री संयम लोढ़ा : घोटाले को बचाने में लगे हुए हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने बार–बार बात कर रहे हैं डाइरेक्टर, डाइरेक्टर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल : यह कमजोर है क्या डाइरेक्टर से?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप उनको जवाब देने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सुनना नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान) वह सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वह सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको तो राजनीति करनी है।

श्री सांवर लाल : कोई इनके घर का राज है क्या कि एफ.आई.आर. दर्ज करा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको जरूरत नहीं है, यह सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : अरुण साहब, बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बिना किसी...(व्यवधान) बात कर रहे हो, एक रट पकड़ ली एफ.आई.आर., एफ.आई.आर., क्या होती है एफ.आई.आर.?

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : आपका कोई सदस्य...(व्यवधान) तो क्या होती है एफ.आई.आर.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक दर्जन मंत्रियों के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्यों बचाया +++

श्री अध्यक्ष : सिंघवी साहब बैठिए, आप बार–बार खड़े हो रहे हैं बिना अनुमति के।

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन्होंने वालेंटरी रिटायरमेंट हेतु पिछले चुनाव के पहले एप्लीकेशन दी। शिक्षा विभाग से जब वह अर्जी महिला बाल विकास विभाग के पास आई, चूंकि वह जांच विचाराधीन थी। महिला बाल विकास ने एन.ओ.सी. देने से इंकार कर दिया और एक पत्र शिक्षा विभाग को लिख दिया कि इनकी जांच चल रही है इसलिए इनका वी.आर. स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद इन्होंने फिर शिक्षा विभाग को पता नहीं कब आवेदन किया और पिछले लोक सभा चुनाव के पहले वह वी.आर. शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया, जिसमें महिला बाल विकास से कोई एन.ओ.सी. नहीं मांगी गई। इसलिए जहां तक मैंने जो पुराना रिकार्ड देखा तो मुझे उनके वी.आर. के प्रकरण में कहीं पर भी महिला बाल विकास विभाग ने कोई एन.ओ.सी. जारी की हो, ऐसा कहीं भी कोई पत्र देखने को नहीं मिला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सवाल कहां है, यह सवाल कहां है? यह इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं। यह सवाल कहां है?

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो भ्रष्टाचार का है।

एक माननीय सदस्य : सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अरुण सिंह : सवाल भ्रष्टाचार का है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार हो रहा है आप सीधी एफ.आई.आर. लाज कराइये ना।

श्री संजीव कुमार बैनीवाल : केन्द्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं उनको सुनो तो सही।

श्री अरुण सिंह : सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज जसकौर मीणा राजकीय सेवा में नहीं है। राजकीय सेवा में से जो कर्मचारी...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : भ्रष्टाचार करके बाहर निकल जाए तो कुछ भी कर सकता है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप उनसे मिल तो नहीं गए, यह बता दीजिए। जसकौर से मिल गए हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यशवन्त सिंह रामू।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : भ्रष्टाचार जो सेवा में पैसा खा गई और आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे दुष्ट आदमियों को बताएं भ्रष्ट या उनको बताएं नेताओं को...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कौन नहीं बोलने दे रहा? (व्यवधान)

श्री त्रिलोक पूर्बिया (उदयपुर) : सीधी कार्यवाही करें...(व्यवधान) एफ.आई.आर. लाज करेंगे या नहीं, इसकी जानकारी दें। घोटाला साबित हो गया इसके लिए आप एफ.आई.आर. कराएंगे या नहीं जानकारी दे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कौन नहीं बोलने दे रहा?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी असहायता प्रदर्शित कर रहे हैं। (व्यवधान) इनका डिप्टी सैक्रेटरी रैंक का आफिसर 31 जनवरी 2003 को लिख रहा है :– "The only option which is available to the Government is to take a decision about filing of an F.I.R." इस साल में लिख रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप राजस्थान की जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं?

श्री अरुण सिंह : एफ.आई.आर. कराइये।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, आप राजस्थान की जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं?

श्री अरुण सिंह : एफ.आई.आर. लाज कराइये।

श्री संयम लोढ़ा : इस साल के अन्दर आपका अधिकारी लिख रहा है, इस साल के अन्दर।

श्री अरुण सिंह : एफ.आई.आर. लाज कराइये।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : धरना देना पड़ेगा ...(व्यवधान) हमारी पार्टी संवेदनशील सरकार देना चाहती है, पारदर्शी सरकार देना चाहती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं देना चाहती।

श्री संयम लोढ़ा : जनता के धन के दुरुपयोग का बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मत बनाने का जो प्रयोग किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : जो भी करना है, अपना विभाग, अपना एक्शन लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बिराज रहे हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्ट मंत्री है सबसे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको तो मना नहीं कर रहे, हमें ही...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो माननीय सदस्य सदन का सदस्य नहीं है उसके खिलाफ इस तरह के आरोप, बिना किसी आधार के आरोप लगाना राजनीतिक रोटियां सैंकने की कोशिश करना क्या...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गरीब जनता को न्याय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विचाराधीन है। (व्यवधान) आप एफ.आई.आर. दर्ज कराएंगे। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री मदन दिलावर : पापियों को... (व्यवधान) पापों को दबाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये के धन का दुरुपयोग पहले किया, और आज केन्द्र में...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सवाईमाधोपुर की जनता ने बहुत विश्वास के साथ इनको मौका दिया है। भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, भ्रष्टाचार चला रखा है। सवाईमाधोपुर की जनता बुरी तरह से प्रताड़ित है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं सुनना चाहते सिर्फ सवाल ही करना...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके एम.पी. कोटे में कितने पैसे का भ्रष्टाचार किया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पाप छिपाने के लिए...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पापों का घड़ा भर चुका है। आप पापों को छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह षड्यंत्र नहीं चलेगा।

श्री अशोक बैरवा : बात सही है तो एतराज क्या हो रहा है? एफ.आई.आर. कराइये।

एक माननीय सदस्य : यह बता दीजिए एफ.आई.आर. लाज कराने का इरादा रखते है कि नहीं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यह सब लोग मिले हुए हैं यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा सवाईमाधोपुर की जनता की ओर से निवेदन है, भ्रष्टाचार का मामला जो...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. कराने का इरादा रखते हैं या नहीं?

एक माननीय सदस्य : 10 हजार की रेवड़ियां इन्होंने अपने घर में बांटी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : जनता को न्याय मिलना चाहिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रताप सिंहजी ने अभी आरोप लगाया था कि... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एफ.आई.आर. लाज...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : दिक्कत कहां आ रही है अगर एफ.आई.आर. होती है तो? एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : दर्ज कराई क्या?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : दिक्कत कहां आ रही है? एफ.आई.आर. लाज कराइये।

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार का मामला है।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार पर ध्यान दे, राजस्थान सरकार मुकदमा दर्ज कराए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : एफ.आई.आर. लाज कराओ। (व्यवधान) किसी पर आरोप लगाने से पहले...(व्यवधान) झांक कर देखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार का मामला है।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : एफ.आई.आर. लाज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। दिक्कत कहां आ रही है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री अरुण सिंह : इसमें जांच होनी चाहिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इन्होंने आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये, आर्डर प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए। आपने मेरे पर आरोप लगाया है कि +++ मेरे खिलाफ जो बचाने की कोशिश की। जब कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने मेरे खिलाफ ज्यूडिशियल इंक्वायरी करवा ली।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ज्यूडिशियल इंक्वायरी करवाकर आपको बचाया भी उन्होंने। (व्यवधान) वह तो खास तौर से आप उनके विरोधी थे इसलिये आपको ज्यूडिशियल इंक्वायरी कराकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : और सारी इंक्वायरी करवाकर, एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये मैंने कहा था कि एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : बृजेन्द्र सिंह सूपा, आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : और बाद में आप उनके शरणागत हो गये तो उन्होंने आपको बचा दिया।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : और जब कोई राजनीतिक में अगर रहता है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सूपा साहब, बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप तो शिवचरणजी माथुर के शरणागत हो गये, इसलिये बचे हो।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं, अंकित नहीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी प्रकार की अनियमितता है तो उसकी जांच हो।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. के.सी. चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है, उसकी जांच हो।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : एफ.आई.आर. के बारे में आप कह चुके हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, आप कह चुके हैं। कटारियाजी।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप जांच कराएं, जांच में अगर इनका दोष है उन्हें दण्डित करें, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन न्याय की यह प्रक्रिया भी है कि कम से कम...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं, अंकित नहीं, अंकित नहीं हो, किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो। मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को कह नहीं पाया मेरा आपसे निवेदन यह है, माननीय सदन से भी निवेदन करता हूं...

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में कहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर कहीं कोई कमी रही, गलती रही जांच हो, किसी को कोई एतराज नहीं। पर जांच की प्रक्रिया से सम्बन्धित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का, न्याय की एक अहमियत है, उसे भी अपनी बात कहने का मौका मिले और उस जांच की प्रक्रिया के जो भी स्टेप होते हैं उनको आप पूरा करिये। पूरा करने के बाद अगर आपको लगता है कि दोषी हैं, एफ.आई.आर. दर्ज करो, किसे एतराज हो सकता है। पर न्याय की प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। जिस समय, वह राजनैतिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं था...

श्री संयम लोढ़ा : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजनैतिक दृष्टि से उसका कोई अस्तित्व नहीं था। वे राजकीय सेवा में थीं और राजकीय सेवा में रहते हुए, यह उसने संगठन किया उसके बाद है राजनैतिक जीवन तो उसका, और इसलिये मैं सोचता हूं कि न्याय की प्रक्रिया में उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। क्या आपनें उस प्रक्रिया को पूरा किया?

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या उनको उस हिसाब से सुना और सुनने के बाद अगर उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हो तो मैं समझता हूं कि एक अधिकारी के, किसी के दबाव के कारण से यह लिख देना कि इनके खिलाफ, केवल इतने से जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी बैठिये, कटारियाजी बैठिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई–कोर्ट भी न्याय प्रक्रिया...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30.11.1998 और 1.12.1998 को यहां से एक जांच दल भेजा था जिसमें अतिरिक्त निदेशक थे, उप निदेशक थे और सहायक लेखाधिकारी थे। उसमें यह पाया कि जनजाति विकास संस्थान श्रीमती जसकौर मीणा की स्वयं की संस्था है। वे स्वयं इसकी अध्यक्षा हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से उक्त संस्था को...(व्यवधान) यह सन् 1998 में जो 3 सदस्यों की टीम गयी थी उन्होंने जो जांच रिपोर्ट सन् 1998 में प्रस्तुत की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : मैंने इसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : सवाल यह था कि चयनित संस्था के उद्देश्य और संविधान की प्रति और जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें। यह मैंने सदन की मेज पर जो प्रति रखी है उसमें से पढ़कर बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : प्रश्नकर्ता ने जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने की मांग की है। यह प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। प्रतिपक्ष के माननीय

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री माधव सिंह दीवान)

नेता ने जो सवाल पूछा कि जांच हुई कि नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जांच सन् 1998 में 3 व्यक्तियों की कमेटी पूरी करके आ गयी और उसके आने के बाद जो अभी मंत्रीजी हैं, वह राजकीय सेवा से वी.आर. ले चुकीं। और वी.आर. लेने के बाद अब वह राजकीय सेवा में नहीं हैं। इसलिये जो जांच के तथ्य आये उसके ऊपर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करे, किस प्रकार से कार्यवाही करे। क्योंकि 2-3 मुद्दे सामने आये हैं, एक तो जैसा कि कह रहे हैं कि स्वयं की संस्था थी, वे ही पी.डी. थीं और वे ही जनजाति महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा थीं। जो उनका संघ विधान पत्र है उसमें नम्बर-एक, श्रीमती जसकौर मीणा, पत्नी श्री लालजी मीणा, व्यवसाय राजकीय सेवारत, पूर्ण पता अनुराग निवास, सवाई माधोपुर। अब ये उस संघ विधान पत्र में खुद ही अध्यक्ष हैं, खुद ही पी.डी. हैं। अब यह बात इसके बाद में ध्यान में आयी कि इस तरह से उन्होंने कुछ काम किया, जांच हुई 29.11.1996 जांच की तारीख है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जो कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने पत्र लिखा है, यह आपका भाजपा का अंदरूनी झगड़ा है और इसमें हम लोग तो बीच में यूं ही घिसट रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : राज्य सरकार ने श्रीमती जसकौर मीणा का त्यागपत्र निर्धारित समयावधि में स्वीकार नहीं किया, जब आपका राज था। और इसके कारण श्रीमती जसकौर मीणा यहां से चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करने का कारण यह बताया गया कि श्रीमती जसकौर मीणा के खिलाफ ओ.डी. आक्षेप बकाया है। चूंकि श्रीमती मीणा, श्रीमती नरेन्द्र कंवर, जो कि राज्य मंत्री, महिला बाल विकास विभाग की थीं, के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली थीं, अब आप आपस में ही लड़े तो उसमें हम क्या करें? (व्यवधान) तथा उनके विभाग से त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये जाने के कारण विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : यह कलक्टर की रिपोर्ट है, उसमें आपस में उनका झगड़ा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : त्याग पत्र देने का उनका अधिकार है क्या?

श्री माधव सिंह दीवान : सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भी 4 साल के काल में सम्बन्धित सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। मैं सदन को और सदन की भावनाओं को देखते हुए

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री माधव सिंह दीवान)

आश्वासन देता हूं कि इसकी तुरन्त जांच करके और जिस निष्कर्ष पर यह सरकार आएगी हम उसकी जांच कराने के लिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री कन्हैया लाल मीणा। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पर चालीस मिनट हो गये हैं, चालीस मिनट। आप बिराजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सभी बैठिये।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है। श्री कन्हैया लाल।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : एक महीने में...(व्यवधान) सुनो तो सही आप।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. करण सिंह यादव : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती पूनम गोयल : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बीच में नहीं। मंत्रीजी कह चुके हैं, कि मैं जांच के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी वह करूंगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्रीमती पूनम गोयल : XXX

श्री रतनाराम चौधरी : XXX

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, नैक्स्ट क्वेश्चन श्री कन्हैया लाल।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : बोलने तो दीजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : उनकी तबीयत खराब है, क्यों इनको उत्तेजना में ला रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : सुन तो लीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री माधव सिंह दीवान : आप एक मिनट मेरे को सुन तो लीजिए। मैंने निवेदन किया...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्रीमती पूनम गोयल : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री रामनारायण विश्नोई : XXX

श्री ज्ञानचन्द पारख : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री अरुण सिंहजी बैठिये। यशवन्त सिंहजी (रामू)। अभी श्री प्रताप सिंह सिंघवी ने बृजेन्द्र सिंह सूपा के लिये कहा कि +++ इसको मैं सदन की कार्यवाही से निकालता हूं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री रामनारायण विश्नोई : XXX

श्रीमती पूनम गोयल : XXX

(माननीय सदस्य, श्री अरुण सिंह द्वारा वेल में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

(माननीय सदस्य, श्री अरुण सिंह का धरना समाप्त)

श्री रतनाराम चौधरी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : आप मेरा यह जवाब तो सुन लो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विभाग की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, एक महीने में पूरी कार्यवाही करके शिक्षा विभाग को भिजवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री यशवन्त सिंह (रामू), बैठिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री यशवन्त सिंह (रामू)। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। बैठिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों को देय न्यूनतम पेंशन

375. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई पेंशनर न्यूनतम 1275/- प्रतिमाह व महंगाई भत्ते से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो कोषवार विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समस्या को हल करने के लिये राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या अब पेंशनर प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उक्त समस्या का निपटारा करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोषवार विवरण परिशिष्ट-I पर संलग्न है।

प्रकरण का परीक्षण कर इसका नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पेंशनरों की सुविधा हेतु गठित समिति की बैठकें

376. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.7(19) वित्त/रा.ले./1/95 दिनांक 30.7.1997 के तहत राजकीय अस्पतालों में भर्ती पेंशनरों की सुविधाओं की देख-रेख के लिए एक समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति की बैठकें कब-कब आयोजित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 16.2.2000 में यह निर्णय लिया गया था कि सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में ग्रुपवार आफिसर तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करें? यदि हां, तो उक्त की अनुपालना में क्या कार्यवाही हुई? क्या यह सही है कि पेंशनर्स को उपभोक्ता संघ द्वारा दवाइयां उपलब्ध नहीं करायी जा रही है? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने एवं निश्चित अवधि में समिति की बैठक बुलाने और उसमें पेंशनर्स प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। समिति की बैठकें दिनांक 27.8.1997 व 25.11.1997 को आयोजित की गई।

(2) जी हां। न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 16.2.2000 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.2.2000 को बैठक आयोजित की गई। जी नहीं।

प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 54 के तहत ब्याज/शास्ति राशि में छूट

377. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 54 के तहत ब्याज एवं शास्ति की कितनी राशि माफ की गई है?

(2) क्या उक्त राशि माफ करते समय उक्त धारा के प्रावधानों की पालना की गई है? यदि हां, तो 50 लाख से अधिक राशि के कितने मामलों में?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में 258.99 लाख रु.

वर्ष 1998-99 में 265.27 लाख रु.

वर्ष 1999-2000 में 340.14 लाख रु.

वर्ष 2000-2001 में 2607.43 लाख रु.

वर्ष 2001-2002 में 360.95 लाख रु.

(2) (अ) जी हां। धारा 54 के प्रावधानों की पालना की गई है।

(ब) रुपये 50 लाख से अधिक राशि के प्रकरणों की संख्या :-

वर्ष 1997-98 में – कोई प्रकरण नहीं

वर्ष 1998-99 में – कोई प्रकरण नहीं

वर्ष 1999-2000 में – कोई प्रकरण नहीं

वर्ष 2000-2001 में – ग्यारह

वर्ष 2001-2002 में – एक

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशनर चिकित्सा/रियायत योजना का लाभ

378. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत 75 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को निर्धारित निःशुल्क प्रदाय की जाने वाली औषध का मान (मात्रा) की सीमा लागू नहीं होती है?

(2) क्या सरकार उक्त सुविधा उन पेंशनर्स को भी देने का विचार रखती है जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर लिया है अर्थात् जो पेंशनर्स 65 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

भगवान श्री देवनारायण जयन्ती पर प्रदेश में राजकीय अवकाश

379. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि भाद्रपद माह की दिव्य सप्तमी (सूर्य सप्तमी) विभिन्न जातियों के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण की जयन्ती के रूप में मध्य भारत के बड़े भू–भाग एवं राजस्थान के कौने–कौने में मनाया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि भगवान श्री देवनारायण की महिमा एवं विभिन्न जातियों के आराध्य देव होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त जयन्ती ''सूर्य सप्तमी'' पर राजकीय अवकाश की सुविधा श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना हेतु दी है?

(3) क्या मध्य प्रदेश सरकार की भांति राजस्थान सरकार ''भगवान श्री देव नारायण'' की जन्मस्थली व कर्मस्थली राजस्थान के भक्त श्रद्धालुओं को पूजा–अर्चना की भावना की कद्र करते हुए सूर्य सप्तमी पर राजकीय अवकाश घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मध्य प्रदेश सरकार ने देवनारायण जयन्ती के उपलक्ष में दिनांक 7 फरवरी 2003 को ऐच्छिक अवकाश घोषित कर रखा है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष के अवकाशों की घोषणा माह नवम्बर में कर दी जाती है एवं इससे पूर्व प्रस्तावों पर विचार कर अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। यदि आगामी वर्ष के लिए प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर विचार कर लिया जावेगा।

प्रतिष्ठित रहे खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट

380. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार द्वारा राजकीय नौकरियों में खेलों में प्रतिष्ठित रहे/ पदकधारी खिलाड़ियों के लिये आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो इसे कब व क्यों समाप्त किया गया है?

उत्तर

जी नहीं।

सहारण आवास संस्थान को आवासीय भूमि का मुआवजा भुगतान में अनियमितता

381. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पत्र संख्या पं 4(35) उद्योग/1/96 दिनांक 27.6.2000 के जवाब में भूमि अवाप्ति अधिकारी ने दिनांक 19.9.2000 के द्वारा राज्य सरकार

(श्री संजीव कुमार)

को सूचित किया कि श्री मंगलाराम की 1.39 हैक्टेयर आवासीय भूमि अवाप्त की गई थी किन्तु भूमि का मुआवज़ा राशि का निर्धारण कृषि दर पर किया गया था? उक्त अनियमितता पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या मुआवजा राशि की गणना आवासीय दर पर की जाकर प्रार्थी को भुगतान किया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या श्री मंगलाराम द्वारा सिर्फ आवासीय भूमि के बदले ही भूमि की मांग करने पर भी रीको ने भूमि अवाप्ति अधिकारी को अभिशंसा नहीं की, जबकि साहरण आवास विकास संस्थान की अवाप्त 1.50 है, कृषि भूमि के बदले भी दिनांक 25 अक्टूबर, 1997 को रीको ने तत्कालीन समय में गठित कमेटी के मना करने के बाद भी अपनी अभिशंसा भूमि अवाप्ति अधिकारी को कर साहरण आवास विकास संस्थान को भूमि दिलाई? यदि हां, तो उक्त असमानता क्यों की गई?

(3) क्या रीको ने साहरण आवास विकास संस्थान से विकास शुल्क लिया था? यदि नहीं, तो उक्त के प्रकरण में दिनांक 17.4.2002 की बैठक में उसकी भूमि के सामने नाले को पाटने का निर्णय क्यों लिया गया तथा उक्त पर रीको ने कितनी राशि व्यय की?

उत्तर

(1) जी हां। शासन उप सचिव, उद्योग विभाग के पत्रांक प.4(35)उद्योग/1/96 दिनांक 27.6.2000 के जवाब में भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको ने यह सूचना प्रेषित की कि संदर्भित भूमि के अवार्ड दिनांक 16.12.1997 में श्री मंगलाराम की 1.39 हैक्टेयर आवासीय भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर के आधार पर तय किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रकरण सिविल न्यायालय (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष दायर किया है जो लम्बित है।

(2) जी नहीं। श्री मंगलाराम की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको द्वारा राज्य सरकार को अवार्ड प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रेषित करने की दिनांक 29.10.1997 से पूर्व रीको को उनकी अवाप्ताधीन भूमि की एवज में किसी प्रकार की मांग का कोई अभिलेख रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। साहरण आवास विकास संस्थान के पक्ष में नकद मुआवजा के बदले भूमि देने के सम्बन्ध में रीको द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार रीको न भूमि अवाप्ति अधिकारी को दिनांक 25.10.1997 को अनुशंसा की है।

(3) रीको द्वारा साहरण आवास विकास संस्थान से परिधिय विकास शुल्क की राशि ली गई है। चूंकि रीको द्वारा

(उद्योग मंत्री)

नाले का निर्माण कार्य मैसर्स साहरण आवास विकास संस्थान को उनकी भूमि का कब्जा देने के पश्चात् करवाया गया था। अतः सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को दृष्टिगत रखते हुये नाला पाटने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु निगम द्वारा 3,37,235/– रुपये का कार्यदेश जारी किया गया, जिस पर आज दिनांक तक 2,98,220 /–रुपये खर्च किये जा चुके है।

जिला अजमेर के फ्लोराइड युक्त ग्रामों हेतु बीसलपुर योजना से पेयजल आपूर्ति समस्या का समाधान

382. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने जिला अजमेर के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई? यदि हां, तो कब व कितनी लागत की व किन गांवों/मजरों को जोड़ने की है?

(2) उक्त योजना के सम्पादन हेतु कितनी राशि का अंश सरकार का है?

(3) अब तक केन्द्र सरकार से उक्त कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि कब–कब प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने अपना अंश कब–कब कितना–कितना मिलाया?

(4) अब कब तक सभी गांवों को किस–किस योजना अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर योजना से लाभान्वित किये जाने के सन्दर्भ में स्वीकृति तथा वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नप्रकार है :–

क्रमांक	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लाभान्वित के लिये प्रस्तावित गांवों की संख्या	जनवरी, 2003 तक खर्च (करोड़ रु.)	जनवरी, 2003 तक लाभान्वित गांव	योजना पूर्ण का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, केकड़ी–सरवाड़	1994–95 1998–99	20.48 44.35 (संशोधित)	94	38.35	94	2003

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, नसीराबाद	1999–2000	61.03	61	34.36	4	2003
3.	फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, भिनाय–मसूदा	1999–2000	43.99	232 गांव व 2 शहर (विजयनगर व गुलाबपुरा की जल मांग हेतु ट्रंक मेन)	23.20	12	2003

(2) उक्त परियोजनाओं में राजस्थान सरकार व भारत सरकार दोनों के अंश का अनुपात निम्नप्रकार है :

योजना का नाम	राजस्थान सरकार व भारत सरकार के हिस्से का अनुपात
1. फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, केकड़ी–सरवाड़	मूल स्वीकृति के समय 25.75 संशोधित स्वीकृति के समय 50.50 (बढ़ी लागत के सन्दर्भ में)
2. अन्य दो परियोजना	25:75

(3) उक्त कार्यों हेतु अब तक हुए खर्च का केन्द्रीय सरकार मद व राज्य मद में विभाजन निम्नप्रकार रहा :

वर्ष	खर्च केन्द्र सरकार मद (लाख रु.)	खर्च राज्य सरकार मद (लाख रु.)
1.	2	3
फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, नसीराबाद		
1999–2000	0.00	0.00
2000–2001	175.22	0.00
2001–2002	2226.40	0.00

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1.	2	3
2002-2003 (जनवरी, 2003)तक	875.57	159.33
योग	**3277.19**	**159.33**
फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, भिनाय-मसूदा		
1999-2000	0.00	0.45
2000-2001	1581.94	450.80
2001-2002	151.22	40.78
2002-2003 (जनवरी, 2003)तक	65.17	29.63
योग	**1798.33**	**521.66**
फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, केकड़ी-सरवाड़		
1994-1995	199.41	0.00
1995-1996	229.48	103.96
1996-1997	166.96	129.65
1997-1998	21.42	423.04
1998-1999	683.12	225.27
1999-2000	693.72	161.95
2000-2001	425.23	0.00
2001-2002	0.00	279.52
2002-2003 (जनवरी, 2003)तक	0.00	192.06
योग	**2319.34**	**1515.45**

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) वर्ष 1993 के पेयजल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार अजमेर जिले में 654 गांव अधिक फ्लोराइड से ग्रसित थे। इनमें से 387 गांवों सन्दर्भ में प्रश्न के भाग 1 में वर्णित उत्तर के अनुसार योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। जनवरी, 2003 तक इन योजनाओं पर 110 गांव लाभान्वित किये जा चुके हैं। फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट भिनाय–मसूदा की ट्रंक मेन में 232 गांव हेतु स्वच्छ जल का प्रावधान लिया गया है। इस कार्य के पूरा होने के पश्चात् इस ट्रंक मेन को जल स्रोत लेकर विभिन्न गांवों की योजनाएं बनाकर धन–संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति व क्रियान्वित करवाना प्रस्तावित है।

शेष गांवों हेतु सही जल स्रोत मिलने के बाद धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति व क्रियान्वयन करना सतत् प्रक्रिया के रूप में प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या–383

(स्थगित)

गंगापुर (भीलवाड़ा) में पेयजल समस्या हेतु ट्यूबवैल निर्माण

384. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगापुर (भीलवाड़ा) में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये अब तक क्या–क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रायथलिया बांध में कुछ नये कुएं और खोद कर उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लिये सरकार ने कंटिंजेंसी के तहत क्या प्लान बनाया है और इसके तहत क्या–क्या काम पूरे क्षेत्र में कराये गये हैं?

(4) क्या ग्राम आमली, तहसील सहाड़ा में सरकार द्वारा पेयजल योजना का संचालन किया जाता है? क्या उक्त ग्राम में विधायक कोटे से एक ट्यूबवैल का निर्माण कराया गया? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवैल को चालू करने के लिये सरकार ने विद्युत मोटर, विद्युत कनेक्शन तथा पाइप लाइन के लिये कंटिनजेंसी मद से इसे अभी तक क्यों नहीं चालू किया गया है? अब उक्त ट्यूबवैल को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) गंगापुर (आबादी 15224 जनगणना 1991) की वर्तमान में रायथलिया बांध के पेटे में निर्मित कुओं एवं कृष्णा माइंस कुएं से 4 लाख लीटर जल प्रतिदिन दिया जा रहा है। सर्विस लेवल 20 लीटर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा सप्लाई अंतराल 96 घंटे है। वर्तमान में 68 हैण्ड पम्प भी चालू है। गंगापुर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु अब तक निम्न कार्यवाही की गई :-

(अ) मातृकुण्डिया बांध को स्रोत लेकर 2/96 में रु. 394.55 लाख लागत पर योजना स्वीकृत की गई। अल्पवृष्टि के कारण गत पांच वर्षों से बांध में पानी नहीं आया अत: स्रोत, फिल्टर प्लांट व राइजिंग मैन के कार्य नहीं करवाए गए। योजना के प्रावधानों के अनुसार शहर में उच्च जलाशय व वितरण व्यवस्था के कार्य करवाए गए।

(ब) 2/2003 में कृष्णा माइंस के कुएं को चालू किया।

(स) रायथलियावास बांध के पेटे में 2 कुएं बनवा कर मार्च, 2003 में चालू किए।

(2) रायथलिया बांध के पेटे में भू-जल वैज्ञानिक की राय के अनुसार 2 कुएं बनवा कर मार्च, 2003 में उपयोग लेना प्रारम्भ कर दिए है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लिए कंटिंजेंसी में प्रस्तावित कार्यों व प्रगति का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्षेत्र	प्रस्तावित कार्य	प्रगति
1	2	3
गंगापुर शहर	1. रायथलियास बांध के पटे में 2 कुओं का निर्माण।	1. मार्च, 2003 में चालू कर दिए।
	2. 2 कुओं की डिसिल्टिंग	2. फरवरी, 2003 में कार्य पूर्ण।
	3. कुआं किराये पर लेना	3. 11/2002 से एक कुआं किराए पर लेकर चला दिया है।
ग्रामीण क्षेत्र तहसील, सहाड़ा	1. 5 हैण्ड पम्प नए	1. कार्य पूर्ण।
	2. आवश्यकतानुसार ग्रीष्म,2003 में पेयजल परिवहन	2. आवश्यकता के समय कार्य प्रस्तावित।
	3. 10 हैण्ड पम्पों में सिंगल फेज पम्प व टैंक लगाना 10 (गांवों हेतु)	3. कार्य प्रगति में।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1.	2	3
ग्रामीण क्षेत्र	1. 5 नए हैण्ड पम्प	1. कार्य पूर्ण।
तहसील, रायपुर	2. आवश्यकतानुसार ग्रीष्म, 2003 में पेयजल परिवहन	2. आवश्यकतानुसार के समय कार्य प्रस्तावित।
	3. 10 हैण्ड पम्पों में सिंगल फेज पम्प व टैंक लगाना (10 गांवों हेतु)	3. कार्य प्रगति में।

उपरोक्त के अतिरिक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 2002–2003 में क्रमशः 30 व 39 हैण्ड पम्प बनवाकर चालू किए। वर्तमान में हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान भी चल रहा है तथा कार्य सतत् प्रक्रिया में हो रहा है।

(4) जी हां। सन्दर्भित नलकूप का निर्माण विधायक फण्ड से पंचायत के माध्यम से हुआ है। अतः इसे चालू करने का कार्य विधायक फण्ड से होना है। इस बाबद् वर्तमान में विभाग के पास कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

सतही पानी के उपयोग हेतु प्रस्तावित योजना

385. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सतही पानी के उपयोग के लिये राज्य में बहने वाली नदियों का पानी रोक कर पेयजल के इंतजाम के लिये योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है? यदि हां, तो राज्य की किन–किन नदियों पर कार्य चल रहा है और किस–किस जिले की ओर कार्य चलाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस–किस जिलों को सतही पानी कब तक पेयजल हेतु उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों चम्बल (पेरेनियल) बनास (नोन पेरेनियल) तथा देवास (नोन पेरेनियल) के पानी की जल स्रोत लेकर विभिन्न पेयजल योजनाएं निम्नप्रकार है, जो स्वीकृति के पश्चात् प्रगति में है :–

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र.सं.	पेयजल योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	प्रस्तावित कवरेज	परियोजना की प्रस्तावित अवधि
(अ)	चम्बल नदी				
	इन योजनाओं में नदी को रोका नहीं गया है।			नदी के जल का प्रयोग प्रस्तावित है।	
1.	चम्बल धौलपुर-भरतपुर योजना प्रथम चरण-प्रथम भाग	1999-2000	166.50	भरतपुर व धौलपुर जिले के 212 ग्राम व 1 शहर	2004
2.	चम्बल सवाईमाधोपुर-नादौती परियोजना प्रथम चरण-प्रथम भाग	2002-2003	240.88	जिला सवाईमाधोपुर व करौली के 600 ग्राम	2006
(ब)	बनास नदी				
1.	फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, केकड़ी मारवाड़	1998-99	44.35 (संशोधित)	जिला अजमेर के 94 गांव	2003
2.	फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट, नसीराबाद	1999-2000	61.03	जिला अजमेर के 61 गांव	2003
3.	फ्लोराइड, कंट्रोल प्रोजेक्ट, भिनाय-मसूदा	1999-2000	43.99	जिला अजमेर के 232 गांव व 1 शहर तथा जिला भीलवाड़ा का 1 शहर	2003
4.	बीसलपुर दूदू फूलेरा परियोजना (प्रथम चरण)	2002-2003	216.55	जयपुर, टोंक जिले के 693 गांव	2005
5.	बाधेरी का नाका, रामसमंद	2002-2003	128.40	उदयपुर व राजसमंद जिले के 206 गांव	2005
6.	जयपुर-बीसलपुर योजना	1999-2000	1100.00	जयपुर जिले का 1 शहर, टोंक जिले के 2 शहर व रास्ते के 20 गांव (जयपुर व टोंक जिला)	2005
(स)	देवास (मानसी)				
1.	मानसी वाकल परियोजना	2001-2002	60.00	उदयपुर जिले का 1 शहर	2004

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपरोक्त सूची में पूर्व में बनी एवं वर्तमान में संधारण में योजनाओं (यथा कोटा शहर बीसलपुर अजमेर किशनगढ़–ब्यावर आदि) को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त सूची मेजर प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में ही है। प्रान्त में छोटी अन्य नोनपेरेनियल नदियों पर कोई मेजर प्रोजेक्ट वर्तमान में प्रगति में नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

केन्द्र से पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य को प्राप्त राशि

386. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998 से 2002 तक वर्षवार पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत कितनी कितनी राशि राजस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है?

(2) उक्त में से कितनी–कितनी राशि का उपयोग किया गया?

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त पूरी राशि का उपयोग न करने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की कटौती की गई?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) निम्नप्रकार राशि की कटौती हुई:–

वर्ष	कटी राशि (लाख रु.)	
	ए.आर.पी. सामान्य	ए.आर.पी. मरूस्थल
1998–99	0.00	0.00
1999–2000	673.72	912.97
2000–2001	0.00	0.00
2001–2002	3785.95	0.00

1999–2000 में कटौती का कारण अस्पष्ट है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

ग्राम भगवानपुरा (नागौर) में लम्बित पेयजल कनेक्शन

387. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के गांव भगवानपुरा (पूनिया की ढाणी) के निवासी श्री भंवर लाल पुत्र श्री देवाराम जाट ने बतौरे सिक्योरिटी के 305/– रुपये जमा कराये है? क्या उक्त की रसीद संख्या 99 है?

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थी को दिनांक 5.2.2001 को कनेक्शन जारी करने के आदेश किये हैं? यदि हां, तो क्या पानी का कनेक्शन चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक पानी का कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पानी का कनेक्शन नहीं चालू किया जा सका है क्योंकि आवेदित जल सम्बन्ध भगवानपुरा (पाइप्ड योजना) के लिए था जबकि वास्तविक जल सम्बन्ध स्थल पूनियां की ढाणी (घरेलू जल सम्बन्ध अदेय) के लिए चाहिए। पूनियां की ढाणी में भूतल जलाशय के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मानदण्ड के अनुसार यहां घरेलू जल सम्बन्ध देना सम्भव नहीं है।

(3) इस प्रकरण में प्राप्त सिक्योरिटी लौटाने के आदेश दिए जा रहे है।

तहसील फागी (जयपुर) के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

388. श्री अशोक तंवर (फागी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील फागी (जयपुर) के अनेक गांवों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो रही है?

(2) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुये उक्त ग्रामों की जनता एवं पशुओं के पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) तहसील फागी में 1991 की जनगणना के अनुसार 168 आबाद गांव है, जो कि सभी विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है।

उक्त में से 35 गांवों में जल सेवा स्तर विभागीय मापदण्डों से कम है। अतः वर्तमान में इन गांवों में परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार तहसील फागी में पानी की भयंकर किल्लत नहीं है।

(2) क्षेत्र में हुई अल्पवृष्टि तथा पेयजल की आकलित ग्रीष्म 2003 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नप्रकार कार्यवाही की जा रही है :-

(अ) ग्रीष्म कंटिंजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

15 हैण्ड पम्प, 2 नलकूप तथा 4 खुले कुएं स्वीकृत हुए हैं। 2 नलकूप बन चुके हैं एवं चालू करने का कार्य प्रगति में है। चारों खुले कुए निर्माणाधीन है। 15 हैण्डपम्प में से 10 बनकर चालू कर दिए गए है।

(ब) ग्रीष्म कंटिंजेंसी में 10 गांवों में वर्तमान में चल रहे हैण्ड पम्प पर सिंगल फैज पावर पम्प व टेंक लगाने का कार्य स्वीकृत हुआ है (एक प्रति गांव) कार्य प्रगति में है।

(स) 35 गांवों हेतु न्यूनतम पेयजल आवश्यकता हेतु जल परिवहन किया जा रहा है।

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त 7 हैण्ड पम्प (जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति) दिसम्बर, 2002 में चालू करवाए गए।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट में 26 गांवों हेतु 26 योजनाएं स्वीकृत की गई जिसमें 5 नलकूप, 20 खुले कुएं व 12 हैण्ड पम्प का प्रावधान है, जिसमें से 2 नलकूप, 13 खुले कुएं व 1 हैण्ड पम्प का निर्माण कर लिया गया है। इनमें से 3 योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 2 का संधारण स्थानीय समिति द्वारा करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष पर कार्य प्रगति में है।

पाली में सिविल मिस्त्री के वेतन भत्तों का संधारण

389. श्री गोपाराम (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवलाल व्यास सिविल मिस्त्री जलदाय विभाग, पाली में वर्तमान में कार्यरत है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त की नियुक्ति दिनांक 1.2.1967 को सिविल मिस्त्री के पद पर की गई और इनकी वेतन श्रृंखला 75–3–90–4–110–175 में नियुक्ति कर इनका न्यूनतम वेतन 75 रुपये प्रतिमाह किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त को सिविल मिस्त्री की नियुक्त तिथि से वेतन लाभ पदोन्नति व अन्य लाभ अब तक दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में श्री शिवलाल व्यास सिविल मिस्त्री के पद पर कार्यरत नहीं है, अपितु वर्तमान में पम्प चालक–प्रथम के पद पर कार्यरत है।

(2) जी हां। उक्त की नियुक्ति दिनांक 1.2.1967 को कार्य प्रभारित वर्ग में सिविल मिस्त्री के पद पर वेतन श्रृंखला 75–3–90–4–110–175 में नियुक्त कर इनका न्यूनतम केवल 75/–रु. प्रतिमाह के आधार पर दो माह के लिये जल योजना, चाणोद पर स्वीकृति के आधार पर की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तत्पश्चात् स्वीकृति समाप्ति के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को दिनांक 4.9.1967 के प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुये कर्मचारी को अधिशासी अभियन्ता खण्ड, पाली के आदेशांक 12314 दिनांक 21.10.1967 के द्वारा जल योजना चाणोद से स्थानान्तरण कर जल योजना पाली पर सहायक प्रथम के पद पर वेतन श्रृंखला 65–1–70–2–84–2–90–4–98 ई.बी. 106–110 में पदस्थापन किया गया। इसके पश्चात निम्नप्रकार पदोन्नतियां नियमानुसार दी गई :

पद	पदोन्नति आदेश दिनांक
1. पम्प चालक–तृतीय (कार्यप्रभारित वर्ग में)	16.1.1970
2. पम्प चालक–तृतीय (नियमित वर्ग में)	1.4.1971
3. लाइनमैन द्वितीय	11.3.1977
4. पम्प चालक–तृतीय	19.8.1977
5. पम्प चालक–द्वितीय	26.7.1978
6. पम्प चालक–प्रथम	10.1.1995

लाइनमैन के पद पर की गई पदोन्नति नियमानुसार न होने के कारण कर्मचारी को पुनः पम्प चालक–तृतीय के पद पर पदस्थापित किया गया।

जाट के कुएं का रास्ता जयपुर में स्थित खराब हैण्ड पम्प की मरम्मत

390. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 60 में जाट के कुएं के रास्ते के दूसरे चौराहे पर सरकार ने जन सुविधा हेतु एक हैण्ड पम्प लगाया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हैण्ड पम्प से पानी आना बन्द हो गया? यदि हां, तो क्यों और कब से?

(3) क्या गर्मी के मौसम व पानी की कमी को देखते हुए सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए उक्त हैण्ड पम्प को नाकारा करके उसके स्थान पर नया हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त क्षेत्र में नया हैण्ड पम्प कब तक लगा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित स्थान पर विभाग द्वारा वर्ष 1985–1986 में एक हैण्ड पम्प लगाया था।

(2) विगत कई वर्षों से वर्षा कम होने के फलस्वरूप भू–जल स्तर में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अत्यधिक गिरावट होने के कारण यह हैण्ड पम्प वर्ष 2001-2002 में सूख गया।

(3) जी हां। इस वर्ष की ग्रीष्म आकस्मिक योजना में इस क्षेत्र हेतु एक नया हैण्ड पम्प स्वीकृत किया गया है जो इसी ग्रीष्मकाल में लगाया जाना लक्षित है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर मावली (उदयपुर) में विभिन्न योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति

391. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर की एवं विधान सभा क्षेत्र कठूमर में किस-किस योजनान्तर्गत कहां से कितना पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या सरकार उक्त आपूर्ति को पर्याप्त मानती है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के तहत?

(2) क्या उक्त ग्रामों को जिन जल स्रोतों से पेयजलापूर्ति की जा रही है वह अपर्याप्त है? क्या सरकार उक्त जल स्रोतों (ओपन वैल) के पास ही अन्य नलकूप खुदवा कर उक्त ग्रामों हेतु पेयजलापूर्ति उचित मात्रा में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में नाकारा हैण्ड पम्पों को दुरुस्त करवा कर ग्रामवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (अ) ग्राम इन्टाली :- ग्राम इन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर पाइप्ड जल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित है। वर्तमान में इस ग्राम में एक खुले कुएं के माध्यम से 5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सेवा स्तर न्यूनतम आवश्यकता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सन्दर्भ में कम है।

ग्राम में पेयजलापूर्ति में सुधार हेतु 'ग्रीष्म कंटिंजेंसी कार्यक्रम' के अन्तर्गत एक नलकूप माह फरवरी, 2003 में स्वीकृत हुआ है। यह नलकूप इसी ग्रीष्मकाल में चालू करना लक्षित है। ग्राम में वर्तमान में 11 हैण्ड पम्प भी चालू है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र कठूमर :- विधान सभा क्षेत्र कठूमर में विभिन्न पेयजल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

क्षेत्र के कुल 183 गांवों में 137 हैण्ड पम्प योजना, 4 टी.एस.एस. 12 पम्प एवं ट्रैक, 14 पाईप्ड व 16 क्षेत्रीय योजनाओं से लाभान्वित है। इनमें से न्यूनतम आवश्यकता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सन्दर्भ में 18 गांवों में सेवा स्तर कम है। इनकी वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है :

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

एक पाइप्ड व एक टी.एस.एस. :- गांव में हैण्ड पम्प न्यूनतम आवश्यकता हेतु चालू है।

चार गांव :- कंटिंजेंसी में एक हैण्ड पम्प प्रति गांव प्राथमिकता पर बनवाया जा रहा है।

चार गांव :- योजनाएं सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट में स्वीकृत व कार्य करवाने के लिये ग्राम स्तरीय समिति को धन स्थानान्तरित।

आठ गांव :- स्थानीय प्राइवेट जल स्रोत उपलब्ध है।

जिला सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट में चयनित है तथा ग्रामवासियों को प्रेरित किया जा रहा है कि इस योजना को स्वीकार करें जिससे समस्या का पूर्ण समाधान हो सके।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) ग्राम इन्टाली :- ग्राम में वर्तमान में कोई भी हैण्ड पम्प नकारा नहीं है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र कठूमर :- नकारा हैण्ड पम्पों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इन हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प स्थानीय जल एवं स्वच्छता समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत लगाये जा सकेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में राजस्थान बन्द के दौरान अधिगृहीत बसों का भुगतान

392. श्री अशोक (खण्डार): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय परिवहन शाखा पुलिस लाइन जयपुर शहर जयपुर द्वारा दिनांक 28.2.2002 का राजस्थान बन्द के दौरान 37 मिनी बसों को अधिगृहीत किया गया था? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बन्द के दौरान अधिगृहीत की गई मिनी बसों को पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अब तक भुगतान नहीं करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भुगतान किस विभाग द्वारा किस स्थान पर तथा किस-किस मिनी बस को कितनी-कितनी राशि का कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मिनी बसों के मालिकों/चालकों को शीघ्र भुगतान किया जा रहा है। भुगतान में विलम्ब किस विभाग से भुगतान किया जाना है, इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने में समय लगने से हुआ है। इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) अब इसका भुगतान जिला

(गृह मंत्री)

पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर शहर द्वारा अधिगृहित की गई समस्त मिनी बसों को 350/-रुपये प्रति दिन के हिसाब से किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

उप खण्ड मसूदा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

393. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उप खण्ड मसूदा में उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्रदेश में भीषण अकाल के कारण उप खण्ड मसूदा में उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोलना सम्भव नहीं है।

सामान्य चिकित्सालय, अलवर में रिक्त पद

394. डा. करण सिंह यादव (बहरोड): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सामान्य चिकित्सालय अलवर में किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सामान्य चिकित्सालय, अलवर में रिक्त पदों की सूचना पदवार निम्नानुसार है :-

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1
वरिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेंसिक मेडिसिन)	1
कनिष्ठ विशेष (नाक,कान,गला)	1
चिकित्सा अधिकारी	1
नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	1
नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	1
नर्स श्रेणी प्रथम	1
नर्सिंग ट्यूटर	1
टेलर	1
वार्ड ब्वाय	2
स्वीपर	1

उप खण्ड प्रतापगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

395. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ में किस किस पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना शेष है? क्या यह सही है कि ग्राम बड़ायला, ग्राम पंचायत मोटा धामनिया, तहसील अरनोद में खोले गये उप स्वास्थ्य केन्द्र का अन्यत्र भवन निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरिया तहसील प्रतापगढ़ के भवन निर्माण के लिये कब कितनी राशि स्वीकृत की गई थी?

(3) उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य करवाने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन निर्मित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) उप खण्ड, प्रतापगढ़ में मात्र एक ग्राम पंचायत रायपुर–जंगल (अरनोद) को छोड़ते हुए सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय अथवा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले किसी न किसी गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। ग्राम रायपुर–जंगल में भी अकाल को मध्यनजर रखते हुए अस्थायी तौर पर 15.7.2003 तक प्रसाविका की नियुक्ति की गई है। जी नहीं।

(2) वर्ष 1995–96 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया के भवन निर्माण हेतु 20.00 लाख रुपये की लागत से आवास विकास संस्थान के द्वारा चरणबद्ध रूप से निर्माण कार्य करवाये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी।

(3) आवास विकास संस्थान बन्द होने के कारण उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण रह गया है। अकाल राहत कार्यों के तहत भवन पूर्ण करवाने के लिए जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को लिख दिया गया है।

तहसील डेगाना (नागौर) के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

396. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2002–2003 के दौरान जिला नागौर में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र नये खोले जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील डेगाना (नागौर) में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में कहां–कहां पर कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने ए.एन.एम. के पद सृजित हैं तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पदों को निकट भविष्य में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2002–2003 राज्य योजना अन्तर्गत मद में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

(2) तहसील डेगाना (नागौर) में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) तहसील डेगाना (नागौर) में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसाविकाओं के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग दो के साथ परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। प्रसाविकाओं के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के राजकीय चिकित्सालयों में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद

397. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के राजकीय चिकित्सालयों में कितने पद कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त है?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 3-पद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालाखेड़ा में कनिष्ठ विशेषज्ञ का-1 पद रिक्त है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला पाली में ए.एन.एम. सैंटर पर रिक्त पदों की पूर्ति

398. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति रायपुर-सोजत तथा जैतारण (पाली) के किस-किस गांव में ए.एन.एम. सैंटर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कहां-कहां पर ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं?

(3) अब उक्त केन्द्रों के रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रायपुर-सोजत तथा जैतारण के ए.एन.एम. सैंटर (उप केन्द्रों) की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) उपरोक्त पंचायत समितियों के रिक्त उप केन्द्रों जिन पर ए.एन.एम. पदस्थापित नहीं है का विवरण निम्नप्रकार है :

पंचायत समिति	उप केन्द्रों का नाम
रायपुर	1. रेलड़ा
	2. चिताड
	3. लवाचा
	4. कालब खुर्द
	5. झूठा
सोजत	1. बीजपुर
जैतारण	1. देवगढ़
	2. तालकिया
	3. कानेचा
	4. बस्सी

(3) राज्य सरकार ने ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने हेतु संविदा के आधार पर समेकित वेतन पर ए.एन.एम. रखने हेतु निदेशालय को स्वीकृति दे दी है व जिलों में गठित समितियों द्वारा रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु निर्देश जारी कर दिये हैं। इस प्रकार ए.एन.एम. के रिक्त पद शीघ्र भर जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राजकीय चिकित्सालय लाडनूं में स्वीकृत रिक्त पद

399. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय लाडनूं में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं, और उक्त में से कौन कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी, प्रथम, रेडियोग्राफर, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, शेष रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने है, जिन्हें प्रतिबन्ध में छूट प्राप्त होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजकीय सआदत चिकित्सालय टौंक व गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में रिक्त पदों की पूर्ति

400. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय सआदत चिकित्सालय, टौंक व गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय सआदत चिकित्सालय, टौंक व गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) में स्वीकृत पदों में से काफी लम्बे समय से पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के पद कितने कितने समय से रिक्त हैं? उक्त पदों को कब तक भरने की कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) राजकीय सआदत चिकित्सालय, टौंक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में स्वीकृत पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय सआदत चिकित्सालय, टौंक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में रिक्ति पदों की पदवार सूचना मय रिक्ती अवधि सहित प्रश्न के भाग एक के साथ परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं है। शेष रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मावली/कठूमर के संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

401. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली एवं कठूमर में वर्तमान में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है एवं उक्त में से किस-किस के भवन नहीं बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायत ईन्टाली (उदयपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कब एवं उक्त के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु स्थान

(श्री रमेश खींची)

का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त स्थान का आराजी नम्बर क्या है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण हेतु निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है? यदि हां, तो अब तक भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब तक भवन का निर्माण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली एवं कठूमर में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम निम्नप्रकार है :

विधान सभा क्षेत्र	भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
मावली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईन्टाली
कठूमर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोखर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसाना
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालाटाला

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईन्टाली के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गई, किन्तु सोशियल सेप्टिनेट स्कीम के अन्तर्गत तृतीय चरण में आदेश दिनांक 12.2.2002 के द्वारा उक्त केन्द्र पर आपरेशन थियेटर, आवजरवेशन वार्ड, लेबर रूम, डाक्टर एवं ए.एन.एम. क्वार्टर निर्माण कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई। ग्राम पंचायत ईन्टाली द्वारा पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु आराजी नम्बर 6164/1978 आरक्षित कराई गई थी, जो आबादी से करीब 1 कि.मी. दूर है तथा आराजी नम्बर 2457 विभाग को दान में प्राप्त हुई थी। इन दोनों भूमि स्थलों का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त दान में प्राप्त भूमि आराजी नम्बर 2457 आबादी क्षेत्र में होने के कारण एवं जनहित तथा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपयुक्त पाई गई, जिस पर निर्माण कार्य कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, लेकिन आरक्षित कराई गई भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) मावली में मुकदमा दायर होने के कारण उक्त प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.1.2003 में उक्त निर्माण कार्य आराजी नम्बर 6164/1978 में कराने के आदेश दिये है। इसी कारण अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

(3) ग्राम पंचायत ईन्टाली द्वारा पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु आराजी नम्बर 6164/1978 आरक्षित कराई गई थी एवं आराजी नम्बर 2457 विभाग को दान में प्राप्त हुई। इन दोनों भूमि स्थल का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त दान में प्राप्त भूमि आराजी नम्बर 2457 पर उपरोक्त निर्माण हेतु विभाग द्वारा उपयुक्त पाई गई, उसी पर निर्माण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्य प्रारम्भ कराने बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन भूमि विवादाग्रस्त होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

(4) उक्त भवन निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन भूमि विवादग्रस्त होने एवं माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार विभाग द्वारा उपयुक्त पाई गई भूमि पर निर्माण नहीं करने के आदेश से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। भूमि का विवाद समाप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो पायेगा, इसके लिए विभाग प्रयासरत है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की सड़कों का डामरीकरण

402. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गैंजी से चारवाड़ा, गैंजी घाटा से गलेन्धर भंवरियां से सांरबरजी सीमलवाड़ा एवं धम्बोला से बोड़ामली घड़ियावाला सड़क पर सरकार डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित सभी गांव गैंजी, चारवाड़ा, गेंजीघाटा, गलन्दर, भंवरिया, सीमलवाड़ा धम्बोला, बोड़ामली व घडियावाला (गडियाफला) सभी गांव डामर सड़क पर स्थित है।

टोल टैक्सों के ठेकेदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

403. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने टोल टैक्स पाइंट कब से कार्यरत हैं व इनका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? और कब तक के ठेके दिये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोल अवधि समाप्त होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा वसूली की जाती है? यदि हां, तो किस-किस टोल की शिकायत प्राप्त हुई?

(3) वर्ष 2002-2003 में टोल टैक्स से कितनी-कितनी आय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 46 टोल टैक्स पाइंट कार्यरत है। जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 2002-2003 में टोल टैक्स से 251.08 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां-अकलेरा राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्ण कार्य

404. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां ने अकलेरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 की स्वीकृति कब हुई? उक्त राजमर्ग पर अब तक क्या-क्या कार्य हो चुका है और उक्त पर कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को व्यय की गई?

(2) उक्त राजमार्ग पर अब क्या क्या कार्य होना शेष है और शेष कार्य को अब तक पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) बारां अकलेरा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.10.2000 द्वारा घोषित किया गया। उक्त राज मार्ग पर अब तक किमी. 30/0 से 60/0 तक पीरियोडिकल रिनिवल का कार्य एवं किमी. 0/0 से 93/500 में साधारण मरम्मत के कार्य करवाये जा चुके हैं। विवरण निम्न है :

कार्य का नाम	दिनांक	राशि
1. पीरियोडिकल रिनिवल	माह अगस्त, 2002 से माह जनवरी, 2003 तक	67.96 लाख
2. साधारण मरम्मत	2001-02	18.53लाख
	2002-03 (जनवरी, 2003)	38.83लाख

(2) उक्त राजमार्ग पर अब किमी. 0/0 से 30/0 तक इम्प्रूवमेंट आफ राइडिंग क्वालिटि आफ पेवमेंट का कार्य एवं किमी. 63/0 से 93/500 तक पीरियोडिकल रिनिवल का कार्य होना शेष है। जिसका की तखमीना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में लम्बित है। उक्त की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य करवाना सम्भव होगा।

अनुदानित जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं (नागौर) के कर्मियों का बकाया भुगतान

405. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय है? क्या उक्त को सरकार सहायता दे रही है? यदि हां, तो चालू शिक्षा सत्र में सरकार में कितनी कितनी सहायता कब-कब दी तथा उसका संस्थान ने क्या उपयोग किया?

(2) क्या यह भी सही है कि स्टाफ की वेतन राशि का भुगतान गत दस माह से बकाया है? यदि हां, तो क्यों और कब तक किस प्रकार से दी जा सकेगी?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि संस्था के हिस्से की राशि संस्था से लेकर स्टाफ को वेतन सीधे ही सरकार भुगतान करे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त संस्थान के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा 80% अनुदान दिया जाता है। चालू शिक्षा सत्र में 2 माह का अनुदान बिल नं. 57/5.9.2002 के द्वारा राशि रुपये 4,95,550/– स्वीकृत की गई जिसका संस्थान ने उपयोग वेतन भुगतान में किया।

(2) स्टाफ का वेतन गत माह से बकाया है जो संस्था को निदेशालय के पत्रांक शिविरा/माध्यम/अन/एफ/विविध/98/292 दिनांक 9.10.2002 के द्वारा अधिक भुगतान की राशि रुपये 9,10,972/– की वसूली की जानी है, जिसके लिए संस्था ने सहमत नहीं होने से 8 माह का बिल नहीं भिजवाया है। कटौती उपरान्त बिल पारित किये जाने हेतु संस्था को अवगत करवाया जा चुका है।

(3) राज्य सरकार को इस प्रकार के प्रस्ताव कभी प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही राज्य सरकार ऐसा कोई विचार रखती है।

(4) उक्त संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बालिका शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अनुदान

406. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में बालिका शिक्षा निःशुल्क हेतु वचनबद्ध है? यदि हां, तो किन-किन स्तर तक की बालिका शिक्षा निःशुल्क है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बालिका विद्यालयों में शुल्क नहीं लिए जाने के कारण उक्त विद्यालयों को खर्च के लिए सरकार बजट आबंटित करती है? यदि हां, तो किस-किस स्तर के विद्यालयों के लिए कितनी-कितनी राशि?

उत्तर

(1) राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

(2) राजकीय विद्यालयों को कार्यालय व्यय के लिये आवश्यक राशि दी जाती है।

पंचायत समिति बस्सी व चाकसू में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्य

407. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में डी.पी.ई.पी. योजना के तहत कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये?

(श्री कन्हैया लाल)

(2) उक्त अपूर्ण एवं प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(3) उक्त योजना में कौन–कौन सी शिक्षण संस्थाएं पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में खोली गई?

उत्तर

(1) विधान सभा बस्सी में डी.पी.ई.पी. के तहत रुपये 59.32 लाख के 75 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(2) उक्त कार्यों में से 46 निर्माण कार्य फरवरी, 2003 में पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 29 कार्य अप्रैल, 2003 तक पूर्ण हो जायेंगे।

(3) डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में खोली गई शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :

पं.स.	वैकल्पिक विद्यालय (6 घंटे)	वैकल्पिक विद्यालय (4 घंटे)
बस्सी	5	6
चाकसू	–	8

ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत विहीन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता

408. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था नहीं है? क्या उक्त विद्यालयों में सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो कम्प्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता किस आधार पर रखी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब निर्धारित मानदण्डानुसार है? क्या अनिवार्य विषय होने पर छात्रों को कम्प्यूटर हेतु प्रायोगिक कार्य करने के लिये वर्तमान में कम्प्यूटर कक्ष उपलब्ध है? यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य के लगभग 435 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्युत व्यवस्था नहीं है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और न ही इन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन की अनिवार्यता है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विद्यालय भवनों में उपलब्ध स्थान के अनुसार कम्प्यूटर लैब स्थापित है। विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा का प्रायोगिक कार्य करने हेतु विद्यार्थी अनुपात में कम्प्यूटर स्थापित करने की व्यवस्था है।

जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

409. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्राथमिक विद्यालय (छात्र) जोगराम पंचायत नाहरी, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा की स्थापना वर्ष 1959 में हुई? क्या इतना पुराना प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक उक्त स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया है?

(2) उक्त स्कूल की कितनी छात्र संख्या है? क्या विभागीय मानदण्ड जो किसी स्कूल के क्रमोन्नता करने के लिये आवश्यक है उक्त स्कूल पूरे करता है? यदि हां, तो अभी तक उक्त स्कूल को क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया है?

(3) प्राथमिक विद्यालय पाटियां का खेड़ा पंचायत थला, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा में कितने छात्र हैं और उक्त के आसपास फीडिंग स्कूल कितने हैं? उक्त स्कूल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त स्कूल की छात्र संख्या 124 है। क्रमोन्नति हेतु स्कूल विभागीय मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती है।

(3) प्राथमिक विद्यालय पाटिया का खेड़ा पंचायत समिति रायपुर भीलवाड़ा में 107 छात्र हैं। इसके आसपास एक राजीव गांधी पाठशाला है। क्रमोन्नति के लिए उक्त विद्यालय विभागीय मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती है।

जिला चित्तौड़गढ़ में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति

410. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1998 में जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ में तथा वर्ष 1997 में जिला परिषद् पाली व सिरोही में एवं वर्ष 1998 में भीलवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद हेतु विज्ञापन आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त सभी को नियुक्तियां दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त नियुक्तियों में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के अभ्यर्थियों द्वारा अनियमित चयन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी? यदि हां, तो रिट याचिका संख्या 9490/2002 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2002 के अनुसरण में क्या अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) अब न्यायालय में निर्णय अनुसार इन्हें कब तक नियुक्तियां प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित हुए हैं? यदि हां, तो सरकार ने इसकी अनुपालना में क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जिला परिषद् पाली एवं सिरोही के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 1997 में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में वर्ष 1998 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। इन दोनों जिलों द्वारा नियमानुसार नियुक्तियां दे दी गई हैं।

(2) उक्त नियुक्तियों के लिये वरीयता निर्धारण का मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना की जा चुकी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला परिषद् सीकर द्वारा व्यावसयिक शिक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति

411. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण, अभ्यर्थी जिन्होंने अध्यापक हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता अर्पित कर रखी हो तथा ब्रिज कोर्स (अकादमिक) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को अध्यापक के पद पर वर्ष 2000 में नियुक्तियां दी गई थी? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने कितने पदों पर नियुक्तियां दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर जिला परिषद् की विज्ञप्ति संख्या 1/98 के अन्तर्गत चयन सूची में पात्रता रखने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों और अब कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी शेष है?

(3) क्या पात्रात रखने वाले शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। जिला परिषद् सीकर द्वारा 1/98 अन्तर्गत चयन सूची में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1.7.1999 से 16.8.2001 तक की अवधि में नियुक्तियां दी गई हैं। अब किसी को भी नियुक्ति दिया जाना शेष नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) विज्ञप्ति के अन्तर्गत विज्ञापित स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

आसीन्द (भीलवाड़ा) के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

412. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में कौन-कौनसे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) का एक मात्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जगपुरा क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मत हेतु सक्षम अधिकारी से तखमीनें के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत राशि का आबंटन गुणावगुण के आधार पर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सौंथू (जालौर) के अध्यापक को ब्याज की राशि का भुगतान

413. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री हस्ताराम पुरोहित, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सौंथू जिला जालौर को दिनांक 23.11.1976 से 13.10.1977 तथा 27.1.1978 से 5.9.1979 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के फैसलों की अनुपालना में उक्त अवधि का वेतन तीन साल बाद दिनांक 2.12.2002 को दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक के वेतन की राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देने के माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1132/94 व रिट सं. 525/2000 के द्वारा स्पष्ट आदेश है? यदि हां, तो 12 प्रतिशत ब्याज की राशि कब तक दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। भुगतान कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ब्याज की राशि भुगतान

(शिक्षा मंत्री)

हेतु बजट एवं सक्षम स्वीकृति मिलने पर भुगतान किया जाएगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिबलसर (जालौर) में प्रधानाध्यापक का रिक्त पद

414. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिबलसर में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक को राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूडसी में स्थानान्तरित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक के हटाने पर गांव के लोग आमरण अनशन पर बैठे थे और प्रधानाध्यापक लगाने के आश्वासन पर आमरण अनशन बन्द किया गया था? यदि हां, तो अब उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक कब तक लगा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

415. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में कितने अध्यापक तथा विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कितने विद्यार्थी पर एक अध्यापक की आवश्यकता है?

(3) क्या वर्तमान में उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो कब्र तक उक्त पद भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 11 राजकीय माध्यमिक एवं 5 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में कुल 186 अध्यापक एवं कुल 6869 विद्यार्थी हैं। अध्यापक, विषय एवं कक्षा खण्ड के आधार पर ही स्वीकृत किये जाते हैं।

(3) वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद स्थाई रूप से सीधी भर्ती अभ्यर्थी के पद लोक सेवा आयोग तथा पदोन्नति अभ्यांश के पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित

(शिक्षा मंत्री)

आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरे जाने सम्भव हो सकेंगे। अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

पंचायत समिति रायपुर (पाली) में ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

416. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति रायपुर (पाली) में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं?

(2) उक्त सृजित पद किस-किस तारीख से रिक्त हैं?

(3) उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिये जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार सरकार को निवेदन करने के बावजूद अब तक रिक्त पद नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रायपुर (पाली) में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त 3 पद अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी के सृजित हैं।

(2) उक्त सृजित पद निम्न तारीख से रिक्त हैं :-

1. 3 फरवरी, 2001 से
2. 2 मार्च, 2001 से
3. 1 अगस्त, 2001 से।

(3) माध्यमिक शिक्षा विभाग में अन्य पदों में रिक्तता के कारण यह पद भरे नहीं जा सके हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक अध्यापकों को नियमित नियुक्ति

417. श्री हरिशचन्द कुमाव (नावां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत रहे अंशकालिक अध्यापकों को नियमित नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों तथा वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है?

(2) क्या कतिपय शिक्षकों को पूर्व में न्यायालय में वाद दायर किये जाने के कारण नियुक्तियां प्रदान की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार शेष रहे शिक्षकों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं

(शिक्षा मंत्री)

है। वर्तमान में इनकी संख्या शून्य है, क्योंकि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा (+2स्तर) पूर्णतया बन्द हो चुकी हैं।

(2) जी नहीं। क्योंकि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा प्रस्तावित समानीकरण प्रस्ताव

418. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा कोई समानीकरण प्रस्ताव निदेशालय में भेजे गये हैं? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्ताव में से किस-किस प्रस्ताव पर निदेशालय द्वारा स्वीकृति दी गई? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा उक्त के तहत कोई सूची जारी की गई? यदि हां, तो सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जयपुर ने निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों पर भी अपने स्तर पर परिवर्तन कर दिया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या समानीकरण करने के पश्चात् भी कई विद्यालयों में पद रिक्त रह गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समानीकरण प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निदेशालय द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) चूंकि कोई परिवर्तन नहीं किया गया अत: जांच करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(6) जी हॉं। समानीकरण प्रक्रियान्तर्गत अधिशेष पद कम एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण कुछ पद रिक्त रह गए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला दौसा के अध्यापकों के सेवानिवृत्ति आदेशों में देरी

419. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला दौसा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित कौन कौनसे शिक्षक जनवरी, 2003 से जुलाई 2003 तक सेवानिवृत्त हुए/होने वाले हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश समय पर जारी कर दिए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने में हुए विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां,तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला दौसा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जनवरी, 2003 से जुलाई, 2003 तक सेवानिवृत्त हुए/होने वाले अध्यापकों की सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(3) सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने में कोई विलम्ब न होने के कारण कोई दोषी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर वृत्त में कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता में परिवर्तन की शिकायतों की जांच

420. श्री अमराराम (धोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दो वर्षों में 31 जनवरी, 2003 तक सीकर वृत्त में कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता तोड़ने की शिकायत किन किन सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध मिली और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है?

(2) उक्त शिकायतों के जांच अधिकारी कौन थे?

(3) उक्त में दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों 2001–2002 व 2002–2003 में सीकर वृत में कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता तोड़ने के बारे में दो शिकायत सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) सीकर व सहायक अभियन्ता (पवस) पलसाना के विरुद्ध प्राप्त हुई। सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) सीकर के विरुद्ध

(ऊर्जा मंत्री)

प्राप्त शिकायत की जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। सहायक अभियन्ता (पवस) पलसाना के विरुद्ध की गई शिकायत सही नहीं पाई गई है। अत: कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(2) सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) सीकर के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिये अधिशासी अभियन्ता (पवस) अजमेर डिस्काम, सीकर को जांच अधिकारी बनाया गया है। इस प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) सीकर द्वारा भी की गई है।

(3) सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) सीकर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

हरिजन बस्ती भालोजी पंचायत समिति कोटपूतली के उपभोक्ताओं को निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन

421. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की भालोजी-हरिजन बस्ती (पंचायत समिति कोटपूतली) के 13 उपभोक्ताओं को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्रत्येक को लगभग पचास-साठ हजार रुपये के मांग-पत्र भेजे गए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि हरिजनों को विद्युत कनेक्शन ''फ्री'' दिया जाता है? यदि हां, तो भालोजी हरिजन बस्ती के निवासियों को ही क्यों भेजे गये? उक्त हरिजन बस्ती के उपभोक्ताओं के नाम तथा डिमाण्ड राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वासियों को वांछित छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जिला जयपुर की पंचायत समिति कोटपूतली के ग्राम भालोजी में 16 हरिजन आवेदकों को घरेलू कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी किये गये हैं। ग्राम की मुख्य आबादी से बाहर होनें व स्थापित एल.टी. लाइन से मकान की दूरी के अनुसार नियमानुसार मांग पत्र जारी किये गये हैं, जिनका आवेदकवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) कुटीर ज्योति योजना में चयनित व्यक्ति के अतिरिक्त हरिजन व्यक्तियों को फ्री विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है। आवेदकों के मकान ग्राम की मुख्य आबादी से दूर होने के कारण स्थापित लाइन से मकानों की दूरी के हिसाब से प्रचलित नियमों के अनुसार मांग पत्र जारी

(ऊर्जा मंत्री)

किये गये हैं। आवेदकों की सूची मय राशि के परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नियमों में हरिजन व्यक्तियों को फ्री कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं होने के कारण मांग पत्र राशि में छूट नहीं दी गई है। परन्तु अब जांच पश्चात् इस बस्ती में अधिकतर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा निवास करने के कारण अब इस बस्ती को हरिजन बस्ती के रूप में चयनित करने की कार्यवाही की जा रही है तथा नियमानुसार बस्ती का विद्युतीकरण निगम के खर्चे पर करवाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इन उपभोक्ताओं को साधारण राशि का डिमाण्ड नोटिस भेज कर जमा होने के पश्चात् घरेलू कनेक्शन देना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन

422. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अनुसूचित जाति का व्यक्ति सवर्ण/अनुसूचित जाति के व्यक्ति से कृषि कार्य हेतु जमीन खरीदता है, तो कितने वर्ष बाद विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है? उक्त सम्बन्धी मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अनुसूचित जाति के ऐसे कृषि आवेदक जिन्होंने चालू वित्त वर्ष से 5 वर्ष पूर्व कम से कम 2 बीघा कृषि भूमि सवर्ण//पिछड़ी/अनुसूचित जनजाति के कृषक/कृषकों से क्रय की हो, उन्हें जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जांच सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) द्वारा किये जाने के बाद कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जिन प्रकरणों में जमीन की खरीद को चालू वित्त वर्ष में पांच वर्ष से कम समय हुआ है, ऐसे प्रकरणों में अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुसूचित जाति प्राथमिकता से कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा, वे चाहे तो साधारण श्रेणी/अन्य प्रभावी योजना में आवेदन कर सकते हैं।

इससे सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र आमेर की तलाई ढाणी के मकान के ऊपर से विद्युत लाइन

423. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सभा क्षेत्र आमेर में तलाई की ढाणी (तकिया की चौकी और गोविन्दपुरा के पास) में आबादी बस्ती में श्री जुगल किशोर पुत्र श्री भंवर लाल पहलवान के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है? यदि हां, तो क्या उक्त मकान के निवासी ने उक्त तारों को हटाने हेतु कई बार निवेदन किया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के मकान के ऊपर से विद्युत तारों के निकल जाने से यहां पर कई बार हादसे हो गये है? उक्त तारों को हटाने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तारों को अब भी हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री जुगल किशोर पुत्र श्री भंवर लाल पहलवान निवासी तलाई की ढाणी के मकान के ऊपर से नहीं बल्कि मकान की चारदीवारी के एक कोने से होकर एल.टी. लाइन गुजर रही है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त व्यक्ति ने लाइन हटाने के लिये कोई आवेदन नहीं किया है।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस लाइन से दुर्घटना होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस लाइन को हटाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था। अब इस प्रश्न को ही आवेदन मानकर लाइन शिफ्टिंग के लिये तखमीना बनाकर तखमीने की 50 प्रतिशत राशि 4365/- रुपये जमा करवाने हेतु मकान मालिक के नाम दिनांक 5.3.2003 को मांत्र पत्र जारी कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त मांग पत्र की राशि जमा होने पर उक्त लाइन के तारों को हटा दिया जावेगा।

जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखण्डों का नियमन

424. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा रजिस्ट्रेशन के समय इसके कौन-कौन से पदाधिकारी थे और वर्तमान में कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सोसाइटी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के फलस्वरूप सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कब और प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् इसके कौन-कौन सी स्कीम के कागजात जाप्ते में लिये गये

(श्री बाबूलाल नागर)

थे? वर्तमान में उक्त स्कीम की क्या स्थिति है?

(3) क्या उक्त समिति की स्कीम के सम्बन्ध में प्रशासक द्वारा भूखण्डों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कौन–कौन सी योजना और कौन–कौन सी अभी तक प्रक्रियाधीन हैं?

उत्तर

(1) दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 26.10.1970 को हुआ तथा रजिस्ट्रेशन के समय के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "एक" पर तथा वर्तमान में समिति पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "दो" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समिति में दिनांक 7.7.1995 से दिनांक 2.1.1996 तक प्रशासक रहा था। प्रशासक द्वारा समिति का कोई रिकार्ड जाप्ते में नहीं लिया गया। प्रश्न में समिति की किसी स्कीम विशेष का नाम अंकित नहीं होने के कारण स्कीम की वर्तमान स्थिति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

जिला विकास अभिकरणों का जिला परिषदों में विलय

425. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डा. डी.आर.डी.ए.) का जिला परिषदों के साथ विलय कर बजट का पंचायत समितिवार बंटवारा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार उक्त संस्थाओं को "ग्रामीण लोकल अथोरिटी" का दर्जा देकर उक्त में तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारी लगाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है? यदि हां, तो कब से दर्जा दिया जाकर उक्त अधिकारी लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद् विलय बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है किन्तु बजट पंचायत समितिवार आबंटित करना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता।

(2) जी नहीं। ग्रामीण लोकल अथोरिटी का दर्जा देने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में

(पंचायती राज मंत्री)

वर्णित 29 सभी विषयों से जुड़ी गतिविधियों को मय प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों के पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने की दृष्टि से हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के क्रमोन्नत विद्यालय

426. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक कितने नए विद्यालय खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्रों में कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई हैं? स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में उक्त अवधि में कोई भी नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में कुल 56 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक 15, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 4, एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर 5 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, सूची परिशिष्ट ''ख'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में राजीव गांधी पाठशालाएं

427. श्री भाणजी (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई हैं?

(2) क्या उक्त में शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स की नियुक्तियां की गई?

(3) क्या सरकार पैराटीचर्स को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) 4 वर्ष की संतोषप्रद सेवा करने एवं अध्यापक पद हेतु निर्धारित शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताधारियों को तृतीय वेतन

(शिक्षा मंत्री)

श्रृंखला अध्यापक पद पर चयनित करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

ग्राम लाखनपुरा (दौसा) के पैराटीचर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

428. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री हेमराज पुत्र श्री गेंदालाल निवासी दूर्जनवासी ग्राम पंचायत सलेमपुरा (दौसा) राजीव गांधी पाठशाला दूर्जनवास में दिनांक 6.4.2002 से पूर्व तक पैराटीचर के पद पर कार्यरत था?

(2) क्या उक्त पैराटीचर श्री रामफूल मीणा के अपहरण एवं हत्या में शामिल होने के कारण ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा पद से बरखास्त कर दिया गया था?

(3) क्या ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा बरखास्त करने के बाद पंचायत समिति प्रशासन ने मुजरिम के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में मुजरिम श्री हेमराज ग्राम लाखनपुरा (दौसा) में राजीव गांधी पाठशाला में पैराटीचर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या ग्राम पंचायत चौंडियावास द्वारा पैराटीचर के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में लिया गया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा बरखास्त नहीं किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

ग्राम सेवकों व पदेन सचिवों के स्थगित स्थानान्तरण

429. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में ग्राम सेवकों/पदेन सचिवों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये थे? क्या बाद में उक्त स्थानान्तरण स्थगित कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्ष 2000 में किये गये थे। उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

जिला चित्तौड़गढ़ के निलम्बित संरपचों के विरुद्ध लम्बित जांच

430. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को क्यों निलम्बित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से वर्तमान में किस किस सरपंच के विरुद्ध जांच लम्बित है? उक्त का कब तक निपटारा किया जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत संगेसरा पंचायत समिति डूंगला के सरपंच श्री चुन्नी लाल खटीक द्वारा नियमों की अवहेलना कर अपेक्षाकृत कम दरों पर भूमि की नीलामी कर पंचायत/राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने एवं राजकीय राशि का गबन किये जाने सम्बन्धी आरोपों के क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3/एज/1/जांच/चित्तौड़गढ़/02/4800 दिनांक 12.11.2002 द्वारा विस्तृत जांच प्रस्तावित करते हुए निलम्बित किया गया था। उक्त निलम्बन आदेशों के विरुद्ध श्री खटीक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 4620/2002 दायर की गयी थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.1.2003 द्वारा श्री खटीक के विरुद्ध जारी निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया है तथा न्यायालय के आदेश की अनुपालना में विभागीय स्तर से आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) चूंकि केवल एक ही सरपंच को निलम्बित किया गया है। अतः इन्हीं के विरुद्ध विस्तृत जांच लम्बित है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर ली जायेगी।

राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन

431. श्री अमीन खान (शिव): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के सर्कलों का पुनर्गठन वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य में चुनाव परिसीमन आयोग की पाबन्दी हटने के बाद वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्गठन कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभागीय पत्र क्रमांक 834 दिनांक 4 अप्रैल, 1991 में दिये

(पंचायती राज मंत्री)

गये दिशा-निर्देशों के आधार पर वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में सरकार सम्बन्धित सभी पहलुओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लेगी।

ग्राम पंचायत सिरसी (जयपुर) द्वारा आवासीय भूखण्डों की नीलामी

432. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत सिरसी, पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1970 के दौरान कब-कब आवासीय भूखण्डों के लिए भूमि नीलाम की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिनांक 2 नवम्बर, 1964 को आवासीय भूखण्डों की नीलामी की गई? यदि हां, तो किन-किन को भूखण्डों का बेचान नीलामी द्वारा किया गया? नाम, भूखण्ड संख्या मय मानचित्र के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 21.11.1964 को हुई नीलामी में एक भूखण्ड की नीलामी श्री हनुमान सहाय के नाम से छूटी थी? क्या उक्त सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की रसीद संख्या 502 दिनांक 21 मार्च, 1965 जारी की गई थी? यदि हां, तो रसीद संख्या 501 से 510 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत सिरसी द्वारा ग्राम गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिनांक 2 नवम्बर, 1964 को आवासीय भूखण्डों को पंचायत सभा द्वारा ग्रामीण गृह निर्माण योजना के तहत दस व्यक्तियों को निर्धारित दर पर भूमि दी गई थी।

(3) नीलामी द्वारा नहीं अपितु ग्रामीण गृह निर्माण योजना के तहत पंचायत सभा के निर्णय अनुसार 31 पैसे प्रति वर्गगज की दर से श्री हनुमान सहाय को भूखण्ड संख्या 109 क्षेत्रफल 311.9 वगर्गज दिया गया था। जिसकी राशि रसीद संख्या 502 दिनांक 21.03.1965 रु. 96.72 द्वारा जमा किये गये थे। रसीद संख्या 501 से 510 तक की प्रतियां संलग्न हैं।

(रसीदों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र बाली में प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण

433. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

विधान सभा क्षेत्र बाली में सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान में मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व सार्वजनिक हित के कितने ज्ञापन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने ज्ञापनों का निस्तारण किया जा चुका है और शेष प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाली में सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान में मूल निवास प्रमाण पत्र के 10936, जाति प्रमाण पत्र के 2347, विधवा पेंशन के 137, वृद्धा पेंशन के 229 व सार्वजनिक हित के 1098 ज्ञापन प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 14747 ज्ञापन प्राप्त हुए। उक्त सभी 14747 ज्ञापनों का निस्तारण किया जा चुका है। उक्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा (जयपुर) में आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करने में विलम्ब

434. श्री नाथूराम (किशनगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के ग्राम राधाकिशनपुरा में श्री कल्याण दत्त शर्मा ने ग्राम पंचायत में दिनांक 5.2.1987 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपनी पड़त भूमि का पट्टा जारी करने हेतु लिखा था? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थना–पत्र का मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पंचायत ने एक समिति का गठन किया था? क्या उक्त समिति ने दिनांक 24.1.1991 को भू–स्थल का मौका मुआयना कर भूखंण्ड पर उक्त व्यक्ति का कब्जा पाया और भूमि का पट्टा देने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मौका रिपोर्ट को पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 11.4.1991 को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त भूमि श्री कल्याण दत्त की ही है और इन्हें उक्त भूखण्ड का पट्टा नियमानुसार राशि जमा कराकर दे दिया जाये? यदि हां, तो उक्त तिथि के कार्यवाही रजिस्टर एवं उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के निर्णय के पश्चात् भी सरपंच ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं कर रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

(5) क्या उक्त भू-खण्ड का पट्टा जारी नहीं किये जाने की प्रार्थी ने जिला कलक्टर जयपुर व विकास अधिकारी आमेर को शिकायत की है? क्या उक्त अधिकारियों ने ग्राम पंचायत के सरपंच को पट्टा जारी करने हेतु लिखा है? अब तक उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों के लिखे जाने के बाद भी उक्त सरपंच ने उक्त भूखण्ड का अब तक पट्टा जारी नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक पट्टा जारी कर दिया जावेगा और दोषी सरपंच के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थना पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 11.4.1991 को पंचायत के 5 सदस्यों द्वारा उक्त भूमि कल्याण दत्त शर्मा को दिये जाने की सिफारिश की थी। पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार (निर्णय) की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(4) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा द्वारा पट्टा जारी नहीं करने का कारण यह है कि :-

1. उक्त फैसले पर तत्कालीन कार्यरत अवधि के सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं।

2. दिनांक 24.1.1991 की मौका मुआयना रिपोर्ट में सिफारिश की गई जमीन तथा प्रार्थी द्वारा पट्टा चाही गई जमीन दोनों में अन्तर है।

(5) जिला कलक्टर को शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया परन्तु विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु निर्देशित किया जाना पाया गया है। प्रकरण विवादास्पद होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया गया।

(6) जी हां। पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में जो फैसला लिया गया है उस पर तत्कालीन कार्यरत सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं दिनांक 24.1.1991 की मौका मुआयना रिपोर्ट में सिफारिश की गई जमीन तथा प्रार्थी द्वारा पट्टा चाही गई जमीन दोनों में अन्तर है। पंचायत के पुनः निर्णय पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है। पंचायत ही पट्टे पर नियमानुसार हस्ताक्षर का निर्णय कर सकती है।

(प्रार्थना पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बून्दी में मवेशियों हेतु खोले गये चारा डिपो

435. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सहायता राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में भीषण अकाल के कारण चारा पानी के अभाव में हजारों मवेशियों का मरना जारी है तथा हजारों मवेशियों को खुला छोड़ दिया गया? यदि हां, तो सरकार ने कितने चारा डिपो खोले हैं?

(2) उक्त जिले में सरकार द्वारा किस–किस दिनांक को किस–किस स्थान पर चारा डिपो खोले गये हैं? उक्त चारा डिपो पर किस–किस प्रकार का चारा किस–किस कीमत पर दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में बूंदी जिले में 7 चारा डिपो संचालित हैं।

(2) बूंदी जिले में तारीखवार खोले गये चारा डिपो व उन चारा डिपोज पर भिन्न–भिन्न प्रकार के चारे की कीमत जिस पर विक्रय किया जा रहा है, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1 संलग्न) चारा डिपोज पर चारा जिले के अन्दर से ही मंगवाया जाकर वितरित किया जा रहा है अतः राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का चारा परिवहन अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

बारां में अकाल राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों को मजदूरी

436. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद (बारां) में सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने–कितने व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों के तहत मजदूरी पर लगाया गया है?

(2) क्या उक्त श्रमिकों को उनकी मजदूरी के गेहूं व नकद राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और किन–किन श्रमिकों को कितनी–कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाना शेष है? उक्त श्रमिकों को समय पर मजदूरी नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे और अब मजदूरी कब तक चुका दी जावेगी?

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के नियोजित श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) तहसील छबड़ा में 165 श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रमिकों को मजदूरी के गेहूं व नगद राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान श्रमिकों के भुगतान के वक्त मौके पर नहीं मिलने के कारण नहीं किया जा सका है। 165 श्रमिकों को 118.48 क्विंटल गेहूं 22238/– रुपये का नगद भुगतान किया जाना शेष है। इन

(सहायता मंत्री)

श्रमिकों को शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

इसी प्रकार तहसील छीपाबड़ौद में 290 श्रमिकों के अलावा अन्य सभी श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष रहे 290 श्रमिकों को उनकी मजदूरी के 1094.78 क्विंटल गेहूं का भुगतान शेष है जिसके लिए कूपन जारी किये जा चुके हैं तथा भुगतान प्रक्रिया जारी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :-

(1) श्री नाथूलाल गुर्जर व डा. रामप्रताप, सदस्य की ओर से नैनवां कस्बे में एक व्यापारी की पुत्र वधु का अपहरण तथा एक अध्यापक को लूटने की घटना के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से उपखण्ड कार्यालय वर के सहायक अभियन्ता के खिलाफ लगे गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन सिटी के वार्ड नम्बर 25, 21 व 15 को विद्युत सप्लाई नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत दड़ा तहसील अटरू में साक्षरता प्रेरक चयन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के मन्दिरों में चोरी की घटनाएं लगातार होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में आवास ऋण हेतु बजट उपलब्ध नहीं करवाने के सम्बन्ध में।

(4) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से तहसील कोटपूतली के ग्राम पंवाला राजपूत में खनन कार्य बन्द करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के चिकित्सालयों में स्टाफ एवं औषधियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चूरू शहर के गन्दे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भावता में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री संयम लोढ़ा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सिरोही जिले में मन्दिरों में बढ़ती चोरी की घटनाएं

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले के मन्दिरों में चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सिरोही जिले के मन्दिरों में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पुलिस इसमें कार्यवाही में पूरी तरह असफल साबित हुई है। इससे आम जनता में रोष व्याप्त है।

अभी हाल ही शिवगंज तहसील के खंदरा में सांवलियाजी के अति प्राचीन प्रतिमा को चुरा लिया है। इससे कुछ दिन पूर्व ही पिंडवाड़ा तहसील के उन्दरा गांव से देवी सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा चुरा ली गयी। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को हरियाणा नम्बर की इंडिका गाड़ी के नम्बर भी दिए। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। इसी तरह शिवगंज तहसील के झाड़ोलीवीर में वावेश्वर महादेव मन्दिर में हुई चोरी भी पुलिस नहीं खोल पायी। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिल कर इस चोरी को खोलने के लिए निवेदन किया था। उनके निर्देश पर विशेष पुलिस दल भी गठित किया गया लेकिन चोरी नहीं खुली। इसी तरह जिले में दर्जनों अन्य चोरियां हुई तो नहीं खोली गयी। प्राचीन देव प्रतिमाओं की चोरी से हमें गहरा आघात लगा है। ऐसा लगता है कि कोई अन्तरराज्जीय गिरोह जिले में सक्रिय है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिले में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त को चुस्त किया जाए एवं विशेष पुलिस दल गठित कर इन चोरियों का पर्दाफाश कर देव प्रतिमाओं को वापस आम जनता को सुपुर्द किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

अनुसूचित जाति/जनजाति की बैकलाग रिक्तियां भरने विषयक

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलाग को भरने के लिए जारी अनेक परिपत्रों की ओर कहना चाहता हूं लेकिन आज तक किसी भी विभाग ने इन परिपत्रों की पालना में बैकलाग के पदों को भरने के लिए इस दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल, 2002 को दोपहर 2 बजे सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, कार्मिक मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, ऊर्जा मंत्री, मुख्य सचिव उपस्थित थे। बैठक में बैकलाग रिक्तियों के सम्बन्ध में सभी विभागों के सचिवों द्वारा अवगत कराया गया था और यह निर्णय किया गया था कि 31 जुलाई, 2002 तक सभी लम्बित पदोन्नतियां कर दी जाए। इसके लिए जो भी तैयारियां की जानी हैं उनके लिए समस्त सचिवालय तुरन्त ही अपने-अपने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित करके आवश्यक कार्यवाही चालू कर दे। लेकिन आज तक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलाग को नहीं भरा गया है और अब दूसरी 31 जुलाई आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सीनियर मंत्रीजी क्या कर रहे हैं? यहां ट्रांसफर की डिजायर कर रहे हैं। उद्योग चल रहा है ट्रांसफर का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूरामजी, प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान पूर्व वित्त सचिव डा. आदर्श किशोर की अध्यक्षता में गठित समिति की इन सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूंगा कि दिनांक 10.2.1995 से पूर्व में जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षित वर्ग में की गयी है उन्हें किसी भी हालत में पदावनत नहीं किया जाए। फिर भी राज्य में राजस्थान पुलिस सेवा से पदोन्नत हुए अधिकारियों को पदावनत कर इस दलित समाज का अपमान किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद भी क्या हो रहा है यह? यह ट्रांसफर बिजनस चल रहा है सदन के अन्दर।

डा. बी. डी. कल्ला : कोई नहीं है, देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, प्लीज। (व्यवधान) नहीं, इन कल्लाजी को नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह ट्रांसफर बिजनस सदन के अन्दर मत चलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक वर्ष चयन के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वरिष्ठता के आधार पर अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां तैयार की जाए। लेकिन इस समिति की यह सिफारिश भी नहीं मानी गयी। अगर राज्य में इस सिफारिश के अनुसार वरिष्ठता सूचियां अलग-अलग तैयार कर दी जाती तो आज राज्य में सामान्य वर्ग के लोगों को अदालतों में वरिष्ठता को चुनौतियां नहीं दी जाती जिससे न केवल राज्य सरकार बल्कि अदालतों का भी समय बचाया जा सकता था।

राज्य सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के करीब 60,000 पदों का बैकलाग चल रहा है लेकिन इसे भरने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की आज तक पालना नहीं की गयी है जिससे इस वर्ग में सरकार के प्रति निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से इस वर्ग के बैकलाग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का आग्रह करता हूं। अतः इस प्रकरण पर चर्चा कराये जाने के लिए समय निर्धारित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली शहर में आवास ऋण हेतु बजट की अनुपलब्धता

श्री ज्ञानचन्द पारख (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से नगरीय विकास विभाग द्वारा पाली शहर में आवास ऋण हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया। मार्च, 2000 में 1 करोड़ 20 लाख की राशि अपना मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी परन्तु उसके बाद मार्च, 2001 मार्च, व 2002 में एक भी पैसा आवास ऋण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। पिछले दो वर्षों में सैकड़ों लोगों ने अपना मकान बनाने अथवा नवीनीकरण करने हेतु इस उम्मीद के साथ जिला कलक्टर कार्यालय में आवेदन किया कि उन्हें दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर आसानी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

से ऋण उपलब्ध हो जायेगा। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग से भवन निर्माण स्वीकृति सहित अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कीं परन्तु राज्य सरकार द्वारा बजट आबंटन नहीं किये जाने के कारण इन ऋण आवेदकों की अपना मकान बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

मान्यवर, पिछले दो वर्षों से पाली जिला कलक्टर कार्यालय में जो ऋण आवेदन लम्बित हैं उनमें जिनकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण एवं ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र भी हैं, उनके लिए बजट आबंटन कर ऋण उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

ग्राम पंवाला राजपूत, तहसील कोटपूतली में खनन कार्य बंद करने विषयक

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम पंवाला राजपूत तहसील कोटपूतली गांव में खनन कार्य रोकने एवं गैर मुमकिन पहाड़ एवं चरागाह को आबादी में परिवर्तित किये जाने हेतु।

मान्यवर, तहसील कोटपूतली में ग्राम पंवाला राजपूत में ग्राम वासी खनन कार्य से त्रस्त हैं। इस गांव के समीप ही पहाड़ी में पत्थर रोड़ी हेतु खनन किया जाता है। इस पहाड़ी के तल में बसी आबादी से 55 मीटर ऊपर पत्थर की खानों में दिन भर विस्फोट किये जाते हैं। जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। यह प्रकरण जिला अभाव अभियोग समिति, जयपुर में भी उठाया गया था लेकिन वहां खनन विभाग के उत्तर में "कि खान आबादी से 55 मीटर दूर है" के आधार पर ड्राप कर दिया गया किन्तु मान्यवर, उपरोक्त 55 मीटर की दूरी आबादी से ऊपर की ओर है जिससे विस्फोट के बाद पत्थरों का रुख आबादी की ओर होता है और कई बार पत्थर आए भी हैं। किसी भी समस्या को मात्र " सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से उसके परिणाम पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

वैसे भी यह खान तथा इलाका गैर मुमकिन पहाड़ तथा चरागाह में स्थित है। इसी दहशत के फलस्वरूप पंचायत ने प्रस्ताव भी पास किया हुआ है कि खसरा नम्बर 67 की दो हैक्टेयर भूमि (जो आबदी से सटी हुई है तथा गैर मुमकिन सवाई चक में है) को आबादी किस्म में परिवर्तित कर दी जावे ताकि इस क्षेत्र में खनन भी न हो सके और आबादी भी महफूज रह सके। यह प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को पंचायत द्वारा भेजा जा चुका है।

मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्राम

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

पंवाला राजपूत के खसरा नम्बर 67 की दो हैक्टेयर भूमि जो आबादी से सटी हुई है, को ''आबादी भूमि'' करार दी जावे। आशा है प्रशासन शीघ्र कार्यवाही कर दुःखी जनता को राहत प्रदान करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के चिकित्सालयों में स्टाफ एवं औषधियों की कमी

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में औषधियां उपलब्ध करवाने हेतु एवं स्टाफ के खाली पद भरने के क्रम में।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में सरकार द्वारा पिछले चार वर्ष से भारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। क्षेत्र में मात्र दो रैफरल अस्पताल हैं जो पिछली भाजपा सरकार के समय खोले गये। साथ ही मात्र 11 स्वास्थ्य केन्द्र उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। वह भी पिछली सरकार ने ही स्थापित किए थे। वर्तमान सरकार को क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है। इतना ही नहीं इन अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की भारी कमी है। रैफरल अस्पताल रामगढ़ एवं रैफरल अस्पताल, गोविन्दगढ़ में कोई महिला चिकित्सक नहीं है। इन दोनों रैफरल अस्पतालों सहित बड़े दो और दो स्वास्थ्य केन्द्र हैं। नौगांवां एवं मुबारिकपुर यहां भी लैडी डाक्टर नहीं है। इसके अलावा भी सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ के कई स्थान रिक्त हैं। सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि इन अस्पतालों एवं स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त औषधियां भी उपलब्ध नहीं हैं। जनता आखिर जाये तो जाये कहां? जरा यह सरकार बताये तो सही। विपक्षी विधायकों के साथ भला यह अन्याय क्यों? यह जनता क्या राजस्थान की नहीं? यहां रामगढ़ में क्या मनुष्यों की बजाय तीतर बटेर रहते हैं।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विनम्र निवेदन सरकार से यह है कि कृपा करके मेरे क्षेत्र में स्टाफ, डाक्टर एवं औषधियों की व्यवस्था शीघ्र करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू शहर के गंदे पानी की निकासी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, मैं विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चूरू शहर की पूर्व में स्वीकृत महत्वकांक्षी ड्रेनेज योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, चूरू में के.एफ. डब्ल्यू. जर्मन सरकार के सहयोग से लगभग 9 अरब की पेयजल हेतु आपनी योजना के नाम से योजना बनी हुई है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में चूरू शहर के गन्दे पानी के निकास की योजना भी सम्मिलित थी। वर्ष 1999-2000 में चूरू में एक ड्रेनेज योजना हुडको के सहयोग से 2.64 करोड़ की बनी थी। कांग्रेस सरकार के आते ही राजनैतिक आधार पर उक्त महत्वाकांक्षी ड्रेनेज योजना में हुडको को ऋण के बदले दी गई सरकारी गारंटी वापस ले ली गयी जिसके कारण उक्त योजना हुडको द्वारा रद्द कर दी गई।

महोदय, चूरू जिला मुख्यालय की आबादी वर्तमान में लगभग 1.25 लाख है तथा गन्दे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने से नीचे के इलाकों में हमेशा गन्दा पानी भरा रहता है। जिसके कारण चूरू की आम जनता का जीवन भी नारकीय हो रहा है।

अत: मैं आपसे मांग करता हूं कि चूरू शहर की ड्रेनेज योजना जो पूर्व में ''आपनी योजना'' का अंग थी, को पुन: अपनी योजना में सम्मिलित किया जावे तथा आपनी योजना के अन्तर्गत चूरू शहर के गन्दे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज योजना तत्काल प्रारम्भ करवाई जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भावता में पेयजल की समस्या

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में ग्राम भावता की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र ग्राम भावता में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। भावता गांव से पिछले 126 वर्ष से अजमेर शहर को पेयजल हेतु जलदाय विभाग 17 कुएं खोदकर पानी सप्लाई करती आ रही है जिससे इस गांव के तथा आसपास के सभी कुएं, बावड़ियां सूख गयी हैं। हैण्ड पम्पों में भी पर्याप्त पानी नहीं है जिससे 3000 की जनसंख्या की आबादी वाले ग्राम भावता की जनता को पीने का पानी मिलने में भारी कठिनाई पैदा हो गई है।

मजबूर होकर ग्रामवासियों ने विशेष कर औरतें पिछले सात दिन से लगातार रात दिन धरने पर बैठी हुई हैं और आन्दोलन कर रहे हैं।

ग्रामवासियों की मांग है कि ग्राम आम्बा के पास ट्यूब वैल खुदवाकर गांव को पानी मुहैया करवाया जावे तथा जलदाय विभाग लिखित में यह वायदा करे कि

(श्री रमजान खान)

भविष्य में भावता से अन्यत्र पानी की सप्लाई नहीं की जायेगी क्योंकि अजमेर शहर को बीसलपुर योजना से पर्याप्त पेयजल हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है। यदि तीन दिन के भीतर गांव की जनता की मांग नहीं मानी गयी तो आन्दोलन और गति पकड़ेगा और गांव के स्थान पर अजमेर में जिला कलक्टर के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि भावता गांव की पेयजल समस्या के निदान के लिए ग्राम आम्बा के पास तत्काल ट्यूब वैल खुदवाई जावे तथा भविष्य में इस गांव से अजमेर शहर को जल सप्लाई बन्द कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 126 सालों से इस गांव का जल दोहन होकर अजमेर शहर को पानी दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। कह दिया न आपने पहले।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मोहर्रम के अवसर पर कानून व्यवस्था विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का और सदन का ध्यान पर्ची के माध्यम से, 14 तारीख को मोहर्रम का त्यौहार और उससे सम्बन्धित कई पेचीदगियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इराक के शहर कूफा में दो नदियां थीं दजला एवं फराज और वहां एक तानाशाह बादशाह था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो व्यवस्था पर बोल रहे हैं फिर इतिहास क्यों सुना रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : उस पर ही बता रहा हूं, साहब। आखिर भूमिका तो बनानी पड़ेगी कि मोहर्रम क्यों होता है?

श्री उपाध्यक्ष : वह सब जानते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई नहीं जानता कि मोहर्रम क्यों मनाया जाता है। पूरे सदन में से एक सदस्य बता दे कि...

श्री रमजान जान : मैं बताता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक आपकी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री रमजान खान : सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं बता दूं मोहर्रम कैसे मनाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, आप पूरी बात सुनिये पहले। यहां पर मोहर्रम की कोई डिबेट नहीं हो रही... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, पर्ची दी है आपने मोहर्रम के सम्बन्ध में आप व्यवस्था पर बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यवस्था पर ही बोल रहा हूं। कुफा शहर की जो नदियां थीं वहां यजीद एक बादशाह था। वह पानी नहीं लेने देता था। उस पानी दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई हजरत इमाम हुसैन ने जो हजरत अली के बेटे थे, उन्होंने लड़ी, उसकी याद में यह ताजिये निकलते हैं। आज स्थिति यह हो गयी दोनों तरीके के लोग राजस्थान प्रदेश में हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व भी है कि एक तरफ माननीय चूरू से आने वाले राजेन्द्र राठौड़ जैसे सैक्यूलर दिमाग के लोग हैं जो चूरू में हर मोहर्रम पर स्वयं भी छबील लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं और जो अच्छे ताजिये निकालते हैं उन ताजियेदारों को इनाम देने का और पुरस्कार देने और शील्ड देने का काम भी करते हैं लेकिन इस प्रदेश में ऐसे असामाजिक संगठन भी हैं जो ताजिए और मोहर्रम निकालने का विरोध करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा चल रही है लेकिन आज भी मुझे यह बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैं...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नाम तो बताओ कौनसे लोग हैं वह?

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मुसलमान विरोध नहीं करें यह कहो उनको। हिन्दू कोई विरोध नहीं करता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह मदन दिलावर और ज्ञानदेव आहूजा...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : वह मुसलमान हैं दो तीन, जो अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है, वह विरोध करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई मुसलमान विरोध नहीं करता। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में अजमेर जिले में जैसे ब्यावर, नसीराबाद किशनगढ़, परसों मैं ब्यावर में था। ब्यावर में विश्व हिन्दू परिषद् ने 12 तारीख से बेमियादी बंद का आह्वान किया है और जिस स्थान से मोहर्रम निकालते हैं वहां पर धरना देने की योजना बनाई है। यहां कहीं गंगापुर जैसी स्थिति वापस नहीं हो जाय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरीके से संवेदनशील क्षेत्र हैं अजमेर जिले में ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़, सीकर का फतेहपुर और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लक्ष्मणगढ़, झुंझुनूं जहां से मैं 1990 में चुनकर आया था। उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से आज तक वहां कर्बला का मामला आपके पास पैंडिंग पड़ा है। वहां के लोग कल भी मेरे पास आए थे। आप उस मामले को क्यों नहीं सुलझाते हैं? वहां हमेशा जब भी मोहर्रम का दिन आता है, वहां इस तरीके का तनाव रहता है, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति रहती है।

इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उस स्थिति का फैसला भी आप आज और कल में 14 तारीख से पहले करें। चूरू में सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़, भीलवाड़ा में आसीन्द और गुलाबपुरा, दौसा और पाली जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर क्षेत्र के अन्दर चतरपुरा एक गांव है...

श्री रामलाल गुर्जर : आसीन्द के लिए जो कहा है सरासर गलत है। आसीन्द में ऐसा कुछ नहीं है। आसीन्द में हम साथ रहते हैं, साथ होकर निकलते हैं, यह बात आपने कही...

मोहम्मद माहिर आजाद : जहां मोहर्रम निकलते हैं उसकी बात कह रहा हूं, मैं यह नहीं कहता कि आप वहां गड़बड़ी कर रहे हो। रायपुर तहसील के चतरपुरा गांव में, कुशालपुरा में चैलेंज दे दिया है कि हम मोहर्रम नहीं निकालने देंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, माननीय गृह मंत्रीजी, कि आप वहां व्यापक सुरक्षा का प्रबन्ध करें और मोहर्रम निकलवाने का काम करें। मालपुरा है टौंक जिले में, सवाईमाधोपुर...

श्री कय्यूम खान : व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था हमारी सरकार की होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। फिर बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। बीच बीच में खड़े होते हो। सवाईमाधोपुर में मैं बधाई देना चाहता हूं सदन के माध्यम से गंगापुर के लोगों को कि गंगापुर में पिछली बार विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों ने वहां जो आगजनी और उधम मचाया था, आज वहां के मुसलमानों ने शांतिपूर्वक तरीके से तय कर लिया है कि अबके मोहर्रम ही निकालेंगे (व्यवधान) इसी तरह से नागौर, बीकानेर और दूसरी जो जगह है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसी तरीके से यह मोहर्रम के नाम पर आरोप लगाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो भी संवेदनशील इलाके हैं, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से पुनः आश्वासन चाहूंगा कि जहां भी आपको इस तरीके की आशंका है वहां

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सुरक्षा प्रबन्ध, बंदोबस्त पूरे करें और शांति के साथ यह जुलूस निकालने का काम करावें।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मोहर्रम के नाम पर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं निकालने देते हैं।

श्री मदन दिलावर : यदि हिन्दुओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल पर आरोप लगाने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि यह मोहर्रम ही नहीं निकालने देते हैं, इनकी संकीर्ण मानसिकता तो यह है कि अपने इरादों से यह दलित वर्ग की बारात भी नहीं निकालने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय गृह मंत्री महोदय, आप सदन को आश्वस्त तो करो कि आप कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे, पुख्ता बंदोबस्त करके मोहर्रम निकालने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मदन दिलावर : कुछ मुसलमान... (व्यवधान) हिन्दुओं पर हमला करने की योजना बना रखी है। मेरा निवेदन है किसी भी मार्ग में हथियार लेकर कोई नहीं निकले...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने 14 तारीख को मोहर्रम के सम्बन्ध में कई संवेदनशील स्थानों का जिक्र किया और अपनी आशंका भी व्यक्त की कि वहां पर कुछ शांति भंग हो सकती है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कुशालपुरा हो, चाहे गंगापुर हो और चाहे और कोई गांव हो, इस प्रकार की स्थिति पर सरकार नजर रखे हुए है। कुशालपुरा में कल ही कलक्टर और एस.पी. को मैंने भेजा है। दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। आज डी.आई.जी. और कमिश्नर को भी भेजा है। जहां पर इस तरह की

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

स्थिति है, सरकार के ध्यान में है, सरकार सचेत है इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे और कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे।

जहां तक झुंझुनूं का सवाल है, यह मामला काफी दिनों से विचाराधीन चल रहा है। राजस्व विभाग ने जमीन अलाट की थी नगरपालिका को, उस सम्बन्ध में कोई छोटा मोटा विवाद है लेकिन वहां पर सबसे पहले पन्द्रह तारीख को निकलता है शायद मोहर्रम। उसकी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। सरकार के ध्यान में सब चीजें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री रमजान खान : ब्यावर में?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ब्यावर में भी इसी तरह से की जाएगी। मैंने सभी का कहा है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। जवाब आ गया सरकार का, फिर क्या बचा है?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, प्लीज आज बिराजें। आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बैठिए। अपनी इस चर्चा को समाप्त कीजिए।

श्री हफीज मोहम्मद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब बिराजें। जवाब आ गया मंत्रीजी का बात खतम हो गयी अब।

श्री हफीज मोहम्मद : इसको बहस में नहीं डाल करके सरकार जागरूक है, सब इंतजाम अपने आप कर लेगी। ऐसी इजाजत दे करके रवानी देनी चाहिए।

जवाहर नगर, जयपुर में एक व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर के सैक्टर 6 ख–44 यहां के रहने वाले एक जवान आदमी विजय परनामी ने आत्महत्या कर ली। पांच साल की उनकी लड़की है, आठ साल का लड़का है। आत्महत्या करना निश्चित रूप से चिन्ता का विषय हो सकता है लेकिन जो ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है वह क्या है, एक प्रोपर्टी डीलर के यहां यह काम करते थे। पचास हजार रुपये उससे कोई उधार लिए उन्होंने और वह सात लाख रुपये उससे वसूल कर चुके हैं। यह भी एक क्राइम है। लेकिन सबसे ज्यादा यह आज आश्चर्य करेंगे कि दो

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

थाना प्रभारी गृह मंत्रीजी इसमें शामिल। थाना प्रभारी दो उसके घर पर गये जनवरी के महीने में छह लाख रुपये उठाकर एक दफा ले गये। जब वह थाने में रिपोर्ट करने गया तो वह सूदखोर और जो उससे पैसे लेता था वह मौजूद था वहां पर। मैं गृह मंत्रीजी आपको बहुत जिम्मेदारी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक मसला नहीं है। यह सामने आ गया यह रोजाना का काम है कि आपकी पुलिस काग्निजेबल आर्फेस को रजिस्टर नहीं करती है, कार्यवाही नहीं करती है, भगा देती है। यहां विधान सभा के अन्दर बार बार यह सवाल आता है और आप खड़े हो करके यह जवाब देते हैं कि वहां उसके अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी और कार्यवाही हो जाएगी। यह आप कभी नहीं कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जो इस बात के लिए जिम्मेदार था कानून के अन्तर्गत कि यदि तथ्य कोग्निजेबल आफेंस बनाते हैं तो कोग्निजेबल रजिस्टर करना चाहिये था और नहीं करता है उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और सिविल मैटर्स के अन्दर आपकी पुलिस इंटरविन करती है, यह एक बहुत ही निन्दनीय स्थिति है।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लीपापोती आप हमेशा करते हैं, जो आपका एक तरीका है इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे। पुलिस के अन्दर इस प्रकार की ग्लेरिंग नेगलेक्ट और क्रिमिनल कल्पबिलिटी किसी की अगर पकड़ी जाती है, उसके बावजूद भी आप कार्यवाही नहीं करते। आज यह आदमी अकेला बरबाद नहीं हुआ, इसके साथ कई लोग बरबाद हुए हैं। ऐसे कई किस्से हैं और लोग डर के मारे, क्योंकि पुलिस मिली हुई है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं, नाम नहीं बताते हैं। यह पूरे जयपुर शहर में नहीं है, राजस्थान भर में पुलिस का रवैया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं खतम कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि will you kindly ensure...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठकर बात कर लो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको जरा यह ध्यान नहीं है, अपने सदस्यों को कम से कम थोड़ा बहुत तो इनको समझाओ कि सदन में किस तरह की...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठकर बात कर लो।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मदन दिलावरजी जो भाषण दे रहे थे वह आपको बहुत कर्णप्रिय लगा होगा, बहुत सुहावना था, आप चुपचाप सुन रहे थे। किस प्रकार

(श्री हरिसिंह (महुवा)

से प्रजातंत्र के नियमों पर हमला हो रहा था, किस प्रकार से धर्म निरपेक्षता पर हमला हो रहा था और आप मूक होकर सब कुछ सुन रहे थे। आप मेरे लिये...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो...

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा था कि इन असामाजिक तत्वों को रोकिये ताकि हिन्दू समाज को अपमानित न करें। भजन कीर्तन होते हैं तो पेट दर्द करता है। वन्दे मातरम का नारा लगाते हैं तो दर्द करता है। हिन्दुस्तान की जयजयकार करते हैं तो पेट दर्द करता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कौन हैं यह असामाजिक तत्व? असामाजिक तत्व कौन हैं? आपको किसने कहा भाषण देने के लिये। किस विषय पर बोल रहे हैं, आप किस विषय पर बोल रहे हैं। किसने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजो माननीय सदस्य। माननीय सुरेन्द्रजी।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, मैं कह रहा था आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो। क्या बात कर रहे हो आप? हाउस में बैठे हो, क्या कोई बाजार में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ऐसा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसने कहा हिन्दुस्तान मुर्दाबाद। किसने कहा? जो धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप हाउस में इस प्रकार...(व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : और क्राइम लोग उसमें आते हैं, अपराधी वृत्ति के हैं...(व्यवधान) गर्दन मोड़ देना, यह मोड़ देना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वैट पर बोल रहे हो क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन के बार बार कहने के बाद भी यह इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम हिन्दुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिये। +++ रोज खड़े होकर, क्या किसको सर्टिफिकेट देने की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बात है, जो रोज कहता है। काट करता है रोज यहां। यह क्या तरीका हुआ? आसन बार बार मना कर रहा है और उसके बाद भी आसन की अवहेलना करे जा रहे हैं आप बैठे हुए हो। आप काहें के सचेतक हो। आपकी पार्टी में आज तक डिप्टी लीडर और सचेतक नहीं बना पाये, अब कैसे अनुशासन रखोगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये...(व्यवधान) सुनिये माननीय सदस्य, बिराजिये आप...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हैं ना राजेन्द्र सिंहजी। इनको मालूम ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई नहीं है, कहलवा दो आप। हो तो आप कहलवा दो। आन रिकार्ड पर नहीं हैं। आप बना नहीं सकते, आपकी अंदरूनी लड़ाई बहुत है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय माहिर आजाद। माहिर आजाद प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है मोहर्रम की बात करने वाले हैं लेकिन इनमें से किसी ने भी यह कहा कि बांग्लादेशी नागरिक जो हजारों, लाखों की संख्या में यहां पड़े हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये प्लीज...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह भी साथ लाना चाहते...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनके बारे में इन्होंने कहा कि देशभक्त बनते हैं तो यह देशभक्त बनते हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं रखते। तो एकतरफा बात क्यों रखी...

मोहम्मद माहिर आजाद : देशभक्त हैं, एक नम्बर के देशभक्त हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय माहिर आजादजी, ज्यादा जोश मत खाओ प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं बड़े संकोची शब्दों में...(व्यवधान) पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को कंडेम क्यों नहीं करते?

मोहम्मद माहिर आजाद : कितना बरदाश्त करें रोज इनके...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। हो गया ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन्होंने कभी गौ-हत्यारों को कंडेम किया है क्या सदन में?

मोहम्मद माहिर आजाद : किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कभी इन्होंने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को कंडेम किया है? कभी बांग्लादेशी नागरिकों को कंडेम किया है?

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, आप बिराजिये प्लीज...(व्यवधान) आप बिराजिये...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ और अगर मदन दिलावरजी ने कह दिया तो विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल क्या करता है...

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है यह...

श्री मोहन लाल मोदी : बजरंग दल वह है, या आपको है। इस तरह के शब्द हाउस में बोलना इतना बड़ा गुनाह है...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजो। माननीय सदस्य, किसी कीमत पर आपकी भाषा का यहां पर यह उपयोग हुआ, मैं कभी बरदाश्त नहीं करूंगा। कोई आप सड़क पर नहीं बोल रहे हैं, आप असेम्बली में बोल रहे हैं। आप कह दो किसी की गर्दन मरोड़ देंगे, यहां कोई गर्दन मरोड़ रहे हो क्या? गर्दन मरोड़ने आए हो? नहीं होगा ऐसा। आई विल नोट अलाउ...(व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा। आई विल नोट अलाउ। आपको भाषा पर संयम रखना पड़ेगा। आप हाउस में बोल रहे हो, ऐसे नहीं कहोगे आप। यह कतई टोलरेट नहीं होगा। आप अपना संयम रखिये। कतई टोलरेट नहीं करेंगे हम।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कौन कह रहा है हिन्दुस्तान मुर्दाबाद इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिन्दुस्तानी है और किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। जबरदस्ती के एलीगेशन लगाते हो आप। कौन मुर्दाबाद कहता है। धर्म का ठेका एक व्यक्ति ने ले लिया। पूरे सदन को जाम करके रख देते हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन को चलने दीजिये। आप बिना वजह भाषण दे रहे हैं। यह जो आपको कहना है, यह सब पब्लिक मीटिंग में जाकर कहिये। यह सदन नियम, कानून और कायदों से चलता है। इसके कुछ नियम हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था गृह मंत्रीजी से कि आप अपनी पुलिस फोर्स को इस बात के लिये रोकिये। मकान खाली करवाना, पैसा वसूल करवाना, यह पुलिस का काम है?

मोहम्मद माहिर आजाद : माफी मांग लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आप बैठिये, हो गयी ना बात बहुत...

मोहम्मद माहिर आजाद : इनसे क्षमा मांगने के लिये...(व्यवधान) हम एक नम्बर के राष्ट्रीय हैं। अखबारों में छपता है...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना मैंने, काहे का स्पष्टीकरण...(व्यवधान) एक्सपंज करने का है...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : कभी मुख्य सचेतकजी, को कुछ कह देते हैं, कभी पर्यटन मंत्रीजी के लिये कह देते हैं। हम रोज हमारी...(व्यवधान) हम किस किसको सफाई देंगे। रोज कार्यवाही में आ जाती है यह चीज।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों इतना जोश खा रहे हो आज? ~~क्या मतलब~~ है इसका? आप बिराजिये प्लीज। अब मैंने कह दिया ना जो कहना था और क्या चाहिये आपको? आप बिराजिये प्लीज। क्या बात करते हैं यह...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मंगवाइये। यहां हाउस में मंगवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। समाप्त हो गया।

श्री मोहन लाल मोदी : यह मन चाहे जो ही बोले जाएं, आखिर यही है क्या सारे वफादार। हम वफादार नहीं हैं, इस देश के वफादार हमारे से ज्यादा नहीं हैं यह...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज...

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आपके यह दोनों थाना प्रभारी ने दो जुर्म किये हैं इन्होंने। एक तो जनवरी महीने के अन्दर जाकर उस सूदखोर के साथ, जिसको कर्जा लेना था, उसके साथ जाकर यह पैसा लेकर आए। लाख 60 हजार। तो यह सीधी सी रोबरी हुई, या नहीं हुई? दूसरा अबेटमेंट के अन्दर आएंगे, या नहीं आएंगे? जब सुसाइड किया है उसने तो अबेटमेंट का आफेंस लगेगा, नहीं लगेगा इनके खिलाफ और तीसरा, इन्होंने, थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यह गम्भीर तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप आज, कल, जब भी आपको समय हो, आप इकट्ठा करके सदन के अन्दर एक वक्तव्य दें। सदन को जानकारी देने की कृपा करें कि यह तथ्य कहां तक सही हैं, नहीं हैं, और उसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं। सिर्फ इसमें देख लेंगे उससे पार नहीं पड़ेगी। पूरे समाज के अन्दर बहुत बड़ा विकास फैल रहा है। आप अगर कोई एक्शन लेंगे तो डिटरेंट एक्शन होना चाहिये आपका। आने वाले समय में दूसरे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं इसकी गम्भीरता को गृह मंत्रीजी समझेंगे।

मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर स्टेटमेंट अवश्य आना चाहिये। ऐसा नहीं कि आज चर्चा हो गयी, आपको सदन को जानकारी देनी चाहिये, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है उसमें तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कि इस प्रकार के दोषी कोई अधिकारी पाये गये तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : एग्जाम्पल दे दिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल तबादले की बात नहीं करेंगे। दो सब इंस्पेक्टर के नाम का आपने जिक्र किया है, वह कहां के हैं, किस थाने के हैं, उसमें आपने नहीं बताया। मेहरबानी करके बताएं, तो मैं इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं गृह मंत्रीजी, उनका नाम पता नहीं जानता। मैं यह जानता हूं कि मालवीय नगर का थानेदार होगा। मालवीय नगर का निवासी है वह।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पुलिस स्टेशन का नाम तो होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मालवीय नगर में तो आप मालूम कर लेंगे मंत्रीजी कौनसा स्टेशन है पुलिस का। मालवीय नगर सैक्टर 6 ख 44, यह उसका मकान है और इस मकान में जाकर इन्होंने रोबरी की है तो एक मुलजिम तो पकड़ में आ ही जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। हो गया ना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सैक्टर 6?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां। फिर आपकी पुलिस ही दूसरे मुलजिम का नाम मालूम कर लेती है। तो अगर प्रभारी पकड़ में आया, दूसरे थानेदार का नाम बता देगा वह। हो सकता है इसमें कोई ऊपर के अफसर का भी इशारा हो। दो दो अगर प्रभारी जाते हैं तो हो सकता है कोई ऊपर का अफसर हो। मैं यह नहीं कह सकता हूं, पर मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। आप कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

कोटा शहर के पैट्रोल पम्प कर्मियों से पैसे छीन लिये जाने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में भीड़ भाड़ इलाके में जो बहुत ही व्यस्ततम क्षेत्र है, उसमें ओम सर्विस स्टेशन पैट्रोल पम्प है। उसके दो कर्मचारी बाबूलाल और प्रहलाद सुबह दस बजे के लगभग पैट्रोल पम्प से पैट्रोल, डीजल की बिक्री के 3,80,000 रुपये ले करके एरोड्रोम स्थित पैट्रोल पम्प के परिसर से बाहर ही निकले थे त्यों ही एक मोटर साइकिल आयी, हीरो होण्डा स्पलेण्डर, आर.जे.-20-9 एम-9633 थी। इन्होंने आकर स्कूटर को टक्कर मारी और स्कूटर पर जो दो कर्मचारी थे वह गिर गये। उस मोटर साइकल पर तीन लोग

(श्री मदन दिलावर)

सवार थे। एक व्यक्ति तो मोटर साइकिल को स्टार्ट किये रखा, दो व्यक्ति उतरे और बाबूलाल जिसके हाथ में 3 लाख 80 हजार का थैला था, उसके रिवाल्वर टेक दी और वह थैला छीन लिया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि थैला न छीनें परन्तु वह उसमें सफल नहीं हुए और वह मोटर साइकिल पर सवार तीनों लोग उस एरोड्रोम चौराहे पर, जो भीड़–भाड़ वाला व्यस्ततम चौराहा है, वहां से उसको लेकर के भाग लिये। श्रीमान्‌जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह ओम सर्विस स्टेशन पैट्रोल पम्प एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऐसा नहीं है कि वह सुनसान हो, बहुत भीड़–भाड़ वाला इलाका है, पास में ही पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के पास में ही कोई इस प्रकार की वारदात करके चला जाये और ये लुटेरे पकड़ें न जायें यह आश्चर्य की बात है। मेरा निवेदन इतना ही है इस सरकार से कि जो लूटेरे लूटकर भागे हैं उनको तुरन्त पकड़ा जाये, हाड़ौती में इस प्रकार की पैट्रोल पम्प की लूट की घटना पहली नहीं है। कई बार इस प्रकार की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में लुटेरे पकड़े नहीं जाते हैं, जबकि जिनका थैला लुटकर ले गये 3 लाख 80 हजार का उन्होंने मोटर साइकिल का नम्बर बता दिया है। मोटर साइकिल कौनसी थी वह बता दिया है। सारा कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पायी है। इससे वहां के लोग काफी दहशत में हैं, कोटा शहर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही, शहर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इससे पूरा कोटा शहर ही नहीं सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र दहशत में है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरन्त उन लुटेरों को पकड़ करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें और यह जो 3 लाख 80 हजार रुपये लेकर भागे हैं, उनकी बरामदगी करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

जोधपुर शहर में चल रहे जुआघर

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण उस समाज विरोधी अपराध की ओर आकर्षण करना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में ठोस व्यवस्था करने के लिहाज से पिछले 54 साल में कोई प्रयास नहीं हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाज में तेजी से धन बनाने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। हर व्यक्ति येन–केन–प्रकारेण अधिक से अधिक धनोपार्जन करना चाहता है लेकिन एक कल्याणकारी शासन का यह दायित्व भी है कि अगर आम आदमी उसमें शोषण का शिकार हो रहा है तो उस सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करे और कार्यवाही करे।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में इस तरीके की इलैक्ट्रानिक मशीनें और स्वचालित मशीनें आ गयी हैं और पूरे राजस्थान में इस तरह के जुआघर खुल गये हैं जिसके अन्दर राजस्थान का आम आदमी अपनी न केवल मेहनत की कमाई का धन बरबाद कर रहा है धनी बनने की चाह में अपने मासूम बच्चों का दूध छीन रहा है और अपने परिवार का निवाला छीन रहा है। न केवल जयपुर में बल्कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय के गृह नगर जोधपुर में इस तरीके के अवैध जुआघर खुल गये हैं जिनमें इलैक्ट्रानिक मशीनों और स्वचालित मशीनों के जरिये नम्बर लगाकर जुआ खिलाया जा रहा है। इसमें जो अंक आता है और वह अंक अगर लगता है तो उसका पांच गुना रकम का भुगतान किया जाता है और नहीं तो वह पैसा उस जुआघर चलाने वाले की जेब में चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के एस.पी. ने इस दिशा में कार्यवाही करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे स्थानों पर छापे लगाने के लिए वारंट भी दिये गये। छापे भी लगाये गये और जुआ खेलते हुए 23 लोग पकड़े भी गये। लेकिन जो हमारा राजस्थान द्यूत अध्यादेश है इसमें कमियां होने की वजह से पुलिस आज इन गतिविधियों को रोकने में असक्षम पा रहीं है और मोबाइल सेवा आने के बाद में जो एल.टी.डी./पी.सी.ओ. के केन्द्र खुले हुए हैं उनकी आय में कमी आयी है और आज वह एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के केन्द्र तेजी से इस धूत क्रीडा के केन्द्र में बदलते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश, 1949 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। कितने अफसोस और खेद का विषय है कि इन 54 सालों में जुए जैसे गम्भीर अपराध, समाज विरोधी अपराध को रोकने की दिशा में अधिनियम लाने की दिशा में नहीं सोचा गया। सिर्फ अध्यादेश के जरिये काम चलाया जाता रहा। और वह अध्यादेश कितना कमजोर है, जो लोग ऐसी प्रवृत्ति का संचालन करते हुए पकड़े जाते हैं, खेलते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ रुपयों का जुर्माना करके छोड़ देते हैं और सच्चाई तो यह है कि राजस्थान में यह जुंआ की प्रवृत्ति पुलिस अधिकारी की अवैद्य कमाई का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी हुई है। आज राजस्थान में पुलिस खुद इन गतिविधियों का संचालन करती है, इनका संरक्षण करती है और जो भी अधिकारी लगे हुए हैं वह उन जुआ संचालकों को कहते हैं कि हर महीने दो-पांच मामले हमारे पास भेज दों। वहां जुआ चलाने वाले पांच आदमी भेज देते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ रुपयों का जुर्माना करके

(श्री संयम लोढ़ा)

छोड़ दिया जाता है। और पूरे राजस्थान में यह जुए की प्रवृत्ति इसी तरीके से चल रही है और राजस्थान का आम आदमी, राजस्थान का गरीब आदमी इस प्रवृत्ति की वजह से शोषण का शिकार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इन चार वर्षों में अनेक अभिनव फैसले किये हैं, अनेक अभिनव कानून बनाये और राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी सुविधाओं के लिहाज से अनेक प्रावधान करने की चेष्टा की है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह विधान सभा के इसी सत्र में राजस्थान सार्वजनिक द्यूत (जुआ) अध्यादेश, 1949 में कुछ संशोधन लायें। मेरा सुझाव है कि धारा 2(11/1) में यह जोड़ा जाए,... "ऐसी इलैक्ट्रानिक या अन्य संचालित मशीनें या संसाधन जो कोई अंकों या शब्दों या चिन्हों से प्रदर्शित होती हों, किसी भी तरीके से चालित करके इन दो या दो से अधिक अंक या शब्द या चिन्ह से उस अंक या शब्द या चिन्ह के जरिये बाजी अथवा दाव अथवा छद्म लगाकर लाभ या हानि होती हो।" "इसी प्रकार से धारा 3 में मैं निम्न संशोधन के सुझाव देना चाहता हूं।" "(क) प्रथम अपराध के लिये एक वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों तरह की सजा (ख) दुबारा अपराध के लिए दो साल का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा पांच हजार रुपये जुर्माना और एक वर्ष की सजा।

(ग) तीसरी बार अथवा बाद के अपराध के लिये दो साल का कारावास।" बिना वारंट उसे गिरफ्तार करने का भी इसमें प्रावधान किया जाये और इसे संगीय अपराध माना जाये।

धारा (4) में मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि, "पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा एक वर्ष का कारावास।" "धारा (3) में यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं।" "आर्थिक जुर्माना पांच हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा अथवा ऐसी अवधि में साधारण अथवा कठिन कारावास है जो एक साल से अधिक का नहीं होगा, दण्ड मिलेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब तो होम डिपार्टमेंट की बहस हो तब डिस्कस कर लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पार्टी पर निर्भर करता है कि वह होम डिपार्टमेंट की डिमांड पर किसको बोलने का अवसर दे। मेरे दिमाग में यह बात लगातार रही है और आप भी स्वयं भली-भांति अवगत हैं, आपके इलाके में भी यह जुआ इसी तरीके से चलता होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हमारे इलाके में तो नहीं होता लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। बहुत गम्भीरता है इस बात की, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कि इस गम्भीर अपराध के मामले में, समाज विरोधी अपराध के मामले में, राजस्थान के लाखों गरीब लोगों के हितों के मामले में इस सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत अहम प्रश्न आपने उठाया है। इसको होम डिपार्टमेंट की डिमांड में कहें।

श्री संयम लोढ़ा : आप इस सम्बन्ध में कुछ कहिये माननीय गृह मंत्री महोदय, कि सरकार इस पर कुछ करेगी कि नहीं करेगी। आज राजस्थान का आम आदमी शोषण का शिकार हो रहा है। बच्चों को दूध पिलाने की जगह उनका बाप जा करके वहां जुए की पर्चियां लगाता है, सट्टा लगाता है। उन जुआ घरों में जुआ खेलता है, और अपने घर की रोटी का प्रबन्ध करने की जगह इस लत का शिकार रहता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : पुलिस हफ्ता वसूल करती है उनसे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुए के सम्बन्ध में जो विचार अभी प्रकट किए गए, उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कानून में कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, हम भी चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार का कानून बने जिससे इस प्रकार के क्रियाकलापों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, मैं उन पर गृह मंत्रालय से चर्चा करके निश्चित रूप से कदम उठाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अब कोई जुआ खेले उसको कैसे चेस लेकर लेओगे? पुलिस ले सकती है क्या? कोई अपने बेडरूम के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। यह कोई बहस नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह जो संशोधन की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या मोड होगा? है आपके ध्यान में?

श्री संयम लोढ़ा : एस.पी. दे सकता है और वहां रेड की जा सकती है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अमरारामजी प्लीज।

प्रक्रिया के नियम 131 के तहत, श्री मदनजी दिलावर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, अन्ता, जिला बारां में कथित गम्भीर अनियमितताएं

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, अन्ता जिला बारां में हुई कथित गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माह अप्रैल, 1999 एवं मई, 1999 की अवधि में वाणिज्यिक खरीद के अन्तर्गत राजफैड ने अन्ता क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, अन्ता, जिला बारां के माध्यम से अन्ता मण्डी में सरसों की 2989 बोरी खरीद की। सरसों को वेयरहाउस में रखवाया जाना था लेकिन वेयरहाउस में जगह नहीं मिलने के कारण 1573 बोरी सरसों अन्ता क्रय-विक्रय सहकारी समिति के निजी गोदाम, अन्ता कृषि उपज मण्डी परिसर में रखा गया। राजफैड के निर्देशानुसार इस गोदाम से माह दिसम्बर, 1999 तक 731 बोरी की डिलीवरी दी जा चुकी थी और शेष 442 बोरी स्टाक में बची थी। सरसों का यह स्टाक तत्कालीन स्टोर कीपर स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा के चार्ज में था। दिनांक 15.6.2000 को स्टोर कीपर श्री हाड़ा का स्वर्गवास हो गया एवं दिनांक 14.7.2000 को पंचनामा करवाकर गोदाम का माल सम्भलवाया गया। तब गोदाम में 529 बोरी सरसों की पाई गई। इस प्रकार 313 बोरी सरसों, वजन 269.18 क्विंटल जिसकी कीमत 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 430688 रुपए होती है, स्टाक कम पाया गया। स्टाक कम पाए जाने पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कोटा, खण्ड कोटा के आदेश क्रमांक 6/सरसों/समिति अधिनियम/70/2003/957/62, दिनांक 31.8.2000 द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारी श्री योगेश कुमार पाठक, सचिव कोटा भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने दिनांक 15.12.2000 को कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कोटा को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं कार्यालय द्वारा सरसों/धारा 70/2001/592/596, दिनांक 6.2.2001 के द्वारा जांच परिणाम जारी किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार 313 बोरी सरसों की कमी के लिए स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा, तत्कालीन स्टोर कीपर के साथ समिति के चार अन्य कर्मचारी श्री गणपत लाल मालव, श्री मोतीलाल सुमन, श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, श्री जमना लाल सुमन को दोषी बताया गया। जांच परिणाम के आधार पर राजस्थान सहकारी संस्था

(श्री परसादी लाल)

अधिनियम, 1965 की धारा 64 के तहत प्रकरण दायित्व निर्धारण करने हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, कोटा के कार्यालय में दर्ज किया गया जिसमें धारा 74/2 के तहत कार्यवाही जेरकार है।

इससे पूर्व ही उक्त प्रकरण में श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा एवं श्री मोतीलाल सुमन को संस्था के प्रशासक द्वारा दिनांक 13.6.2000 को निलम्बित किया जा चुका था। उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां द्वारा 313 बोरी सरसों के स्टाक की कमी के बारे में समिति से पूछताछ की गई एवं उनके स्तर से जांच की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की रिपोर्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 3082/83, दिनांक 22.11.2000 से थाना अधिकारी, पुलिस थाना अन्ता को भिजवा दी गई थी। जिसके सन्दर्भ में थाना अधिकारी, पुलिस थाना अन्ता द्वारा दिनांक 7.12.2000 को जांच रिपोर्ट एवं आडिट रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज चाहे गए थे। जांच रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अन्ता को उनके पत्र दिनांक 7.3.2001 के द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए। इसके उपरान्त संस्था की आडिट सम्पन्न होकर आडिट रिपोर्ट दिनांक 5.3.2003 को राजफैड से प्राप्त हुई। जिसके उपरान्त दिनांक 10.3.2003 को उक्त जांच रिपोर्ट विशेष वाहक द्वारा थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अन्ता को प्रेषित कर दी गई।

नवीनतम सूचना के अनुसार थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अन्ता द्वारा इस प्रकरण में एफ.आई.आर. दिनांक 10.3.2003 दर्ज की जा चुकी है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि ये जांच में दोषी पाए गए हैं और जांच में दोषी पाए जाने के बाद राजफैड के प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 22.11.2000 को थाना अधिकारी, अन्ता को एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए रजिस्टर्ड पत्र लिखा है। रजिस्टर्ड पत्र लिखा है 22.11.2000 को और इस माह में यानी यह कहना चाहिए कि फरवरी तक आपकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि 22.11.2000 को पत्र लिखने के बाद, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो फिर प्रबन्ध निदेशक द्वारा दुबारा कब-कब पत्र लिखे गए और उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या एफ.आई.आर. दर्ज करवाना ही पर्याप्त है? विभागीय जांच होने के बाद उनको निलम्बित करना आवश्यक नहीं था? निलम्बित करने का इन्होंने कहा कि

(श्री मदन दिलावर)

निलम्बित कर दिया। परन्तु आपने मुझे जो जवाब दिया है, वह पढ़ा नहीं है, इन्होंने उनको बहाल भी कर दिया। इधर तो प्रबन्ध निदेशक पत्र लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, ये 430688 रुपए के गबन करने के जांच में आरोपी सिद्ध हो चुके हैं और उधर कहते हैं कि इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए थे इसलिए हमने इनको बहाल कर दिया। बहाल नहीं श्रीमान्, इनको उन्हीं पदों पर रखा गया। क्या कारण था कि उन्हीं पदों पर रखा? क्या कारण था कि बहाल कर दिया? क्या 430688 रुपए आपने गबन के वसूल कर लिए? सरकारी खजाने को इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी अभी तक उनको न तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, न उनकी एफ.आई.आर. दर्ज की, न निलम्बित किया है। क्या यह जनता का पैसा इसी तरह लुटाने के लिए है?

एक बात और आप छिपा गए हैं कि इसमें दोषी वहां के मैनेजर थे। वे भी दोषी थे कि नहीं थे? और जो मैनेजर थे, वे क्या डी.आर. कोटा कार्यालय में इंसपेक्टर थे कि नहीं? डी.आर. आफिस कोटा में इंसपेक्टर थे तो डी.आर. कोटा ने इनको बारां की सहकारी समिति में नियुक्ति कैसे दे दी? यदि नियुक्ति देते या ट्रांसफर करते तो या रजिस्ट्रार करते या बारां के ए.आर. करते।

एक और निवेदन है कि डी.आर. हैं कोटा के वे नहीं है दोषी? क्योंकि जानबूझकर नियमों की अवहेलना करके, वहां घोटाला करने में, षड्यंत्र रचकर, सोभागमल नाम के एक डी.आर. थे, उनको वहां पर भेजा और उनकी देखरेख में सब कुछ हुआ तो सोभागमल मीणा को क्यों नहीं इस जांच के दायरे में लिया गया? इस तरह के वहां के व्यवस्थापक को जांच के दायरे में क्यों नहीं लिया और क्या आप उनको निलम्बित करना चाहते हैं या नहीं? क्या मंशा है आपकी? क्या सरकार, जनता का 430688 रुपए का गबन हो गया।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जानकारी में आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने लाखों रुपये का घोटाला किया हुआ होगा जो जानकारी में नहीं आया। क्या सरकार ऐसे दोषियों को बचाने का षड्यंत्र रचती रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न हो गया, इसका जवाब आने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्न यही है।

श्री मदन दिलावर : आपको मैं अच्छा मंत्री मानता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे नहीं।

(श्री मदन दिलावर)

परन्तु मुझे लगता है आप किसी न किसी दबाव में हैं और दबाव में आएंगे तो उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य की भावना है कि इसमें अनियमितता हुई है, मैंने आपके सामने मेरे स्टेटमेंट में सारी बात बता दी। इसमें निलम्बन किया गया, आम सभा के द्वारा उनको बहाल कर दिया। परन्तु ज्यों ही आपका यह सवाल मेरे सामने आया, जो भी हमारी धारा 70 की जांच थी और जो जांच परिणाम जारी किये गये उसी समय उनको सबको निलम्बित कर देना चाहिए था। कहीं न कहीं हमारे विभाग का लेकुना इसमें रहा है, नेग्लीजेंसी रही है। हमने कल ही उन सबको दुबारा निलम्बित कर दिया और इसमें प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, थानाधिकारी जो ना–नुकर कर रहा था, हमारे राजफैड के एम.डी. के पत्र लिखने के बाद भी, सारी चीजें देने के बाद भी, हमने आडिट रिपोर्ट भी उनको भिजवा दी और रात को ही हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने उनकी एफ.आई.आर. में जो भी फैक्ट्स दिये हैं, जो भी कार्यवाही है अब होम डिपार्टमेंट करेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं किसी भी दोषी को बचाने का हमारा कोई विचार नहीं है। जिस प्रशासक ने, जिस ए.आर. ने इनको दुबारा बहाल किया हम उसकी भी जांच कराकर एक महीने के अन्दर–अन्दर उसके खिलाफ भी जो भी उसने अपराध किया है, दोषी लोगों को बचाने का, एफ.आई.आर. समय पर दर्ज नहीं होना, वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एफ.आई.आर. अंता मार्केटिंग महोदय इसमें एफ.आई.आर. अंता मार्केटिंग के मैनेजर को करानी चाहिए थी, उन्होंने उल्टी यहां पर हमारे राजफैड के एम.डी. पर डाल दी, क्योंकि चोरी वहां से हुई थी, उनके कब्जे से हुई थी। अब हमने दुबारा अंता मार्केटिंग के द्वारा ही एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है और किसी भी दोषी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिन अधिकारियों की नेग्लीजेंसी रही है हम उन अधिकारियों को भी एक महीने के अन्दर–अन्दर उनको सजा देंगे। जहां तक रिकवरी का सवाल है मैं आपको आश्वस्त करता हूं 74(2) में हमारी कार्यवाही जारी है। हम निर्देश देकर शीघ्र ही इस प्रकरण को निपटाकर हम उनसे रिकवरी करेंगे। किसी दोषी अधिकारी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री मदन दिलावर : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या बचा है? अब तो धन्यवाद दो। अब क्या बचा है?

श्री मदन दिलावर : मैं धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है?

श्री मदन दिलावर : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए, अब कुछ बचा ही नहीं है।

श्री मदन दिलावर : केवल एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं ने ताली पीट दी, इसके बाद क्या बचा है?

श्री मदन दिलावर : एक प्रश्न रह गया है। मैं धन्यवाद तो दूंगा ही आपको। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक प्रश्न भी कर रहा हूं। क्या आपने तत्कालीन डी.आर., कोटा सौभागमल को भी निलम्बित करने की घोषणा कर दी? आपने कहा सबको कर दिया है। वहां अंता के जो तत्कालीन प्रधान व्यवस्थापक थे मि. लक्ष्मीनारायण वर्मा, उनको भी निलम्बित करने की घोषणा कर दी है? किन-किन को निलम्बित करने की घोषणा की है, थोड़ा स्पष्ट बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, बिराजिए। आप तो पूरे सहकारी विभाग को निलम्बित कराना चाहते हो, वह सम्भव नहीं है।

श्री मदन दिलावर : नो, नो, यह इसमें शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसके लिए आपने प्रश्न उठाया उसको निलम्बित कर दिया है। आपका मतलब हो गया, आप सेटिस्फाई हो गये, बिराजें प्लीज।

श्री परसादी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इन कर्मचारियों को निलम्बित किया है-गणपत लाल मालव, लेखापाल, मोतीलाल सुमन, महावीर प्रसाद अग्रवाल और जमना लाल सुमन। अगर और भी अधिकारी इसमें नेग्लीजेंसी में या किसी तरह हमारी धारा 70 की जांच में, जो हमने जांच की है उसके आधार पर मैंने कल ही सस्पेंशन के आर्डर जारी कर दिये, बाकी एक महीने में जांच कराकर जो भी इसमें लिप्त होगा, जिनकी भी नेग्लीजेंसी रही है, एक महीने के अन्दर-अन्दर उसके खिलाफ कार्यवाही करा देंगे।

श्री मदन दिलावर : धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2001-2002,

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां),

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री हीरालाल इंदौरा (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

अनूसचित जनजाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन (संख्या-3)

श्री नाथूराम अहारी (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2002-2003) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2002-2003 का तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

समिति का निर्वाचन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2003-2004 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क" 2003-2004 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 2003-2004 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री हरिसिंह (महुवा)

संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2002-2003) का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री प्रद्युम्न सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून आपने पेश किया है इसकी बड़ी चर्चा है और इसका असर भी बहुत व्यापक है। इससे आम आदमी प्रभावित होगा। व्यापार करने वाला कोई भी व्यापारी इससे प्रभावित होगा। इसलिए इतना बड़ा कानून हम बना रहे हैं तो मेरा सुझाव यह है कि इसकी गहन चर्चा हो, जनमत जान लिया जाय और सब लोगों की राय इसमें आ जाए। जो इससे प्रभावित होने वाला वर्ग है उसकी भी राय शामिल हो सकती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री हैं सेल्स टैक्स कानून की जानकारी रखते हैं उनकी राय लेकर इसको पास किया जाए तो व्यापक हित में होगा। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं है आपको इसमें? सीमा तो नहीं है पास करने की? कोई पास करने की अवधि तो नहीं है? मंत्री महोदय, आप जरा जानकारी दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बोल लें, एक साथ जवाब दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लीजिए यदि अवधि नजदीक ही हो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो अपन जनमत जानने के लिए कहां भेजें? और समय अपने पास है तो यह भेज सकते हैं, यह पूछ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक बार कह लें, फिर जवाब दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, इतनी तो जानकारी दें कि इसको...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, इसको एक अप्रैल को सारे देश में लागू कर रहे हैं इसलिए इसको लागू करना, इसको पास करना थोड़ा आवश्यक है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही मैं आपसे जानना चाहता था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी किसी ने मना नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी बहुत बोल्ड हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कभी तो आप इनको बोल्ड कहते हो, कभी ओल्ड कहते हो, क्या है यह? खूब बदलते हो आप। नहीं, वह कहते हैं, एनी–वे, तो इसमें कुछ सुझाव मेरे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो उसमें कमिश्नर को डिफाइन किया है और यह तय किया है कि कमिश्नर की नियुक्ति सरकार करेगी। ठीक है पर साथ में आपने यह दूसरे अधिकारी हैं, आपका यह डेफिनेशन क्लाज है न, उसका सब क्लाज "2" है "... 'assessing authority' means any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer, authorised as such by the Commissioner..."

अब यह कमिश्नर को तो आपने गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया। मेरा सुझाव यह है कि यह भी अगर गवर्नमेंट ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है वरना तो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों की कहीं मिलीभगत हो गई तो जो शंकाएं कई बार रहती हैं और बाद में सामने आती हैं तो उनको हम रोक नहीं पाएंगे। तो इसका भी यही अपाइंटमेंट है, वह गवर्नमेंट कर दे।

फिर आप सैक्शन 8 देखें, एक्जम्पशन आफ टैक्सेज, इसमें यह व्यवस्था की है कि जो टैक्स लगेगा उसको वसूल करते रहिये। लेकिन जब कभी सरकार की इच्छा हो गई तो उस टैक्स को माफ कर सकती है, कम कर सकती हैं और कब से कर सकती है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव डेट से। मान लीजिए दो साल तक टैक्स वसूल होता रहा। आपको लगा जनहित में या किसी प्रकार से लगा कि इस टैक्स का एक्जम्प्ट करना चाहिए तो आप उसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव डेट से माफ करेंगे तो उस फण्ड का क्या होगा? वह जो टैक्स की इनकम हो गई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होगी तब तक, उसका क्या होगा? यदि वह व्यापारी के पास ही रहता है तो भी दिक्कत है और जमा कराने की आप उसको अगर कहेंगे तो तब तक वह पैसा उसने अपने काम में ले लिया होगा तो इमीजिएटली जमा कराने की स्थिति में वह नहीं आएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट करने से जो जनता ने पे कर दिया, कंज्यूमर ने, उसको तो मिलेगा नहीं। आपकी यह नीयत है कि जो टैक्स जनता से लिया है उन सब को बुलाओ और सब को वापस दो, हर दुकानदार, यह तो मैं समझता हूं व्यावहारिक होगा नहीं। इसलिए वह जो पैसा आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से करेंगे उससे कई काम्लीकेशंस खड़े होंगे और सरकार के वादे के खिलाफ भी नहीं होगा और जिस व्यक्ति ने कलेक्शन किया है, दो साल बाद यदि उस टैक्स को आप माफ कर देते हैं तो उस पीरियड में पैसा उसने वसूल कर लिया, उसने अपने व्यापार में लगा दिया या और कहीं कर दिया तो फिर उसको वापस करना, वापस देना बड़ा कठिन होगा।

थोड़ा आप देखिये सैक्शन 15, इस सैक्शन 15 में आपने सिक्योरिटी की बात कही है। कोई भी जो व्यापारी है वह सिक्योरिटी दिये बिना व्यापार नहीं कर सकेगा। वह भी अपने कैश में कर दिया। इसके अब या तो बांड खरीदेगा या कैश जमा कराएगा और कैश की जो लिमिट है वह आपने दो लाख रुपये तक की की है। यह जो सिक्योरिटी की राशि है यह दो लाख रुपये तक आप लेंगे। और वह नकद में लेंगे तो व्यापारी के पास अगर पूंजी रहती है तो अपने व्यापार में लगाता है उसका उपयोग करता है। आप इतनी बड़ी राशि लेकर न तो उसको ब्याज देंगे न जो टैक्स रिकवर होगा उसमें उसको रिबेट देंगे। आपको इतनी बड़ी राशि लेने से क्या मतलब है? केवल आपको अपना खजाना भरना है इसलिए येन-केन-प्रकारेण जनता से पैसा वसूल करो, तो यह मनोवृति ठीक नहीं है। इसमें आपने लिखा है 25 हजार लेंगे। "...Rs. 25,000/- in case of small scale manufacturing unit,..." जो मैन्युफेक्चर करता है, गरीब है, उससे आप 25 हजार की जमानत लेंगे।

"...Rs. 50,000/- in case of a medium scale manfacturing unit and Rs. 2,00,000/- in case of a large scale manufacturing unit..." यह तो खाली आप सिक्योरिटी लेंगे उससे दो लाख रुपये अपने पास रखोगे उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं उससे तो बड़ा हेवी अमाउंट आपने यह लगा दिया। आखिर जो मैन्युफेक्चर करता है, व्यापारी करता है कहां भागकर जाएगा? तो इतनी बड़ी राशि देकर आप उसके व्यापार को हैम्पर करेंगे, वह मनी उसके हिसाब से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बिलकुल खड्ढ़े में पड़ा रहेगा और न उसका कोई ब्याज देंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको थोड़ा सरल करिये।

फिर सैक्शन 17 देखें आप।

"Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under..." एज अंडर करेंगे आप इसका, उससे आप जो पैसा लेंगे उसका जो रिफण्ड करेंगे टैक्स जो ज्यादा आ जाएगा तो एक साल आप करेंगे, टैक्स उसका अगर, पैसा अधिक आ गया आपके पास, उसको आप जब वर्ष का एण्ड होगा तक रुपया आप लौटाएंगे। Why?

"...shall be carried forward to the next tax period or period of the year and refund of the remaining amount, if any, shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner, in particular cases, may, after recording reasons, grant such refund earlief also." कमिशनर को अधिकार दे दिया। अगर कोई उसको खुश कर दे तो पहले दे देगा वरना साल के अन्त में उसको देगा और उसका जब ड्यू है। आप मानते हो कि ड्यू हो गया, why sholdn't he be refunded immediately? और कमिश्नर पर क्यों छोड़ रहे हैं इसको आप? कमिश्नर दे सकता है किसी को लेकिन आप कानूनी व्यवस्था ऐसी नहीं करेंगे कि उसका जब बाकी हो गया, जब आपका पैसा बाकी है तो आप तुरन्त लेते हो। तो अगर किसी व्यापारी का बाकी है तो उसी काइंड में उसका विचार क्यों नहीं करना चाहिए आपको? उसको वापस देना चाहिए।

फिर सैक्शन आपका 18 है। इसमें जो आपने सब-क्लाज दो में दिया है।

"The dealer may claim input tax credit in the tax period in which he receives the duly filled original VAT invoice, however, no such credit shall be allowed after three months..." अगर उसको क्लैम करने में थोड़ी देर हो गई, तीन महीने निकल गये, अब व्यापारी को 50 काम अलग रहते हैं, हर व्यापारी इस सारे झमेले को समझता भी नहीं है। उसमें अगर थोड़ा तीन महीने का विलम्ब कर दिया, एप्लाई नहीं किया तो आप उसका पैसा ही खा जाओगे, उसको दोगे ही नहीं आप? क्या तो यह कर सकते हैं तीन महीने बाद अगर नहीं दोगे तो इन शर्तों के साथ वापस

(श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

किया जा सकता है। आपने बिलकुल ही हजम कर दिया उसको, इसमें रिएक्शन करना चाहिए। अगर वह सेटिस्फेक्टरी ग्राउंड दे देता है आपको तो उसको मानना चाहिए।

सैक्शन 27, यह बहुत जबरदस्त बना दिया आपने। इसमें आपने यह व्यवस्था की है कि–

"(1) With a view to promoting compliance with the provisions of this Act, the Commissioner may arrange for audit of the business of such of the registered dealers who are selected by the Commissioner..."

अब मैं जो समझा हूं, मैं यह समझा हूं कि हर दुकान का आडिट कमिश्नर का जो आडिटर है, वह करेगा। यानि दुकानदार का आडिट कमिश्नर साहब कहेंगे वह आडिट जाकर करेगा तो इंस्पेक्टर राज हो जाएगा फिर। या तो आडिटर व्यापारी से मिलकर उसके पक्ष में देगा या खिलाफ देगा। तो उसको इतनी पावर दे रहे हो कि किसी को वह भेज देगा। "With a view to promoting compliance with the provisions of this Act, the Commissioner may arrange for audit of the business of such of the registered dealers..." तो यह भेजेगा न, कमिश्नर अपाइंट कर देगा आडिटर को कि आप जा करके उस दुकान को चैक कर आओ। वह आपकी दुकान पर भेज देगा, मेरी पर भेज देगा, कहीं भेज देगा। वह आडिटर जाएगा, आडिट कराओ, जैसे आडिट पार्टी जाती है न, वैसे। तो यह सारा इंस्पेक्टर राज से भी ज्यादा हो गया। सारे व्यापार को हिला दिया आपने। Why for auditors? जब वह रिटर्न पेश करता है, हिसाब आपके सामने आयेगा, वह डिफाल्टर है तो उस पर पैनल्टी होगी या जो भी होगा वह सिस्टम आज भी है। कौन आडिटर जाएगा और जा करके चैकिंग करता है। अब आप किसी आडिटर को भेज दोगे कि जा करके चैक करके आजा, वह दिन में 10 बार जाएगा, तीन बार जाएगा, जब उसकी इच्छा होगी तब जाएगा तो सारा बिजनस ही आपने हैम्पर कर दिया और व्यापारियों के दिमाग में एक दहशत पैदा कर दी। क्या जरूरत पड़ गई इसकी? या तो यह हो कि आडिट के आधार पर आप उसका असेसमेंट मत करो, उसका हिसाब किताब लेखा-जोखा मत देखो तो वह तो करेगा ही करेगा, वो अपना रिटर्न पेश करेगा, अकाउंट पेश करेगा, आपके सामने हाजिर होगा, अपने इनवाइस पेश करेगा, सब पेश करके सैटिस्फाई करेगा अपने अकाउंट्स को, उसके बावजूद फिर आपकी यह इच्छा क्यों हो रही है कि आडिटर जाएगा और चैक करेगा। इलेक्शन लड़ते हैं, यह बात

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ठीक है, इलेक्शन अलग चीज है। लेकिन ऐसे लोगों को खड़ा करके इलेक्शन थोड़े ही लड़ा जाता है कि आडिटर को आप पैदा करेंगे। What for? यह अत्यंत ही अव्यावहारिक और मैं कहता हूं कि यह तो मानवता के विरुद्ध बात है। हर दुकानदार को चाहे कितनी ही बड़ी होटल होगी उसमें जाएगा, आडिट कराइये आप तो, उसका टाइम कोई होगा नहीं, आओ साहब, कल आ जाना तो कल जाऊंगा। तो गाड़ी का खर्चा कौन देगा? ऐसी व्यवस्था, इस करप्शन को खूब पनपाया आपने पर अब जाते जाते वक्त तो मत पनपाओ। कम से कम नहीं तो कितनी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह कैसे व्यावहारिक होगा, जरा मुझे समझाना बाद में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं समझा दूंगा आपको, आप कहते रहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं मान जाऊंगा, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो बिना मेहरबानी ही मान जाऊंगा पर आप यह करके देखना और यह आडिटर भेजकर देख लेना और करना चुनाव से दो महीने पहले यह काम चालू।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी एक अप्रैल को ही लागू हो जाएगा यह एक्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लागू हो जाएगा पर आडिटर देर से भेजना। यह थोड़े ही है कि एक तारीख को आडिटर भेजेगा। वह तो आप भेजने का अधिकार दे रहे हो एक तारीख को तो। ठहर के फिर भेजना आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिंता नहीं करें, देख लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे आपकी बहुत चिंता है प्रद्युम्न सिंहजी आपकी बहुत चिंता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसी चिंता न करें। जितने आप चिंतित हैं व्यापारियों के लिए उससे ज्यादा महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है इसलिए आप जो भी कह रहे हैं, कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो खुद व्यापारी हैं और स्वयं भी चिंतित है आप। मेरी चिंता यह है कि आप दुबारा...(व्यवधान) यह अच्छा है क्या? आप पैरवी कर रहे हो क्या इसकी आडिटर भेजने के लिए...(व्यवधान) यह कुछ तो रहम करो, साहब। उन्होंने रख दिया इसलिए मान रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहो न कि आप ला रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हर व्यापारी का आडिटर भेजने का... (व्यवधान) आपको भेज दो। पहली बार आपको ही भिजवा देते हैं। क्या बात करते हो, इसमें कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. का सवाल नहीं है, व्यावहारिक करो। आप कानून बना रहे हो तो पूरे देश के लिए बना रहे हो, जनता के लिए बना रहे हो। अब क्या कि उन्होंने रख दिया इसलिए आपकी नाड़ हिलानी ही पड़ेगी। ऐसा है क्या? हो सकता है, व्यापार हर कोई कर सकता है, व्यापार करनी बुरी बात थोड़े ही है।

श्री अशोक तंवर : आपको कौनसी चिंता है वह तो बता दो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी चिंता इसके बारे में है कि ये दुबारा नहीं आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ला क्यों रहे हैं यह तो बताइये। यह क्यों लाना पड़ रहा है यह बताओ आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कानून लाना अलग बात है पर कानून क्या हो यह तो ठीक होना चाहिए न। आप अपने नौकर से कह दो कि दूध ले और वह पानी मिला करके ले आये कि आपने कहा था लाने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : अपने समझ के बाहर की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो लाने का मतलब यह थोड़े ही है कि चाहे जो ले आओ। यह काम तो जनहित में होगा न। तो जनहित है आप जो संकेत कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ही है कि चाहे जो आंख मींचकर पास कर दो, इसका चाहे जनता पर कोई असर पड़े।

श्री अशोक तंवर : आप कह रहे हो कि दुबारा नहीं आयेंगे...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब नहीं आयेंगे तो मैं क्या करूं? अब सैक्शन 29 है उसमें माइनर और इंकेपेसिएटेड पर्सन, अब यह जो ऐसे लोग व्यापार करेंगे और वे यदि असफल होते हैं तो आप उनकी वसूली गार्जियन से करेंगे। वह वसूली गार्जियन से करेंगे। वह बेचारा गांव में, ढाणी में कोई बुजुर्ग रहता है, उसके बच्चे ने कोई व्यापार कर लिया, अब उसके घाटा होता है, कुछ भी होता है, अनकम्पनसेटेड है वह, उसके व्यापार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन उस स्थिति में भी अगर वह फेल होता है तो उससे वसूल करोगे आप। वह बेचारा बैठा–बैठा हुक्का पी रहा है, आराम से बैठा है, अब आप उससे वसूल करेंगे। उसका कोई लेना–देना नहीं है।

सैक्शन 33 है रेक्टिफिकेशन आफ ए मिस्टेक। इसमें लिखा है आपने "(1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

any officer appointed or any authority constituted under this act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

आपने आर्डर पास कर दिया कि आपको 10 हजार टैक्स देना है। फिर आपको जंची, आपने 15 हजार कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसे कोई जंचती है क्या भंवरलाजी? आप वकील हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके जमाने की तो छोड़ो आप। वकील हूं तो हूं। वकील होने से क्या हो गया, वकालात करना कोई बुरी बात है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिव्यू का प्रोविजन है यह हरेक एक्ट में होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : होता है, आपने पढ़ा है क्या इसको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें रिव्यू नहीं लिखा इन्होंने "With a view to rectifying any mistake appraent from record.." Altogether, the judgment cannot be challenged.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पढ़ो तो श्रीमान्, रेक्टिफाई हुआ न, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं. You are senior to me.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Apparent from the face of the record.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बात तो सुन लो। यह मेरी शंका है। आप करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपका व्यू ज्यादा स्ट्रांगर है मैं इसको इंकार नहीं करता व्यासजी महाराज... (व्यवधान) अच्छा है, मजाक कर रहा हूं इनसे। इसमें यह लिखा है–"With a view to rectifiying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify suo motu..." अब आपने रिकार्ड देखा और एक व्यापारी पर आपने 10 हजार टैक्स लगा दिया, फिर आपने रिकार्ड देखा 15 हजार समझ में आई आपके...(व्यवधान) कम ही कर सकता है क्या, ज्यादा नहीं कर सकता है क्या? (व्यवधान) कैसे नहीं तो बताओ न, समझाओ न। यह जो लिखा है उसका मतलब तो यह है कि मर्जी आये वह कर सकता है। रेक्टिफाई का मतलब है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Apparent from the record.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो यह डिसीजन कौन लेगा? वही लेगा न? अच्छा उसको ईमानदारी से भी लगा...(व्यवधान) वह काम मैं करता हूं। आप वह अपने पास रखें। थोड़ी हैल्प करो मेरी आप। (व्यवधान) जब वह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रेक्टिफाई करेगा तो amount may exced also. यह आ जाएगा कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ा नहीं सकेगा. I agree with you. कम भी कर सकता होगा। कम भी कर दे, कोई आपत्ति नहीं पर बढ़ा भी सकता है न। तो आप तो अपना असेसमेंट ले करके घर गये...(व्यवधान) इसमें भी आपने पीरियड नहीं दिया कि आर्डर पास करने के 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, छह महीना, साल भर में या ताजिन्दगी जब तक रिटायर नहीं हो तब तक करेगा, यह भी नहीं है। टाइम लिमिट भी नहीं है और यह आप लिख दीजिये कि उसको बढ़ा नहीं सकता। यदि वह बढ़ाता है तो सुओमोटो नहीं बढ़ायेगा, he will call the dealer, कि आपका मैंने गलत किया था, अब मैं आपको नोटिस देता हूं, आपको क्या कहना है, वह एक्सपार्टी कर देगा Vyasji, do you agree to this also... कि एक्सपार्टी भी कर दे भले ही वो। (व्यवधान)

फिर सैक्शन (35) है साहब,

"No civil court or any other authority shall stay assessment proceedings purported to be initiated or already initiated under this Act." आपने तो कोर्ट को ही बाहर कर दिया। जो आप कर लो वह तो ठीक, जैसी कार्यवाही करो, वह ठीक, चाहे जैसी कार्यवाही चले वह ठीक है यदि कोई जो एक सामान्य अधिकार है किसी नागरिक को कोर्ट में जाने का, आप उसको ही रोक रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैक्स की वसूली तो हो गई, इनकम-टैक्स एक्ट के अन्दर भी, यह आपने सिविल कोर्ट के अन्दर, कल असेसमेंट होगा, कल जायेगा, कहीं पता लगा तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट से स्टे लेकर आ गया तो बैठे रहिएगा आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो जो मजिस्ट्रेट है, उन पर विश्वास नहीं हैं ना कि चलते रास्ते ही वह तो स्टे दे देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, इस मामले में नहीं है। जी हां।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके आफिसर्स तो बढ़िया हैं। वे जुडिशियल आफिसर हैं, ज्यादा ईमानदार हैं आपसे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाई कोर्ट बार नहीं है। आर.एस.टी. एक्ट में भी यही है। आज सेल्स टैक्स में भी यही है। जो आपके समय में आपने पारित कराया, तब ये प्रोविजन इसमें क्यों डाले आपने?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जितना कर सको उतना ही कर दिया ना, ज्यादा तो कर नहीं सकते थे ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो आर.एस.टी. एक्ट बनाया जो प्रजेंट में आपरेशन में है, उसमें भी यही के यही प्रोविजन हैं। यह मैं आपको खाली अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें भी आज की तारीख में यहां के यही प्रोविजन हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले वाला इनका इंटेशन ठीक है। In place of rectification, if you write 'review' review will be more specific. अगर आप रिव्यू लिख देते हैं और एक टाइम लिमिट फिक्स कर दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, इसमें टाइम लिमिट है। आप नीचे का पैरेग्राफ पढ़ें। आप अगर नीचे खुद पढ़ लें इसका सब–सैक्शन (3), खैर, मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब देखिये वित्त मंत्रीजी। अब आप सैक्शन (37) देखिये, ट्रांसफर आफ केसेज, केस ट्रांसफर होंगे इसमें। "(1) A dealer may make an application on plain paper to the Commissioner to transfer any case under this Act from one officer or authority to other officer or authority on the following grounds,..." अगर कोई असेसमेंट कर रहा है और मेरे को सूट नहीं कर रहा है तो वह एप्लाई कर देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोथ वेज। बाई गाड।

(13.32 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कहा आपने? और वह भी प्लेन पेपर पर देगा, उसके खर्चा भी नहीं लगेगा। उसको कुछ भी धरना नहीं चाहिए, क्यों देगा, ग्राउंड क्या आपने बताया, ग्राउंड है–"dispute of jurisdication..." कि मैं इस जूरिस्डिक्शन में नहीं आता हूं, समझ में आ गई बात। "Apprehension of miscarriage of justice." दूसरा देखिये, दरखास्त देने में क्या दिक्कत है। एक तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अधिकारी आपका मिलने वाला है जिससे काम आसानी से हो सकता है वह एप्लाई करेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वाई चांस कमिश्नर उससे मिला हुआ है तो वह आराम से कर देगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, उसका जवाब दे दिया ना आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, ट्रांसफर में सब जगह पावर होते हैं, एवरीव्हेयर, उससे बड़े ग्राउंड्स क्या होंगे...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लेकिन उसके ग्राउंड्स होते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Dispute of jurisdiction, apprehension of miscarriage of justice, I mean, it is very specific. ऐसा नहीं है, सारे एक्टों में है, नेचुरल जस्टिस कहता है, इधर तो आपने इतने पावर दे दिये और अब कमिश्नर मिला हुआ है तो ऐसा हो जायेगा आपके खाली काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर इस एक्ट को आप कहते रहो, बोथ वेज, इस तरफ की बात भी, उस तरफ की बात भी, I mean to say it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानी केवल उसको एप्रिहेंसन होना चाहिए, वहम हो जाये, अगर इस कमरे में भूत है तो तुम अन्दर नहीं जाओगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वहम होता है व्यवहार से, आचरण से, क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एप्रिहेंसन के क्या ग्राउंड हैं, एप्रिहेंसन की क्या नाप है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : The way, he is behaving, जिस तरह से एपेरेंटली, बेस हैं नेचुरली। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसको कमिश्नर एग्जामिन करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी मर्जी आये सो करो आप। अपना तो कहना है कि आप गलत कर रहे हो। अब सैक्शन (40) लीजिये, Liability of the representatives of a deceased person. अब कोई व्यापारी काम करते करते मर जाता है तो उसकी लाइबिलिटी किस पर जायेगी? उसके घर वालों पर चली जायेगी। क्या लेना देना है उनको उससे? (व्यवधान) सैक्शन (38) में है क्या कुछ काम की बात?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने तो पूरा पढ़ा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने पढ़ा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने सोचा, आपका बिल है खराब हो ही नहीं सकता, फूलप्रूफ ही होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, मैं आपको इतिहास बताऊंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें एक बात और है डाक्टर साहब, उस दिन बिल पास नहीं किया ना,...

श्री सुरेन्द्र व्यास : या तो आपका फूलप्रूफ होगा, या आपका यह माडल होगा। मैंने इसका माडल पढ़ा हुआ है। I was almost in agreement with most of the clauses in the model bill. इसलिए मैंने कहा कि वह ठीक ही होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन (40) में liability of the

(श्री भंवरलाल शर्मा)

representative of a deceased person. Why? सामान कुर्क करो, जो कुछ करना है सो करो, उन परिवार वालों पर क्या जिम्मेदारी है उसकी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप प्रोपर्टी नरेट करेंगे, बिजनस भी नरेट करेंगे। आज इनकम टैक्स के अन्दर भी जो लाइबिलिटी है किसी के ऊपर, असेसमेंट होता है तो उसकी पूरी प्रोपर्टी, व्यापार, आपको जो मिलेगा लीगल हेयर्स से मिलेगा, उनसे वसूल नहीं करेंगे? लाइबिलिटी और किससे वसूल करेंगे आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करिये, करिये, बड़ी खुशी की बात है। पर कोई बिना प्रोपर्टी के मर गया तो क्या करोगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है, कई दफे बट्टे खाते में जायेगा, बट्टे खाते में चला जायेगा तो इस पर आप क्या करोगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर कोई प्रोपर्टी नहीं है तो, प्रोपर्टी के बिना ही मर गया। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, हमारे पास में भी कोई प्रोपर्टी नहीं है, आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं है, बाकी हमारे पास किसी के पास भी कोई प्रोपर्टी नहीं है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो वकालत कर रहे हैं, कौनसा व्यापार कर रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैं कहता हूं कि प्रोपर्टी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, प्रोपर्टी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एग्रीड, एग्रीड प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : केश बैलेंस है, बैंक के अन्दर है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, खाली कहने की खातिर आप मत कहो। आप देख लें। आप वकालत करते हैं। आपने सारा देखा है। आप सारे कानूनों के अन्दर जैसे टैक्स लाज हैं, उसको अगर नरेट किया है कि टैक्स लाइबिलिटी उसके पिता के ऊपर थी तो नैचुरली if I have inherited everything from a person, I have to pay.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : What is the harm? प्रोपर्टी आप लोगे, तब है ना।

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्र व्यासजी, इनको इनका प्रस्ताव मूव कर लेने दीजिये। अभी बहस थोड़े ही हो रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी इस पर अपना जवाब देंगे, आपको तब कुछ कहना हो, कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पहुंच गये क्या वहां। ये मेरी मदद कर रहे हैं। (व्यवधान) बाद में बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह बिजनस लाइबिलिटी है, वह पर्सनल लेवल पर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, यह फैक्ट है, if he has his own property, बिजनस लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसकी प्रोपर्टी बची हुई है उससे तो वसूल कर सकते हैं आप लेकिन कोई प्रोपर्टी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, प्रोपर्टी है, बिजनस लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप देखो "डिवोल्व्ज"– "Where a person dies and his business devolves by virtue of his death..." आप डिवोल्व वर्ड देखो, मतलब वह पा रहा है, प्राप्त कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है। (व्यवधान) प्लीज, केसारामजी, आप चिंता मत करो, They are here to advise. उनका काम है एडवाइज करने का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब जो रिकवरी का मोड है, रिकवरी का जो मोड होगा, उसका...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सैक्शन बोल दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन 49 है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह क्लाज है, सैक्शन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्लाज मान लें। क्लाज मान लें, क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : साहब, अक्लमंद को इशारा बहुत है, वह तो समझ गये।

श्री शिवनाथ सिंह : आप नहीं समझ रहे हो ना, आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई बात नहीं, मैं अक्लमंद नहीं हूं, कम ही हूं। सैक्शन (49) देखिये। जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पावर है, वह आप कमिशनर को दे रहे हैं कि किसी का पैसा बाकी रह गया तो वसूल करा सकते हैं। किससे करा सकते है? किसी को भेज सकते हैं क्या? पैसा वसूल हो, जिसमें बाकी है, उनसे करना चाहिए वसूल लेकिन कमिशनर करेगा क्या? कमिश्नर कैसे करवायेगा, वह आपने तय नहीं किया है इसमें। "...Commissioner, shall be empowered to recover such tax or other sum by attachment and sale of movable or immovable property..." तो कमिश्नर खुद जायेगा क्या, यह अगर रिकवर करवाना भी है तो कमिश्नर को जो पावर दिये गये तो उसको यह पाबन्द कर दीजिये, not below the rank of such and such officer. He can send anybody. तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इतना बड़ा काम, किसी की आप जायदाद जब्त कर रहे हो, अटैचमेंट कर रहे हो तो some responsible officer should be there, of not below the rank of such and such...

डा. रतन लाल जाट : अथाराइजड परसन की कैटेगरी हो जाती...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, ऐसा कुछ हो न, उसको कोई को भेज दो आप...

श्री सुरेन्द्र व्यास : लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में तो तहसीलदार करता है रिकवरी, यहां कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कमिश्नर करेगा। खुद जायेगा क्या? (व्यवधान) नहीं,-नहीं, वह यह नहीं कहता खुद ही करेगा, हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खुद थोड़े ही करेगा, आर्डर निकाल कर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : "...any other authority authorised by the Commissioner..." यह लिखा हुआ है इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो who is that? Not below the rank of such and such. खैर, अगर आपकी, मेरा मतलब जो आप कह रहे हैं इसमें आ जाता है तो इस पर कोई बहस की बात नहीं है। यदि आप भी इससे सहमत हो और अथारिटी के नाम से सहमत हो कि भाई उचित आदमी जायेगा, पर्याप्त है, दो और शब्द लिखने में दिक्कत आ रही है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यस सर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी हैं, वकील भी हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इससे कोई मतलब नहीं है, बार-बार मत कहें यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कमिश्नर के लिए खुद स्वयं अटैच करने हर जगह जा सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Who says it?

श्री प्रद्युम्न सिंह : "...authorised by the Commissioner..."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही मैं कह रहा हूं, वह खुद तो जायेगा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वह तो कंसर्नड् ज्युरिस्डिक्शन के आफिसर, जिनका ज्युरिस्डिक्शन होगा उनको ही अथोराइज करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करेगा न। यह आपकी सोच है। इस कानून में लिखा हुआ नहीं है यह। आपकी गुड विशेज हो सकती है पर जब आप कानून बना रहे हो तो it should be incorported in this Act.

डा. रतन लाल जाट : इसमें यह तो है, साहब...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या?

डा. रतन लाल जाट : A person authorised not below the rank of...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कह रहा हूं। वही कह रहा हूं मैं भी। वही कह रहा हूं भाई। होगा तो उसी से वह। फिर 58–पैनल्टी। पैनल्टी लगाई है आपने इसमें। penalty for failure to furnish return.

श्री सभापति : माननीय नारायण सिंहजी, थोड़ा धीरे बात करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "...a sum equal to rupees two thousand for the first thirty days of delay and therefter, rupees fifty for every day..." तो पन्द्रह सौ रुपये का जुर्माना हो जायेगा उस पर। दो हजार रुपये कम से कम लगेंगे। तो यह भी थोड़ा ज्यादा ही होगा।

"...59....Where any dealer does not maintain accounts, registers and documents as required..., the assessing authority or any other officer not below the rank of..."

अब जैसे यह कर दिया न आपने, "...or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner may direct that such person shall pay by way of penalty a sum of rupees five thousand and in case of Continuing default a further penalty of one hundred rupees for every day of such continuance." यह 59 पढ़ रहा हूं मैं आपका। नाउ 81 यह 81 मिल गया साहब, आपको?

"Where the assessing authority or an officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf, has reason to believe that the value of the goods shown in the sale or purchase bill, invoice or VAT invoice is less then the fair market price of such goods he may seize the goods and shall conduct an enquiry to determine the actual market price of such goods, and where, after such enquiry, he is satisfied that the price shown in the sale or purchese

(श्री भंवरलाल शर्मा)

bill, invoice or VAT invoice is less than the market price, he may, after seeking approval of the concerned Deputy Commissioner (Administration) proceed to realise the amount of tax to be paid as per..." मान लीजिये किसी भी अधिकारी को यह पता लग गया कि टिन का गोदाम है, दस हजार पीपे रखे हैं, एक पीपा किसी ने, बीस पीपे बेच दिये। ए तो व्यापारी है, बी उसका पर्चेजट है, उसकी आप से मित्रता है। तो उसको जो मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस तो टैक्स और उसका प्रोफिट, वह मार्केट प्राइस होती है, मैंने मेरा प्रोफिट कम करके मेरा बिजनस चलाने के लिए मैंने कम में बेच दिये...

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो आपका मार्जिन है प्रोफिट का, वह कम कर सकते हैं, टैक्स नहीं। Nothing beyond it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कर सकते हैं, हां वह। तो फेयर प्राइस तो वह है न बाजार में तो, मार्केट प्राइस तो वही है। आप पड़ोस वाले को दे दोगे दोबारा कोई आयोग तो मैं उस पर दूंगा ही नहीं, आपको रियासत कर सकता हूं, हर एक को थोड़े कर सकता हूं। तो यदि वह पकड़ा गया तो आप उसके हजार टिन बन्द कर देंगे, सीज कर देंगे, यह क्या बात हुई?

श्री सुरेन्द्र व्यास : टैक्स नहीं देंगे तो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं–नहीं, कम लिया न मैंने। मार्केट प्राइस, अभी जो कहा न, उससे बिल कम का दिया है मैंने। I am right.

डा. रतन लाल जाट : एडिशनल अमाउंट का भी टैक्स..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी मर्जी है यह तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपकी मर्जी टैक्स कम करने की नहीं है, टैक्स कम नहीं कर सकते आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : भाई समझे ही नहीं, टैक्स कहां कम कर रहा हूं। टैक्स वगैरह सब मिलाकर के इनवेस्टमेंट करके जो प्राइस बढ़ती है, वह कोई बिलकुल खरीदता है उतने में थोड़े ही बेचता है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका पूरा ब्रेक–अप होता है, वह कम कर दो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कर दिया न मैंने कम। वह आपका, बिल तो कम ही कटेगा न। बिल कम का कटेगा, उस बिल को पकड़ोगे आप तो। अब पण्डितजी की मान लो मैं सेवा करना चाहता हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल में आप शो कर दो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, एनी वे। तो सारा ही सीज कर दोगे उसका अगर यह मान लो कर भी लिया तो उसके दस हजार टिन सील कर दोगे और फिर पेरिशेबल गुड है तो क्या करोगे, और कैसे छोड़ोगे, यह पता नहीं फिर इसमें। बस बन्द कर दिया सो कर दिया आपने तो। यह इतनी बड़ी पावर ले रहे हो आप। रोज दुकानदार करते हैं, आप चले जाओ बाजार में, एक आदमी कहता है दस रुपये लूंगा, दूसरा आदमी कहता है साढ़े नौ दे दे मेरे को तो, वह साढ़े नौ में देता है तो मार्केट प्राइस तो कई बातों पर डिपेंड करती है। Let him reply. तो मेरा यह निवेदन है, गये क्या...

श्री सभापति : आ रहे हैं, आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई लिखने वाला भी नहीं, किस को निवेदन करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किस को कहें फिर हम?

डा. बी.डी. कल्ला : मैं लिख रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या लिखा, आप जरा बताइये, क्या लिखा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या लिख रहे हैं, पढ़कर बताओ कौन सा सैक्शन चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन से सैक्शन में लिखा आपने।

डा. बी.डी. कल्ला : एक सैकण्ड पहले वह गये हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रहे हो मैं लिख रहा हूं, आप सैक्शन पढ़ दो।

डा. बी.डी. कल्ला : यह भंवरलालजी शर्मा क्या बोले, वह लिख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सैक्शन बोलो न, सैक्शन। कौन से सैक्शन पर डिबेट चल रही है।

एक माननीय सदस्य : आप बता दो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन से सैक्शन पर डिबेट चल रही है?

डा. बी.डी. कल्ला : भंवरलालजी बोले ही नहीं हैं अभी, एक सेंटेंस नहीं बोले हैं अभी तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सैक्शन 81, लिख लें अब।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, अभी तो माननीय हवामहल से आने वाले सदस्य का प्रस्ताव केवल यह है...

डा. बी.डी. कल्ला : यह जनमत जानने के लिए परिचालित किया गया है।

श्री सभापति : इन्होंने जनमत जानने के लिए, अभी खण्डशः तो इस पर विचार हो नहीं रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं भी यही कह रहा हूं इसीलिए क्यों भेज दिया जाय?

श्री सभापति : इसको तो आप छोड़िये। नहीं, इसको उनको कहना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों भेज दिया जाय, वह रीजन बता रहा हूं। क्यों भेजा जाय, इसलिए भेज रहे हैं और यदि मान लो मंत्री महोदय यहां नहीं हैं और आपकी भी इच्छा है तो I don't continue.

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) नहीं, यों तो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव कर दिया, आप भी इस पर अधिक जब इसका खण्डशः विचार हो तब अपनी बात कहेंगे, आप केवल अभी अपना प्रस्ताव रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं अभी कहूंगा, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरा अधिकार है और मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

डा. बी.डी. कल्ला : बोल गये, अब कोई मसाला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक पर विचार हो रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि आज इसका पारण हो जायेगा। इसके पारण के पश्चात् इस राजस्थान में जो लोग व्यापार कार्य में संलग्न हैं उनका जो टैक्स-स्ट्रक्चर है उसमें, सभापति महोदय, एक आमूल-चूल परिवर्तन होगा। मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्यों और कारणों और कथनों में स्पष्ट कहा है-वर्तमान विक्रय कर अधिनियम के स्थान पर भारत सरकार ने मार्गनिर्देशन के अधीन मूल्य परिवर्धित कर प्रणाली प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी होगी परन्तु सभापति महोदय, इसके साथ हमें उन राज्यों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए जिन्होंने प्रयोगात्मक रूप से इसी कर प्रणाली को पूर्व में लागू किया था। यह हिन्दुस्तान के लिए नई बात नहीं है। 1995 में महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ने भी यह कुछ, कर्नाटक ने भी कुछ दायरे के अन्दर इसको लागू करने का प्रयास किया था। उसके परिणाम कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले। इसमें कोई शक नहीं कि डाक्टर राजा-चेलैया की अध्यक्षता में 1993 में कमेटी बनी...

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, एक मिनट। आप कहना क्या चाहते हैं। मेरा निवेदन है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : एक मिनट, आप सुनिये, बिराजिए। यह आपने जो प्रस्ताव दिया है, माननीय हवामहल से आने वाले सदस्य ने और शिवनाथ सिंहजी ने, आपका प्रस्ताव यह है विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में...

श्री सभापति : एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जनमत जानने हेतु इसको परिचालित क्यों किया जाए इसके लिए मैं मेरे तर्क देना चाहता हूं। अगर आप यह चाहे कि इसको आनन–फानन के अन्दर यों ही लागू कर दिया जाए...

श्री सभापति : नहीं–नहीं, आप कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें कोई शक नहीं है, सभापति महोदय, कि इस पूरे विभाग का वैश्यकरण हो चुका है। मंत्री महोदय भी वो ही हैं।

श्री सभापति : देखिये जो इसमें अमेंडमेंट दिये हैं वो तो माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य ने दिये हैं। आपने तो केवल यह प्रस्ताव दिया है। आप इस प्रस्ताव की मेरिट–डिमेरिट पर बोलना चाहे तो बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बिलकुल–बिलकुल।

श्री सभापति : आसन आपको इजाजत दे रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस पूरे विभाग में वैश्य समाज के अलावा एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है। मंत्री महोदय से लेकर सैल्स टैक्स कमिश्नर, स्पेशल सैल्स टैक्स कमिश्नर अब उस सबके चलते जिस आनन–फानन के अन्दर यह कानून लेकर आया गया है, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, आप निश्चित तौर पर अपनी बात कहेंगे तब कहेंगे कि प्रधानमंत्रीजी की अध्यक्षता में, वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। एक हाई एम्पावर्ड कमेटी वेस्ट बंगाल के फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी, असीम दास गुप्ता, और उसकी रिकमंडेशन को लागू करने का काम आप कर रहे हैं। आप बात वहां करेंगे। परन्तु यह कानून तो आप बना रहे हो। निश्चित तौर पर इस कानून बनने के साथ ही सैल्स टैक्स जो एक पाइंट पर लगता था अब मल्टीपल पाइंट पर लगेगा। परन्तु इसके दायरे में आप लेकर क्या–क्या आये हैं। मैं आपका ध्यान इसी कानून की इसी विधेयक की धारा–3 की और आकर्षित करना चाहूंगा। धारा–3 के अन्दर आपने उल्लेख किया है कि इसके दायरे में कौन–कौन आएगा।

सभापति महोदय, अगर आप इसका मुलाहजा फरमायेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके दायरे में "क" में लिखा है कि जो माल का आयातकर्ता है। "ख" में लिखा है जो माल का विनिर्माता है और जिसका वार्षिक टर्न ओवर दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो और इसके अलावा जो पांच लाख से ज्यादा जिसकी टर्न ओवर हो वो सारे के सारे इस दायरे में आ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दो लाख रुपये का कोई व्यापारी माल बनाता है, एक तरफ कुटीर उद्योग-धन्धों की बात, गांवों में आपने उद्योग-धन्धे और ग्रामीण ग्रामोद्योग लगाने की बात कही। अब दो लाख रुपये प्रतिवर्ष का जो व्यापारी, व्यवहारी माल बनायेगा, सभापति महोदय, उसका प्रतिदिन का अगर आंकड़ा निकालोगे तो वो आएगा 500-600 रुपये। यानी एक महीने में साढ़े चौदह हजार-पन्द्रह हजार का इसका मतलब यह है कि गांव के अन्दर बैठा हर व्यक्ति जो छोटे-छोटे धन्धे कर रहा है वो सारे के सारे इस दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा आपने कहा कि जिसकी टर्न ओवर पांच लाख से ऊपर हो। अगर इसको भी आप देखें, सभापति महोदय, तो यह बैठते हैं 42,500 रुपये प्रतिमाह जो व्यापारी जिसकी टर्न ओवर हो और 1500 रुपये प्रतिदिन। आज इस युग में मैं समझता हूं कि चाहे हम उदारीकरण की बात करें, भूमण्डलीकरण की बात करें, परन्तु 1500 रुपये का टर्न ओवर एक दिन में तो उस व्यक्ति का भी है जो छोटे कस्बे में बैठा है। इसका मतलब, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सभापति महोदय, आज जो सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनकी संख्या है एक लाख सड़सठ हजार। जिस तरह का व्यापक दायरा मंत्री महोदय लेकर आये हैं उससे इन सारे रजिस्टर्ड लोगों की संख्या बढ़ कर हो जाएगी लगभग 15 लाख यानी इस वैट कानून की परिधि के अन्दर इस राजस्थान के अन्दर छोटा-मोटा व्यापार करने वाले सारे लोग आ जाएंगे। गांव के व्यापारी आ जाएंगे। अब इसके अन्दर मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान सैक्शन 3(4) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा इसमें केजुअल ट्रेडर, को भी आपने इसमें शामिल किया है। केजुअल ट्रेडर सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। मैं नौकरी भी कर रहा हूं, मैं केजुअल ट्रेडर भी हूं, मैं छोटा-मोटा व्यापार भी कर रहा हूं। उसको भी इसकी परिधि से बाहर नहीं किया। और इसके अलावा मंत्री महोदय, आपने इसका सैक्शन-6 देखा होगा। सैक्शन-6 में कर निर्धारण के दोहरे मापदण्ड आपके सामने आते हैं। इस टैक्स का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स और सैक्शन-6 में व्यासजी, इन्होंने वैट, वोल्यूम, और नाप के आधार पर टैक्स का निर्धारित करने की बात कही है। मैं समझता हूं कि यह कैसे होगा, क्या होगा वित्त मंत्रीजी, अपना उत्तर दें तो जरूर स्पष्ट करें और वित्त मंत्रीजी, इसके अलावा आपने किया क्या है इसकी धारा-10 देखें। धारा-10 में आपने बर्डन आफ प्रफू व्यापारी पर डाला है। किसी भी असेसिंग अथोरिटी ने असेसमेंट कर दिया और असेसमेंट करने के बाद, सभापति महोदय, व्यापारी कहेगा कि इतना टैक्स देय नहीं है। वर्डन आफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रफू उस पेर डाला है। यह कौन सा कानून बनाया है? क्या करना चाहते हो? मेरी समझ के बाहर हैं। अब इसके चैप्टर 3 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके सैक्शन-11 के अन्दर आपने पंजीकरण की बात कही है और पंजीकरण किसका, सभापति महोदय, सैक्शन-3 के 1 कालम में और सैक्शन 3 के कालम 5 के अन्दर जिनको डिफाइन किया है उनको इसमें तो सारे के सारे वो लोग आ जाएंगे जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि आपकी भावना एक तरफ ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने की है और मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें विशेष तौर पर आज, सभापति महोदय, इस राजस्थान के अन्दर बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं जिनकी संख्या जो गांवों में है 1,47,932 इकाइयां हैं और, सभापति महोदय, आज के समय में 44,291 इकाइयां तो बन्द हो चुकी और, इन इकाइयों के लिए एक तरफ केन्द्र सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार इनको मार्जिन मनी देते हैं दूसरी तरफ आप इनको प्रोत्साहन देने के लिए कहते हैं इस पर किसी तरह का टैक्स हम नहीं लेंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने जो सैक्शन 3 के अन्दर और सैक्शन 11 के अन्दर जिस पंजीकरण की बात कही है उसके दायरे में जब ये सब आ जाएंगे जिनका टर्न ओवर दो लाख रुपये, पांच लाख रुपये से ज्यादा होगा तो फिर आप इनको एग्जम्पशन कैसे दे पाएंगे? एक तरफ तो, सभापति महोदय, सरकार बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 और 1979 को लागू कर रही है। कई जगह जो छोटे उद्योग ऐसे उद्योग जिनको प्रोत्साहन देना है उनको 7 से 11 साल तक की बिक्री कर में छूट देने की बात कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने यह सोच कर उद्योग लगाया था कि सरकार की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना है, बिक्री कर नहीं देना होगा, आज उनकी हालत क्या हो जाएगी? मैं समझता हूं कि इस बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह किसी न किसी स्लेब में आकर इनका उद्योग टिकेगा चाहे वो 4% का स्लेब हो, चाहे 8% का स्लेब हो, 12% का स्लेब हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सरकार की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना है उसके दायरे में जो छोटे उद्योग आ रहे हैं उनका आप क्या करेंगे? अब वित्त मंत्रीजी, आप इसकी सैक्शन 15(2) देखिये 15(2) में आपने कितनी फीस रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी उसका उल्लेख किया है। आपने राष्ट्रीय बचत पत्र की बात भी कही है परन्तु छोटे व्यापारी से 25 हजार, अब छोटा व्यापारी आपने कहीं डिफाइन किया नहीं। 25 हजार रुपये उसको देने पड़ेंगे सबसे पहले तो वो चढ़ाये चढ़ावा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यही बात सब दुहरायेंगे। कैश में नहीं मांगा है श्योरिटी थ्रू...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां श्योरिटी। हां श्योरिटी मांगी है न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुनिये। एक बार सुन ले पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरे को बता दो कि एन.एस.सी. मिलेगा बिना पैसे? मिलता है क्या? कहीं मिलता है तो बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एन.एस.सी. हर एक से नहीं ले रहे हैं। एन.एस.सी. भी हर एक से नहीं मांग रहे हैं। ऐसे जिनको आवश्यकता नहीं हो, आज सैल्स टैक्स के अन्दर क्या हो रहा था कि लोग, रजिस्टर्ड कराया और महीने दो महीने व्यापार किया और गायब हो गये। तो यह इसलिए डाला कि तुमको आवश्यकता नहीं है तब भी मुझे रजिस्ट्रेशन दो तो ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन मांगेंगे उनसे एन.एस.सी. मांगा है। बाकी तो सब किसी रजिस्टर्ड डीलर की श्योरिटी दिलवा दो उससे ही काम चल जाएगा, कैश नहीं मांगा है ऐसे लोगों से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप इस क्लाज के अन्दर यह जो आपने फीस निर्धारण की बात की जो कैश नहीं मांग कर आप राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में मांग रहे हैं इसको ही हटा दीजिये। राष्ट्रीय बचत पत्र, सभापति महोदय, कैसे मिलता है आपको मालूम है। उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब आप इसकी सैक्शन 15(4) देखें। इसमें है, सभापति महोदय, रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उस फीस को असेसिंग अथोरिटी बढ़ा सकती है 25%। मेरी समझ में नहीं आया एक तरफ आपने कहा कि 15 हजार लेंगे, 25 हजार लेंगे, 50 हजार लेंगे फिर सैक्शन 15(4) के अन्दर आप किस तरह इनको अधिकार दे रहे हो कि वो चाहे तो उसको असेस करके 25% बढ़ा दे? और फिर सैक्शन 15(6) में आप एक ए.सी.टी. को अधिकार दे रहे हो कि उसके पास समुचित कारण हो तो वो रजिस्ट्रेशन की फीस जब्त कर सकता है। और इसके अलावा मंत्री महोदय, आप जरा इसकी सैक्शन 18(3) पढ़ें। सैक्शन 18(3) में, सभापति महोदय, कर का समायोजन जब तक नहीं होगा जब तक क्रेता-विक्रेता के बारे में प्रामाणिक जानकारी न दे। विक्रेता की प्रामाणिक जानकारी से क्या अभिप्राय है वो अपना व्यापार करेगा या यह सारी जानकारी लेने में लग जाएगा। एक तरफ इसकी परिधि के अन्दर राजस्थान में अन्दर 15 लाख लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि जानकारी भी वो ही देंगे। इसके अलावा सैक्शन 19 में, जिसके अन्दर आपने ओल्ड स्टाक की बात कही है, क्योंकि 1.4.2003

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

. . . से आपकी यह वैट प्रणाली लागू हो जायेगी उसके पहले का जिन लोगों के पास माल है उसमें आपने लिखा, 1.4.2002 के बाद ख़रीदा गया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि ओल्ड स्टाक किसी के पास है, हो सकता है मैं इसमें क्लीयर नहीं हूं, मेरी भी समझ में कम आया है इसमें, इसका अभिप्राय क्या है। 1.4.2002 से बहुत पहले किसी ने माल खरीद रखा है और उसने उसका टैक्स पहले पैड कर रखा है...

(14.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : हमने उससे स्टाक मांगा है। इसीलिए अखबार में भी निकाला था कि आप अपने स्टाक की जो भी पोजिशन है उसका फार्म भर कर आप विभाग को दे दे और उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिल जायेगा। हमने पहले ही व्यवस्था कर ली, अखबारों में भी निकाला, समय सीमा भी बढ़ाई कि आप विभाग को सूचना दे दे। यह व्यवस्था अभी भी चालू है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय मेरा आपसे भी निवेदन है कि अभी खण्डशः तो विचार हो नहीं रहा, आप अपना उत्तर दे देना। इनको इनका जो प्रस्ताव है वह अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप ठीक कह रहे हैं अगर हमारी शंकाओं का निवारण हो जाये तो मैं समझता हूं...

श्री सभापति : आप खण्डशः पर नहीं बोलोगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलेंगे, हमारा अधिकार है।

श्री सभापति : फिर उस समय वित्त मंत्रीजी उत्तर दे देंगे। मैं आपको रोक नहीं रहा। 18–19 मेम्बर यह प्रस्ताव रखेंगे और खण्डशः बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन को तो हमें ऐसे पेचीदा मामलों में एनक्रेज करना चाहिये। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने मेरी एक शंका का तो निवारण किया। परन्तु आप मुझे यह बता दो कि पहले किसी के स्टाक में सैल्स टैक्स एग्जम्टेड गुड्स है और वह बिका नहीं तो जिस पर पहले एग्जम्पशन था वह उसके स्टाक में है अब वैट की परिधि में आप उस पर टैक्स लगायेंगे तो उस डीलर को भी नुकसान हो गया और उसकी कीमत भी बढ़ गई। इसलिए आपको कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिये ताकि जो एग्जम्पटेड गुड्स हैं, सभापति महोदय, यह वही है जिसको प्रोत्साहन देने की बात सरकार ने अपनी उद्योग नीति में कही है। यह विरोधाभास है आपकी उद्योग नीति में। आपने उद्योग नीति में जिस तरह मैंने पहले कहा बिक्री प्रोत्साहन योजना की इन सबकी बात की है, जिन ग्रामोद्योगों को बढ़ाने की बात कही है आज अगर वैट लागू हो जायेगा तो आपकी उद्योग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नीति री–ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, विशेष तौर पर जोशी साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं इसीलिए 15 तारीख को व्यापारी पूरे राजस्थान को बन्द कर रहे हैं।

श्री सी.पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : जसवंत सिंहजी से कहते तो ज्यादा बैटर होता। वह सारे कंट्री की कंसेंसस बना रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जसवंत सिंहजी को समझाऊं या नहीं समझाऊं पर मंत्री महोदय फुर्ती आप में बहुत है और जोश भी बहुत है। परन्तु मैं बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं, फूंक निकलने वाली है आपकी।

श्री सी. पी. जोशी : यह दिमाग से निकाल दो, फूंक निकलेगी बी.जे.पी. की। ट्रेड पार्टी को लेकर भारत के वित्त मंत्रीजी की कंसेंसस बनवा रहे हैं। ट्रेडर किसके साथ है यह जानकारी तो उनके पास होगी। आपका भ्रम तो दूर कर लें। वैट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक तो यह होगा कि रा मैटीरियल के ऊपर टैक्स माफ होगा, अभी रा मैटीरियल के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो बिक्री कर की जो छूट है वह वैसे ही एग्जम्प्ट हो जायेगा मामला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रा मैटीरियल के ऊपर टैक्स एग्जम्प्टेड करने के बाद आपको पता है मल्टीपल पाइंट्स पर टैक्स लगेगा। रा मैटीरियल का जब आगे उसका प्रोडेक्ट बनेगा तब आप छोड़ दोगे क्या?

श्री सी. पी. जोशी : आप आधा पढ़कर आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पूरा पढ़कर आया हूं।

श्री सी. पी. जोशी : एग्जम्पशन का, एग्जम्पशन वही हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है राजेन्द्रजी, मल्टीपल टैक्स का मतलब यह नहीं है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को पता है वेल्यू एडेड पर टैक्स लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसको सैट आफ मिलता जायेगा Why are you confusing this? सारे हिन्दुस्तान में पूरे विचार विमर्श के बाद एक एक चीज के ऊपर सहमति बनी है। Only for the sake of आप कहें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी बात तो कहूंगा ही। आपने बहुत बड़ी बड़ी फोटोज छपवाई हैं मुस्कराते हुए इसमें आप परम्परागत हो गये कि किस इकाई को कब कैसे पिछले दरवाजे से लाभ देना है। यह सारे काम तो आप कर रहे हो परन्तु मैं तो आपकी भलाई के लिये कह रहा हूं आपसे बड़े अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं जिस समुदाय को आप यहां रिप्रजेंट कर रहे हो उसी समुदाय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लोग इस वैट को अगर इसी रूप में पारित कर दिया तो आपको रावण और कंस की उपाधि देंगे और वह देंगे तो मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मेरे इनसे सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं।

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहो। इसके बिल पर अपनी बात कहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आगाह कर रहा हूं, मैं तो वो कल की बात कर रहा हूं जो होने वाला है। मैं निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय, आप इसके सैक्शन 21 पर मुलाइजा फरमाएं। आपने रजिस्टर्ड व्यापारी की रिर्टन फाइल करने के लिए भी यहां बात कही है पर यह स्पष्ट नहीं किया कि रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी, कितनी बार फाइल करनी पड़ेगी। इसमें अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन लगा देते तो मैं समझता हूं ठीक हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा इन्होंने सैक्शन 25 में फिर वही इंस्पेक्टर राज को प्रोत्साहन दे दिया। कोई भी अधिकारी किसी भी रजिस्टर्ड व्यवहारी के खाते को जब चाहे वह उसको देख सकता है यह एक तलवार लटका दी। इस सैक्शन के चलते जिस तरह की छवि राजस्थान के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की इन 3–4 वर्षों में बनी है, मैं समझता हूं वह उसी छवि के रास्ते पर चलेगा तो राजस्थान का व्यापारी त्राहिमाम-त्राहिमाम करेगा। मैं समझता हूं वित्त मंत्रीजी आप नाराज भी बहुत जल्दी होते हो पर आज न जाने क्या बात है आप मुस्करा रहे हो, आप इस अदा में अच्छे लगते हो।

अब मैं आपका ध्यान चैप्टर 6 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें आपने पैनल्टी के प्रोविजन किये हैं। सैक्शन 55 में आपने क्या कहा कि अगर कोई व्यवहारी फीस आदि निश्चित समय पर नहीं चुकाता तो मय ब्याज उससे राशि वसूल करेंगे। सभापति महोदय, ब्याज कितना होगा यह स्पष्ट नहीं है। उसका निर्धारण इनके अधिकारी करेंगे, राज्य सरकार करेगी। सैक्शन 56 में कोई व्यवहारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं कराता उस पर पहले 30 दिन के लिये 2000 रुपये जुर्माना और 20 रुपये रोज का जुर्माना। मतलब आप करना क्या चाहते हो? सभापति महोदय, आर.एस.टी. में पैनल्टी क्लाज 6 जिसमें पैनल्टी फार रजिस्ट्रेशन सैक्शन 56 में आपके वैट में है 5,000/- and for continuing offence Rs.100/- daily. Previously it was-not exceeding Rs.1,000/-. आप व्यापारी को चोर क्यों समझते हैं? आज जिस कानून के बारे में राजस्थान का व्यापारी अनभिज्ञ हैं, उसके मन में कई शंकाएं उठ सकती हैं उसके लिये कम से कम आपको पहले 3 सालों में इस तरह के क्लाजेज नहीं रखने चाहिये, यह अव्यवहारिक है। राजस्थान का व्यापारी जो गांवों में जा रहा है, मैंने कहा 15 लाख व्यापारी वह सारा पढ़ा लिखा हो यह सम्भव नहीं है। इसलिए पैनल्टी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्लाजेज में निश्चित तौर पर आपको संशोधन लाना चाहिये और संशोधन लिये आपके मन में यह हो जाय कि संशोधन हम कह रहे हैं इसलिए हो, तो आप अपने किसी मेम्बर से कहलवा कर वैसे ले जाओ। पर मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि चाहे सैक्शन 57 में एडिशनल सिक्योरिटी का मामला हो, 2000 रुपये जुर्माना और 50 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना।

सभापति महोदय, एक इसमें सैक्शन है, सैक्शन 59 इसमें धारा 71 के क्लाज 1 और 2 के अन्तर्गत जो लेखे हैं वह अगर कोई नहीं रखे तो 5 हजार रुपये का जुर्माना और 100 रुपये। सभापति महोदय, इनके लेखों का प्रारूप मैं देख रहा था अगर इसको कोई सी.ए. भर दे तो भर दे, बाकी सम्भव नहीं है। इतनी पेचीदगी है। इसका मतलब राजस्थान के 15 लाख व्यापारियों में से कोई व्यापारी नहीं रखेगा वह या तो वकील की शरण में जायेगा या उस गरीब आदमी को सी.ए. रखना पड़ेगा। सैक्शन 58 में रिटर्न फाइल वह नहीं करे तो आप कितना जुर्माना कर रहे हो, आप जुर्माना कर रहे हो 50 रुपये प्रतिदिन और 2000 रुपये। सैक्शन 67 में डिफाल्टर के खिलाफ पैनल्टी लगनी चाहिये, ठीक है, आर.एस.टी. में भी थी परन्तु आपने यह क्या कर दिया इतना भारी जुर्माना सैक्शन 67 में व्यापारी पर तीन वर्ष की सजा हो जाये और 10 हजार रुपये का जुर्माना। पहले जिस सैक्शन की चर्चा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कई सैक्शन में तो अपील में भी नहीं जा सकते हाई कोर्ट के बिना। आप प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध क्यों इस तरह का काम कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अलावा, सैक्शन 76 में चैक पोस्ट और बेरियर लगाने की बात कही है। यह एक तरह से लूट खसौट पहले से ही निर्बाध रूप से, जब से यह सरकार आई है, अलग अलग तरीके से इनका सारा काम चल रहा है। सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कभी राजनीतिक दृश्य बदल गया तो निश्चित तौर पर, अब बेरी साहब तो रहे नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लाना पड़ेगा, कमीशन बैठेगा तब यह सारे घोटाले सामने आयेंगे। परन्तु सैक्शन 76 में वापस वह का वह बेरियर और उसके लगने के बाद आप क्या करना चाहते हो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आपकी जो औद्योगिक नीति है जिस औद्योगिक नीति की चर्चा आपने कई बार की है, उस औद्योगिक नीति में जिनको रिबेट मिली उनका आप क्या करेंगे। सैक्शन 35 में आप न्यायालय में जाने के अधिकार से तो पहले ही वंचित कर रहे हो, बात भी ठीक है कई बार कोर्ट स्टे वगैरह दे देते हैं परन्तु एक साथ इतनी हैवी पैनल्टी सैक्शन 67 में...

श्री सभापति : राठौड़ साहब, कंक्लूड कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपको पता है मैं हमेशा से आज्ञाकारी रहा हूं और आसन का बड़ा सम्मान करता हूं। इसीलिए मैं मंत्री महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि आप आनन फानन में जिस तेजी से इस कानून को ला रहे हो और यह कानून निश्चित तौर पर एक वैश्य समाज के व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं हो सकता। इस कानून को इसी रूप में पास किया तो आपके जगह-जगह पुतले जलेंगे। राजस्थान के व्यापारियों को, गरीब को, सबको 15 लाख लोगों को इसके दायरे में लेना चाहते हैं। और उसके बाद इस कानून की पेचीदगियों से, अच्छा रहता आप व्यापारी संगठनों से बैठकर बात करते। अच्छा रहता आप राजनीतिक दलों से बैठकर बात करते, अच्छा रहता कि आप विभिन्न लोग-बाग, जो इसके विशेषज्ञ हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात करते। आप राजस्थान में वातावरण बनाते। राजस्थान में अन्य आडम्बर रचकर तो कई तरह का वातावरण बनाते हो परन्तु वैट का, जो कानून आप ला रहे हो उसके लिए आपने कोई वातावरण नहीं बनाया। 15 तारीख को राजस्थान के व्यापारी सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगे। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है परन्तु आपको न जाने क्या जिद है। मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूं किन्तु आपने आज तक मेरी एक बात नहीं मानी।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे उम्मीद है कि चूंकि आपका यह अन्तिम बजट है...

श्री सभापति : राठौड़ साहब बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अन्तिम बार आप यहां बिराजे हैं, मेरी छोटी सी प्रार्थना मान ले कि आप इसको एक बार जनमत जानने हेतु परिचालित कर दे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह करूणामयी, मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया है आप मेरी प्रार्थना को मानेगे और इस कानून को जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आप राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर, जिसको वैट कहा गया है। वेल्यू एडेड टैक्स, जिसे केन्द्र सरकार का हवाला देकर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विधेयक के रूप में रखा है उसको जनमत जानने के लिए तो कहूंगा ही लेकिन उससे पहले माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह वैट, मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक 2003 है इसमें कितनी खामियां हैं, अभी माननीय भंवरलालजी शर्मा और श्री राजेन्द्र राठौड़ ने आपको जानकारी दी है।

चार साल से पहले सेल्स टैक्स इंसपेक्टर राज राजस्थान में रहा, उससे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पहले, 4 साल पूर्व जो शासन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सभी व्यापारी छोटे या बड़े आज बराबर कहते हैं कि उस समय इंसपेक्टर राज खतम हो गया था परन्तु सवा चार साल में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारियों में त्राहि-त्राहि मची हुई है कि यह इंसपेक्टर राज चालू हो गया। सेल्स टैक्स के चपरासी से लेकर कमिश्नर उनको कितना परेशान करते हैं, वह बराबर शिकायतें करते हैं और मुझे जानकारी है आप तक भी शिकायतें हैं, लिखित शिकायतें हैं।

सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी स्वयं उद्योगपति समाज रहे हैं। आप जो वैट लागू करना चाहते हैं, मूल्य परिवर्धित विक्रय कर परिवर्धित विक्रय कर विधेयक जो अधिनियम बनने जाएगा, आप लागू करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको तुरत-फुरत में लागू नहीं करवाएं। एक अप्रैल का जो आपने समय दिया है यह बहुत जल्दबाजी होगी। पहले प्रत्येक व्यापारी को अलग-अलग स्टडी क्लास लगाकर जानकारी दी जाए, बताया जाए। हर कस्बे में, शहर में और इतना ही नहीं छोटे गांवों तक भी यदि सम्भव हो, क्योंकि इससे कुटीर उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं इससे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज भी प्रभावित हो रही है। सरकार का यह हवाला है कि विश्व के करीब 100 देशों में वैट, नई प्रणाली टैक्स की है वह लागू है। 100 व देश हैं जो यूरोपियन, यूरोपियन में भी कम्युनिस्ट कंट्रीज ज्यादा हैं और कम्युनिस्ट कंट्री में भी यूरोप में, कुछ देश जो शिक्षित हैं और बड़ी मात्रा में है, ऐसे व्यापारी हैं जो टैक्स के फार्म भरना ही नहीं, सम्पूर्ण कार्यवाही को भी जानते हैं, ऐसे देशों में लागू है। भारत जैसे देश में, जहां व्यापारी शिक्षित ही नहीं है, मुश्किल से मिडल पास या प्राइमरी है जो बिजनस करते हैं, क्योंकि अच्छी एजुकेशन लेने वाला तो नौकरी में जाता है या काम्पीटीशन में जाता है। ऐसे अशिक्षित या बिलकुल शिक्षित नहीं, ऐसे व्यापारियों पर या उद्योगों पर इस तरह का टैक्स का भार पड़ना, वैट के नियम से 10 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत या 20 प्रतिशत जो टैक्स है, मेरा सुझाव है कि ग्रामोद्योग से लगे हुए उद्योगों पर यह टैक्स नहीं लगाया जाए। कम से कम कच्चे माल की खरीद में यह टैक्स, वैट लागू नहीं हो और बेचने में भी एक बार हो क्योंकि बार-बार इसका मल्टीप्लाई होगा तो आम जनता और हर व्यक्ति दुःखी होगा। यह जनहित में नहीं है।

सभापति महोदय, यह बहुत रिस्की है। इसके बारे में सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है कि 5 लाख की बिक्री वाले व्यापारियों को इससे मुक्त रखा गया है, ऐसा नहीं है। आपने इसमें नये-नये नियम बनाए हैं इसमें आपने दिया इलैक्ट्रानिक युक्तियां, 79(3) इलैक्ट्रानिक युक्तियां

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जिनके माध्यम उपखण्ड (1) और (2) धारा अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा प्रारूप दिये जाएंगे यह जो इलैक्ट्रानिक उपकरण है, नीचे भी इलैक्ट्रानिक का हवाला दिया गया है 76 में, इलैक्ट्रानिक युक्तियां जिनके माध्यम से उपखण्ड(2) के अधीन दिये जाने के अपेक्षित दस्तावेज दिये जा सकेंगे। अब इलैक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में व्यापारी कहां परिचित है और व्यापारी को इसके बारे में कितनी जानकारी है?

माननीय सभापति महोदय, यह कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ नहीं हूं लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी पर्टिकूलर कोई ऐसी फर्म है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से प्रभावित है। मुझे ऐसा लगता है उनसे मिलकर सेल्स टैक्स के अधिकारियों और आपने साजिश रची है। इसके तहत व्यापारियों को जो नुकसान होने वाला है इससे शायद आप अवगत नहीं है कि बाद में क्या परिणाम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार जो 5 लाख वाला प्रचार कर रही है, छोटे से छोटा व्यापारी इससे दु:खी होगा। यह प्रणाली जब लागू होगी तो वैट के सैक्शन 61 में 25 प्रतिशत का जो सरचार्ज और पैनल्टी का दिया गया है इसका भी नुकसान वैट के कारण से व्यापारियों पर होगा। इतना ही नहीं, नये रजिस्ट्रेशन करने वालों को सिक्योरिटी का हवाला किया गया है। आज मैं जानता हूं कि जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं वह सिक्योरिटी के सम्बन्ध में कितने दु:खी है। उन्होंने हमको लिखकर फरियाद करी है और कहा है कि इसको हमारे बारे में आप रखे। सभापति महोदय, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप मिल गए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले उनका आडिट करेंगे या बाद में?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह चार्टर्ड अकाउंटेंट का आडिट नहीं है, भगवान के लिए यह गलत तथ्य मत दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह लेखा के बारे में, आडिट के बारे में लिखा है आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डिपार्टमेंट के अफसर आडिट करेंगे क्योंकि जहां... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह तो एसैसमेंट है। वह तो एसैसमेंट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कुछ कह रहा हूं। ज्ञानदेवजी, जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैंने भी इस चीज को एग्जामिन किया है। व्यापारी मिले थे, दिखवाया है यह आपकी एप्रीहेंशन ही कह सकता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने इसी में ही दिया है कि वह लेखा वाले आडिट

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलग करेंगे और एसैसमेंट अलग होगा। इस सैक्शन में जो आपने दिया है, उसी का हवाला दे रहा हूं। आडिट अलग होगा और लेखा विभाग का हवाला आपने अलग दिया है। आपने एग्जामिन कर लिया अच्छी बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, आपने अभी कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की आडिट नहीं होगी आप सैक्शन 73 की तरफ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, मेरी बात सुनिए...

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको मैं इंटरवीन नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको, देखिए...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सिर्फ कह रहा हूं कि 73 की तरफ ध्यानाकर्षित करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दो तरह का आडिट है। 40 लाख से ऊपर वाले जो टर्न ओवर हैं इनकी सी.ए. से आडिट कराना आवश्यक है जो कि आज भी इनकम टैक्स के प्रोवीजंस में है। Similar provisions exist in the Income Tax Act.

श्री मानिक चन्द सुराना : फिर आप कहते क्यों है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की आडिट...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह दूसरा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने प्रावधान किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की आडिट होगी धारा 73 में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको बताया है कि दो तरह का है। श्रीमान्, दो तरह का है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह हम देख रहे हैं लेकिन आपका यह कहना कहां तक उचित है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं होगी?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें जो डिटेल है पढ़ देता हूं डिफाइन आपने नहीं किया है. सैक्शन 73 में वह समय जिसके भीतर-भीतर ऐसा व्यवहारी जिससे इस खण्ड के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई है। अपने लेखाओं की से संपरीक्षा करवायेगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देगा, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट का प्रारूप और वह विशिष्टयां और प्रमाण पत्र जो संपरीक्षा रिपोर्ट को हस्तान्तरित और सत्यापित करते समय दिये जाएंगे। (व्यवधान) इसमें आपने किन का हवाला दिया है?

श्री सभापति : यह तो उनके पास भी है, आप अपनी बात कहो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं अपनी बात ही कह रहा हूं, आपकी बात थोड़े ही कहूंगा, अपनी बात ही कहूंगा। सभापति

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

महोदय, आपने चार्टर्ड अकाउण्टेंट का कहा है, अच्छी बात है। इलैक्ट्रानिक का जो हवाला दिया गया है, अब छोटा व्यापारी कहां इलैक्ट्रोनिक में पड़कर, रजिस्ट्री करवाना या सेल्स टेक्स रिटर्न भरना, यह आपने धारा 17 में दिया है, "प्रत्येक व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियत के अधीन रद्द किया जाता है, ऐसे रद्दकरण की तारीख को स्टाक में धारित प्रत्येक कराधेय माल और पूंजीगत माल के सम्बन्ध में विहित रीति से कर संदत्त करेगा।" अब इसका अर्थ क्या रहा, सभापति महोदय, जरा मंत्री महोदय बताएं। और उसके आगे "वह शर्त जिनके अधीन बीजक की दूसरी प्रति के आधार पर अज्ञात कर मुद्रा अनुज्ञात करेगा।" यानि बीजक के बारे में भी और एक भ्रम इसमें है। छोटा व्यापारी कहां बीजक काटता है और कहां उसको खरीदो और...छोटे-छोटे व्यापारियों पर यह जो मुसीबत डाल दी गयी है, आप सभापति महोदय, जो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप कहिये अपनी बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस एक-एक सेक्शन को मैंने पढ़ा है। मेरा परिवार और मंत्री महोदय, आपका परिवार, हम लोग व्यापारी, बिजनसमैन परिवारों से ही हैं। अब इन बिजनेसमैन को इतना तंग करना चाहते हैं कि त्राहि-त्राहि कर जाए। अच्छा है, हमारे तो हक में है। राजेन्द्रजी राठौड़, माननीय सदस्य, क्यों रोक रहे थे आपको। आप तो एक अप्रैल से क्यों, कल से लागू कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें आम जनता दुःख पाएगी अगर व्यापारी, बिजनसमैन दुःख पाता है उसकी कोई बात नहीं है। पूरी तैयारी करके एक-एक सैक्शन का डिटेल नोट करके आये हैं। सभापति महोदय, हम वित्त मंत्री महोदय को इतना ही कहेंगे कि जो आपने हवाला दिया है राजस्थान के अलावा 4 प्रान्तों ने लागू किया। महाराष्ट्र में आपकी ही कांग्रेस सरकार है। अभी हवाला दे रहे थे, वहां पर वैट को लागू करके क्यों हटा दिया जैसे अपने बिजली बोर्ड की कम्पनियां बनायी हैं, अब आप दुःख पा रहे हैं और सभी माननीय सदस्य, जनता दुःख पा रही है। वैसे ही यह वैट लागू करके आप दुःख पाएंगे। यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, मैं आपको अन्त में दो शेर सुनाकर जो मेरा स्वभाव है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इस वैट से राजस्थान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके बारे में है, बिजनसमैन जो कल कहते थे, वे यह कहते थे-

"रहते थे जिनके दिल में आप जान से भी प्यारों की तरह,

आज बैठे हो उन्हीं के कूचे में अब आप गुनहगारों की तरह'॥

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और इतनी ही नहीं, जनता और व्यापारी क्या कह रहे हैं। दावा था जिन्हें हमदर्दी का, आपके प्रति बिजनसमैन और आम जनता का कहना है, वित्त मंत्री महोदय,

"दावा था जिन्हें हमदर्दी का खुद आके न पूछा हाल कभी"

और आपने महफिल में बुलाया है हमको हंसने को सितमगरों की तरह, हंसने को सितमगरों की तरह। इसलिये ऐसा न करें जिससे कि व्यापारी, बिजनसमैन... और एक-एक सैक्शन को आप देखे दुबारा से इसको लागू करने से पहले एक्जांमिन कर लें। जनमत को भेजने के लिये मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, मैं आज आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब यह मालूम हो गया कि आप शेर-शायरी भी करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं तो करता हूं साहब, ऐसी क्या बात है। शुरू से ही करता आया हूं और करता रहूंगा, ऐसी क्या बात है।

मंत्री महोदय, मैं इतना ही कहूंगा इस वैट को जनमत जानने के लिये भेजने का हमारा सुझाव है। आप इस सम्बन्ध में विचार करें और देखें। एक-एक सैक्शन को, जिसको पढ़ने में काफी समय लगता, क्योंकि तैयारी पूरी करके आये हैं इसलिये इतना ही कहूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जनमत जानने के लिये भेजा जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी, अनुपस्थित। श्री हरीशचन्द, अनुपस्थित। डा. रामप्रताप, अनुपस्थित, डा. रघुवीर सिंह गौड़, अनुपस्थित। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, यह राजस्थान जो वेल्यू एडेड टैक्स बिल, 2003 आप ला रहे हैं इसको मैं जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि इस बिल में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिससे राजस्थान का आम व्यापारी, काफी दुःखी हो जाएगा। और मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मेरे पूरे वक्ताओं ने जो विस्तृत रूप से बताया है कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हर-एक व्यापारी के खाता-बही जा करके सेल्स टैक्स आफिसर देखेंगे, कमिश्नर्स देखेंगे, उनके इंस्पेक्टर्स देखेंगे। इसके कारण से वह रोजमर्रा का अपना व्यापार करने के बजाय इनकी आवभगत में उलझ कर रह जाएगा, और अपना व्यापार ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं कि इसमें जो प्रावधान किया है, जैसा मैंने कहा यह आम व्यापारियों को आतंकित करने वाले प्रावधान हैं इसमें। इन प्रावधानों को इससे विदड्रा करना चाहिए। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि 2 लाख तक जो कारोबार करता

(श्री मदन दिलावर)

है उसमें भी यह बिल लागू किया जाएगा। अब 2 लाख का टर्न ओवर जो करता है वर्ष भर में वह तो एक छोटा सा व्यापारी होता है। आप देख लें, उसमें तो झाडू बनाने वाला भी आ जाएगा, ठोगला, ठोगली बनाने वाला गांव का स्वीपर भी आ जाएगा।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है, यह सारी बातें हवामहल और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं। आप कोई नयी बात कहें तो ठीक है। (व्यवधान) यह 2 लाख और ये बातें तो आ गयीं। वैसे मैं रोक नहीं रहा हूं, आप उन्हीं को रिपीट करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, आप यह प्रतिबन्ध लगाएं जब चर्चा हो तब कि जो एक बार बात आ गयी उस पर दुबारा कोई नहीं बोले।

श्री सभापति : हम इसमें जो सुझाव दे रहे हैं, अच्छा है वे नयी बात कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं कह रहा हूं ना आपको, निवेदन कर रहा हूं, आप यह प्रतिबन्ध लगा दीजिए कि जब इस पर डिस्कशन होगा ना उस समय जो बात किसी ने कह दी तो रिपीट नहीं करनी चाहिए, आप प्रतिबन्ध लगा दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सम्भव नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं है तो फिर बोलने दीजिए।

श्री सभापति : मैंने कहा, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैंने तो निवेदन किया है उनसे। आप यही वापस दोहराना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं, शहर में तो शायद बड़े-बड़े व्यापारी होते होंगे इसलिये शायद सहन कर जाएंगे, लेकिन गांव में कितने छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं। कितने छोटे दुकानदार होते हैं उनको आप कह रहे हैं कि 25 हजार रुपये की आप सिक्योरिटी दीजिए। कहां से लाएगा 25 हजार रुपये? आप कह रहे हैं नगद नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे दुकानदार से कहलवा दीजिए गारंटी दे दे। वह 25 हजार रुपये तो साल भर में बचेगा नहीं और 25 हजार रुपये की गारंटी गांव में, जहां छोटे-छोटे गांवों में प्रतिस्पर्धा होती है, वह व्यापारी दूसरे व्यापारी की गारंटी दे देगा, ऐसा सम्भव है क्या? वह जानता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा तो मेरी दुकान ज्यादा चलेगी और मेरी यहां मोनोपोली रहेगी। अगर मोनोपोली रहेगी तो मैं चाहे जो भाव से माल बेचूंगा। इसके इसमें परेशानी आने वाली है। इसलिये छोटे-छोटे लोगों को तो इसके दायरे से बाहर करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इसमें 5 लाख का है।

श्री मदन दिलावर : 2 लाख भी है, 5 लाख भी है। इसमें 2 लाख भी है, पढ़ लें, साहब।

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब, बोलने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : तो मेरा यह निवेदन था कि इतना बड़ा भारी वजन, इसमें जो कठिनाइयां हैं इनसे छोटे–छोटे व्यापारियों को मुक्त रखना चाहिए। फिर आपने कह दिया कि इसमें तो बहुत बड़ा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या कोई सेल टैक्स का हिसाब किताब नहीं दिया तो पैनल्टी भी आपने बहुत बड़ी रखी है, जो 2 लाख रुपये साल का टर्न ओवर करेगा उसके ऊपर आप 50 रुपये रोज की पैनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। यह उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल में इस प्रकार का प्रावधान करके छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को समाप्त करने की और उनके गला घोटने की योजना इस सरकार की है। और इसलिये मैं कह रहा हूं कि इसको परिचालित करना चाहिए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्रामोद्योगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, अब ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करते हैं लेकिन ग्रामोद्योग को इससे छूट देने की मंशा के बारे में सरकार इसमें स्पष्ट कह भी नहीं रही है। ग्रामोद्योग को निश्चित रूप से इसमें छूट देनी चाहिए। आपका जो बिल है, इसकी धारा 8 है, यह भी कह रही है कि इसमें कर में आप छूट दे सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भी माल या माल के वर्ग के विक्रय या क्रय को या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, कर के भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।"

तो माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दे तो यह बताएं कि क्या आप जो गांव में छोटे–छोटे उद्योग हैं, ग्रामोद्योग, उनको इसमें मुक्त रखना चाहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में गांव में छोटे–छोटे उद्योग हैं। और उन छोटे–छोटे उद्योगों के माध्यम से लाखों लोग अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इस कारण से बहुत सारा लाभ होता है। और बहुत सारा बर्डन सरकार के ऊपर जो आता है, रोजगार देने का उससे सरकार को ही मुक्ति मिलती है। यह छोटे–छोटे उद्योग वहां पर रोजगार देकर सरकार की परेशानियों को भी हल करते हैं और वह

(श्री मदन दिलावर)

छोटे–छोटे मजदूरों की भी परेशानियों को हल करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं यह उल्लेख करना चाहिए था लेकिन इस प्रकार का उल्लेख इसमें कहीं भी नहीं किया गया है। यदि आपने ग्रामोद्योग को इससे छूट नहीं दी तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और बहुत सारा पैसा जो आपने ऋण के रूप में ग्रामोद्योग को दिया है, वह उलझ जाएगा। क्योंकि यह, शहरों को तो आप छूट देने की योजना बना रहे हैं, जैसा मैंने सुना है, और गांव में आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो यह प्रतिस्पर्द्धा में नहीं आ पाएंगे। अरबों रुपया सरकार का बिलकुल स्थिर सा हो जाएगा, आएगा ही नहीं। उसके कारण से बहुत सारी परेशानियां सरकार के सामने, मजदूरों के सामने और जो ग्रामोद्योग चला रहे हैं उन लोगों के सामने पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा तो निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन कर रहा हूं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें ताकि एक्सपर्ट्स लोग आपको सुझाव दे सकें। कई सारे लोग इसमें शामिल हो सकें और अपनी बात को कह सकें। और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करने के बाद आप भी इस बात को समझ सकें क्योंकि आप भी बिलकुल जल्दी–जल्दी में ला रहे हैं, भागमभाग में ला रहे हैं। आज तो आप बिल पेश कर रहे हैं और एक अप्रैल से इसको लागू करेंगे। अब एक अप्रैल से लागू करेंगे तो गांव का व्यक्ति या छोटा दुकानदार, जिनमें कई लोग तो ऐसे हैं, दुकान चलाते हैं, वे तो बिलकुल ऐसे हैं कि उनको जानकारी नहीं हो पायेगी और उसके कारण से बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बिल को आप जनमत जानने हेतु परिचालित करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगन्नाथ। (अनुपस्थित) श्री कनकमल कटारा। (अनुपस्थित) श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 पेश किया गया है। सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में इस बिल को पेश किया है। एक तरफ तो रोज सरकार अखबारों में कहती है कि इस वैट प्रणाली को लागू करने से हमको 400–500 करोड़ का सालाना घाटा रहेगा और दूसरी तरफ पूरे राजस्थान का व्यापारी इस बात को लेकर चिन्तित है कि यह कहां एक स्टेज पर टैक्स लगाएंगे या कहां–कहां लगेगा उसको लेकर पूरा व्यापारी चिन्तित है तो इसको लागू करने से पहले हमको इसको जनमत जानने के लिए पहले इसका प्रचार–प्रसार करके सब

(श्री धर्मपाल चौधरी)

लोगों को और फिर लागू करने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की अपनी जिद है और एक अप्रैल से लागू करने की बात कर रही है। सैक्शन 60 में सिक्योरिटी पर नहीं देने पर पैनल्टी 2000 और 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, सैक्शन 61 में नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब 25000 रुपये और 25000 की एन.एस.सी. खरीदनी पड़ेगी। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वह कहां से यह पचास पचास हजार रुपये लेकर आएंगे? एक तरफ तो सरकार कहने लग रही है कि हम, जो बेरोजगार वैसे है तो छोटा–छोटा जो व्यापार करता है, उसका व्यापार खोलने की बात करती है और दूसरी तरफ इस वैट प्रणाली को लागू करके सरकार क्या चाहती है? इसलिए बाकी सब बातों पर विस्तृत चर्चा मैं आपसे नहीं, सभी सैक्शन के बारे में राजेन्द्रजी और सबने कहा, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसको जल्दबाजी में लागू नहीं करके पहले इसको जनमत जानने के लिए, प्रचार के लिए भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, वैट के बारे में अभी जो चर्चा चल रही है इस मामले में गांव का आदमी समझ नहीं पा रहा है। वैट का मतलब कोई तो तराजू से तौलने से लेता है कि कोई चीज तराजू से तौलने के बाद उस पर टैक्स लगेगा। कोई क्या समझ रहा है। दूसरी बात मेरा निवेदन करना यह है कि यह छोटे शहरों पर लगाया नहीं जाए। वैट अगर लगाये भी तो कम से कम पचास हजार की जनसंख्या के ऊपर वाले शहरों पर लगाये या कस्बों में लगायें ताकि वह जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे–छोटे गांवों में जो दुकानदारी करते हैं, परचूनी की दुकान, पान की दुकान लगाकर अपना आज की तारीख में तो पानवाला भी दो लाख रुपये साल का व्यापार कर लेता है, अब वह पूरे हिसाब रखेगा? इससे एक इंस्पैक्टर राज बढ़ेगा। दूसरा, जो एक सुझाव मेरा और है, यह 25 हजार रुपये की गारंटी वाला जो सिस्टम इसमें वैट में लगाया है या तो 25 हजार की गारंटी दे या किसी दूसरे व्यापारी से दिलवाये, इसमें मेरा निवेदन करना यही है कि इसमें निश्चित रूप से घपला होगा। मान लीजिए, मैंने 25 हजार की गारंटी दे दी और टैक्स ले.लेकर पांच लाख रुपये के बिल काट दिये तो मुझे कहां से पकड़ोगे आप? क्या कर लेंगे मेरा? तो इसमें कई तरह की खामियां हैं। इसलिए इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम (पचपदरा) (अनुपस्थित)। श्री सांवर लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब सुनो प्रोफेसर हैं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : प्रोफेसर है, कानून पूरा पढ़ा ही नहीं हमने।

माननीय सभापति महोदय, काफी वर्षों से इस वैट की चर्चा हो रही हैं और सरकार ने इस बार फैसला किया एक अप्रैल से वैट लागू करने का। माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल है, इसमें इतने सैक्शंस हैं कि किस सैक्शन का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज की जानकारी मेरे खयाल से सारे सदस्यों को भी नहीं है। और कोई भी कानून इस विधान सभा में पास किया जाए, उस कानून को अगर माननीय सदस्य सारे नहीं समझे कि किस की पैनल्टी का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस के ऊपर टैक्स लग रहा है और किस पर नहीं लग रहा है तो इससे ज्यादा इस जनता के साथ अन्याय नहीं हो सकता। मंत्री महोदय, यह लिखना और लागू करना तो बड़ा आसान है पर आज आप यह नहीं कह सकते कि इससे राजस्थान को जो सेल्स टैक्स पहले देते थे, इसके अलावा कौन–कौन से लोग प्रभावित होंगे? और आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है 25 हजार रुपया, पचास हजार रुपया, यह 25 हजार रुपये चाहे सिक्योरिटी के रूप में दे, चाहे किसी भी रूप में दे, आज एक छोटे से व्यापारी के लिए सम्भव नहीं है। आज आपने कह दिया कि दो लाख रुपये का ट्रांजेक्शन होगा, टर्न–ओवर होगा उसको सेल्स टैक्स के दायरे में मान लिया। आज जो चाय की होटल चलाता है वहां पर भी दो लाख की सेल हो जाएगी तो आपकी मंशा क्या है कि प्रत्येक कप जो चाय पीता है उसका बिल काटना पड़ेगा? आपने सबसे ज्यादा इसके अन्दर प्रावधान रखा है– Levy of tax on live-stock. मेरे खयाल से जानवरों के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स नहीं लगा। इस रूप में तो नहीं है जिस रूप में आप ला रहे हैं। और वह एक फिक्स पचास रुपये, सौ रुपये का टैक्स होगा और आपने इसमें जो प्रावधान किया है इससे तो बहुत ज्यादा भार पड़ेगा और कम से कम पांच सौ रुपये तो एक यह किसान के लिए बड़ा, क्योंकि जो बेचेगा उससे भी आप वसूल करेंगे।

"(1) Notwithstanding anything contained in sections 3, 4 and 6, tax on the sale or purchase of live-stock at such rate not exceeding ten percent of..." अब दस परसेंट आप लगाएंगे तो कितना टैक्स होगा क्योंकि वैल्यू-एडेड टैक्स में आप बेचने वालों से भी लेंगे। जो किसान अपना जानवर बेचेगा मेले के अन्दर, उससे भी वसूल करेंगे, फिर वह व्यापारी...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, सांवर लालजी, एक मदनजी दिलावर कह रहे हैं कि हमारा तो पुश्तैनी धंधा ही खतम हो जाएगा। एक बकरा-बकरी काटने का धंधा करता है, पांच सौ रुपये आपने अगर टैक्स लगा दिया तो बकरा-बकरी कितने महंगे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे।

श्री सभापति : वह स्वयं बोल रहे थे तब क्यों नहीं कही यह बात? आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हो? आप बोलने दीजिए इनको।

श्री सांवर लाल : वह क्या है, वह तो बाद में याद आती है तब बोल देते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी मत करो। अप्रैल की जगह मई, जून में हो जाए तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। आपका सेल्स टैक्स सिस्टम वसूल करने का जो स्ट्रक्चर है, आपके पास कानून है। इस कानून को आप इतनी जल्दी लागू कर रहे हैं और अगली बार आपको नवम्बर में चुनाव फेस करना है। आप खुद सोच लेना कि किस-किस को आप प्रभावित करते हो और फिर चुनावों के अन्दर कौन कौन आपकी रड़क निकालने के लिए तैयार हो जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपनी चिन्ता करो न।

श्री सांवर लाल : हमको तो गरीबों की चिन्ता हो रही है, हमें तो यह हो रही है। हम एक किसान को हमदर्द कहते हैं, किसान को कभी छोड़ा नहीं और इस बिल में भी जो सेल्स टैक्स जो मैं पढ़ रहा हूं-" ...not exceeding ten percent of the sale or purchase price..." अब 10 परसेंट तो आप बेचने वाले से वसूल करेंगे क्योंकि वह मालिक है उस माल का। फिर उसके बाद में जो अगला बेचेगा, पहले वसूल किया हुआ घटाकर उससे वसूल करेंगे, यह सिस्टम है वेल्यू एडेड कंसेप्ट भी मेरे खयाल से, कई माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि क्या वेल्यू एडेड है? किस-किस को जोड़ते जाएंगे? किस प्रकार आप टैक्स वसूल करोगे? तो मेरा मंत्री महोदय, यह निवेदन है कि यह जानवरों का जो लेन-देन का मामला है, इस पर तो आप विचार करिये और कम से कम किसानों को तो इससे बचाइये और दूसरा जो नगरपालिका क्षेत्र है, वहां तक तो आप लागू करे तो ठीक है। अब गांव में कोई बीड़ी-माचिस, सिगरेट बेच रहा है और आपके इंस्पैक्टर जा-जाकर इनको परेशान करेंगे कि आप खाते बताइये कि आपका इतना ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ तो उनके लिए भी यह बुकिंग सिस्टम आप बिलकुल जरूरी कर देंगे तो एक बहुत बड़ी चिन्ता हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के अन्दर और ढाणियों के अन्दर, आदिवासी एरिया में जो छिट-फुट जरूरत की जो सामग्री रखते हैं व्यापारी, कोई आया बीड़ी

(श्री सांवर लाल)

ले गया, माचिस ले गया, शक्कर ले गया, गुड़ ले गया, उनका पता ही नहीं कितना धन्धा होता है और इस आड़ के अन्दर आपके सेल्स टैक्स के जो कर्मचारी व अधिकारी हैं, उनको पावर मिल जाएगा और वह उनको मजबूर करेंगे कि आप हिसाब–किताब रखिये, नहीं तो आपके ऊपर पैनल्टी की जाएगी। परेशान करने का माहौल बढ़ेगा तो यह एक चिन्ता की बात है। सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिये। आपने लिखा है सैक्शन 6 में "The assessing authority may, by order in writing, forfeit the whole or any part of the security furnised by a dealer-(a) for realising any amount of tax, penalty, interest, erroneously availed input tax credit or any other sum payable by him under this Act; or

(b) for any loss caused to the Government by negligence or wilful default on his part in ensuring the safe custody or proper use of the books of accounts or any other documents required to be maintained under this Act and the rules made there under." अब मेरा निवेदन यह है कि क्या आप इसको लागू करोगे गांव में हर प्रकार का व्यवहार करने के लिये अगर कोई कहेगा कि मेरी सेल साल की एक लाख रुपये है तो आपका सेल्स टैक्स इंस्पैक्टर मानेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि सारी बुक–कीपिंग का रिकार्ड रखना उसकी बाध्यता हो जाएगी। अब कई अनपढ़ लोग लेन–देन का धंधा करता है तो उसको एक अकाउंटेंट और रखना पड़ेगा कि शाम को आओ और मेरा हिसाब–किताब जोड़ कर ले जा और महीने के एक–दो हजार रुपये की तनखाह उसको और देना पड़ेगा। मंत्री महोदय, इसका दायरा आप घटाइये। या तो आप केवल म्युनिसिपल एरिया में रखिये, रूरल एरिये में जो छोटे–छोटे दुकानदार हैं, उनको आप एग्जम्पट करिये। आपने यह सारे पावर्स दे दिये कमिश्नर को "62. Penalty for not furnishing statistics.-Where any person or a dealer, has without reasonable cause failed to furnish within the time allowed, statistics or othetr information required to be furnised in pursuance of any direction given by any officer or authority appointed or constituted under this Act, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by

(श्री सांवर लाल)

the Commissioner, may direct that such person or dealer shall pay by way of penalty, a sum of rupees one thousand." अब 100 रुपये किस बात का लेंगे माननीय मंत्री महोदय? अब हर जगह आप रिकार्ड जरूरी कर दोगे तो मेरा निवेदन यह है कि यह परचून दुकान वाले कहां पर रिकार्ड रखेंगे, कहां फर्निश करेंगे? जब तक इसको आप स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे तब तक यह जो छोटे–छोटे फुटकर लोग हैं, जो केवल सर्विस का काम करते हैं, लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, वह भी इसी चपेट में आ जाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आये हैं न वह "सबको पढ़ाओ" तो पहले पढ़ लेंगे वह।

श्री सांवर लाल : सबको पढ़ाओ। मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदय, कि जनता के लिये आप कानून बनाने जा रहे हैं तो जनता समझे न समझे पर उसके जनप्रतिनिधियों को तो पूरी जानकारी हो जाये। उसके बाद ही आप इसको विधान सभा में पारित करवाएं और इसको एक बार जनमत जानने के लिये भिजवाएं, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, जो कानून आज हम बनाने जा रहे हैं यह कोई आज का नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर और सब सैक्शंस में इस पर काफी डिस्कशन हो चुका है और जैसा माननीय मंत्रीजी ने मेमोरेण्डम आपने दिया है, मैं उसकी दो लाइन पढ़ दूं Statement of objects and Reasons. आपने इसमें कहा है कि "A national consensus has been arrived at to replace the persent Sales Tax Act under the guidance of Government of India by Value Added Tax system." और इसलिए हम राजस्थान में इसको ला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय मंत्रीजी ने इसको विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा और हमेशा अधिकतर होता है, क्योंकि यह बिलकुल ही नये तरीके से और एक नया शौक पूरे देश में आ रहा है। अलग–अलग प्रान्तों में इसमें आपस में सहमति जाहिर की है तो नेशनल कंसेंसस क्या बना था, सैंट्रल गवर्नमेंट की क्या गाइडेंस है, यदि इस पर माननीय मंत्री महोदय शुरू में प्रकाश डाल देते तो यहां यह जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें काफी सहूलियत हमको मिलती। अब भी मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, कि नेशनल कंसेंसस क्या बनी थी, स्टेट्स में आपस में क्या हुआ है, किन–किन स्टेट्स ने इसको मान लिया

(श्री शिवनाथ सिंह)

है और क्या सैंट्रल गवर्नमेंट का जो सेल्स टैक्स एक्ट है, उसको भी सैंट्रल गवर्नमेंट ने इस विचारधारा के साथ में लाने की चेष्टा कर रही है? यह कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिन पर सदन को जानकारी मिलनी चाहिये।

माननीय सभापतिजी, बहुत-सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं मंत्री महोदय के विचारार्थ, आज समय नहीं है हालांकि इसको अमेण्ड करने का, लेकिन वह समझे तो अमेंडमेंट पेश भी हो सकते हैं। माननीय सभापतिजी, वेल्यू एडेड टैक्स सिस्टम लगाने जा रहे हैं लेकिन यह जो बिल है इसमें उन परपज को जो वेल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम जो एक अवधारणा है। यह आपका क्लाज-6 है, वह इसको डिफिट कर देता है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है कि किन्हीं मामलों में वह, मैं पढ़ता हूं इस लाइन को "...the State Government may fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain goods or a class of goods in respect of a specified area or whole of the State, on the basis of weight, volume, measurement or unit" यह इसमें एक ऐसा क्लाज है कि जो इस पूरी अवधारणा है, उसको खतम कर देता है। इसमें स्टेटमेंट गवर्नमेंट की मर्जी है कि किन चीजों को इससे अलग निकाले लेकिन प्योरली वेल्यू एडेड सिस्टम हम करना चाहते हैं वह तो परपज इससे सर्व होता नहीं। और गवर्नमेंट का यह जो क्लाज है वह गवर्नमेंट को बहुत पावर्स देता है कि नेशनल कंसेंसस को भी हम रिफ्यूज कर सकते हैं।

माननीय सभापतिजी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे लाइव-स्टाक पर। आज भी मेलों में स्टेट के बाहर लाइव स्टाक जाता है, उस पर टैक्स लिया जाता है लेकिन यह जो आपके प्रोविजंस इसमें रखे गये हैं वह मेरे खयाल से बहुत ही खतरनाक हैं। मैं पढ़ देता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : सैक्शन बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह : क्लाज-7, सैक्शन नहीं है। क्लाज 7 है "(1) Notwithstanding anything contained in sections 3, 4 and 6, tax on the sale or purchase of live-stock at such rate not exceeding ten percent of the sale or purchase price, as the case may be, of such live-stock and at such point of sale or purchase, as may be notified by the State Government, shall be payable by every person, who sells or purchases live-stock..."

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापतिजी, इस बिल का पूरा मकसद यह है कि जो ट्रेडर है, जो बिजनसमैन है, उस पर हमने टैक्स लगाने की बात कही है। लेकिन यहां इस क्लाज में जो भी लाइव-स्टाक का परचेज करता है, मैं अपनी गाय आपको बेचता हूं, इनका ऊंट मैं खरीदता हूं तो पर्सन, यहां उन्होंने डिफाइन किया है, ट्रेडर नहीं किया है, डीलर नहीं किया है। पर्सन का मतलब है एक इंडिवजुअल, जो अपना बैल, ऊंट किसी को भी प्राइवेटली बेचता है, मेलों में नहीं जाता। मेले में जाएगा टैक्स लगेगा। स्टेट के बाहर भेजेगा, व्यापारी भेजेगा टैक्स लगेगा, लेकिन आपस में जो खरीद-फरोख्त होता है उस पर यह टैक्स इम्पोज होगा और यहां यदि आप डीलर कहते लेकिन "एवरी पर्सन" और फिर आपने किन पाइंट्स पर यह दिया जाएगा, किन पाइंट्स पर यह टैक्स, वह काश्तकार या जो लाइव स्टाक को रखने वाला है, वह पे करेगा, यह इसमें साफ नहीं है। आपने डेलिगेटेड लेजिस्लेशन माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दीजिये कि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन के पावर्स आपने लिये हैं, उसमें वह जो आपने पाइंट्स रखने का पावर आपके पास फलां-फलां पाइट्स पर होगा, उसमें आपने इस शिड्यूल में इस क्लाज-6 को नहीं रखा है। 4(1) में है-"the points in the series of sales by successive dealers at which tax shall be levied." लेकिन इसमें जो क्लाज 7 है उसमें किस पाइंट पर आप निर्धारित करेंगे इसका डेलिगेटेड पावर्स में आपने नहीं लिया है। इसलिए वह पाइट्स आप डिसाइड नहीं करा पाओगे। फिर उस आदमी, इंडिविजुअल की कठिनाई को आप देखिये कि उसको कितनी हार्डशिप होगी। डिपार्टमेंट आपका है, आप कंल्सल्ट कर लीजिये लेकिन इसमें आप देख लीजिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सामने आज जो प्रजेंट शेष में यह बिल है उसमें यह कठिनाई काश्तकार को, ऊंट, बैल, भेड़ और बकरी खरीदने वाले को, बेचने वाले को और जो गांवों में करते हैं उनके ऊपर यह लागू होगा, उनको बहुत बड़ी हार्डशिप होगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

इसके बाद, माननीय मंत्री महोदय, आपका क्लाज देखिये री-ओपनिंग आफ एक्स-पार्टी असेसमेंट, यह क्लोज है 34. री-ओपनिंग का अधिकार है सब को, होना चाहिए। जिसका एक्स-पार्टी असेसमेंट हो गया है उस पार्टी को यदि वह आपको अप्रोच करती है कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया था, एक्स-पार्टी हो गया तो मेरे केस को री-ओपन किया जाए। ठीक बात है। लेकिन आपने दिया है- "...the Commissioner, as the case may be, to cancel the assessment

(श्री शिवनाथ सिंह)

and proceed to make a fresh assessment..." सभापति महोदय, असेसमेंट हो गया, उसकी रिकवरी की प्रोसिडिंग चल गयी, रिकवरी में आपने कुछ स्टैप्स ले लिये और वह स्टैप्स रिकवरी के लिए लिये हैं। लेकिन कमिश्नर ने री-ओपन करते वक्त पुराने असेसमेंट को कम्पलीटली कैंसिल कर देगा। इसका मतलब आपने जो रिकवरी के लिए अब तक स्टैप्स लिये थे वह सब स्टैप्स खतम हो जायेंगे और नये तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहां मेरा निवेदन यह है कि इसमें कैंसिल की जाए, उस असेसमेंट को वह अमेंड कर दे ताकि जो स्टैप्स आपने अब तक ले लिये हैं वह जिंदा रह जाएं। यदि आप उस असेसमेंट को कैंसिल कर देते हैं तो जितने भी रिकवरी के स्टैप्स लिये हैं सब कैंसिल हो जायेंगे और फिर नये सिरे से सब कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह मेरा क्लाज 34 में निवेदन है। "35. Stay of proceedings.-No civil court or any other authority..." उसमें स्टे नहीं करेगा। ठीक बात है लेकिन आज भी है। बहुत से टैक्सेज के लॉ में यदि टैक्स लाइबिलिटी जो हो गई उसका कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा कितना भी वह जमा करा दे तो फिर उसका स्टे हो सकता है। आज भी मेरे खयाल से सेल्स टैक्स के प्रोविजंस में ऐसा है। तो इसको कम्पलीटली वह कोर्ट जो सोचे, वह नहीं करे यह मेरे खयाल से हार्डशिप होगी और इसको भी आप दिखला लीजिये।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं क्लाज 51 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ऐसे मामले हमारे सामने बहुत आते हैं-Power to Reduce or waive interest and penalty in certain cases.

मैं इसकी चार-पांच लाइन पढ़ना चाहता हूं। यह ऐसा करप्शन का रास्ता है जिसको हम रोकना चाहते हैं। आज भी प्रोविजंस हैं...

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Commissioner may, on an application made in this behalf by a dealer and after having got conducted such enquiry as he deems necessary and after recording his reasons in writing for so doing, reduce or waive, the amount of interest or penalty or both payable by such dealer under this Act, if he is satisfied..." यह है। तो कमिश्नर को आपने यह पावर्स दे दिये हैं कि जो असेसमेंट हो गया, उस पर इंटेरस्ट लग गया और वह पार्टी जाए तो कमिश्नर को यह बिलकुल खुली छूट दे दी कि इसकी पूरी भी माफ कर

(श्री शिवनाथ सिंह)

सकता है, असेसमेंट अमाउंट भी कर सकता है और इंटेरस्ट भी कर सकता है।

सभापति महोदय, कुछ केसेज ऐसे सामने आये हैं और हमने भी उनको देखा है, पीड़ा होती है। एक कलम से और जो अथोरिटी है उसने कि, तुम्हारा सब असेसमेंट भी माफ किया जाता है, इंटेरस्ट भी माफ किया जाता है और पैनल्टी भी माफ की जाती है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह करप्शन का बहुत बड़ा रास्ता आप खोल रहे हो। इतनी छूट मिलनी नहीं चाहिए। इसके बाद में है क्लाज 52–पावर टू–राइट ऑफ डिमांड 10 साल तक जिसका एरियर रह जाता है उसको आप राइट आफ कर देते हो। यह पावर्स क्लाज 52 में दी गयी है। माननीय सुराना साहब भी जानते हैं कि कोर्ट की डिक्री होती है वह भी 12 साल के बाद मरती है। कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी और 12 साल के अन्दर उसका सैटिस्फेक्शन नहीं होता है तो 12 साल के बाद में मरती है। यहां 10 साल के अन्दर आपने उसको बेव करने का, राइट आफ करने का अधिकार दे दिया। होता क्या है, सभापति महोदय, यह जो असेसिंग अथोरिटी नीचे वाली है वह मिलजुल कर, असेसी से मिलती है, रिकवरी नहीं करती है और रिकवरी नहीं करके यह 10 साल का पीरियड निकालना बड़ा आसान है। कोई कितना ही बड़ा उसके सामने असेसमेंट हो लेकिन दस साल के पीरियड के बाद वह बरी हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, आप देखिये, अपने विभाग के रिकार्ड को देखा होगा कि कितने–कितने लम्बे समय से यह रिकवरी नहीं हो रही है। वह किस कारण से नहीं हो रही है? इसलिए कि विभाग के कर्मचारी/अधिकारी असेसी से मिल कर यह धंधा कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि यह राइट आफ का पावर इस एक्ट से हटा दीजिये। राइट आफ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब भी उसके पास वसूली करने लायक कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा और जब भी कभी कमायेगा उस वक्त मिल जायेगा। लेकिन 10 साल के बाद, 10 साल में उसकी डिमांड को आप रिकवर नहीं कर पाते हो और फिर राइट आफ कर देते हो। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा रास्ता है अधिकारियों से मिल कर और यह व्यवहारी इसका फ़ायदा उठाने के लिए, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत ही खोटा क्लोज है, इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरे क्लाजेज बहुत हैं, उन पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं एक निवेदन करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि सेल्स टैक्स के मामले में इतने हमारे एरियर्स हैं, बहुत लम्बे समय से एरियर्स चले आ रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट एरियर्स का है उसकी रिकवरी क्यों नहीं होती है? हम एक जो बिलकुल ही नया कानून बनाने जा रहे हैं, जिस अधिकारी की डिमांड को रिकवर करने की जिसकी ड्यूटी है वह अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है तो इसमें कोई न कोई प्रोविजन उसके भी पैनल होना चाहिए। उनका काम क्या है, वसूली करना। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें वर्षों तक डिमांड ही कायम नहीं होती है और डिमांड होने के बाद में आज नोटिस सर्व नहीं हुआ, आज पोस्टकार्ड नहीं दिया गया, हमारे पास डाक के पैसे नहीं हैं इस बहाने से यह रिकवरी वाला मामला पड़ा रहता है। इसलिए इस क्लाज में, इस बिल में आप यह भी व्यवस्था कीजिये जिससे जिन अधिकारियों की ड्यूटी है वह अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं और खास तौर से रिकवरी के मामले में, उनके लिए भी कोई न कोई पीनल प्रोविजन इसमें रखना चाहिए। आज हो क्या रहा है, करोड़ों रुपया हमारा सेल्स टैक्स का और दूसरे विभागों का बकाया पड़ा है। क्यों पड़ा है? इसलिए कि न तो उसकी मानीटरिंग होती है। जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर और स्टेट लेवल पर बैठते हैं, देखते हैं उनको मानीटरिंग करनी चाहिए और जो मानीटरिंग नहीं करते हैं इसी कारण से हमारे इतने एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को भी आपको देखना चाहिए। और जो अधिकारी इसका जिम्मेवार है उसको हमें जिम्मेवार ठहरा कर कोई कार्यवाही करनी चाहिए इस प्रकार के प्रोविजंस भी आप इस बिल में रखे तो अच्छा होगा। इससे आपकी वसूली होगी वरना जो मामला हमेशा चलता आ रहा है वही चलता रहेगा और नये बिल को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इस बिल में और पुराने जो एक कानून है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि समय कम है, हालांकि हमारी सब की आशंका है कि एक अप्रैल से इस कानून को आप लागू नहीं कर सकते हैं। कानून लागू हो नहीं सकता। फिर भी आपको जल्दी है तो कीजिए लेकिन ये कुछ सुझाव हैं, छोटी–छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, मेरा यह अमेंडमेंट है इसमें आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए वरना आइन्दा कभी मौका आये तो पेश कर दीजिए। (धन्यवाद)।

(15.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, अभी सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की है। मैं बहुत अभारी हूं कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, उनके बाद चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने और अनके माननीय सदस्यों ने, और फिर अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी ने एक अलग दृष्टिकोण से कुछ काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें इस सदन के समक्ष रखीं।

कहा जा रहा है कि इस विधेयक को इसलिए लाया जा रहा है कि इस पर करीब-करीब राष्ट्रीय सहमति हो गयी है। इस बिल में जिसको हम विक्रय कर कहते थे उसको एक अप्रैल से मूल्य परिवर्द्धन कहा जाए। अब मूल्य परिवर्द्धन जो कहा जाए, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मूल्य परिवर्तन कर अधिनियम तो हमने पेश किया पर मूल्य परिवर्द्धन की परिभाषा कहीं एक्ट में नहीं है कि मूल्य परिवर्द्धन में क्या होगा। हमने वैट इनवाइस शब्द का उपयोग किया। उसकी परिभाषा दे दी कि वैट इनवाइस होगा। वेल्यू एडेड टैक्स इनवाइस अंग्रेजी में जो शब्द वेल्यू एडेड टैक्स शब्द है उसको शार्ट कर लिया। वैट और उसका इनवाइस और उसके आधार पर सारी भित्ती इस कानून की खड़ी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर तो इसका कोई उद्देश्य होगा न? टैक्स बेस को बढ़ाना है। टैक्स का बेस बढ़ाना है, यदि एक उद्देश्य यह है तो क्या हमारे पूर्व कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिससे उसकी पूर्ति हो सकती?

आज 95 प्रतिशत वस्तुओं पर फर्स्ट पाइंट टैक्स है। सरकारी मंशा यही हो कि पहले पाइंट पर टैक्स हो, उसके बाद दूसरे पाइंट पर, उसके बाद तीसरे पाइंट पर और चौथे पर भी हो तो यह प्रावधान भी अपने पुराने एक्ट में है। मंत्री महोदय, उसके सैक्शन 12 को जरा गौर फरमाये, इसी तरह का प्रावधान है, "Levy or tax at all points;-Notwithstanding anything contaoned in Section 4, the State Government may in respect of any class of goods which may be notified in the official Gazette in this behalf, direct that the tax under this Act shall be payable on the turn over in respect of such class of goods at his points of sale by every dealer with such terms and conditions and at such rates as may be specified in the notification." तो हम तो पहले से ही अधिकृत थे कि एक पाइंट पर टैक्स नहीं,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप अनेक पाइंटस पर टैक्स ले लें और उसको गजट नोटिफिकेशन कर दें। 1954 से कानून बना हुआ है और 1994 में संशोधन हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुल कर राजस्व का 50 प्रतिशत से ज्यादा पिछले आठ दस सालों से बढ़ रहा है पर हम 50 प्रतिशत से ज्यादा सेल्स टैक्स के माध्यम से वसूल कर रहे हैं। यदि हमारी आमदनी कुल कर राजस्व की इस वर्ष 6481 करोड़ है 2002–2003 की तो अकेले सेल्स टैक्स से 3500 करोड़ रुपये आ रहा है और गत वर्ष 2001–2002 में कुल राजस्व यदि 5759 करोड़ था तो 3069 करोड़ की आमदनी एकमात्र विक्रय कर से थी। तो विक्रय कर के बेस को यदि हमें एक्सटेंड करना है और वेल्यू हैड हर पाइंट पर कर नहीं, कि पहला व्यापारी बेचेगा, फिर सैकण्ड बेचेगा और फिर थर्ड बेचेगा फिर चौथा बेचेगा और अल्टीमेटली कंजूमर के पास जाएगा। और हम कह रहे हैं कि पिछला जो टैक्स दे दिया, सौ रुपये का माल खरीदा और सौ रुपये टेक्स दे दिया और फिर व्यापारी ने 120 रुपये में बेचा तो उसको बीस रुपये पर ही एडिशनल लायबिलिटी होगी। फिर उसने 130 में बेचा तो उसको दस रुपये की एडिशनल लायबिलिटी होगी। आप यही तो वेल्यू एडेड का कंसेप्ट बताना चाहते हैं और यही वेल्यू एडेड का कंसेप्ट अखबारों में बहुत जोर से आया है कि हर पाइंट पर जितना मूल्य संवर्द्धन हो जाएगा प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो मूल्य में बढ़ोतरी है उसी पर हम टैक्स लेना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सैट आफ है, अपन देने को तैयार हैं पर सैट आफ लेने वाले के पास भी एक छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके पास मुनीम चाहिए, कागज चाहिए, जो माल बेचा, खरीदा और कितने में खरीदा वह हिसाब बताये। आपको फिर 120 में बेचा और हर तिमाही का आपको हिसाब दे कि इतना तो मैंने कर चुकाया और इतना सैट आफ मुझे लेना है और क्योंकि मैंने इतने में बेचा है, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी छोटे और बड़े व्यापारों के लिए यह सम्भव नहीं है। हम परेशानी पैदा करेंगे छोटे व्यापारियों की। माननीय दिलावरजी ने सही कहा कि हम छोटे व्यापारियों के लिए अनेक परेशानियां पैदा करेंगे। वह चाय वाला जो जौहरी बाजार में चाय बनाता है, काफी बनाता है, क्या उससे उम्मीद करते हैं कि वह कोई इनवाइस जारी करेगा? एक सब्जी वाला जिसकी दुकान पर बीस आदमी खड़े हैं, इसको तौलकर माल दिया और उसको तौल कर माल दिया और पैसे लिये और जिसको पैसे लेने की भी फुरसत नहीं है, क्या अपन यह चाहते हैं कि वह मुनीम रखे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

और एक-एक एंट्री फल वाले और सब्जी वाले की दुकान पर होगी? मुझे मालूम है, आप कह देंगे कोई ट्रेडर्स, कोई व्यापार, कोई काम हम उनको एक्जम्प्ट करते हैं, एक्जम्पशन का रखा हुआ है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस टैक्स बेस में, इस नये सिस्टम में जो परेशानियां हैं माननीय वित्त मंत्रीजी, सिर्फ आप कानून नहीं लाये, आप नये प्रावधान भी लाये, विक्रय कर से कोई परेशानी नहीं है। विक्रय कर तो राजस्थान का व्यापारी सन् 1954 से दे रहा है। 48 साल हो गये उसको देते हुए पर आप जो हर पाइंट पर टैक्स लगाना चाहते हैं परेशानी का मुद्दा वह है। माननीय वित्त मंत्रीजी, मेरा सुझाव तो यही है न कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए? आप एक अप्रैल से लागू करें। आज 11 तारीख हुई है। आप इसको दस दिन के लिए, दो हफ्ते के लिए एक प्रवर समिति को सुपुर्द करिए। मैं आपको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के अनेक कारण बताऊंगा कि इस बिल की छनाई यदि प्रवर समिति में नहीं की, जिसमें हां पक्ष के भी जितनी सदन की शक्ति है, वह भी होंगे और विपक्ष के भी होंगे, इसकी छनाई होनी बहुत जरूरी है प्रवर समिति में।

मंत्री महोदय, आपने अभी जो डीलर की डेफिनेशन दी है आप उस डेफिनेशन को देखें। सैक्शन 2(11) सब क्लाज 7 को जरा गौर फरमायें। आप इस कानून के बहाने विक्रय कर के रेडियम को चार गुना फैलाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि सिर्फ यह कहने से कि राष्ट्रीय सहमति हो गयी, उसको चार गुना फैलाने का कोई अधिकार आपको नहीं मिलता। सैक्शन 2(11) में आपने डीलर को डिफाइन किया कि डीलर कौन होगा। मैं अंग्रेजी वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं, पेज 83 पर।

माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे कि एक आदमी ने गाय बेच दी और भैंस खरीद ली। अब वह उसका टैक्स कहां जमा करवायेगा। मैं माननीय शिवनाथ सिंहजी से कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जो गांव में बैठा हुआ है, बेच रहा है, खरीद रहा है अपनी कृषि की आवश्यकताओं के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, वह माननीय मंत्रीजी के केजुअल ट्रेडर में आ जाएगा, ट्रेडर की परिभाषा में सम्मिलित हो जाएगा। (व्यवधान) मैं तो चाहता हूं कि कानून वह व्याख्या कर दे जो आप चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप वाली बात इतनी स्पष्ट हो और कानून सम्मत तरीके से लिखी जाय कि जिसमें उस गरीब, उस पशुपालक को, पशु विक्रेता को कोई टैक्स देना न पड़े। पर मैं अभी आपको दूसरी धारा बताऊंगा कि जिसमें उसको टैक्स अपने आप जाकर असिस्टैंट कमिश्नर के यहां जमा कराना पड़ेगा। मैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अभी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कैजुअल ट्रेंडर्स की परिभाषा पर। कैजुअल ट्रेडर्स की परिभाषा भी दी हुई है। वह भी दे रखी है आपने, "Casual trader means a person who, whether as principal, agent or in any other capacity, has occasional transactions of a business nature involving buying, selling, supplying or distributing of such goods as may be notified by the State Government whether for cash or deferred payment or for Government whether for cash or deferred payment or for commission or remuneration or other valuable consideration." या तो माननीय मंत्रीजी कह दें कि पशुओं की रूटीन खरीद और फरोख्त पर हम उसको टोटली एग्जम्पट रखेंगे। आज के विक्रय कर में भी आपने एग्जम्पट नहीं रख छोड़ा है। उस पर टैक्स फिक्सड है कि पशुओं की बिक्री पर, गाय की बिक्री पर क्या है, दूसरे पर क्या है, 100 है, किसी पर 150 है, किसी पर 50 है, वह फिक्स है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैजुअल ट्रेडर्स की परिभाषा जो आपने दी है इस तरह के हजारों-लाखों सौदे जो पशुओं के खरीद विक्रय के होते हैं, आपको उस खरीद विक्रय को इस कानून की परिधि से निश्चित रूप से बाहर रखना चाहिए और स्पष्ट ऐसा ग्लेरिंग स्पीकिंग कानून होना चाहिए कि जिसमें वह किसी भी तरीके से न आए। अब आप देखें क्लाज-7 को, माननीय वित्त मंत्रीजी, "Any trading, commercial or financial establishment including a bank, an insurance company, a transport company and the like which, whether or not in the cousre of its business buys, sells supplies or distributes goods, directly or otherwise, wheter for cash or deferred payment, commission remuneration or other valuable consideration." माननीय मंत्रीजी, एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी भी आपके दायरे में आ गयी, डीलर की परिभाषा में आ गयी क्योंकि वह जो माल पहुंचा रहा है वह भी तो किसी कंसीडरेशन से पहुंचा रहा है। आज तक तो वह डीलर नहीं था। और बैंक भी आ गयी और इंश्योरेंस कम्पनी भी आ गयी आपकी परिभाषा में। क्यों, किस कारण से, किस खुशी में, किस उद्देश्य से, आप क्या लेना चाहते हैं बैंक से एज ए डीलर मैं जानना चाहूंगा, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक कि आप बैंक से, इंश्योरेंस कम्पनी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं उनको डीलर बनाकर। बैंक और इंश्योरेंस कम्पनियों को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान में प्रोत्साहन देने की जरूरत है न कि उनको निरुत्साहित करने की जरूरत है कि राजस्थान में कानून ऐसा बना दिया कि they come in the definition of dealers. और डीलर की डेफिनेशन में आए और आप जूनियर ए.सी.टी.ओ. और सी.टी.ओ. की परिधि में आए। बड़े से बड़े बैंक को एक सी.टी.ओ. का नोटिस चला गया और बैंक परेशान हो जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर आप बैंक से प्राप्त करना क्या चाहते हैं, मुझे यह तो समझाएं। इंश्योरेंस कम्पनी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट कम्पनी से तो हो सकता है कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, राजस्व प्राप्त करना चाहता है इसलिए ट्रांसपोर्ट कम्पनी को भी डीलर क्यों बनाया। स्पष्ट तौर से वह कोई खरीद विक्रय नहीं करते। वह एक सर्विस करते हैं। ट्रांसपोर्टर एक सर्विस हो सकती है ट्रांसपोर्ट की लेकिन वह किसी भी तरीके से आप, सब तरह की सर्विसेज को, इंश्योरेंस भी सर्विस है। आप सर्विस सैक्टर को भी यदि डीलर की डेफिनेशन में ले. लेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अनेक परेशानियां पैदा होंगी। अब माननीय मंत्रीजी इस बात पर भी गौर करें कि हमने जो प्रावधान रखे हैं, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं धारा–2–36 पर। एक्सप्लेनेशन–2, माननीय मंत्रीजी सेल प्राइस के नीचे वाला, "Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex-post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded." आप इस बात से भिज्ञ हैं कि अनेक बड़ी क़म्पनियों के एजेंट्स को एक टार्गेट दिया जाता है और उस टार्गेट को यदि वह साल में अचीव करते हैं तो उनको कई तरह की मूल्यों में रियायत दी जाती है। आप तो कह रहे हैं कि जो इनवायस ओपनली दिखेगा शुरू में कि यह इसको डिस्काउंट दिया गया। आप उतना सा ही ट्रेड डिस्काउंट बाद करेंगे, प्राइस में और जो साल के अन्त में ग्यारह महीने के बाद कम्पनियों के द्वारा उनको मूल्यों में रियासत दी जाती है उसको आप इन्क्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियों में जो मान्य सिद्धांत है या नीतियों हैं या परम्पराएं हैं उसको न मानने का कारण क्या है। यदि कोई कम्पनी अपने मूल्य को बाद में एक पर्टिकूलर सेल है कि हजार मारुति की सेल करोगे तो यह वैल्यू लेंगे और दो हजार तक करोगे तो यह वेल्यू लेंगे। तो उसमें उस वेल्यू को जो दो हजार कर दी उसमें उस वेल्यू को मानने में कहां दिक्कत है कि आप उसकी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वेल्यू को कम की हुई माने। उसके बाद में यदि वह उससे अधिक में बेचते हैं तो नेचुरली आपको एडिशनल टैक्स मिलना ही मिलना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्सप्लेनेशन-2, यह उचित नहीं है और यह सब लोगों को जो किसी स्कीम में अधिक विक्रय करके बाजार में चीजों को पुश करते हैं, राजस्थान के बाजार को बड़ा बनाते हैं और विक्रय करके विक्रय कर की राशि से आपके खजाने को भरते हैं, आप उनको निरुत्साहित करने का प्रयत्न न करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी इस कानून में जहां हम टैक्स बेस बढ़ाने की बात करते हैं। अब सैक्शन-3 जो आपने बनाया, सैक्शन-3 में आपका उद्देश्य पिछले कानून से कितना दायरा बढ़ाने का है। आज के कानून में पन्द्रह लाख तक की बिक्री करने वाले को पंजीयन की बाध्यता नहीं है लेकिन आपने तो जो बना दिया उसमें यदि मैन्युफैक्चरर है, वस्तु निर्माता है तो दो लाख रुपये एन्युअल टर्न ओवर, और दो लाख के एन्युअल टर्न ओवर में माननीय मंत्रीजी खादी ग्रामोद्योग की सभी संस्थाएं आ जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। वह सब डीलर हो गयी और टर्न ओवर पांच लाख का तो पांच लाख का टर्न ओवर क्या है, वह 1200-1500 रुपये की बिक्री और अब आप कह रहे हैं।

इसी सैक्शन-3 के बाद जो धारा चार आयी और चार से सब सैक्शन तीन में आपने कह दिया कि हम जो लोग पच्चीस लाख रुपये का माल बेचेंगे उनको हम..."Nothwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax payable by the dealer covered by sub-section (2) of section-3, shall be levied at such rates not exceeding five percent on the turn over, as may be notified by the State Government." तो पच्चीस लाख का जिसका टर्न ओवर है उससे आप एक लम्प-सम्प पांच प्रतिशत टर्न ओवर का ले लेंगे। जिनको आप ऐसी रियायत देंगे उनके द्वारा जो विक्रय किया जाएगा उस आदमी को परचेज टैक्स देना पड़ेगा माननीय मंत्रीजी, क्योंकि उसकी तो फिक्स लायबिलिटी है। पांच परसेंट दे दिया टर्न ओवर पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक परसेंट।

श्री मानिक चन्द सुराना : जी, एक परसेंट वह तो ठीक है। वह नोट एक्सीडिंग फाइव है। आपकी मंशा यह है कि एक परसेंट लेंगे, वह बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आप एक परसेंट इस केटेगरी के लोगों से ले रहे हैं और इनसे भी लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आल इण्डिया बेसिस पर।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह निवेदन करता हूं कि इसका जो दूसरा पक्ष है कि उसने जो माल जिसको बेचा उसको परचेज टैक्स देना पड़ गया क्योंकि उसको आप बाध्य नहीं करेंगे। जो कुछ भी उससे खरीदा है जिसने उसको तो परचेज टैक्स देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड डीलर को वह बेचे तो भी उसको परचेज टैक्स देना पड़ेगा। इस कानूनी पहलू को आप एक्जामिन करिए कि क्या उसको परचेज टैक्स देना पड़ेगा। यदि हमारी जो इच्छा है कि हम सिर्फ मूल्य जो परिवर्द्धन हुआ सिर्फ उसी पर टैक्स लगाएं तो यह हमारी भावना, यह जो कानून बना है धारा-4 की सब सैक्शन-3 का उससे एक हमारी धारण पूरी नहीं होती।

अब मैं माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान धारा 11, 12 और 15 की तरफ आकर्षित करता हूं। अभी आपने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं क्या राज्य में हमने विचार बना लिया कि नया व्यापार कोई न करे और करे तो कम से कम पच्चीस हजार रुपया राज्य को दे, और नहीं दे सकता तो व्यापार न करे। यह जो व्यापार करने की छूट संविधान में दी है कि कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, आप यह अनरीजनेबल रेजिस्ट्रेक्शन 25,000 की लगा रहे हैं। धारा 11 में आपने प्रावधान किया है उससे मैं सहमत हूं कि लोग जो आज रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट में, उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पर जो नया रजिस्ट्रेशन लेगा, वह है, आबलीगेटरी रजिस्ट्रेशन जिनको लेना पड़ता है, वह धारा 11 में कवर हो गया। हमारे जो भी लाखों व्यापारी हैं, डीलर्स हैं, वह इसमें कवर हो गये। आपने कह दिया, "Where a dealer is registered under the repealed Act he shall be deemed to have been registered under this Act." वह तो काम हो गया। पर धारा 12 वाले क्या करेंगे? धारा 12 के लिये माननीय मंत्रीजी, थोड़ा सा पढ़ लीजिये धारा 15 को और धारा 15 में हम तो 25,000 को रो रहे हैं कि आप 25,000 रुपये एन.एस.सी. न ले, आपने तो स्माल स्केल इण्डस्ट्री पर, " 25,000 in case of a small scale manufacturing unit," ध्यान करें। हमें तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है और उनसे भी 25,000 की एन.एस.सी. लेने का विचार हो गया। मीडियम स्केल राजस्थान में कोई आए तो "50,000 in case of medium scale manufacturing unit, and Rs. 2,00,000/- in case of a large scale manufacturing unit." माननीय मंत्रीजी, आप करना क्या चाहते हैं। शायद उद्योग मंत्रीजी से आपकी बन नहीं रही है क्या कि आपने यह 25,000, 50,000 और दो लाख रुपये जो भी नये यूनिट्स आएंगे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनसे भी आप कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन से पहले यह रुपया दे दो। मैं समझता हूं कि यह उद्योगों को बिलकुल निरुत्साहित, हतोत्साहित करने की नीति है और इस नीति का भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार समर्थन नहीं कर सकती। कोई राष्ट्रीय नीति, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योगों से इस तरह से 25,000 50,000 और 2,00,000 वसूल करने की कोई सहमति हमारे ध्यान में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इन प्रावधानों को बिलकुल हटाने की कृपा करें। कोई व्यापारी आता है, दो हजार की पूंजी से लोगों ने व्यापार किया है, दो हजार वाले दो करोड़ पर पहुंच गये, आप क्यों पच्चीस हजार लेने की जिद कर रहे हैं।

जहां सवाल है श्योरिटी देने का कि किसी दो व्यापारियों की श्योरिटी दिलाओ, वह पांच-पांच हजार की लीजिये। आज वह जब कभी मौका आता है और उसका टैक्स है, जो भी नया डीलर है, उसकी टैक्स लायबिलिटी यह नहीं ले पाता तो आप तो तत्काल श्योरिटी पर चले जाओगे कि लाओ आपने श्योरिटी दी थी और श्योरिटी वाला कानून में बच नहीं सकता है। उसको पांच हजार देने पड़ेंगे, दस हजार की श्योरिटी है तो दस हजार देने पड़ेंगे और पच्चीस हजार की श्योरिटी दे दी है तो पच्चीस हजार देने पड़ेंगे। इसलिये यह श्योरिटी के चक्कर में नये छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार करने से रोकने का काम न करे और जो भी आपने प्रावधान बना दिये हैं छोटे उद्योगों और छोटे व्यापारियों के लिये, मैं उन प्रावधानों को बिलकुल पुराने एक्ट के अनुकूल बनाये जाने की माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं। नया एक्ट ले आने से इस तरह के प्रावधान लाने का कोई अधिकार माननीय मंत्रीजी को नहीं मिला है। क्योंकि आपने तो केवल सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाने की बात कही है कि जहां पर भी तीन हजार बार, चार बार में माल बिकेगा हम उस पर भी जो मूल्य परिवर्द्धित हुआ उस पर हम टैक्स लेना चाहते हैं।

माननीय मंत्रीजी, इस पर भी विचार करें। इस कानून का नाम वैट न रखें, इस कानून का नाम पैट रखें। प्राइस एडिशनल टैक्स हरेक के समझ में आ जाएगा कि जिस किसी भी व्यापारी ने आगे बेचा है और प्राइस बढ़ा दी तो यह प्राइस एडिशन टैक्स है। यह वेल्यू एड नहीं करता। व्यापारी माल को जिस रूप में लेता है, जिस शक्ल में लेता है, उसी शक्ल में बेचता है। क्या वेल्यू एड करता है, वह मूल्य एड करता है, सिर्फ कीमत एड करता है, अपना छोटा सा प्राफिट एड करता है इसलिये यह वेल्यू एडेड नहीं है। यह प्राइस एडेड सिस्टम क्यों आप इजाद करना चाहते हो? इसका नाम मूल्य परिवर्द्धन तो हिन्दी में रखिये और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अंग्रेजी में इसका नाम पैट, प्राइस एडिशनल टैक्स, ताकि लोगों को भ्रम न हो कि कोई मूल्य संवर्द्धन हम कर रहे हैं। कोई मूल्य परिवर्द्धन नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कीमत में इजाफा कर रहे हैं।

मूल्य परिवर्द्धन, जहां मूल्य एड करने का सवाल है, वह तो एक निर्माता करेगा। कोई प्रोसेस होगा, कोई मेन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा तो मूल्य संवर्द्धन होगा। इसमें रीयल वेल्यू एड होगी, अन्यथा तो यह प्राइस एडिशन का काम है कि बड़े से छोटे के पास आयी, छोटे से फिर दूसरे के पास जाए, इसलिये इसमें प्राइस एडिशनल की बात नहीं सोचिये।

माननीय मंत्री महोदय, आपके एक प्रावधान की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया धारा 15 में जो 25,000 की सिक्योरिटी लिखी हुई है, अब धारा 18(2) देखें। इसमें आपने यह कह दिया कि तीन महीने तक वैट इनवाइस का रिफण्ड मिलेगा। क्यों? साल भर बाद क्यों नहीं मिलेगा? गवार हमने खरीदा, ग्वार का भाव डूब गया और हमारा यह आकलन है कि ग्वार दो साल बाद तेज होगा। बाजार में ऐसे हजारों व्यापारी हैं जिन्होंने ग्वार खरीदा हजार में और ग्वार हो गया। सात सौ, छह सौ और उसके बाद बारह सौ भी हुआ तीन साल बाद, दो साल बाद में। आप तो कह रहे हैं कि वैट इनवाइस पर तीन महीने में ही रिफण्ड मिलेगा। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। तीन महीने में माल न बिके तो क्या होगा मंत्रीजी वैट इनवाइस खतम हो जाएगा मेरी? फिर सौ रुपये में मैंने दस रुपये का टैक्स दिया है, वह दस रुपये का टैक्स खतम, अब तो मैं जब बेचूंगा तीन महीने बाद में तो 120 रुपये का ही मुझे बारह रुपये ही देने पड़ेंगे क्या? ध्यान से, गौर से देखें। लिखा है कानून में, "...no such credit shall be allowed after three months from the date of such invoice." तो आप तो कहना यह चाहते हैं कि तीन महीने में माल बेच लो जरूरी तौर पर, और नहीं बेचो तो हम रिबेट देते हैं, हम जो माइनस करेंगे, वह माइनस हम नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि यह आपका कानून धारा 18(2) में बिलकुल आर्बिटेरी है। राज की मरजी से माल नहीं बिकता, माल बाजार की शक्तियों से बिकेगा, बाजार में डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर बिकेगा और तीन महीने की जो आपने आवश्यकता लगायी है 18(2) में यह उचित नहीं है, रीजनेबल नहीं है, रेशनल नहीं है और मार्केट फोर्सेज को माननीय मंत्रीजी, चाहे आप खुद व्यापार नहीं कर रहे, आपकी पीढ़ियों ने व्यापार किया है। चाहे मैं व्यापार नहीं करता हूं, मेरी पीढ़ियों ने व्यापार किया है, आप मार्केट फोर्सेज को समझे और यह प्रावधान जो आपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिखा है, इसको बिलकुल संशोधित करें। सरकार की तरफ से ही उसमें अपना संशोधन प्रस्ताव लाने की कृपा करें, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

अब आडिटर की बात आयी कि अब तो कमिश्नर महोदय आडिट करा सकेंगे। खैर, जहां तक कमिश्नर महोदय की आडिट का सवाल है, कुछ बात हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, पर मैं आपका ध्यान धारा 73 की आडिट की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। 27 पर तो उन्होंने कह दी। कमिश्नर की आडिट तो हम जानते हैं कि सौ, पचास फर्मों की होगी। राजस्थान में फर्में तो लाखों हैं, पर साल में कोई सौ, दो सौ मामले आ सकते हैं जबकि कमिश्नर महोदय को राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिये आडिट का आदेश देना पड़े, मुझे उस तरह के अपवादों के...(व्यवधान) उधर आ रहा हूं मैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर धारा 73 में क्या होगा। माननीय मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि जिनका टर्न ओवर 40 लाख रुपये हैं उनका आडिट अकाउंटेंट करेगा और अकाउंटेंट के एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपका काम यदि सन् 1954 से बिना आडिटर के चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की आडिट के बिना तो आज नयी परिस्थिति क्या पैदा हो गयी कि आडिटर लगा रहे हैं। कारण क्या है? हां, बताना आप। पर जो मैं कारण बता रहा हूं उसको भी कृपा करके सुने। आप आडिटर, आप इसीलिये इसको करना चाहते हैं कि जिससे वह लिख देगा कि हां इनको टैक्स, इन्होंने सही क्रेडिट किया है और सही डेबिट किया है। यही है ना कारण? पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना दूध का धुला न माने कि उनकी आडिट रिपोर्ट आ गयी और उस पर आपके अधिकारी ने चिड़िया बिठा दी कि यह रिपोर्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंस की आडिट की कोई आवश्यकता नहीं है...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इनकम टैक्स में करना ही पड़ेगा...

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी इनकम टैक्स के मंत्री नहीं हैं, सेल्स टैक्स के मंत्री हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उनके लिये 40 लाख रुपये तक कम्पलसरी हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने भी यही कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि इन्कम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, 40 लाख रुपये से ऊपर का आपका टर्न ओवर है, उनके लिए आडिटर्स मेंडेटरी प्रोविजन है, इसलिए यह सब आपने जो बात कही कि वह अब मंत्री नहीं हैं, मैं आपकी बात बहुत गम्भीरतापूर्वक सुन रहा हूं कि वह सेल्स टैक्स के मंत्री हैं, इनकम टैक्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के नहीं हैं। There are certain similarities in the provisions. That's why I want to tell you.

श्री मानिक चन्द सुराना : वह जो आप मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत सम्मान से आपकी बात सुन रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कोई हमारा आडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको यह लिख करके नहीं देगा कि इसमें यह गलत इनपुट इन्होंने डेबिट किया है। यह टैक्स इन्होंने गलत डेबिट किया है आखिर तो वह उनको आडिटर है, पांच हजार, दस हजार रुपये की फीस उनसे लेगा, वह उनकी सेवा करेगा, राज्य की सेवा नहीं करेगा। राज्य चार्टर्ड अकाउंटेंस को कुछ दे नहीं रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिस बात को आप छानना चाहते हैं वह आडिटर के उस अकाउंट से नहीं छन सकती है। इसलिए आज तक यदि हमारे वाणिज्यिक कर में आडिटर के कारण कोई कमी नहीं हुई, आगे भी कमी नहीं होगी। इनकम टैक्स में प्रोविजन होगा, इनकम टैक्स वाले करते होंगे, उनको इनकम देखनी है। और आपको तो इनपुट टैक्स देखना है कि डेबिट और क्रेडिट सही किया कि नहीं किया। ऐसा कौनसा पेचीदगी भरा काम है कि जब वह व्यापारी अपना सारा रिकार्ड आपको पेश करता है तो आप उस पर पांच हजार रुपये साल की लायबिलिटी क्यों ठोकना चाहते हैं? आप आडिटर के बाजार को क्यों गर्म करना चाहते हैं? और इनकम टैक्स में आलरेडी 40 लाख का टर्न ओवर है तो जो 40 लाख के व्यापारी हैं, टर्न ओवर है, वह अपने आप ही उसका सर्टिफिकेट पेश कर देंगे कि हमने टर्न ओवर इनकम टैक्स में जो दिया था उसका यह रिकार्ड कर दिया। वहां अलग दृष्टि से आडिट होगा और इनपुट टैक्स की दृष्टि से जहां आडिट होगा वह अलग दृष्टि से होगा। आप इस पर विचार करें। आप यह प्रशासनिक खर्चे ज्यादा अनावश्यक लालफीताशाही के खर्चे व्यापारियों पर डालने की कोशिश न करें। मेरा यह नम्र निवेदन है।

अब माननीय मंत्रीजी, जहां तक 27 के आडिट का सवाल है, मैंने निवेदन पहले कर दिया है कि वह राज्य के आय के हितों के लिये 100–200 की आडिट करानी पड़े तो उसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। अब आप इस बात को गौर फरमाये कि आपका सबसे खतरनाक चैप्टर है, इस सारे कानून में, अवधारणाओं का जहां तक सवाल है, आपका यह चैप्टर 6 में पैनल्टी का जो क्लाज है, मैं मूल बात यह उठाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने पैनल्टी के क्लाज में जो विक्रय कर अधिनियम के प्रावधान थे, आपने इनको रिपीट क्यों नहीं किया? हमें क्या परेशानी थी, आखिर तो वहां पर भी वही डिफाल्ट था तो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हम उस पर भी पैनल्टी ले रहे थे, ब्याज ले रहे थे, उन प्रावधानों में मूलभूत परिवर्तन करने की आज कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्रीजी यह प्रावधान उस धारा 56 का, पुराने कानून की धारा 58, "interest on failure to pay tax or other sum payable." पहले भी तो देरी से विवरणी पेश होती थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी तो हमने प्रावधान किये थे, "interest on failure to pay tax or other sum payable" क्या हम लेते थे, जहां वह समय पर नहीं दे पाते थे, वहां हम उससे, "such dealer or persons shall be liable to pay interest on such amount at the rate of 2 percent per month for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the date on which such payment is made." कुल यह कहा कि जिस दिन फेल्योर हुई और जिस दिन उसने रुपया दिया उस अवधि का दो परसेंट का ब्याज हम उससे चार्ज कर रहे थे और राजस्थान के सब व्यापारी दो परसेंट का ब्याज दे रहे थे। अब आपने क्या कर दिया माननीय मंत्रीजी, अब तो आपने कह दिया कि दो हजार रुपये की पैनल्टी और पचास रुपये रोज की पैनल्टी 30 दिन तक तो 2000 की पैनल्टी और उनको देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैनल्टीज को बढ़ाने का प्रावधान आपको आवश्यक होता तो आप बिक्री कर संशोधन में लाते, अधिनियम में लाते। आज इस मूल्य परिवर्द्धन के बहाने से जो पैनल्टीज बढ़ा रहे हैं कि देरी से विवरणी आयी वह, मैं कहना चाहूंगा कि उचित नहीं है और आपके कदम वहीं रोके जाने चाहिए। जहां पर कि पुराना कानून था, वह एक सरटेन ला है, 50 साल से चल रहा है। व्यापारी भी अभ्यस्त हैं कि यदि हमने 10 दिन की देरी की तो 10 दिन का ब्याज दो परसेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। और अब आप न सिर्फ दो हजार की पैनल्टी 30 दिन में ले रहे हैं, पहले दो परसेंट का ब्याज था, माननीय उद्योग मंत्रीजी, और अब ले रहे हैं 2 हजार रुपये पैनल्टी और 50 रुपये रोज। और इतना ही नहीं, आप उस आदमी को धारा 67 जो आपने नयी बनायी है उसमें प्रोसीक्यूट कर सकते हैं और उसको तीन साल की सजा दिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे व्यापारी हजारों की तादाद में तीन साल की सजा भुगत लेंगे तो राज्य बहुत बड़ा बन जायेगा और हमारे राज्य का जो वातावरण है, उद्योग का और व्यापार का वह बहुत सुधर जायेगा कि व्यापारियों को हमने तीन-तीन साल की सजा करा दी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों के साथ में व्यापारियों जैसा व्यवहार करिये, सद्व्यवहार करिये।

आपको उद्योग बढ़ाने हैं। माननीय मंत्रीजी, आपने राजस्थान फाउंडेशन बनाया, मुख्य मंत्रीजी ने बनाया, उसके लिये अलग सचिवालय आप चला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत के विनियोजन को आकर्षित करना चाहते हैं और धारा 67 को तो इसी कारण हटाइये कि जिस प्रांत में धारा 67 होगी, कोई उद्योगपति बड़ा या छोटा, और कोई सम्मान रखने वाला व्यापारी नये रूप से राज्य में व्यापार करने की नहीं सोचेगा। सोचगा कि दस दिन की भी लेट होगी तो यह तो पैनल्टी है और उसके बाद में तीन साल की सजा पीनल प्रोविजंस में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो धारा 58 है, पुराने एक्ट की, माननीय मंत्रीजी और इसके साथ ही यह जो धारा 61 है जो पुरानी है, "penalty for failure to furnish the return" धारा 58 तो थी ब्याज पर कि देरी से दिया तो ब्याज लगेगा दो परसेंट और 61 में क्या था यदि वह फर्निश रिटर्न, विवरणी देने में देरी करे, फेल करे, समय पर न दे तो अपन क्या करते थे, "Where the tax is required to be paid every month under-section 25, a penalty of Rs.10/- per day for the period during which the default in furnishing of such return continues, but not exceeding in the aggregate 20 percent of the tax so assessed." दस रुपये रोज की पैनल्टी और जितना टैक्स उसने हमारा रोका, अधिक से अधिक बीस परसेंट की पैनल्टी लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या हो गया? अब पांच हजार की पैनल्टी लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी। आप जरा प्रावधान तो देखे माननीय मंत्रीजी, "penalty for failure to furnish the return" वहां तो मैंने 61 बतायी वह अब 58 हो गयी और इसमें भी इस सदन को जानकार आश्चर्य होगा कि जिन्होंने टैक्स दे दिया, जो टैक्स बनता था वह दे दिया तो भी आपने कहा कि विवरणी नहीं दी, इसलिए आपने पैनल्टी लगायी, फर्स्ट थर्टी डेज में दो हजार हालांकि वह टैक्स दे चुका है और जहां टैक्स भी जमा नहीं हुआ और विवरणी भी लेट आयी तो पहले तो दस रुपये रोज और 20 परसेंट टैक्स की पैनल्टी और अब आ गये, "a sum equal to rupees two thousand or five percent of the tax liability for the first thirty days of delay whichever is higher and thereafter rupees fifty for every day of such default subject to maximum of 10 percent

(श्री मानिक चन्द सुराना)

of the tax liability of the tax period." अब हम आ गये कि दो हजार रुपये तो लगेगा ही लगेगा। कहां तो दस रुपये रोज और बीस परसेंट तक सीमा और अब आप सीधा ले रहे हैं दो हजार रुपये। और टैक्स दे दिया लेकिन विवरणी नहीं दी तो भी आप ले रहे हैं दो हजार रुपये और 30 दिन के बाद में 50 रुपये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी धारा 58 और 61 को देखे, और नई धारा जो आपने इसमें बनायी है, यह 58 और इसके अनुकूल दूसरी धारा उनको देखे और पैनल्टीज में वह की वह रेटें और प्रावधान रखने की कृपा करें जो आपने पहले रखी थी। यदि हमें उद्योग और व्यापार जगत को चमकाना है और उनको क्रिमिनल की लाइन में खड़ा नहीं करना है तो यह पैनल्टी का प्रावधान हटाने की कृपा करें।

अब यह धारा 57 आपकी है जहां आपने एडिशनल सिक्योरिटी की मांग का प्रावधान किया है, माननीय मंत्री महोदय, वहां भी 2000 की पैनेल्टी यह एडिशनल सिक्योरिटी आपको क्यों चाहिए? जो टैक्स बनता है, वह टैक्स वह बराबर देता है और उसका डिफाल्ट नहीं है और डिफाल्ट है तो पहले प्रावधान थे कि अपन ले लेंगे, 2 प्रतिशत ब्याज ले लेंगे और 20 प्रतिशत टैक्स की एडिशनल पैनेल्टी लगा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एडिशनल सिक्योरिटी का प्रावधान क्यों है? और आपकी सिक्योरिटी है 25 हजार, ध्यान रखें, 25 हजार रुपए स्माल इण्डस्ट्रीज पर, 50 हजार रुपए मीडियम पर और 2 लाख रुपए लार्ज मेन्यूफैक्चरिंग पर इन एडिशनल सिक्योरिटी को लेने का भी कोई औचित्य नहीं है। आप आदमी से टैक्स लीजिए, आप भी प्रसन्न रहिए और उसको भी प्रसन्न रहने दीजिए। हां, आपको खतरा हो कि वह भाग जाएगा और आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट हो कि व्यापार बन्द करके जाने वाला है, उसके लिए अलग से प्रावधान रखिए और उसमें रखिए कि राज्य संतुष्ट है कि फलां व्यवहारी भागने वाला है और आपके विभाग के अधिकारी आपको संतुष्ट करें तो उस स्थिति में कोई अलग तरह का प्रावधान रखें। अन्यथा पैनेल्टी का प्रावधान आपने रखा है, राजस्थान में माननीय वित्त मंत्रीजी, यह काले कानून के बराबर पैनेल्टी के प्रावधान आपने रख दिए हैं और इन पैनेल्टीज को आप आमदनी का जरिया न सोचिए कि हम इन पैनेल्टीज के जरिये राज्य की आमदनी बढ़ा लेंगे। यह पैनेल्टी अगर दो प्रतिशत ब्याज लेना, यह तो एक डिटर्नेंट है ताकि वह हमारे कानून का पालन करता रहे और ऐसा प्रावधान रखिए कि जिससे कानून की पालना होती रहे और उस डिटरेंट का उसके दिमाग में बना रहे।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं इस सुझाव के साथ ही, माननीय मंत्रीजी, यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस नए एक्ट में आपने जो पैनेल्टी का पीनल प्रोविजन रखा है, चैप्टर 6 में, उनको पुराने एक्ट के समान करे और जो परिभाषा आपने डीलर की रखी है, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी और ट्रांसपोर्ट कम्पनी को और कैजुअल ट्रेडर्स को भी शामिल कर लिया, उन प्रावधानों को बिलकुल मूलभूत रूप से पालन कराने की कृपा करें। और मैं धारा 28 का जिक्र आखिर में इसलिए करता हूं कि कैजुअल ट्रेडर्स को क्या करना पड़ेगा, वह भी मैं सदन के सामने रख देता हूं। माननीय शिवनाथ सिंहजी, खास तौर से सुने।

"A casual trader shall immediately on completion of a transaction of sale or purchase, for which he is liable to pay tax, report to the assessing authority having jurisdiction" उसको खुद को रिपोर्ट करनी पड़ेगी असेसिंग अथोरिटी को, कैजुअल ट्रेडर को। कैजुअल ट्रांजेक्शन हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : गाय-भैंस बेचने पर, गाय बेचने पर? भैंस बेचने पर।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, गाय-भैंस बेचने पर। हां, गाय बेचने पर, भैंस खरीदने पर वह जाकर असेसिंग अथोरिटी को इत्तला करेगा कि मैंने भैंस खरीदी और फलां से खरीदी और इतने में खरीदी और इसका टैक्स यह ले लो और डिक्लरेशन देना पड़ेगा। "In-charge of the nearest check-post or barrier, the amount of sale or purchase price and the tax payable thereon and shall deposit the amount of tax with such assessing authority" असेसिंग अथोरिटी को रुपया जमा कराएगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सुराना साहब, यह तो लेजिस्लेशन में आता है, उसका जो चार्ट है उसमें यह क्लाज 7 नहीं आया है, यह कह रहा हूं मैं आपसे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी आपकी बात मान ले और पशुपालकों को बिलकुल मुक्त करे, वह आपकी बात रखें।

श्री शिवनाथ सिंह : मानने की मैं नहीं कह रहा हूं। यह जो आप कह रहे हैं वह दूसरी बात है लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आपने क्लाज 7 को नहीं लिया है। यह कह रहा हूं मैं, इसलिए वह बात ही खतम हो गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चाहता हूं कि आपकी बात ही सही हो और वित्त मंत्रीजी बोलेंगे तब पता चलेगा।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, प्लीज कंक्लूड।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान जैसा मैंने पहले दिलाया, धारा 2(11)(7) पर, उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आकर्षित कर रहा हूं जिससे कि काश्तकार जगत को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आपने प्रावधान यह किया है कि कोई भी व्यक्ति...

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसका अमेंडमेंट आपने अलग से मूव किया है, तभी कह लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, मैंने किया है, चलिए, उस वक्त कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अमेंडमेंट भी है आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, कोई बात नहीं है, वह बात मैं उस वक्त कहूंगा। मैं इन्ही शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह हमारे कुछ सुझावों को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, यहां पर बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने और सलैक्ट कमेटी के अन्दर भेजने की बात कही गई है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय के अभाव के अन्दर इस बात को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि 1 अप्रैल, 2003 से सारे देश के अन्दर वैट का कानून लागू होने जा रहा है। मैं जैसा झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य...।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं से तो मैं आती हूं, गुढ़ा से आते हैं वे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माफी चाहता हूं। मैं एन्क्रोच कर गया उनके क्षेत्र में, मैं माफी चाहता हूं। गुढ़ा से आने वाले...

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : झुंझुनूं पर तो एकाधिकार है उनका (व्यवधान) झुंझुनूं की तो +++ हैं वे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसको तो छोड़ो आप। यह शब्द +++ तो आप एक्सपंज कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खैर, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री सभापति : अगर आपको आपत्ति है तो वह +++ वर्ड को डिलीट कर दिया जाए। वैसे झुंझुनूं जिले से आती हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जिला ही कहने वाला था, वे बीच में पहले ही उठ खड़ी हुई कि झुंझुनूं पर तो मेरा एम्पायर है, झुंझुनूं का नाम कैसे ले लिया । मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान) मैंने नहीं कहा। मैं ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करता, +++ मैं ऐसे कोई शब्द कहता नहीं हूं। यह तो मेरी बड़ी बहन हैं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मोहतरम मैं इनको कैसे +++ कह सकता हूं। यह आपस में सब बात करते हैं झुंझुनूं वाले। मैं कभी नहीं कहता, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना ही मैंने कभी किया है, न कभी करूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : +++ शब्द बुरा भी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उसको कहना भी नहीं चाहता।

श्री सभापति : बुरा तो नहीं है लेकिन उनको अगर आपत्ति है तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय शिवनाथ सिंहजी, ऐसे शब्द का क्यों प्रयोग करो जिस पर कंट्रोवर्सी हो, फिर इसकी व्याख्या हो गई, बुरा है, भला है क्या है?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो खुश हैं, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि हमको बताते तो बेहतर रहता कि क्या होगा इसके बारे में तो इतने प्रश्न शायद यहां उत्पन्न ही नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, इस वैट कानून के ऊपर एक लम्बे अर्से से करीब दो–ढाई साल से विचार विमर्श मंत्री स्तर के ऊपर, अधिकारी स्तर के ऊपर और केन्द्र सरकार के स्तर के ऊपर बराबर चल रहा है। मैं यह बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि कोई राजनीति नहीं है इसके अन्दर। केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वह देश के अन्दर इस कानून को लागू किया जाए। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं थी, देशहित था। क्योंकि जब से लिबरलाइजेशन हुआ, डब्ल्यू.टी.ओ. का रिजीम आया, तब से देश के अन्दर बाहर से आयातित वस्तुओं की भरमार हो गई और खास तौर से कुछ देशों से गुड्स आ रहे हैं यहां पर वह अपनी प्राडक्ट के मुकाबले में सस्ता आ रहा है और हमारे प्राडक्ट टैक्स रिजीम की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अन्दर बहुत सारी चीजों में काम्पीटिव नहीं ठहर पा रहा है, मार्केट के नहीं पकड़ पा रहा है, एक यह उनके सामने समस्या थी और हिन्दुस्तान के जो उद्योग थे, उन्होंने वैट कानून की इस पद्धति को जबरदस्त सपोर्ट दिया।

(15.49 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी इण्डस्ट्रियलिस्ट एसोशिएंस हैं, चाहे फिक्की हो, चाहे एचोचेम हो, चाहे सीआईआई हो, इन सबने उसका समर्थन किया है कि इसको आपको शीघ्र लागू करना चाहिए लेकिन स्टेट शुरू से ही एप्रिहेंसिव थे। स्टेट्स के एप्रिहेंसिव होने का क्या कारण

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

था? हम सबको सबसे बड़ा डर था कि सेल्स टैक्स को समाप्त करने से हमारा जो रेवेन्यू लास होगा, उसकी भरपाई राज्यों की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कहां से हो पाएगी और उनके लिए बरदाश्त करना मुश्किल होगा। पहले तो कम्पंनसेशन के फार्मूले के ऊपर ही राज्यों में आपस के अन्दर मतभेद चलता रहा। केन्द्र सरकार कहती रही कि हम आपको 75 परसेंट, 50 परसेंट और 25 परसेंट की दर से इस हर्जे की भरपाई इस दर से करेंगे। राज्य बराबर हण्ड्रेड परसेंट कम्पनेशन की मांग कर रहे थे कि हमको 100 फीसदी दिया जाए। इसको लेकर केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच में मतभेद था। इसके अन्दर छह महीने निकल गये कि आर.एन.आर. क्या हो, टैक्स की समान दर सारे देश के अन्दर क्या हो। किन्हीं राज्यों की दर ज्यादा आ रही थी, किन्हीं की कम आ रही थी। इसके ऊपर कमिश्नर्स और सेक्रेट्रीज की कमेटी बनी। मैं सारी बात का खुलासा करना चाहता हूं क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको कि यहां पर नहीं बताया जाए, सदन सर्वोपरि है। तो इस रेट को लेकर झगड़ा हुआ कि इस वैट की रेट्स क्या होगी। खैर, इसके ऊपर इंवोल्व हुआ दिल्ली वालों का अपना रिजर्वेशन था। वो कहते हैं यहां तो ट्रेड सेंटर है सबसे बड़ा, हम तो व्यापार के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं, हमारे ट्रेड का क्या होगा, क्योंकि नोर्थ इण्डिया के पूरे मार्केट को दिल्ली गवर्न करता है। तो वहां पर सब तरह ही चर्चा मीटिंगों में हुई। माडल एक्ट का क्या हुआ, सारे देश के लिए कानून हो, जो इण्डस्ट्रीज इंसेंटिव के ऊपर चल रही है उनकी इसके अन्दर क्या व्यवस्था होगी, छोटे व्यापारी का क्या होगा। आपने जो एप्रिहेंसन यहां जाहिर किये हैं ये सारे के सारे एप्रिहेंसन, ये सारी की सारी चिन्ताएं वहां भी मीटिंग में लोगों ने बतायी। ऐसा कुछ नहीं है कि आंख मींचकर इसको स्वीकार किया। हमने कहा कि छोटे व्यापारी का क्या होगा। उद्योग को तो लाभ होगा, लेकिन छोटे व्यापारी का क्या होगा। उसके लिए भी वहां चर्चा हुई, एक सीमा कर दी गई कि इस सीमा तक के टर्न ओवर पर होगा। सबसे पूछा गया कि प्रजेंट रेट के अन्दर किस कैटेगरी के लोग हैं, सबने अपना भेजा। उन्होंने कहा कि एक लाख से लेकर पांच लाख तक का जो स्टेट चाहे, इनको एक लिमिट दी। हम तो मैक्जिमम यूज कर रहे हैं, एक लाख से लेकर पांच लाख रुपया। हम मैक्जिमम यूज कर रहे हैं। जो छोटे ट्रेडर्स की बात यहां कही गई, गांव में बैठा है, ढाणी में बैठा है, कोई चीनी बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, जैसे गांव के अन्दर परचून की छोटी दुकानें होती हैं तो उसके अन्दर उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। गांव के अन्दर एक...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो एक बात स्पष्ट कर दो किसान भी क्या इस केजुअल ट्रेडर्स में आएगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं आएगा। नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। मैंने आपको निवेदन कर दिया। मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको सब चीज बता रहा हूं, एक-एक चीज, जो यहां मुद्दे उठाये हैं मैं यहां क्लीयर कर देता हूं। यहां कई चीजों को लेकर हकीकत से ज्यादा बेहतर यह होगा, मतलब एप्रिहेंसन ज्यादा है, आपके दिमाग में वही एप्रिहेंसन है जो आपको व्यापारियों द्वारा बताया गया। हमसे भी व्यापारी मिले, हमको भी उन्होंने कहा आकर कि हमारी ये कठिनाइयां हैं। आपने श्योरिटी ज्यादा रख दी है, आपने पैनल्टी के प्रोविजन बड़े हार्श रख दिये हैं, हमारे पुराने माल का क्या होगा जो हमारे पास बचा हुआ है उसका क्या होगा जिस पर हम आलरेडी टैक्स दे आये हैं। तो सारी चीजें जो छोटी-मोटी समस्याएं थीं उनके लिए वे बराबर मिले। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अधिकारियों की टीमें बनीं, लोगों को ट्रेनिंग करायी गई, सारे हिन्दुस्तान के अधिकारियों को ट्रेनिंग करायी गई और लोग जिलों में घूमे, वहां के जो ट्रेड आर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मिले, मीटिंग्स हुई, सेमिनार्स हुए वैट के बारे में, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, यह वैट का एक माडल एक्ट जो भारत सरकार द्वारा सर्कुलेट किया गया था एन.एम.वी.आई. से, वहां बनवाया था उस इंस्टीट्यूट वालों से मिलकर। सारे राज्यों को उन्होंने भेजा फिर हमारे उसके ऊपर विचार जाने। हमने इन टर्न जितने वैरियस डिफरेंट ट्रेड आर्गेनाइजेशंस हैं उनको सर्कुलेट किया। तो कोई यह कहे कि हमको जानकारी नहीं है, हमको इसके प्रोविजंस के बारे में स्टडी करने का टाइम मिले, मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि समय-समय पर... (व्यवधान) मैं स्वीकार नहीं करता, असमर्थ हूं, मैंने कहा कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके कारण क्या है कि हमने उनको सफीसिएंट टाइम दिया, हमने इसका प्रचार-प्रसार किया, इसकी सेमिनार्स आयोजित की गई, जिलों में आयोजित किये, हैडक्वार्टर्स पर हुए और कई जिलों में तो दो-दो, तीन-तीन दफे इसके बारे में सेमिनार्स हुई। जयपुर में हुए। इसकी जानकारी हमें नहीं है ऐसी बात मैं मानता नहीं हूं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैंने आपको आर.एन.आर. रेट का निवेदन किया। सबसे बड़ा एप्रिहेंसन दो-तीन बातों को लेकर जो सम्माननीय सदस्यों ने कहा वह यही कहा कि आपके पैनल प्रोविजंस बहुत हार्श हैं। फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर यहां पर बात कही। एक बात यहां पर मवेशी के ऊपर कर लगाएंगे, शिवनाथ सिंहजी ने कहा। वह तो आज भी लगता है। यहां पर बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी के ऊपर आप टैक्स लगा देंगे यह बात भी कही। वह खाली इंटरप्रिटेशन का सवाल है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक-एक करके जो यहां पर बातें समक्ष आयीं उनका एक-एक करके संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा। कहा गया कि रजिस्ट्रेशन फीस बहुत हैवी है। हम उस फीस को नकदी के रूप में किसी से नहीं ले रहे हैं। यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं सिर्फ एक्सेप्ट वन कैटेगरी, वो आदमी जिसको आवश्यकता नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन मांगता है। उसका क्या मोटिव हो सकता है। व्हाट फोर ही इज आस्किंग। इसके पीछे सवाल यह है, साधारण भाषा में कहे कि आपका मोटिव क्या है, आप क्यों मांगते हो इसको। क्योंकि आज के सेल्स टैक्स एक्ट में यह हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेकर कई ऐसे मामले, आपको पचासों मामले मिलते हैं जहां पर फर्में गायब हो जाती हैं, उनका अता-पता ही नहीं है। उन्होंने टैक्स अवेल किया, झूठे-सच्चे सर्टिफिकेट दिये और गायब। कई ऐसे केसेज आते हैं। तो ऐसे लोगों को, चालाक, मक्कार और बेईमान लोगों को रोकने के लिए प्रावधान किया है, वरना तो आप दो श्योरटी दिलवा दीजिए, जो एग्जीस्टिंग व्यापारी हैं उनकी दो श्योरटी दिला दीजिए। न तो इण्डस्ट्री से कोई नकदी मांग रहे हैं, न किसी व्यापारी से मांग रहे हैं। फिर आपने यहां कहा कि छोटे व्यापारी का क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा इश्यू है। एक एप्रिहेंसन कि चाय वाले पर लग जाएगा, कुम्हारी वाले पर लग जाएगा, डबल रोटी वाले पर लग जाएगा। तो पांच लाख रुपये का जिसका टर्न ओवर है, राजस्थान में मैक्जिमम (व्यवधान) एक मिनट सुन लें। राजस्थान के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, हमने मैक्जिमम लिमिट जो आल इण्डिया के अन्दर है वह राजस्थान में अवेल की है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसके अन्दर 90 परसेंट चीजें तो कामन हैं अखिल भारतीय स्तर पर। नहीं तो वैट रिजीम चलेगा नहीं। जब तक आल इण्डिया लेवल पर एकरूपता नहीं होगी, अगर भिन्नता होगी तो चलने वाला है नहीं। तो हमने मैक्जिमम लिमिट यूज की। फिर हमने कहा कि और समस्या हो सकती है तो उन्होंने कहा कि 5 लाख से 15 लाख या कुछ राज्य चाहे तो 25 लाख, 15 लाख का उनका इंसिस्टेंस था कि 15 लाख रुपये वालों को अगर वो चाहे कम्पोजिशन दे दे टर्न ओवर के ऊपर। हमने उसको 25 लाख किया। हमने कहा कि 25 लाख है वो खाली अपना कम्पोजिशन हमसे ले ले, हमको वन परसेंट दे दे और इस दायरे से बाहर। हां, अगर 25 लाख वाला यह भी चाहता है, जिसका 25 लाख रुपये का टर्न ओवर है कि मेरा व्यापार ऐसा है, मेरी बिक्री योग्य वस्तुएं इस प्रकार की हैं कि वैट को अडोप्ट करना चाहता हूं तो उसको आप्शन रहेगा वह वैट भी ले सकता है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो कोई ऐसा नहीं था कि हमने छोटे व्यापारी का या जो छोटे-छोटे लोग हैं उनका हमने ध्यान नहीं रखा।

पहले आपने उद्योगों की बात की। उद्योगों में सीमा 50 हजार थी टाइनी के लिए। हमने इसमें बढ़कर दो लाख रुपये कर दी। पहले लाख रुपये थी हमने पांच लाख रुपये कर दी।

(16.00 बजे)

तो इसके सारे जो सैक्शन हैं, सैक्शन जो खास तौर से हैं जिनकी कठिनाईयां अधिक हो सकती हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं, इसका, ऐसे वर्गों का इसके अन्दर पूरा ध्यान रखा है और सारे देश में ऐसे वर्गों का ध्यान रखा गया है क्योंकि यह बात बार बार आई वहां पर जब वेलकम समिति जब मिलने आई इस समिति से, एम्पावर्ड कमेटी आफ फाइनेंस मिनिस्टर्स से, वैट के सम्बन्ध में, मैंने ही सवाल उठाया था कि आज आप यह इण्डस्ट्रीज की बात तो कर रहे हैं, भारत सरकार ने डाक्टर केलकर की अध्यक्षता में टैक्स रिफार्म्स के बारे में जो कमेटी मुकर्रर की थी, वह कमेटी जब हमसे मिलने आई तो उनके साथ पूरे कमेटी के सदस्य थे। तो हमने कहा, मैंने ही सवाल उठाया कि आपने इण्डस्ट्रीज की बात तो की आपने ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात की कभी? ट्रेडिंग कम्युनिटी का बड़ा रिजर्वेशन है इस मामले में। तो बोले, हम बात करेंगे। उन्होंने बात की या नहीं की, मैंने उनको कहा कि उनका यह एप्रिहेंसन हैं, इन एप्रिहेंसन के बारे में आप सोचो, खाली हिन्दुस्तान के अन्दर उद्योग को पनपाने से ही काम नहीं चलेगा। यह बात मैंने स्वयं कही थी वहां उनसे और मेरी बात का समर्थन उड़ीसा के वित्त मंत्री जो अण्डर डवलप्ड स्टेट है, उन्होंने किया। और फिर, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि इसका पूरी तरह से प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जसवन्त सिंहजी ने खुद ने कहा कि केन्द्रीय स्तर के ऊपर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटे व्यापारी के अन्दर इस प्रकार की कोई भ्रांति पैदा हो। अब वह कब शुरू करेंगे।

फिर सी.एस.टी. को लेकर वहां बड़ा मतभेद था, सेंटर स्टेट टैक्स को लेकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डवलप्ड स्टेट हैं, इण्डस्ट्रियली डवलप्ड स्टेट हैं वह नहीं चाहते थे कि सी.एस.टी. समाप्त हो। उसमें मूल उनका स्वार्थ यह था कि महाराष्ट्र को दो हजार करोड़ रुपये मिलते हैं वहां पर और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा अजीब फीचर था, वहां पर कोई पार्टी लाइंस पर बात होती थी न कि हरेक को अपने स्टेट के इंटरेस्ट का ध्यान था। बड़ा एक अजीब फीचर था इस फाइनेंस मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड कमेटी में और फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

होती थी तो हर राज्य अपने इंटरेस्ट की बात करता था। वहां पर क्या हुआ, यह 7 या 8 स्टेट हैं हिन्दुस्तान के अन्दर उन्होंने कहा कि सी.एस.टी. समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा सी.एस.टी. और वैट चलेगा कैसे, यह चल नहीं सकता है, इस बात को भले ही कहो कि हमको तो रुपया आता है, किसी को दो हजार करोड़ रुपया, किसी को 12 सौ करोड़, हिस्दुस्तान में आज की तारीख में 10 हजार और 12 हजार करोड़ रुपये के बीच में सी.एस.टी. से राज्यों को प्राप्त होता है। एक फिगर साढ़े 13 हजार का है लेकिन 10 और 12 के बीच में कोई घाटा नहीं है। माननीय सदस्य लूणकरणसर से जो आते हैं, वह मैं बताना चाहूंगा, गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा सब एक लाइन में हैं कि नहीं, सी.एस.टी. को समाप्त मत करो। हम लोग अड़ गये कि नहीं इसको तो करना पड़ेगा, फैज आउट करिये इसको तो वह इनसिस्ट कर रहे थे कि पहले साल में 4 परसेंट, दूसरे साल में 3 परसेंट, तीसरे साल में एक परसेंट और फिर जीरो कर दिया जाय। मामला केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के समक्ष पहुंचा। आज के हैं, उन्होंने साफ कहा कि वैट, गोविन्दराव कमेटी की रिपोर्ट भी है, अपनी रिकमंडेशन में कहा है कि **VAT and CST cann't go together.** उन्होंने इस बात को दोहराया और कहा कि भाई, हम खतम करेंगे। राज्यों को जब राजस्व की आमदनी में घाटे की भरपाई के अलावा तय हुआ कि सर्विस सैक्टर भी राज्यों को लौटाया जाएगा। जब सर्विस सैक्टर लौटाने की बात हुई तो कहा कि भाई, आप क्या देंगे, 52 चीजें हम राज्यों को देना चाहते हैं। तो हमने जो आंकड़े इकट्ठे किये थे, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सर्विस सैक्टर से, सर्विस टैक्स से कुल 65 करोड़ रुपये आता है। जो इस साल करंट ईयर के फिगर्स हैं, जो लास्ट ईयर्स के फिगर थे उनमें 53-54 करोड़ रुपये तो सिर्फ इंश्योरेंस बैंक एण्ड टेलीकम्युनिकेशन पर आता है। तो मैंने कहा, आप हमें क्या दोगे, हम क्या करेंगे, इसका, ब्यूटी पार्लर, काबलर और बारबर की दुकान पर लगाकर हम तो गाली खाएंगे, हम इस टैक्स को लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपको देना है तो आप यह मेजर आइटम्स स्टेट को ट्रांसफर कीजिए क्योंकि बहुत से राज्यों को कहना था कि वेल्यु एडिशन में सर्विस भी एक पार्ट होती है। खैर, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ देंगे और इसके लिए उन्होंने अभी अपने बजट में भी घोषणा की है कि सी.एस.टी. का अमेंडमेंट ला रहे हैं। दो परसेंट के ऊपर, सर्विस टैक्स का कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है जिसके तहत सैक्टर को राज्यों को ट्रांसफर किया जाएगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तीसरा, राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के आइटम्स हैं जिनके ऊपर राज्यों को कर लगाने का अधिकार नहीं था, वह भी राज्यों को उन्होंने ट्रांसफर करने की बात अभी अपने बजट भाषण में कही। और इसके लिए आवश्यक अमेंडमेंट भी संसद के इस सत्र में आएंगे और जिसमें राज्यों को चार प्रतिशत की दर से उन्होंने लगाया। यह सब कार्य भारत सरकार की स्टेट्स की रिसोर्सेज को आर्ग्यूमेंट करने के हिसाब से कि हम किस सीमा तक राज्यों की घाटे की भरपाई करेंगे तो इन रिसोर्सेज से भी राज्यों में यह हो जाय। तो मैंने आपको संक्षेप में इसका बैक ग्राउण्ड बताया, यह वैट के बारे में चर्चा जो वहा हुई थी। अब यहां पर जैसा आपने कहा, बैंक, अब बैंकों को मैं निकालने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि बजट में वैट का तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, शुरू-शुरू में, बाद में नहीं पढ़ा था। तो मैंने अधिकारियों से पूछा, बैंक भी कभी-कभी जो चीजें कुर्की इत्यादि करते हैं, अटेच करते हैं, कभी कभी उनकी नीलामी करते हैं इसलिए इस सैक्टर को उसमें डाला गया। लेकिन एज सच उनके ऊपर, इन सेवाओं के ऊपर कभी कर लगाने का हमें अधिकार ही नहीं था लेकिन समटाइम्स उनको यह एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं इसलिए इस सैक्टर को इसके अन्दर लिया है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

अब एक मामला जो रह गया, मैंने आपसे निवेदन किया इसके बारे में, मैंने डीलर्स के बारे में आपको जो सिक्योरिटी मनी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब रह गया मोटा सवाल पैनल प्रोविजंस का, पैनल्टीज का। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सुराना साहब ने कहा और अन्य सभी सदस्यों ने कहा कि आपके पैनल्टी प्रोविजंस हार्श हैं। यह बात सही है कि पुराने एक्ट के अन्दर जो प्रोविजंस थे उसमें शास्ति की दर, पेनल्टी की दर यहां ज्यादा है और वहां मैक्सिमम प्रोविजन 6 महीने की सजा का था, यहां हमने एक दो मामलों के अन्दर इसको तीन साल का किया है। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, कागज में हैं, मना करने से क्या होगा? कारण क्या है, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हथकड़ी लगा दो उस व्यापारी को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आपने 94 में पास किया उसमें लगाने की कोशिश की थी लेकिन आज दिन तक हमने लगाई ही नहीं कभी, हमने लगाई नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा इस वैट कानून के अन्दर क्या है इसमें सारा जो है अब विभाग के अधिकारी ही असेसमेंट नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करेंगे, it will be a self assessment. मगर सारा उसके ऊपर, व्यापारी के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि आप जो भरकर हमको दे दोगे वह हम मान लेंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो रिस्क है, आज के कानून में तो क्या है, सम्माननीय सदस्य मालपुरा से आने वाले, आप सेल्स टैक्स की चोरी कर लीजिए। नहीं पकड़ में आया, आपने टैक्स का इवेजन कर लिया। लेकिन यहां टैक्स के इवेजन के साथ एक प्राब्लम और आएगी, आप इनपुट टैक्स के नाम पर, सैट आफ के नाम पर गवर्नमेंट से, एक्सचेकर से पैसा क्लेम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट के खजाने से पैसा भी लो, टैक्स भी चोरी करो, यह दोनों काम तो चलने वाले है नहीं। इसलिए इसमें हार्श प्राविज़न किये गये जिससे कि एक इफेक्ट रहे, मन के अन्दर डर रहे कि भाई ऐसा करेंगे तो हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, क्या इनकम टैक्स एक्ट के अन्दर और एक्साइज एक्ट के अन्दर और कस्टम एक्ट के अन्दर जेल के प्रोविजन नहीं हैं? वहां भी हैं जेल के प्रोविजन वहां भी इम्प्रीजनमेंट है। लेकिन राजस्थान में तो सेल्स टैक्स के, इतना मैं जानता हूं, सेल्स टैक्स एक्ट के तहत ऐसा नहीं है कि आर्बीट्रेरी का ए.सी.टी.ओ.सी.टी. को जेल कर दे। उसको प्रोपर अपोरच्युनिटी दी जाएगी कि भाई, एक्सप्लेन करो उसके बाद सेटिस्फाई नहीं है तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत के अन्दर उसके खिलाफ एक कम्पलेंट पेश की जाएगी। उसके बाद अदालत अपना निर्णय लेगी। यह तो अदालत के ऊपर है। अदालत हमारा पक्ष भी सुनेगी, उनका पक्ष भी सुनेगी। हमने कहां कहा है, अगर उसने जान बूझकर खोखा देने की नीयत से अगर किसी ने जाली बाउचर इत्यादि पेश किये इनपुट क्रेडिट लेने के लिए और उसके आधार पर तो आप पैसे ठोक लोगे हमसे। राज्य के खजाने से आप पैसा ले लोगे। तो इसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके अन्दर बड़े लम्बे हैं, देखिये कम्प्लायंस कराने के लिए एक वातावरण तो आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जब ये लोग मिले...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले तो पुलिस ही उनको लूट लेगी। जो पुलिस का प्रावधान रखा है, मुंसिफ कोर्ट में कोई केस जाता है, चालान पेश होने से पहले तो पुलिस ही उस व्यापारी को, बिजनेसमैन को लूट लेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां पर बात उठी, एक बात और कहना चाहता हूं, शिवनाथ सिंहजी ने कहा कि आज भी मवेशी के ऊपर ले रहे है। यह बात सही है, एक इनेबलिंग प्रोविजन हमने डाला है यह इसके ऊपर लेकिन मैं यहां पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने लिस्ट बनाई है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह जीरो पर्सेंट टैक्स की, उसमें मवेशी को रखा है। सारे देश के अन्दर उसको रखा है We shall not be charging any tax on this time in the new VAT Act. वैट एक्ट के अन्दर हम मवेशी के ऊपर कोई भी कर नहीं लेंगे, इसको जीरो पर्सेंट पर डाला है कि कभी आल इण्डिया के अन्दर, यह एक इनेवलिंग प्रोविजन है कि कभी जरूरत पड़ी, इसका एक प्रोविजन रखा, बाद में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। (व्यवधान) इसलिए रखा है लेकिन जब मैं कह रहा हूं जीरो पर्सेंट का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जो कह रहे हो वह बात बिलकुल ठीक है लेकिन आपकी किताब यह कह रही है कि आपने 500 रुपये और 10 प्रतिशत का प्रोविजन रखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको कह रहा हूं, जब मैंने आपसे कह दिया, हम नहीं ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अमेंडमेंट ले आये हैं क्या? आपके कहने से क्या होता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : Through a notification it will be done. थ्रू नोटिफिकेशन क्योंकि टैक्स...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी में ले आइये। मैं यह कह रहा हूं कि आप प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बनाते हो। सारे राजस्थान के अन्दर, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी अमेंडमेंट ले आइये, आपके शिवनाथ सिंहजी मूव कर दे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अमेंडमेंट की आवश्यकता ही नहीं है इसके अन्दर। मैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो एक ऐसा हथियार है चाहे मर्जी आये जब आप चला दोगे। जब मर्जी हो तब हथियार चला दोगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूरे देश भर के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्यों ले करके आ रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूरे देश भर के अन्दर इस पर चर्चा हुई थी, बहुत सारे आइटम्स पर हुई थी कि अपने यहां हर राज्य के अन्दर नो टैक्स की कैटेगरी के पचासों आइटम्स थे, सैकड़ों आइटम्स थे, छोटे-छोटे आइटम्स थे। हर साल बजट के मौके पर यह माफ, यह माफ और...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय जब तक गजट में नोटिफाई नहीं करोगे इसके प्रोविजन जरूरी नहीं है सारे कोई आप लागू करो। आप इसमें पहले ही पढ़ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पर जो मैंने कह दिया कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मवेशी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, मैंने आपको कह दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मन्शा तो टैक्स लगाने की है, आप शिवनाथ सिंहजी के दबाव में यह बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी मन्शा कुछ भी हो, मैं नहीं लगा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप टैक्स लगा सकते हैं, लगाओगे नहीं, सीधी बात यह है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल सही बात है, इनेबलिंग पावर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, बात सीधी सी इतनी है कि लेजिस्लेशन बनने के बाद में मंत्री यहां क्या घोषणा करता है इसका कोई मतलब नहीं है कि डेलिब्रेशंस क्या होते हैं, हाउस में डिबेट क्या होती है, इससे कोर्ट्स को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट्स को तो जो लैंग्वेंज आप डिप्लाय करते हो एक्ट के अन्दर, उससे मतलब होता है। तो आपकी लैंग्वेज में आप कह ही रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि इनेबलिंग प्रोविजन है, आप लगा सकते हो, लगाओगे नहीं। आप नोटिफिकेशन लगा दोगे तो आप आओ तो आप भी नोटिफिकेशन लगा देना, उसमें क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि टैक्स रेट्स जो है, जो आल इण्डिया लेवल पर निर्णय हुआ है उसी अनुरूप टैक्स लगेंगे और उसमें मवेशी के ऊपर सारे देश के अन्दर कहीं टैक्स नहीं है। उसी के अनुरूप हम भी नहीं लगाने जा रहे हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

यहां पर टीनेंट की परिभाषा की बात की है। वह अभी इनका अमेंडमेंट आ रहा है तब मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा। अतः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु व अन्य प्रस्ताव आया है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खण्डशः विचार। खण्ड दो, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड दो के खण्ड 11 के ब्रेक्टि 7 के पश्चात् स्पष्टीकरण जो है, उसमें मैं मेरे संशोधन को मूव करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी यह कानून लाये हैं कि जो आदमी किसी खेत का मालिक है, शब्दावली यह है कि "A person, who sells agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest as owner or tenant as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 shall not be demmed to be a dealer in respect of such sales within the meaning of this clause." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि जहां हमने वर्ड लिखा है "एज ओनर" और "टीनेंट", उसके आगे और "सब-टीनेंट" शब्द जोड़ा जाए। वह शब्द "सब-टीनेंट" यदि नहीं जोड़ा तो यह सारा सदन जानता है कि आज जो ओनर है और जो खातेदार है, अनेक जगहों पर उन्होंने अपने खेतों को दूसरों को दे रखा है, वहां "सब-टीनेंट" हैं वह लाफुल पजेशन हैं, सिर्फ खातेदार माल बेचेगा अपनी भूमि पर पैदा किया हुआ वह तो एग्जम्प्ट होगा पर जहां "सब-टीनेंट" बेचेगा, तत्काल सेल्स टैक्स आफिसर कह देगा कि "सब-टीनेंट" "टीनेंट" नहीं है, "ओनर" नहीं है और चूंकि "ओनर" नहीं है और "टीनेंट" नहीं है इसलिए उसके द्वारा माल पैदा नहीं हुआ है।

"A person, who sells agricultural or horticaltural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest as owner or tenant." तो जो व्यक्ति "टीनेंट" की परिभाषा में नहीं आया और लाफुल पजेशन में है, "सब-टीनेंट" है और "टीनेंट" की मर्जी पर काश्त कर रहा है और वह यदि बाजार में माल ले आयेगा तो वित्त मंत्रीजी उसको भी डीलर मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह किसको कह रहे हो साहब?

श्री मानिक चन्द सुराना : "सब-टीनेंट" को इसमें सम्मिलित किया जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी : किसको कह रहे हो, साहब? कोई सुनने वाला नहीं, कोई लिखने वाला नहीं। दो बुजुर्ग मंत्री

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बैठे हैं वो बात करने में लग रहे हैं, वित्त मंत्रीजी हैं नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : चन्द्रभानजी सुनेंगे और चन्द्रभानजी इस बात को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वे इस तरफ बैठे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई सुनने वाला भी हो। मंत्री तो दो बात करने में लग रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : "टीनेंट" तक हमने इस बात को सीमित रख लिया और "सब-टीनेंट" को, खास तौर से इंक्लूड नहीं किया तो अनेक कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होगी। और उन पेचीदगियों में साधारण काश्तकार को उन परेशानियों का जवाब नहीं दे पायेगा और लाखों आदमी "सब-टीनेंट्स" हैं "सब-टीनेंट्स" अलाउ नहीं है। बट टीनेंट इंक्लूड सब-टीनेंट आप लिखेंगे तभी उनकी मुक्ति होगी अन्यथा जो आदमी लाफुल पजेशन में है कृषि भूमि में, जिन पर कोई मुकदमे नहीं चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई दावा नहीं चल रहा है। उन्होंने भी माल बेच दिया। लेकिन यदि वो खातेदार नहीं है तो वह आपकी डीलर की परिभाषा में आ जाएगा और उसको अनेक परेशानियां होंगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब हमारी नीयत और हमारी इंटेंशन काश्तकार द्वारा लाये हुए माल को टैक्स करने की नहीं है, उसको डीलर मानने की नहीं है तो काश्तकार, उप काश्तकार और जो व्यक्ति लाफुल पजेशन में है, तो मेरा निवेदन है कि आप संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो बात कही है वो प्रोविजन सिमिलर है। जैसे आपके राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर है वो सिमिलर प्रोविजन हैं। "A person, who sells agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest as owner or tenant as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 Act No.3, shall not be deemed to be a dealer in respect of such sales within the meaning of this clause;" यह अब भी आपने आप में बहुत क्लियर है। मैं आपको राजस्थान टीनेंसी एक्ट में जिसका मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जिसका कि मैंने जिक्र किया है, उसमें आपकी "टीनेंस" की परिभाषा है, उसके अन्दर "सब-टीनेंस" इंक्लूड किया हुआ है, यह रहा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भी यह इंक्लूड कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों, यह जरूरत ही नहीं है। सूपरफ्लुअस किया है मैंने।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, सूपरफ्लुअस का मतलब नहीं है। आप इसको स्पष्ट रखेंगे अन्यथा काश्तकारों को परेशानियां होंगी माननीय वित्त मंत्रीजी। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, श्रीमान्।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने एक्ट में जिसका हवाला दिया है उसके अन्दर ''टीनेंट'' इंक्लूड सब-टीनेंट...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो किसी बात पर सहमत नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड (2) में श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड (3), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया।

खण्ड (4), श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री रामनारायण चौधरी : सभी में दे दिये क्या संशोधन आपने, सब में दिये हैं क्या संशोधन आपने?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं नहीं, बहुत कम पर दिये हैं माननीय मंत्री महोदय, इतना समय ही नहीं मिला कि अनेकों पर दें। और खास तौर पर पैनल्टी के प्रोविजन पर कोई संशोधन नहीं दे पाये हम, हमने बात रख दी सदन में।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप वेल्यू एडिशन की परिभाषा इस एक्ट में रखे। मूल्य परिवर्द्धन हम किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, इसकी परिभाषा रखे। क्योंकि उसके बिना यह एक्ट बिलकुल, जब आपने नामकरण मूल्य परिवर्द्धन किया और मूल्य परिवर्द्धन क्या होगा, किसको मूल्य परिवर्द्धन माना जायेगा, इसकी परिभाषा नहीं है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मैंने जो संशोधन रखा है, पर मुझे स्वयं को लगता है कि यह संशोधन भी अपूर्ण है इसलिए मैं संशोधन को मूव इस दृष्टि से कर रहा हूं ताकि आप उसको सम्पूर्ण...

श्री उपाध्यक्ष : सुराना साहब, आप खण्ड (4) पर बोल रहे हैं? खण्ड (4) में तो यह संशोधन नहीं है आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड (4) पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं खण्ड (2) के उप-खण्ड (45) पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, खण्ड (2) तो समाप्त हो गया। अब तो खण्ड (4) पर बोलो आप, खण्ड (4) पर बोलो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अब आप खण्ड (4) पर हैं ना। खण्ड (4) में मेरा निवेदन है कि आपने पुराने एक्ट में भी यह 50 प्रतिशत टैक्स लगाने की छूट ले रखी थी, वर्तमान कानून में आप 50 प्रतिशत तक की टैक्स लगाने की छूट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि राजस्थान में पशुओं पर कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन आप मूल प्रावधान में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं हुए, जबकि आपकी इच्छा है कि पशुओं पर कर नहीं लगेगा और उस पशु के व्यापार को कर मुक्त रखा जायेगा। इसी तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस स्लेब का आप जहां तक उपयोग कर रहे हैं, मेरे ध्यान में है कि ग्रेस्त पर, डोडा पर और अफीम पर 30 प्रतिशत टैक्स है। तो आप मेरे कहने से 25 प्रतिशत नहीं करें। आप 30 प्रतिशत रखें या कहीं आप 32 प्रतिशत ले रहे हैं तो 32 प्रतिशत रखें पर यह एक एकेडेमिक एक्सरसाइज में 50 प्रतिशत की छूट आप कर लगाने की रखना, यह कोई उचित नहीं है। नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए कि राज्य किस हद तक जायेगा या जा रहा है इसलिए कानून को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए आपने यह जो 50 प्रतिशत की दर लगाई है, खण्ड (4) में, इसको संशोधित करे। मेरा सुझाव 25 प्रतिशत का है, पर आप 30-31-32 प्रतिशत, जो भी अभी आप यूज कर रहे हैं, उस हद तक आप इसको नीचे लाये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इसको भी करने में असमर्थ हूं। कारण कि आज के एक्ट के अन्दर सेल्स टैक्स में 50 प्रतिशत रेट है और आज भी जो हम कई चीजों की वजह से जैसा कि आपने 25 प्रतिशत का अमेंडमेंट पेश किया है, कई चीजों में से हम 25 प्रतिशत से, जो कि वैट की परिधि से बाहर है, एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है, पैट्रोलियम के लिए और शराब के लिए और लाटरी इत्यादि भी इससे अन्दर डाली जायेगी। अब यह रेवेन्यु का तरीका है। कृपया इस पर इंसिस्ट न करें, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा, इसको 50 प्रतिशत ही रहने दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वापस लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या ले लेंगे। (व्यवधान) वापस ले, चाहे, एक ही बात है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, राजस्थान विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने प्रस्ताव वापस ले लिया, फिर आप उस पर वोटिंग कैसे करायेंगे? मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे उसको वापस लेने की इजाजत दी जाये। एक ही बात है ना। आप वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही बात है। यों ले लेते हैं। आप बैठो बैठो।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना जी ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति की गई, (व्यवधान)...

स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन स्वीकार किया गया। संशोधन वापस लिया गया। एक ही बात है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) स्वीकार किया जाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो वापस लिया और अभी नो कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लोकतंत्र है, यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में उपाध्यक्ष महोदय, पल पल में विचार बदलते हैं, पल पल में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : ...बार बार जाकर एम.डी. कोरानी से पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं तो क्यों राजस्थान की जनता पर लगा रहे हो? वैसे ही अकाल पड़ा है, हालत खराब हो जायेगी आपकी, जाना फील्ड में, दुकानें बन्द हो जायेंगी, बाजार बन्द हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसको समझना है वे समझ लेंगे, जिसको नहीं है, वे नहीं समझेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) स्वीकार किया गया।

खण्ड 5-6, कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (5) व (6) स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड (5), (6) स्वीकार किये गये।

खण्ड (7), श्री मानिक चन्द सुराना।

वापस ले रहे हो या बोल रहे हो? बोलो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : बोल कर वापस ले लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (7) में माननीय मंत्रीजी कह चुके हैं, यह लाइव स्टाक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के सम्बिन्धित मामला है, पशुधन से सम्बन्धित है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसको खतम कर रहे हैं। हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : हो गया तो हो गया, चलिये। आपकी नीयत चूंकि लगाने की नहीं है तो फिर अब ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी वापस ले लिया? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि श्री मानिक चन्द सुराना ने जो खण्ड (7) में संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, वोटिंग करा लें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वापस थोड़े ही ले रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गाय के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। (व्यवधान) यह अधिकार ले रहे हैं। इस हथियार से कभी भी किसानों को आप मारोगे, अपनी इच्छा से मारोगे, आप 10 प्रतिशत टैक्स, किसानों के पशुधन के ऊपर टैक्स लगा रहे हो...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गाय पर टैक्स लगा रहे हो, गाय पर टैक्स लगा रहे हैं ये।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, जानवरों पर टैक्स लगा रहे हो, शर्मा आनी चाहिए। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : गऊ पर टैक्स लगा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, जानवरों पर टैक्स लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए मंत्री महोदय, यह कैबिनेट को पता है कि जब आपका फोर्टफोलियो चैंज हो गया और दूसरा लगा ले, यह एक्ट में प्रोविजन कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (7) में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य राज. विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (7) स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड (7) स्वीकार किया गया।

खण्ड (8) (9), कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (8)(9) स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड (8) (9) स्वीकार किये गये।

खण्ड (10), श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी अधिकारियों से पूछने के लिए बार-बार जा रहे हैं, ट्रेज़री बैंचेज की तरफ माननीय वित्त मंत्रीजी, अधिकारियों से बार-बार पूछने के लिए, एम.डी. कोरानी के पास जा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 10 में सरकार एक नागरिक के ऊपर, एक व्यवहारी के ऊपर यह भार डाला गया है कि वह साबित करे कि उस टैक्स की लाइबिलिटी उसकी नहीं बनती है। मेरा निवेदन है, टैक्स तो आपको वसूल करना है, टैक्स आपके अधिकारी असेस करेंगे, जब आपके अधिकारी ने टैक्स का असेस किया, असेसिंग अथोरिटी उसका नाम है चाहे आप उसको सी.टी.ओ. कहे या जे.सी.टी.ओ. कहे, कुछ भी कहे, असेसमेंट को करना आपका क्राम है कि किन आधारों के ऊपर आप उसको असेस कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, यह टैक्स में ही आपको लिखना है। और आप कानून यह बना रहे हैं कि यह वर्डन आफ प्रफू यह साबित करने का भार उस नागरिक का है कि साबित करेगा कि उसकी लायबिलिटी नहीं है। मान्यवर, वो तो जब आपका गलत असेसमेंट होगा तो अपील में जायेगा और अपील में अपनी बात कहेगा पर आप यह देश के कानून में जो वर्डन आफ प्रफू है, मुलजिम पर वर्डन आफ प्रफू नहीं होता, जो प्रोसीक्यूट करता है उसी पर वर्डन होता है कि उसने जुर्म किया है। आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं, जिम्मेदारी है कि आप साबित करेंगे कि आप टैक्स लेने के अधिकारी हैं।

माननीय वित्त मंत्रीजी, आप कहेंगे कि पुराने कानून में था, पुराने कानून में रहा होगा, पुराने कानून में कुछ गलत बातें आ गई। सन् 1954 में कानून बना, और 1994 में फिर संशोधन हुआ। और 1954 में आप थे, और 1994 दूसरे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौन थे 1994 में?

श्री मानिक चन्द सुराना : दूसरे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, वहां तो हम थे, वहां दूसरे थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : दूसरे थे 1954 में आप थे और 1994 में दूसरे थे और वह कोई दोनों तरफ से भूल हो रही है तो आप उसको संशोधित क्यों नहीं करना चाहते। आप इस क्लाज को हटा भी लेंगे, इसको डिलिट कर देंगे तो नुकसान क्या होगा?

श्री हीरालाल विश्नोई : आप कौन से साल में आये थे माननीय सदस्य?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं 1998 में आया था। वह भी ऐतिहासिक तथ्य है, उसमें कोई छुपाने की बात है क्या।

श्री हीरालाल विश्नोई : जब दोनों ही भूल गये तो...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रश्न यह नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं। यह कानून की बात है। वर्डन आफ प्रूफ, जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, न्यायिक सिद्धांतों का सवाल है जूरिस्प्रूडेंस का कि वर्डन आफ प्रूफ किस पर हो। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी ला में वर्डन आफ प्रूफ, यह कोई पोटा थोड़े ही है कि वर्डन आफ प्रफू मुलजिम पर हो। और आप कोई आर्थिक दृष्टि से पोटा ला रहे हो इस वैट के बहाने तो मुझे पता नहीं है पर इस वर्डन आफ प्रूफ पर कोई सहमति भारत सरकार की हो गई हो कि वर्डन आफ प्रफू नागरिक पर होगा, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आप इस वर्डन आफ प्रूफ के क्लाज को डिलिट करने की कृपा करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है कि यह वर्डन आफ प्रूफ का जहां तक मेरी जानकारी है, यह 1994 में भी प्रश्न उत्पन्न हुआ था और जैसा मुझे विभाग के अधिकारियों ने बताया है, सलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है और चर्चा के उपरान्त इसको स्वीकार किया गया था और...

श्री मानिक चन्द सुराना : वह रिपोर्ट कोट कर दें फिर उस सलेक्ट कमेटी की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे जो बताया है, मैं 1994 में इस सदन में नहीं था, न मैं मैम्बर था उसका, खैर आप छोड़िये। उसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज मैं उसको कोट नहीं करता हूं, जो मैंने कोट किया उसको मैं विड्रा करता हूं, मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त इस एक्ट की खूबी है, सारा का सारा हमने व्यवहारी के ऊपर, असेसी के ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि जब आपने स्क्रूटनी की बात भी की थी मैं उस बात को बताना भूल गया था कि स्क्रूटनी भी इसके अन्दर बिलकुल कम्प्यूटराइज कर दी है। इसमें जो हाई रिस्क के पन्द्रह–सोलह पाइंट्स हैं उसके आधार के ऊपर ही स्क्रूटनी होगी, हर एक की होगी नहीं कि चलते रास्ते आप कर रहे हो। It will be a random scrutiny. Only 2%...Not more than 5% at any cost. किसी कीमत पर पांच परसेंट से ऊपर होगी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पांच परसेंट का कहीं आपने उल्लेख किया है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हैं। आप बिराजे जरा, आप बैठ जाये। आप तो तावं में आ करके मुझसे तो कहते हो कि आप क्रोध करते हो और आप अपनी शक्ल देखते नहीं हैं कि आपका चेहरा–मोहरा क्या हो जाता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके अन्दर सबसे बड़ा जो है कि लोगों के ऊपर छोड़ा गया है, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि इसलिए वर्डन आफ प्रूफ कल कह दे कि मैं तो माल लाया फलां आदमी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से, अब साहब यह डिपार्टमेंट करे कि लाया कि नहीं लाया, मेरा तो यह सही है, तो सारी बात सही करने का असेसी पर वर्डन आफ प्रूफ इसलिए डाला गया है इसके अन्दर, यह इस महत्व से क्योंकि राज्य के राजस्व की रक्षा करनी है, उसको बचाना है इसीलिए डाला गया तो मैं इस अमेंडमेंट को भी स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–10 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–10 स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–10 स्वीकार किया गया।

खण्ड–11 से 100–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–11 से 100 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–11 से 100 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नामादि–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह डीलर का लारहे थे न संशोधित, यह कह रहे थे डीलर में संशोधन लायेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, आयेगा, आपकी चिंता, आप बिराजें प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने नहीं कहा था?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–1 अधिनियमन, सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंहजी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एनी बडी?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, हां।

श्री उपाध्यक्ष : कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर अधिनियम के बारे में संशोधनों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माध्यम से और सदन में अपनी बात कहते हुए हमने प्रभारी मंत्रीजी को सही दिशा देने का बहुत प्रयास किया, न जाने कौन सी प्रतिष्ठा का सवाल बनाये बैठे हैं। और उसके बाद अपना उत्तर देते हुए इन्होंने कहा कि सैक्शन 7 में जो पशुधन पर कर है वह भी नहीं लगायेंगे और स्क्रूटनी भी पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अन्दर कौन सा मंत्री कब सड़क पर आ जाय...

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसे आप आ गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह समय का तकाजा है, आज इस पवित्र सदन के अन्दर मंत्री महोदय व्यवहारिक तौर से तो मानते हैं, कमियां हैं, खामियां हैं और यहां इस तरह बोल रहे हैं जैसे ब्रह्म वाक्य बोल रहे हो। कानून का जामा, और राजस्थान का आम अवाम यह कानून पढ़ेगा और उस कानून में जब यह देखेगा कि दस प्रतिशत पशुधन पर कर लगाने का प्रोवीजन इसके अन्दर है, बर्डन आफ प्रूफ सैक्शन 10 के अन्दर आप उस व्यापारी पर डाल रहे हैं जिससे आप टैक्स भी वसूल करना चाहते हो और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की निगाह में आज कर्मचारी के साथ-साथ दूसरा वर्ग व्यापारी भी चोर नजर आता है। इन्होंने लम्बी-चौड़ी बातें की कि हमने इस पूरे वेल्यू एडेड टैक्स के लिए सेमिनार्स किये, कार्यशालाएं कीं, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इन्होंने किन्हीं भी व्यापारिक संगठनों से अगर चर्चा की होती, चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से एक विश्वास अर्जित किया होता तो निश्चित तौर पर आज किस कर को ले करके यह आये हैं और किस कर को लगाने के पीछे कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार की मंशा है, निश्चित तौर पर हो सकती है, केन्द्र सरकार की इच्छा की पूर्ति करना और यह कहना केन्द्र सरकार की आड़ में कि हम यह कानून ला रहे हैं उसमें मैक्सिमम लिमिट यह है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में इसके चैप्टर 1 में जो शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एण्ड कमेंसमेंट है, इसके सैक्शन थ्री में ले जाना चाहता हूं। "(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint and the State Government may appoint different dates for the commencement of the different provisions of this Act." यानि सरकार अगर चाहे, राजस्थान की सरकार चाहे तो केन्द्र सरकार ने जो इनके सम्मुख माडल दिया है, जरूरी नहीं उसको आप माने, यह उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि मंत्रीजी, आपने इसमें सैक्शन 8 के अन्दर अनलिमिटेड अधिकार तो ले लिये कि आप किसी भी वस्तु पर कब भी चाहेंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको टैक्स में एग्जैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको बड़ी स्पष्टता से सारी बात को करना चाहिए।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो पैनल्टी प्रोवीजन है, आपने कह दिया कि तीन साल की सजा और, उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल की सजा, यह संज्ञेय अपराध में है, मतलब उस व्यापारी को हथकड़ी डालकर सीधा जेल में ले जाने की बात यह कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि मैक्सिमम लिमिट जिसका टर्न ओवर पांच लाख है, जो मैन्युफेक्चरर हैं उसकी दो लाख है, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अपना जवाब दें उसमें यह बताएं, जिन स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को आपकी इण्डस्ट्रियल पालिसी के अन्दर सरकार के द्वारा विभिन्न सब्सिडी देकर जिनको आपने यह कहा था कि आप पर सेल्स टैक्स एग्जम्पशन स्कीम के अन्दर आपको 10 साल, 11 साल के लिए एग्जम्प्ट किया जाता है। आज उनकी क्या स्थिति होगी? टर्न ओवर दो लाख का मैन्युफेक्चर का रोज का अगर देखे तो 500-600 रुपये और पांच लाख का टर्न ओवर यह कुछ है ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं व्यापारियों को इस टैक्स के बारे में एक वातावरण बनाने के लिए कम से कम पहले दो-तीन साल इन पैनल्टीज क्लाज को सस्पेंड क्यों नहीं करते? आज आप खुद क्लियर नहीं हो कि उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, कौन फाइल करेगा उसका पीरियड क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह अगर आप देखे, मुलाहजा फरमाएं इतनी पेचीदगियों से भरे हुए ये सारे कागजात हैं कि इनका एक आम व्यापारी भर नहीं पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे, क्योंकि आपके खुद के पास, आप जब तक इसके रूल्स बनायेंगे, गजट नोटिफिकेशन करेंगे उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए जो पैनल्टी क्लाज हैं जिन पैनल्टी क्लाजों में, अब उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन-56 में पैनल्टी फोर रजिस्ट्रेशन ये जो आर.एस.टी. एक्ट है उसमें तो सिर्फ एक हजार रुपये था अब इसमें पांच हजार रुपये और सौ रुपये डेली का, और सैक्शन-57 में पैनल्टी फोर फेल्यूर टू फर्निश सिक्योरिटी और एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी उसको देनी है। इसके अन्दर भी दो हजार रुपये और सौ रुपये प्रतिदिन का, मतलब किस किस failure/delay in furnishing returns-25% of tax liability of that period.

मतलब आप करना क्या चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय, वैसे तो आपके बारे में जिस तरह सुना है आप जिद्दी बहुत हो। इस जिद्द

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को छोड़ो राजस्थान की जनता के हित में छोड़ो। राजस्थान के उस व्यापारी के हित में छोड़ो जिस व्यापारी ने भोलेपन से आपको इस शासन में यहां तक बैठाया अब तो वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए पैनल्टीज क्लाज इस पैनल्टी के क्लाज को कम से कम आप दो–तीन वर्ष के लिए सस्पेंड करें, इनको कम करें। और इसके साथ ही साथ आपके जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं जो आपकी सेल्स टैक्स एग्जम्पशन स्कीम के अन्दर आयी हुई है, जो गांव के अन्दर ग्रामोद्योग हैं उसको आप कैसे बचाएंगे? क्या उसको भी सारे दायरे में लाकर आप मारेंगे? पहले ही आपके कल–कारखाने जितनी तेजी से बन्द हुए हैं, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ को आपने बिलकुल जीरो कर रखा है। और इस तरह इस आनन फानन में कानून को लाकर आप क्यों और अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उत्तर दे तो, आप पानी पीये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से, तसल्ली से और ठंडे मन से आत्मा से सोचे कि यह अन्याय आपसे जो लोग करवा रहे हैं इनके पीछे कहीं आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग चिन्तित तो नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री राजस्थान के सदन में आते नहीं है। क्या पता कौन सा इनफीरियटी काम्पलैक्स है उनकी जबान नहीं निकलती। आप ठीक बोलते हैं। आप होशियार भी हो। आप हर तरह की कला के अन्दर मर्मज्ञ हो। इसलिए यह आपके पीछे षड्यंत्र है इस षड्यंत्र को समझो और आप जब जवाब दें तो इन सारी चीजों को, जिस तरह मैंने निवेदन किया इनको सम्मिलित करते हुए जवाब दें ताकि राजस्थान का जो गरीब व्यापारी है उसकी बहबूदी हो सके।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों में से तय करें कौन बोलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पीछे वाले बैठो।

श्री मानिक चन्द सुराना : वो भी बोल लेंगे। हां, वो भी बोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलने देंगे बाद में। दोनों साथ तो नहीं बोलेंगे न?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं–नहीं, साथ की तो आप ही इजाजत नहीं देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिया है। वित्त मंत्रीजी ने सदन को यह भी बताया है कि इस साल यदि घाटा होगा विक्रय कर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में तो भारत सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी सौ प्रतिशत। इस साल हमारी आमदनी 3500 करोड़ पर है करेंट ईयर में और हमारी अनुमानित आमदनी जिसका प्रोजेक्शन माननीय मंत्रीजी ने किया है चार हजार करोड़ है 3,980 करोड़ है। यदि विक्रय कर लागू रहता तो राज्य को 480 करोड़ रुपये निश्चित रूप से मिलने वाले थे। अब सदन को यह जानकारी तो नहीं दी मंत्रीजी ने कि भारत सरकार हमारा जो प्रोजेक्शन हैं सेल्स टैक्स के ग्रोथ का अगले साल 480 करोड़ का हमको 480 करोड़ 3980 करोड़ में जितनी कमी रहेगी उतना हमको देगी या इस साल जो हमारी आमदनी है 3500 करोड़ वहां पर हमको पैक कर देगी कि बस 3500 करोड़ यदि आपको विक्रय कर से आ गया तो 480 करोड़ नहीं मिलने हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा आकलन है कि जो कानून आया है उसमें टैक्स कम होने की सम्भावना ही नहीं है। जब आप मल्टीपल अनेक बिन्दुओं पर टैक्स लगा रहे हो और हर मूल्य परिवर्द्धन पर टैक्स ले रहे हैं तो भारत सरकार को तो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको कुछ दे। उसमें आटोमेटिकली राज्य की इनकम जो आपने प्रोजेक्शन किया है 480 करोड़ का इस वर्ष बढ़ने का वो निश्चित रूप से पूरी होगी और मेरा तो यह भी कहना है कि अगला बजट आएगा तब तक शायद हमारी आमदनी उससे भी छलांग लगाकर तीन सौ–चार सौ करोड़ ज्यादा होगी। अब माननीय वित्त मंत्रीजी, इतना बता दे कि आपको जो भारत सरकार ने वादा किया है अनुदान देने का कि आपकी आमदनी घटेगी तो हम दे देंगे...

श्री प्रद्युम्न सिंह : कम्पनसेशन कहें।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां कम्पनसेशन जो दे देंगे वो आपको इस साल की 2002–2003 की आमदनी पर देंगे या 2003–2004 को जो आपने प्रोजेक्शन दिया है उस पर आपका पुनर्भरण होगा? मैं यह जानना चाहता हूं। अब माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो बड़ी सरलता से यह कह दिया कि चूंकि इनपुट लायबिलिटी इनपुट कितना उसने ले लिया और हमसे कितना ले रहा है राज्य के खजाने से रुपये लेने का उसको अधिकार हो गया और समायोजन का अधिकार हो गया। इसलिए हमने पीनल प्रोविजन तीन साल का रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल तक सेल्स टैक्स में यदि 6 महीने के सजा के प्रावधान से काम चल रहा था तो आपके इस इनपुट का जो भी आपने अमेंडमेंट किया है कि हम मूल्य परिवर्द्धन पर समायोजन करेंगे दूसरा जो व्यवहारी आगे का आएगा उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा धारा–67 को गौर से देखने का कष्ट करें। धारा–67 में एक्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

और नियम की किसी प्रकार अवहेलना हुई है। तो दो हजार रुपये की पैनल्टी और 50 रुपये रोज की पैनल्टी है। और इतना ही नहीं, मैं इस बात को मान भी लेता कि कोई आदमी यदि फ्रोड करता है, झूठा बाउचर बनाता है, झूठा इनपुट टैक्स दिया हुआ दिखाता है तो आप उसको कानून के कटघरे में खड़ा करें पर आप तो साधारण जो विवरणी देर से दे, रजिस्ट्रेशन में देरी कर दे, आप गौर फरमायेंगे धारा-67 में, "(1) Where any person-(a) though not registered under this Act, yet falsely represents that he is a registered dealer..."

श्री प्रद्युम्न सिंह : That is very serious. It is a very serious thing. He is not even registered and he claims to be registered. This is a very serious thing.

श्री मानिक चन्द सुराना : सुनिये-सुनिये This is not so serious.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और रजिस्ट्रेशन करा आपने, और हमने आपको रजिस्टर्ड बता करके...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारी, सर। माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो अभी बात कर रहे हैं यह बिल पास करने की स्टेज पर है और सैक्शन 86 यह कहता है, "The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिजेक्शन आफ बिल है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : रुकिये-रुकिये। "...In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character." तो आप हर खण्ड में वापस शुरू कर रहे हैं, this is not the purpose.

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्डवाइज बात नहीं कर रहा हूं मैं तो इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हो आप, नहीं कैसे कह रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इनका ध्यान आकर्षित यह कर रहा हूं कि टैक्स

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इवेजन का प्रोविजन पहले भी था कि कोई टैक्स इवेड करता है, देरी से विवरण भरता है तो हम ब्याज लेंगे, हम उसको पैनल्टी दे रहे थे 20% टैक्स उस पर आयद कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्ट की हर अवहेलना तीन वर्ष के दण्डनीय अपराध की परिधि में आती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना। नो।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल आती है। और आपकी व्याख्या से मैं सहमत नहीं हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी, ना–ना आपकी व्याख्या से थोड़े...

श्री उपाध्यक्ष : ये जवाब देंगे न।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोर्ट्स में आप जवाब दें जो भी आपकी समझ में आये। कोर्ट्स आपकी व्याख्या से और इस सदन की बहस से सीमित नहीं है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको पहले भी कहा कि कोर्ट्स भाषा पर जाएगी, जो लेजिस्लेशन की भाषा है। और जब आपने सब तरह की, दसों तरह के अपराध ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी में डाल दिये और सबके लिए आपने धारा–67 में प्रावधान कर दिया कि तीन साल की सजा हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कारोबार को, धंधे को जुर्म के धंधे के नजदीक न ले जाएं। और यदि आपने इसको जुर्म के धंधे के नजदीक ले जाने की कोशिश की और किसी व्यक्ति ने, आप कहते हैं वो रजिस्टर्ड डीलर मर्जी आएगा तो आप्शनल रजिस्ट्रेशन करायेगां, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी कानून की समझ को और ठीक करें। जैसा कानून आया है राजस्थान में, हर व्यक्ति जिसको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, उसमें पावं रखना है, वह अपने आप डीलर की परिभाषा में आयेगा। रजिस्टर्ड डीलर के लिये क्या चाहिये, 5 लाख का व्यापार चाहिये। और हजार–पन्द्रह सौ का माल बेचेगा अपने आप उस कैटेगरी में आयेगा। और कैटेगरी में आयेगा तो आब्लीगेटरी रजिस्ट्रेशन उसको कराना है। इसीलिए इस बात को भूल जाइए कि आप्शनल रजिस्ट्रेशन कराता है तो 25 हजार रुपये लेने में हमको क्या आपत्ति हो सकती है। आप्शनल रजिस्ट्रेशन करा कर जैसे बड़ा भारी तीर मार लिया। व्यापार करना चाहता है, उसमें पावं रखा है और 2–4 महीने में उसका टर्न ओवर एक्सीड करने वाला ही है। इसलिए हर व्यक्ति जो व्यापार करना शुरू करता है राजस्थान में वह डीलर की कैटेगरी में आयेगा। और डीलर को आप उसकी जो छोटी मोटी–गलतियां होती हैं, 10 दिन की देरी हो गई रजिस्ट्रेशन की दरखास्त लगाने में क्या पहाड़ टूट गया, और कौनसी तीन तीन साल की सजा का वह अधिकारी हो गया? और अगर 10 दिन का डिफाल्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हो गया कौनसा पहाड़ टूट गया? आपको 2 परसेंट का ब्याज दे दिया। इसलिए जो भूले इंटरेस्ट लेकर, छोटी मोटी पैनेल्टी लेकर समाप्त की जा सकती है उनको इस जुर्म की परिधि में, क्रिमिनल ला की परिधि में लाने की कोशिश न करें। और यदि आप लाते हैं, आपकी सरकार लाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी रूप में आम जनता इस कानून को काला कानून समझ रही है कि तीन–तीन साल की सजा के प्रावधान इस कानून में बना दिये गये हैं छोटी मोटी भूलों के लिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस चैप्टर 6 के कारण यह सारा बिल अस्वीकार किये जाने योग्य है और तिरस्कार किये जाने योग्य है और इस विधान सभा द्वारा अस्वीकार किये जाने योग्य है। मैं चाहूंगा कि पैनल्टी के प्रावधान आप वापस लें, पैनल्टी के प्रावधानों को वापस लेने की कृपा करें और इस पर विस्तार से कुछ कहना है तो धारा 67 पर विस्तार से कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरमलजी, लालजी हो या मलजी हो।

श्री सांवर लाल : सांवरलाल हैं, साहब। अब आप जो कह दो वह सही है, आप मालिक हैं हमारे।

श्री उपाध्यक्ष : हो जो कहे न, अपने क्या तकलीफ है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है, अमेंडमेंट के बारे में सुझाव भी दिये। मंत्री महोदय, यह जो कानून बन रहा है, आप जो भी हम बोले, अस्वीकार करता हूं, अस्वीकार करता हूं, इस तरीके से तो अंग्रेजो के जमाने में ही बात नहीं हुआ करती थी। आपको जनता ने चुनकर भेजा है और केवल अधिकारियों ने ड्राफ्ट बना दिया और आपको समझा दिया ऐसा ठीक होगा, यह ठीक होगा, इससे इतना राजस्व बढ़ जायेगा। आपको यही परवाह नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशंस से राजस्थान की जनता पर, छोटे–मोटे काम धंधा करने वाले पर क्या असर पड़ेगा। तो यह हमारे लिये और प्रजातंत्र के लिये बड़ी चिंता की बात है। आपने कहा कि भारत सरकार ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर आम सहमति करके इसको लागू करने के लिये कहा है। मंत्री महोदय क्या यह जो ड्राफ्ट बनाया है यह भी भारत सरकार ने आपके पास भेज दिया क्या। यह कानून तो आपने ही बनाया होगा। आपको राजस्थान की जनता ने यहां पर जिता कर भेजा है आपने तो अनलिमिटेड अधिकार इस एक्ट के माध्यम से ले लिये। आप एक्ट बना रहे हो, एक्ट को पास करा रहे हो, पशु पर कर लगा रहे हो, 10 परसेंट 500 रुपये और आप कह रहे हो मैं कह रहा हूं कि लागू नहीं होगा। आप कैसे कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ

(श्री सांवर लाल)

रहा। कल परसों अगर आपको गहलोत साहब ने बदल दिया और दूसरा मंत्री आकर लागू कर गया तो आप क्या जवाब दोगे? आप तो 6–8 महीने के हो फिर कोई सरकार बनेगी उस समय भी जब तक दूसरा कानून नहीं बनेगा तब तक यह कानून लागू रहेगा। इसलिए मंत्री महोदय, इस तरीके के कानून पास कराना जनतंत्र में जनता के साथ और जो छोटा–मोटा व्यवसाय लोग कर रहे हैं उनकी जीविका के साथ, उनके सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जानते हैं गांवों में छोटे–मोटे दुकानदार काम करते है। अब आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 5 हजार की पैनेल्टी कर दो। अब 5 हजार का तो उसका टर्न ओवर ही नहीं है पर जब आप यह अधिकार दोगे तो आपके इंस्पैक्टर, आपके अधिकारी भेजेंगे गांव–गांव, ढाणी–ढाणी में।

आजकल परिपाटी हो गई शहरों में अगर आपका इंस्पैटर किसी व्यापारी को तंग करता है तो सारे एकजुट होकर एसोसिएशन के माध्यम से उसका जूलुस निकाल देते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। फिर वह अपना नया कार्यक्षेत्र देखेंगे गांवों और ढाणियों में जो लोग बाग काम करते हैं वहां पर भागेंगे और उन लोगों को परेशान करेंगे। तीन साल की सजा हो जायेगी, इतना जुर्माना हो जायेगा। और ऐसा करके आप दो नम्बर के धंधे को प्रोत्साहन दोगे। मंत्री महोदय, मेरा तो निवेदन है कि इसमें सजा के वाइड आसपेक्ट में आपने पावर्स लिये हैं, उसको आप खतम कीजिए और अगर आपकी मंशा है, आप कह रहे हो मैं पशुओं पर नहीं लगाऊंगा, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिसका दूध पीते हैं, जिसके बछड़े से किसान खेती करता है उसको भी आप टैक्स के दायरे में ला रहे हो। बकरी को ला रहे हो, ऊंट को ला रहे हो, सारे जानवरों को ला रहे हो। आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं लागू नहीं होगा। तो फिर इसको संशोधित कर दो, इसको डिलिट कर दो इसमें कहां आपत्ति हो रही है आपको? उपाध्यक्ष महोदय, मंशा ठीक नहीं है। मंशा इस सोसाइटी और समाज का हर व्यक्ति जिन्होंने 153 बनाकर इनको भेजा है, इस तरह के कानून अधिकारी बना देते हैं और यह एक तोते की तरह रटते रहते हैं कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं। सही चीज को स्वीकार नहीं करना और इस प्रकार बिल पास कराना यह प्रजातंत्र और इस राजस्थान की जनता का असम्मान होगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो संशोधन और सुझाव आपके पास में आये, जनहित में हैं, उनको स्वीकार कीजिए। और राजस्थान में अगर उद्योग धंधों को पनपाना है, छोटे–मोटे व्यापारियों को हरेसमेंट नहीं करना है, तो

(श्री सांवर लाल)

आपकी पैनेल्टीज के जो प्रोविजन हैं उनको आपको घटाना पड़ेगा। पहले भी सेल्स टैक्स था। क्या आपके सामने कोई ऐसे प्रकरण आये कि व्यापारी इतने ज्यादा लेखे संधारित नहीं करता है, इतनी टैक्स चोरी करता है? इसलिए आप इस सजा को पहले एकदम बढ़ाकर इतनी गुना कर दिया तो यह निश्चित रूप से हमारे लिये और राजस्थान की जनता के लिये चिंता की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार यह वैट लागू हो रहा है। अब यह कंसेप्ट आप तो समझ गये कि एक जगह से दूसरी जगह जायेगा फिर वेल्यू बढ़ जायेगी। दूसरी जगह से तीसरी जगह जायेगा फिर वेल्यू बढ़ जायेगी। भारत सरकार ने इनको कह दिया कि अगर कोई भी डेफिसिट आपका प्रजेंट टैक्स में रहेगा या एस्टीमेटेड, यह मुझे पता नहीं है, पर जो भी आपकी कमी रहेगी उस कमी को सेंट परसेंट भारत सरकार पूरा करेगी। फिर आप इस राजस्थान के हर व्यापारी को मारने का काम क्यों कर रहे हो? आप इतना वाइड स्कोप इन अधिकारियों को क्यों दे रहे हो, मेरे यह समझ में नहीं आया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसको एज इट इज पास नहीं किया जाये। इसको स्वीकार किया जाये और इसमें पैनेल्टी वगैरह के जो प्रावधान हैं उनको कम किया जाये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इस बिल को पास करने के बारे में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, कई प्रकार की कमियां हैं और व्यवहारिक बताया गया है। इससे मैं सोचता हूं कि कोई भी कानून हम बनाएं, कानून जनता के लिये बनाते हैं। कोई जंगलराज तो करना नहीं है। और इस प्रकार का कानून बनाकर या तो इंस्पैक्टर राज को, खुले रूप से उनको बुलाया है कि आप जाओ, हरेक को चैक करो, और हरेक पर जितनी चाहो उतनी पैनेल्टी

(श्री हीरासिंह चौहान)

इम्पोज कर दो और फिर जो भी सजा बनती हो उसको सजा दो।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाने के लिए हम सक्षम हैं और यह राजस्थान विधान सभा से कानून बन रहा है। माना कि केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश में एक ही प्रणाली से, वैट प्रणाली से टैक्स इम्पोज करने वाली जो बात की उसके लिये तो प्रशंसा की बात है कि पूरे हिन्दुस्तान में व्यापार है। कहीं कोई चीज सस्ती हो जाती है, कोई महंगी हो जाती है। इससे सारे स्टेट्स में व्यापार एक प्रकार होगा और चीजों के मूल्यों का निर्धारण भी एक ही प्रकार से होगा। लेकिन यह जो एक्ट आपने बनाया है, जिस प्रकार की धाराओं का इस एक्ट में प्रावधान किया है उन धाराओं के तहत जगह-जगह ऐसे कोई भी व्यवसायी चाहे मैन्युफ्रेक्चरर हो, चाहे टर्न ओवर करने वाला हो, हर एक को किसी न किसी प्रकार से गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जिस प्रकार की भावना सदन के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ जोरदार शब्दों में वकालत करते हुए यह बताया है कि इस कानून के कारण से इस राजस्थान में जो व्यापारी व्यापार करता है चाहे ईवन गांव में बैठा हुआ छोटे से छोटा व्यापारी हो, आपने दो लाख तक वाले को, 2 लाख का मतलब है एक दिन में जो 450-500 रुपये की जो विक्रय करता है, वहां तक के व्यवसायी इस कानून की परिभाषा में आ जायेंगे। इसलिए

(17.00 बजे)

हमने आपसे कहा कि इसको जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए प्रसारित करें ताकि लोग इस कानून को समझ सकें और ठीक प्रकार से इसका उपयोग हो सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं तो इसमें विरोध कर रहा हूं। इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए। उसके बाद इसमें कई प्रकार की धाराओं में त्रुटियां, कई प्रकार की शर्तों का प्रावधान किया गया है, इंस्पैक्शन करने का किया गया है, साथ ही साथ आडिट की एक बात आपने क्या कही, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है इसमें। (व्यवधान) एसेसमेंट भी किया जाता है, दूसरी तरफ यह भी किया जाता है। इस प्रकार यह काला कानून है इसको वापस लिया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिससे सम्पूर्ण राजस्थान का व्यवसाय किस दिशा में चलेगा, इसका निर्धारण करने जा रहे हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय को जब इतनी चिंता थी और इन्होंने बाकी सारे एक्सपर्ट्स को बुलाकर चर्चा की, आपने सब प्रकार से वैट के बारे में जानने की कोशिश की, तो आपको इस सदन का कोई माननीय सदस्य उपयोगी नहीं लगता था क्या? आखिर हम इस राजस्थान के जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों को बुलाकर इस बारे में चर्चा की जाती, लेकिन आपको इस बारे में लगता है कि नहीं, जानकारी रखने वाले लोग सब बाहर ही एक्सपर्ट बैठे हैं। हम यहां आकर, जिस कानून को बनाने के लिए यहां बैठे हैं उन लोगों में से किसी की कोई समझ ही नहीं थी। मैं सोचता हूं कि इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अपने बहुमत के आधार पर जो चाहे करें। जब हम कानून बनाने जा रहे हैं जो इसके एक-एक बिन्दु पर ठीक तरह से विचार कर लेना चाहिए। अगर कोई पहले से विचार करके इसको किसी कमेटी के रूप में देकर उन बिन्दुओं पर चर्चा करते तो क्या नुकसान था?

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि केन्द्र ने आपके लिए यह बाध्यता रखी क्या, कि यह-यह आप इसमें प्रोवीजन डालना। वैट लागू हो, सम्पूर्ण देश में एक प्रकार से टैक्स की प्रक्रिया बने, समझ में आता है। कोई चिन्ता की बात नहीं। लेकिन हम दूसरे प्रदेशों से बराबरी में हैं क्या? अपने यहां इतनी शिक्षा का प्रसार है? अपन यहां पर 200 सदस्य बैठे हैं सबको एक कागज पकड़ा दे और कह दे कि वैट का टैक्स लग रहा है वह किस तरह से लग रहा है, 100 रुपये की चीज यहां से बिक रही है, बता दे तो मान जाऊंगा कि हमको कुछ जानकारी है वैट के बारे में। दुर्भाग्य हमारा, हम इतना बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं और हम लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर यह मूल्य संवर्द्धन का मतलब क्या है। जो चीज 100 रुपये की यहां बिकी, उस पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया तो 110 में जाकर दूसरे ने खरीदी। 110 वाला जाकर उसको 150 में बेचेगा तो 150 के ऊपर उसका वापस 15 रुपये टैक्स बनेगा। 10 तो आपने पीछे चुका दिया और 5 उसको चुकाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वापस मान लीजिए थर्ड ने उसको बेचा और उसने 150 में खरीदकर 200 में बेचा तो उसका टैक्स 20 रुपये हो गया। 20 में से 15 चुका, 5 फिर टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया राजस्थान का सामान्य गांव में बैठा हुआ गरीब समझ सकता है क्या? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उस पर लागू ही कहां है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस पर लागू इसलिए हो जाएगा, जब आपने उसकी सीमा तय कर रखी है, 5 लाख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की सीमा तय कर रखी है, 5 लाख का मतलब क्या हुआ, 1500 रुपये का टर्न ओवर रोजाना का। 1500 रुपये आप भी व्यापार जानते हैं और मैं भी व्यापार जानता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माफ करेंगे, मैंने उसके लिए फिर एक सुविधा और दी है, 25 लाख रुपये तक की सुविधा दी है। मैंने वह सुविधा अलग दी है उसको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुविधा के बारे में आप जब इतना विचार कर रहे है तो थोड़ा सा इसमें गहराई से विचार करें कि हमारा स्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा इतनी नहीं है कि जिस शिक्षा के कारण आदमी उन अंकों को पहचान सके, ठीक तरह से लिख सके। उसके बाद आपने 5 लाख की छूट दी, 5 लाख का मतलब 1500 रुपये का टर्न ओवर रोज का। 1500 रुपये का टर्न ओवर किसी दुकानदार से पूछना आज कल का धंधा होता है 1-2 परसेंट पर इतना जबरदस्त काम्पीटीशन है कि जिंदा रहने के लिए भी, उसको जहर खाने की स्थिति आ रही है।

जिस प्रकार का हमारा ढांचा बना, पता नहीं किस बारे में, क्यों नहीं हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि अकाउंट को कैसे रखेगा, क्या वह अकाउंट रख सकेगा, अकाउंट रखने के लिए उसको एक आदमी और रखना पड़ेगा। स्वयं महीने के दो हजार, ढाई हजार नहीं कमाएगा, तो वह कैसे इस अकाउंट को मेंटेन करेगा इन समस्याओं के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप इंस्पैक्टर राज को पनपा कर इस प्रकार से, जो व्यापारी हमारा खजाना भरता है उसे चोर क्यों समझते हो? दुर्भाग्य इस देश का, जो हमको टैक्स कमाकर, लोगों से इकट्ठा करके देता है उसको चोर क्यों समझते हो? और चोर समझते हैं, आखिर वैट लागू कर रहे हैं। इतनी ज्यादा हमको पैनल्टियां कायम करने में केन्द्र ने कहां मजबूर किया है? इस प्रकार से आप पैनल्टियां लगा दें, इस प्रकार से आप उनको मजबूर करें, मैं सोचता हूं इस बारे में आपको निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं, अगर प्रयोग के रूप में इसको 2-3 साल वैसे ही चलाने के बाद, यह जितनी भी आपने शास्तियां लगाई हैं इसके बारे में अगर कोई ढील नहीं दी जा सकती, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कोई कमी-खामी है तो आप जरूर सख्त कानून बनाएं। अभी तो लोगों को ठीक तरह से जानकारी भी नहीं मिलेगी। इंस्पैक्टर जाकर उनको तंग करेगा, लूटेगा। पहले से ही वह अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहा है और ऊपर से आप इस प्रकार का सख्त कानून बनाने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपको किसी ने ऐसा तो मजबूर नहीं किया कि हमको इस प्रकार की सारी की सारी पैनल्टियां इम्पोज करनी है उस पर।

पंजीकरण न कराने पर शास्ति। अब आपने इसमें लिखा कि जब कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के अभाव में निर्धारित समय में स्वयं का वैट कानून के तहत पंजीयन कराने में असमर्थ रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति पर दोष अवधि के पहले 30 दिन तक 5000 रुपये तक की शास्ति आरोपित कर सकेगा। उसके बाद भी अपराध की अवधि के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर सकेगा। अब प्रतिभूति के अभाव में, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए इस प्रकार का दण्डनीय क्यों बना रहे हैं, क्या आप उसके लिए एक वर्ष का समय नहीं दे सकते कि वह इस सिस्टम को समझकर इस सिस्टम में आ जाए। पहले दिन से ही अगर आपने इसकी कठोरता की तो आपका कानून भले ही आपको नफा देगा या नहीं देगा, लेकिन राज्य कर्मचारी का जो शोषण है, राजस्थान का व्यापारी आज भी इस कारण से दुःखी है और उससे टैक्स तो आप चाहे जितना ले लो, एक पाइंट पर एक दिन कह कर ले लीजिए, इतना जमा करा दो, जमा करा सकता है। लेकिन इस अकाउंट को रखकर, इस हिसाब को रखकर वह नहीं कर सकता। उसे इंसपैक्टर के चंगुल में मत फंसाइये।

मैं सोचता हूं जितना चंगुल से मुक्त किया उतना ज्यादा टैक्स रेवेन्यू हमको कलक्ट हुआ। क्या यह बात सच नहीं है राजस्थान की, जितनी हमने उसमें छूट दी उतना ही हमको टैक्स अधिक प्राप्त हुआ? हम जबरदस्ती ईमानदार को चोर की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासनिक इंस्पैक्टर को उन्हें पूरा का पूरा लूटने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं सोचता हूं आप किसी और पर बात करें कि नहीं करें लेकिन इस बात पर जरूर करें।

आपका मूल्य संवर्द्धन, जिस प्रकार का आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, असर किस पर जाएगा, कोई जेब से देगा? मैं सोचता हूं कोई जेब से देने वाला नहीं है। वह तो जबरदस्ती कलक्शन करके आप तक पहुंचाता है। मजदूरी आपकी करता है और उसके एवज में उसको सजा मिलती है। अगर आपको लगता है कि इसका टैक्स का तरीका यह है तो वह तो कलक्शन करने वाला है। वह किसी दूसरे से इकट्ठा करता है और आपको देता है। इकट्ठा करने की जिम्मेदारी में उसको चोर समझा जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आपका कंज्युमर इससे मुक्त होगा, इससे महंगाई का भार कंज्युमर पर नहीं पड़ेगा? बार-बार 6 जगह अगर रीसैल हुआ तो 6 जगह टैक्स भरता ही चला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाएगा। 12 जगह इधर से उधर टर्न ओवर हुआ तो 12 जगह टैक्स लगेगा। कंज्युमर तक पहुंचेगा तो उसका क्या भाव बनेगा, कौन इन छोटे-छोट अकाउंट्स को रख सकेगा? कृपा करके अगर आप बाकी बातों के बारे में सहमत नहीं हो तो यह जितनी भी पैनल्टियां इम्पोज़ की हैं, धैर्य से, शांति से, इस पर विचार करके कम से कम इसको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दीज़िए और तारीख लगा दीजिए कि एक साल बाद यह लागू हो जाएगा। एक साल का अवसर उसे समझने के लिए दीजिए, उसको इस व्यवस्था में आने के लिए दीजिए और उसके बाद उस पर शिकंजा कसने की कोशिश करें तब तो हम इसे ठीक कर पाएंगे नहीं तो,...आज सारी जगह हड़ताल हो रही है। सब जगह बन्द हो रहे है। क्या इस छोटे से काम के लिए उनको कोई मजा आ रहा है बन्द करने में? आज दिल्ली 48 घंटे के लिए बंद है। सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में आज आंदोलन कर रहे हैं। आज व्यापारी चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, सब जगह आंदोलन, किस बात के लिए हो रहा है? क्या उनको टैक्स अपने घर से देना पड़ रहा है? टैक्स अपने घर से नहीं देना पड़ रहा है। टैक्स को कलक्ट करके ही देगा, कोई अपने घर से भरने वाला नहीं है। इस हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए उसको जितना परिश्रम, जितनी शक्ति, समय और पैसा बरबाद करना पड़ेगा उसकी एवज में उसको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसको इस ढंग से लाकर, जिससे सामान्य व्यक्ति है, कारोबार करता है, उसको निश्चितता आए और निश्चितता आने के बाद, उसको इस सिस्टम में डालने के बाद अगर उससे आप वसूली करेंगे, वह वसूली देगा। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान का रेवेन्यू बढ़े। केन्द्र सरकार भी चाहती है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़े। चोरी होती है वह बचे। किसी प्रकार से टैक्स का इवेजन नहीं हो। यह हम और आप सब लोग चाहते हैं लेकिन उसको इस तरीके से करना मैं सोचता हूं कि किसी तरह से उचित नहीं है।

मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, मेरे दल की ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से, उन सारे व्यापारियों की ओर से, कि आप जितनी भी शास्तियां लगाने जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ समय अवधि दीजिए। और समय अवधि के बाद इस शिकंजे को कसने की कोशिश कीजिए तब तो इसमें से लाभ निकलेगा नहीं तो इसमें से एक तरह से भूचाल चलेगा और वह भूचाल आपको और हमको सबको यह कहेगा, आप सब जनप्रतिनिधि वहां बैठे-बैठे क्या कर रहे थे? काननू बनाने वाले, आपको कानून का ही पता नहीं, आपको इसके प्रोवीजन का पता नहीं और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप चले इसको पास करने के लिए। मैं समझता हूं कि यह इस लोकतंत्र का एक सबसे ज्यादा घिनौना मजाक होगा कि हम यहां इतने बैठे रहने वाले लोग, ईमानदारी से यहां बैठे हैं उनमें से किसी को एक को अचानक गोटी निकालकर खड़ा कर दो और कहो कि इस वैट के बारे में क्या समझते हो तो हमारी पोल खुल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम कानून बनाने जा रहे हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी कानून चलेगा और जिसके आधार पर हमारा कर वसूल होगा। उसके बारे में हमको इतनी फुरसत नहीं है, इतना सोचने का समय भी नहीं है कि हम उस पर ठीक प्रकार से विचार करे पास करें। और उसके बाद भी आप अपने बहुमत के घमण्ड में अगर इसको पास करना चाहते हैं तो मुझे और मेरी पार्टी को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। यह शास्ति रहेगी या नहीं रहेगी, हम इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इन पैनल्टी के प्रोविजंस को ले करके एक प्रचार का भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान) आप सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भ्रम क्या है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनना नहीं चाहते हैं अब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय केसारामजी, यह आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री केसाराम चौधरी : मतलब अपन राजस्थान की जनता के लिये कानून बना रहे हैं और कोई नहीं समझे उससे क्या मतलब?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पंजीयन का प्रार्थना-पत्र।

श्री केसाराम चौधरी : एम.एल.ए. को समझने में ही नहीं आया और आप ऐसा कानून बना रहे हैं। इसमें हम ताबड़तोड़ में लाने...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं पढ़ेंगे तो मुझ पर क्या इल्जाम है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके किसी मंत्री से दिखवा लीजिए, वैट क्या है। (व्यवधान) आपके किसी मंत्री से यह वैट क्या है...(व्यवधान) चाहे व्याख्या करा लीजिए।

श्री केसाराम चौधरी : किसी मंत्री से इसकी व्याख्या करवा लीजिए। ताकि ये लोग समझे तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : ताकि ये लोग समझे तो सही। अपन कानून बना रहे हैं राजस्थान की जनता के लिये, हम उनके हित के लिये यहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। ये बोल लिये ना।

श्री केसाराम चौधरी : और उनके लिये कानून बना रहे हैं, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे चैम्बर आफ कामर्स विरोध कर रहे हैं, सारे स्टाक महासंघ विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री केसाराम चौधरी : मतलब यह कैसा कानून बना रहे हैं। (व्यवधान) आप कम से कम आपके मंत्रियों से, आप तो कर लेंगे क्योंकि आपके अधिकारियों ने समझा-समझा कर बातें बतायी हैं। आपके मंत्रियों से कोई इसकी व्याख्या करवाइये, हम भी समझ जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे व्यापार महासंघ विरोध कर रहे हैं, चैम्बर आफ कामर्स विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस कानून को लागू करके और इस प्रकार की पैनल्टी उन पर इम्पोज करते चले जा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कुछ समय दीजिए जिसके बाद आप यह करिये। इसके बाद भी आपका जैसा अडामेंट रुख दिख रहा है कि आप विचार करने को तैयार नहीं हैं, मैं और मेरा दल इस पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अभी सोचो, वित्त मंत्रीजी, सोचो।

श्री मानिक चन्द सुराना : पैनल्टीज के प्रावधान को वापस लें। पैनल्टीज के प्रावधान को वापस नहीं लेंगे तो बहुत राजनीतिक भूचाल ही नहीं राजनीतिक परिवर्तन भी आने वाला है। आप यह पैनल्टीज के भ्रम में नहीं रहे कि पैनल्टीज रहेंगी।

अनेक माननीय सदस्य : पधारो, पधारो।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो हम वाकआउट करेंगे ही, वाकआउट हमारा अधिकार है।

श्री अमराराम चौधरी : यह जनता के हित में नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि आप इसमें संशोधन कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे राजस्थान के औद्योगिक महासंघ, सारे राजस्थान के चैम्बर आफ कामर्स, आपके धौलपुर के चैम्बर ने लिखकर दिया है। मेन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन ने लिखकर दिया है। (व्यवधान) सबने इसका विरोध किया है और यह वैट कानून, काला कानून जो आप पास कर रहे हैं, आपका पायलट, वायकाट, वायकाट।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जाइये ना, आप रवाना होइये।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने चलते-चलते राजनीति दिखानी शुरू कर दी। क्यों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि इस टैक्स को खतम करें? क्यों नहीं कहते हैं वहां जा करके? वहां तो कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यहां व्यापारियों के समक्ष जा करके उनके हितैषी बनने की चेष्टा कर रहे हैं और राजनीतिक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा जो सन् 1994...(व्यवधान) बैठें आप कृपया। आप भी उनके साथ हैं, मुझे मालूम है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे मालूम है आप भी उनके साथ हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गलती पर हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस तरह का आप का व्यवहार है आप भी उनके साथ हैं। मुझे मालूम है आप जैसा कर रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, लेकिन मैं कह रही हूं कि इनकी सलाह कब ली वह तो वित्त मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, लेट मी मेक सो देट अपना रिकार्ड सही हो जाए। जो सन् 1994 में बी.जे.पी. शासन द्वारा कानून पारित किया गया था, उसमें पैनल्टी के क्या प्रोविजन थे, आप जरा उनकी तरफ गौर कर लें। Non filing of application for registration-उस वक्त हजार रुपये था, अब इसको 2 हजार रुपया किया गया। non-furnishing of security-उस वक्त 2 हजार रुपये और 25 रुपये रोज था। अब इसका दो हजार रुपये और 50 रुपया किया गया।

यह जो यहां पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर प्रावधान के लिये सजा का प्रावधान किया गया है, हर आफेंस के लिये, यह सत्य नहीं है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान के व्यवसाइयों को भरोसा दिलवाना चाहता हूं, सरकार कोई उनका दुश्मन नहीं है। कोई उनकी विरोधी नहीं है। इसलिये हमने बैठकर निर्णय लिया है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पहला साल, जो अख़बारों में भी आ चुका है। पहला साल उनके समझने का रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पहले साल के अन्दर जब भी कोई कानून लागू होता है, टीथिंग प्राब्लम, जैसे बच्चे के दांत निकलने की समस्या आती है इस प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी इस बात का आभास हमको भी है। तो हमने उनसे कहा है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, सर्कूलर तैयार हो गया है कि पहले साल के अन्दर खाली...इसने जानबूझकर कोई जालसाजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

या चार सौ बीसी की है अन्यथा हम छोटे–मोटे आर्फेस के लिये करेक्शन कराएंगे, सही कराएंगे रिकार्ड को और सिम्पल फार्म है, एक पेज का। एक पेज का फार्म बनाया गया है इसके अन्दर कि आप खाली माल कितना खरीदा, कितना बेचा, आपने कितना इनपुट ब्रेण्डर लिया यह भरकर दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि लोगों के कष्ट और व्यवहार कम से कम हों? लेकिन ऐसे लोग जिसके लिये सजा का प्रावधान, पहले भी 6 महीने की सजा का प्रावधान था इनके वक्त में, उसको 3 बरस का, अप–टू 3 यीअर्स, यह नहीं कि 3 वर्ष होगी ही होगी। यह किसलिये किया गया, पहले वाले में तो प्रावधान था, 6 महीने का था, इसको क्यों किया? क्योंकि मैं शुरू में, बार–बार कह रहा हूं कि इनपुट क्रेडिट के नाम पर टैक्स तो देगा ही नहीं, कोई चार सौ बीस, जालसाज हो, जो फर्जी कागजात तैयार करे, फर्जी रसीदें तैयार कराये और राज खजाने से पैसा और ले जाए। पुराने एक्ट के अन्दर राज के खजाने से सिर्फ टैक्स की चोरी कर सकता था लेकिन राज के खजाने से पैसा पाने का उसको अधिकार नहीं था। आज तो एक तरह से जो उसके पास इनपुट क्रेडिट पाने का जो हक है एक तरह से चैक है उसके पास। उस बैंक से, राज के खजाने से पैसा पा सकेगा, रिफण्ड पा जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिये यह व्यवस्था की गयी है। यहां राजनीति कर रहे थे बैठे हुए। व्यापारियों को पहले तो...हिन्दुस्तान के अन्दर जब इनके प्रान्तों में, गुजरात में क्यों लागू कर रहे हैं? ये ही सिमिलर प्रोविजंस हैं वहां पर। इनकी दो ही सरकारें रह गयी हैं। झारखण्ड वाले क्यों इसको लागू कर रहे हैं? इनके एन.डी.ए. के अलाइज क्यों लागू कर रहें हैं? जब सारे देश के अन्दर लागू हो रहा है तो राजस्थान के अन्दर यह मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। अन्दर से तो चाहते हैं कि लागू हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस बिल को यथास्थिति पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.17 बजे बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र, बस्सी (जयपुर) में माडा योजना में अपूर्ण कार्य

267. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के माडा योजना में चयनित अनुसूचित जनजाति के गांवों में वर्ष 1999 से अब तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत किये गये? पूर्ण/अपूर्ण, अब तक प्रस्तावित कार्यों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अपूर्ण कार्यों के पूर्ण न होने एवं प्रस्तावित कार्यों के स्वीकृत होकर चालू नहीं होने के क्या कारण रहे और इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के माडा योजना में चयनित गांवों में वर्ष 1999 से अब तक कुल 28 कार्य स्वीकृत किये गये जिनका विवरण निम्न अनुसार :-

क्र. सं.	नाम योजना	कार्यों की संख्या
1.	हैण्ड पम्प स्थापना	11
2.	शालाओं में अतिरिक्त कमरा निर्माण	2
3.	लघु सिंचाई योजनायें	1
4.	पम्प एवं टेंक योजना	2
5.	सामुदायिक भवन निर्माण	1
6.	एनीकट निर्माण	4
7.	जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण	2
8.	सम्पर्क सड़क निर्माण	3
9.	आश्रम छात्रावास निर्माण	1
10.	अन्य कार्य	1
	कुल योग	**28**

स्वीकृत कार्यों की स्थानवार, लागत एवं पूर्ण-अपूर्ण की सूचना परिशिष्ट-1 पर

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

तथा अब प्रस्तावित कार्यों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट–2 पर अवलोकनीय है।

(2) स्वीकृत कार्य विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कराये गये जिनमें से कुछ पूर्ण हो गये हैं एवं कुछ कार्य प्रगति पर हैं जिनके शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है। स्वीकृत सभी कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर में अब प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है। राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति दी जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों पर स्वीकृत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

268. श्री अमीन खान (शिव): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अकाल राहत कार्य किस तारीख से प्रारम्भ किये गए हैं और जिलेवार अब तक कितने मजदूर लगाए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में अब तक कितने पशु शिविर स्वीकृत किए हैं और उनमें कितने पशु की संख्या रखी है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब जून, 2003 तक कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है और मजदूरों की संख्या कितनी करने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) राज्य में अकाल राहत कार्य 16 अगस्त, 2002 से आरम्भ किये गये हैं। जिलेवार कार्यरत श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) राज्य में 1721 पशु शिविर स्वीकृत हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–2)

(3) राज्य सरकार की मंशा माह अप्रैल, मई व जून में क्रमशः 28 लाख, 30 लाख व 30 लाख श्रमिक सीमा रखने का है। परन्तु यह केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता राशि व गेहूं मिलने पर ही सम्भव होगा। राहत गतिविधियों पर माह मार्च से जून, 2003 तक लगभग 550 करोड़ रुपये राशि व्यय होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-1

Districtwise Labour Engaged as on 28.02.2002

S. No.	District	Labour Engaged	S. No.	District	Labour Engaged
1.	Ajmer	63766	17.	Jaipur	59329
2.	Alwar	26578	18.	Jaisalmer	58896
3.	Banswara	55126	19.	Jalore	41916
4.	Baran	76780	20.	Jhalawar	47697
5.	Barmer	142630	21.	Jhunjhunu	27200
6.	Bharatpur	26946	22.	Jodhpur	104586
7.	Bhilwara	59684	23.	Karauli	52405
8.	Bikaner	97399	24.	Kota	25363
9.	Bundi	32276	25.	Nagaur	60256
10.	Chittorgarh	74510	26.	Pali	66150
11.	Churu	92268	27.	Rajsamand	41933
12.	Dausa	17969	28.	S.Madhopur	49356
13.	Dholpur	9316	29.	Sikar	54670
14.	Dungarpur	71083	30.	Sirohi	45630
15.	Ganganagar	14800	31.	Tonk	52459
16.	Hanumangarh	40486	32.	Udaipur	106025
				Total	**1795488**

परिशिष्ट–2

पशु शिविरों हेतु जिलेवार स्वीकृत पशु सीमा एवं जिलों में लाभान्वित पशु संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत शिविरों की संख्या	चालू शिविरों की संख्या	लाभान्वित पशु संख्या 28.02.2003
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	7	7	2194
2.	अलवर	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	—	—
4.	बारां	13	13	1554
5.	बाड़मेर	384	303	125120
6.	भरतपुर	6	6	4942
7.	भीलवाड़ा	—	—	—
8.	बीकानेर	150	150	102535
9.	बूंदी	—	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—
11.	चूरू	61	60	14944
12.	दौसा	10	10	2454
13.	धौलपुर	4	4	2300
14.	डूंगरपुर	—	—	—
15.	श्रीगंगानगर	20	20	4590
16.	हनुमानगढ़	24	24	3612
17.	जयपुर	35	33	3782
18.	जैसलमेर	576	532	95000
19.	जालौर	14	14	2772

1	2	3	4	5
20.	झालावाड़	—	—	—
21.	झुंझनूं	11	11	2999
22.	जोधपुर	110	109	27005
23.	करौली	23	15	4445
24.	कोटा	—	—	—
25.	नागौर	96	96	14000
26.	पाली	107	100	24887
27.	राजसमंद	—	—	—
28.	सवाईमाधोपुर	21	21	5250
29.	सीकर	46	46	6165
30.	सिरोही	3	1	245
31.	टौंक	—	—	—
32.	उदयपुर	—	—	—
	योग	**1721**	**1575**	**450798**

विशेष श्रेणी के कृषि कनेक्शन योजना

269. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु विशेष श्रेणी योजना पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कनेक्शनों की सामग्री किसान बाजार से खरीद सकेंगे? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(3) कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने पर क्या भूमिधारी के नाम कनेक्शन स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव जारी करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 30 जून, 2002 तक विशेष योजना (स्पेशल स्कीम) के अन्तर्गत कुल 56182 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें पुराने साधारण श्रेणी के आवेदक तथा इस स्कीम के लिये नये आवेदन भी सम्मिलित हैं। इन आवेदनों में से माह, फरवरी के अन्त तक 32834 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष आवेदनों में से तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने वाले आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा करवा देने पर जून, 2003 तक कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। सरकार का स्पेशल स्कीम को पुनः शुरू करने का विचार नहीं है परन्तु जून, 2003 के पश्चात् कृषकों की मांग होने पर पूर्व में प्राप्त साधारण श्रेणी के आवेदकों से ही स्पेशल स्कीम में कनेक्शन लेने के लिये विकल्प देने पर विचार किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। किसानों को कनेक्शनों की सामग्री बाजार से खरीदने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि साधारणतया लाइन खींचने की मुख्य सामग्री पोल, तार, इंसुलेटर तथा ट्रांसफार्मर इत्यादि बाजार में फुटकर उपयोग हेतु उपलब्ध भी नहीं होती है।

(3) कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने पर भूमि के मालिक के नाम कनेक्शन स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया हुआ है।

जिला जैसलमेर के चिन्नू गांव की सुविधा हेतु प्रस्तावित चिन्नू माइनर का निर्माण

270. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की आर.डी. 1121 से जैसलमेर जिले के चिन्नू गांव की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा हेतु चिन्नू माइनर का निर्माण प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त माइनर के आगे एस्केप डेम नम्बर 2 की भूमि भी जोड़ी जा सकती है जिससे सिंचित क्षेत्र दुगुना हो जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि चिन्नू क्षेत्र में हजारों नये काश्तकार बसे हैं तथा स्थानीय काश्तकार भूमिहीन हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि सभी माइनर उपलब्ध जी.टी. शीट के आधार पर बनती है तथा खाला निर्माण हेतु मैक्रो सर्वे करवाई जानी है?

(5) क्या सरकार आगामी वर्ष में चिन्नू माइनर के निर्माण हेतु प्रावधान रख कर उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिन्नू माइनर का निर्माण स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है।

(2) एस्केप के अन्तर्गत आया हुआ क्षेत्र नहर की सुरक्षा के लिए पानी भरने के लिए है अत: एस्केप के अन्तर्गत आया हुआ क्षेत्र कम करना नहर की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(3) विभाग के पास इस प्रकार का कोई विवरण नहीं है।

(4) माइनर का प्रारम्भिक अलाइनमेंट जी.टी. शीट के आधार पर दिया जाता है। माइनर बनाने के लिये एवं उससे निकलने वाले वाटर कोर्स (खालों) के लिए कमाण्ड क्षेत्र का विस्तृत (माइक्रो) सर्वेक्षण करवाया जाता है।

(5) माइनर का विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण कराने के पश्चात् उचित पाया जाने पर उक्त कार्य का प्रावधान परियोजना के संशोधित अनुमान में एवं आगामी वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में किया जाकर प्रारम्भ कराना सम्भव होगा।

भूमि विकास बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग की पूर्ति

271. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य भूमि विकास बैंक ने 2002-2003 में पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये तथा उनकी पालना कहां तक हुई? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति

(श्री रामप्रताप एवं मदन दिलावर)

के बैकलाग को भरने के सम्बन्ध में निर्देशित किया था? यदि हां, तो उक्त की पालना क्यों नहीं हुई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त में 18 वर्ष से ज्यादा वर्षों से भी अधिक समय से कर्मचारी एक ही पद पर कार्यरत हैं और उनकी अभी तक भी पदोन्नति नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 2002-2003 में अनुमति मिलने के बाद भी तथा 26 पद रिक्त होने के बाद भी पदोन्नति क्यों नहीं की गई?

(4) अब बैकलाग कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त आदेशों की पालना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। पदों की अनुपलब्धता के कारण अनेक कर्मचारी नियुक्ति के समय धारित पद पर कार्य कर रहे हैं।

(3) जी हां। 26 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(4) राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा पदोन्नति की बैठक बुलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार बैकलाग पदों पर नियमानुसार पदोन्नति कर दी जावेगी।

जिला डूंगरपुर के प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

272. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर कितने कर्मचारी होते हैं?

(2) क्या उक्त जिले में नये केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 782 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं संचालित है एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है एवं एक आंगनबाड़ी सहायिका होती है। जो मानदेय आधार पर कार्य करती है।

(2) जी नहीं। जिले में नये केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ''इंडिया मिक्स'' पोषाहार वितरण किया जाता है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम से निःशुल्क प्राप्त होता है। किन्तु वर्तमान में

(महिला एवं बाल विकास)

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर करने के परिणामस्वरूप माह दिसम्बर, 2002 से "बेबीमिक्स" पोषाहार का वितरण लाभान्वितों को किया जा रहा है। यह सामग्री राज्य सरकार के वित्तीय स्त्रोतों से उपलब्ध करवाई जा रही है।

निजी क्षेत्र में संचालित मेडिकल कालेज/डेंटल कालेजों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

273. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने मेडिकल कालेज/डेंटल कालेज/पैरामेडिकल कालेज व नर्सिंग कालेज निजी क्षेत्र में संचालित हैं? उक्त में से कितनों को मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया नर्सिंग कौंसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त में से किसी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में निजी क्षेत्र में 1 चिकित्सा महाविद्यालय 3 दन्त महाविद्यालय संचालित है, जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद्, दन्त चिकित्सा परिषद् व भारत सरकार से मान्यता (एप्रुड) प्राप्त है जो निम्नप्रकार से है :

1. महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सीतापुरा, जयपुर।
2. दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर।
3. पेसिफिक डेंटल कालेज, उदयपुर।
4. जयपुर डेंटल कालेज, जयपुर।

तथा बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सीतापुरा, जयपुर एवं जयपुर डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है।

इनमें से नर्सिंग कौंसिल आफ इण्डिया ने उनके पत्र दिनांक 20.1.2003 द्वारा जयपुर डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर को अनुमति प्रदान की है।

(2) दर्शन डेटल कालेज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को दर्शन डेंटल कालेज, पेसिफिक डेंटल कालेज एवं जयपुर डेंटल कालेज की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसकी जांच लोहिया समिति से कराई गई व उस पर कार्यवाही मुख्य रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की जानी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

है यदि कोई बिन्दु राज्य सरकार से सम्बन्धित होगा तो राज्य स्तर पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति केशवरायपाटन में स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन

274. **श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन):** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक पंचायत समिति केशवरायपाटन द्वारा किन-किन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये गये हैं?

(2) क्या उक्त अवधि में निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विधायक कोष निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत राशि के पंचायत समिति द्वारा कार्य पूरे करवा दिये गये हैं?

(5) क्या उक्त अवधि के निर्माण कार्य अब तक पूरे नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक पंचायत समिति के पाटन द्वारा निम्न योजनाओं में निर्माण कार्य करवाये गये:-

1. निर्बन्ध राशि योजना
2. 32 जिले 32 काम योजना
3. अपना गांव अपना काम योजना
4. ग्रामीण विकास केन्द्र योजना
5. सुनिश्चित रोजगार योजना
6. सांसद कोष योजना
7. 10 वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग योजना
8. विधायक कोष योजना
9. उप स्वास्थ्य भवन योजना
10. न्यू माडा योजना
11. अल्प बचत प्रोत्साहन योजना
12 आई.सी.डी.एस. योजना
13. राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत योजना
14. एस.जी.एस.वाई. योजना-ग्रामीण दुकानें
15. 11वां वित्त आयोग
16. अकाल राहत योजना
17. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
18. जे.जी.एस.वाई. योजना (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना)

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता व विकास अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित अधिशासी अभियन्ता व परियोजना निदेशक द्वारा कार्यों का मूल्यांकन किया गया।

(3) उक्त अवधि में विधायक कोष निर्माण कार्य हेतु कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। केवल स्वीकृत कार्यो में से वर्ष 1990–2000, वर्ष 2000–2001, वर्ष 2001–2002 व वर्ष 2002–2003 में क्रमशः 2,7,6 व 28 कार्य अपूर्ण रहे। कार्यवार स्थिति परिशिष्ट 'अ' के कालम 9–10 में वर्णित है।

(5) जी हां। वर्ष 1999–2000 से जनवरी, 2003 तक अपूर्ण कार्य, 4 प्रगति पर 18 व अप्रारम्भ रहे कार्यों की संख्या 17 व 4 कार्य निरस्त किये गये है। अपूर्ण रहने का कारण व जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' के 11–12 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शराब के ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

275. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार की बकाया राशि वसूल करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या सभी विभागों में एक ही प्रक्रिया है?

(2) क्या यह सही है कि उद्योगों/काश्तकारों की बकाया वसूली के लिये उनकी सम्पत्ति कुर्क करके बेच दी जाती है? यदि हां, तो शराब के ठेकेदारों में वर्षों पुरानी भारी राशि वसूली में उक्त प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती है?

(3) अब तक शराब के ठेकेदारों से बकाया वसूली के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा उक्त कार्यवाही सरकार की निगाह में क्या संतोषजनक है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाएं जाएंगे?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा आबकारी बकाया की वसूली के लिए बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी व कुर्की की कार्यवाही की जाकर बकाया राशि की वसूली की जाती है। इसके अतिरिक्त बाकीदारों से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के तहत प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। सामान्यतया इन नियमों के अन्तर्गत ही सभी विभागों में बकाया वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। शराब के ठेकेदारों से भी बकाया राशि वसूल करने के लिए

(आबकारी मंत्री)

बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी/कुर्की की कार्यवाही की जाकर वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(3) शराब के ठेकेदारों से बकाया वसूली के लिए बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी/कुर्की की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त बाकीदारों से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, केन्द्रीय अधिनियम 1890 के तहत प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जी हां, उक्त कार्यवाही संतोषजनक है। गत वर्ष में आबकारी बकाया की संतोषजनक वसूली हुई है। तथापि, आबकारी विभाग द्वारा ठेकेदारों से बकाया वसूली के सक्रिय प्रयास जारी है। आबकारी अधिनियम में वर्ष 2001 में एक नयी धारा 40ए जोड़ी जाकर, यदि किसी बाकीदार की बकाया राशि वसूल की जानी है तो उक्त राशि की बकाया आबकारी राजस्व के प्रति सीधे ही जमा किया जा सकता है।

विधान सभा क्षेत्र डीग की प्रस्तावित सड़कें

276. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई थी? उक्त के तहत विधान सभा क्षेत्र डीग में वर्ष 2002-2003 में कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ?

(2) वर्ष 2003-04 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की किन-किन तथा कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में 60 किलोमीटर अथवा 150 लाख रुपये लागत तक के सड़क रिनुअल व सदृढ़ीकरण कार्य कराने की घोषणा की गई थी, जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीग में वर्ष 2002-2003 में 88.60 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का रिनुअल व सुदृढ़ीकरण कराया गया।

(2) वर्तमान में वर्ष 2003-2004 में विधान सभा क्षेत्र डीग के अधीन कोई भी नई सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं

277. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड एवं राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन को जनता कपड़े के अनुदान के पेटे केन्द्र सरकार से बड़ी मात्रा में राशि लेना बकाया है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त अनुदान राशि अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अस्वीकृत राशि को संस्थाओं के संतुलित चित्र में दर्शाने पर उनकी वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा? क्या संस्थाएं फिर भी लाभ में रहेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गलत तरीके से संस्थाओं को लाभ में दिखाकर सम्बन्धित संघों के अधिकारी एक्सग्रेसिया, मानदेय, बोनस आदि का लाभ उठा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ को जनता कपड़े के अनुदान के पेटे केन्द्र सरकार से 51.04 लाख व राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन को 17.10 लाख रुपये की राशि प्राप्त होना बकाया है।

(2) जी नहीं। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त अनुदान राशि को अन्तिम रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) संस्थाओं द्वारा इस राशि को अभी तक अस्वीकृत नहीं माना गया है।

(4) जी नहीं। बुनकर संघ द्वारा बोनस एक्ट की धारा 10 के अनुसार न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत दिया गया है, कोई एक्सग्रेसिया का भुगतान नहीं किया है। राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेट कार्पोरेशन द्वारा कोई एक्सग्रेसिया, मानदेय, बोनस आदि का भुगतान नहीं किया गया है।

जिला नागौर में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में बकाया राशि का भुगतान

278. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की कुल कितनी जनता जल योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं का भुगतान योजनावार कितनी-कितनी राशि का कब से बकाया है? अब उक्त भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला नागौर में कुल 396 योजनाएं जनता जल योजना के अन्तर्गत संचालित हैं, जिसमें से 53 क्षेत्रीय योजनाएं हैं। क्षेत्रीय योजनाओं पर फरवरी, 2003 तक 487833 रुपये राशि बकाया है। कुल बकाया सभी योजनाओं पर रुपये 4498958 फरवरी, 2003 तक बकाया है। योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। धन उपलब्धी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ताकि शीघ्र भुगतान किया जा सके।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों में कार्यरत श्रमिक

279. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अगस्त, 2002 व सितम्बर, 2002 तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी श्रमिक संख्या स्वीकृत की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल व अभावग्रस्त जिलों में किस-किस तिथि को कितनी-कितनी श्रमिक संख्या कब-कब बढ़ाई गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस-किस जिले में कितनी-कितनी श्रमिक संख्या 31 जनवरी, 2003 तक कार्यरत है? जिलेवार सूचीर सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में दिये ज्ञापन अनुसार जनवरी से अप्रैल, 2003 तक क्रमशः राज्य में श्रमिक संख्या में वृद्धि करनी थी? यदि हां, तो श्रमिक संख्या में वृद्धि क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) राज्य में अगस्त, 2002 व सितम्बर, 2002 तक जिलेवार स्वीकृत श्रमिक संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) अभावग्रस्त जिलों में माहवार निर्धारित की गई श्रमिक सीमा का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) 31.01.2003 तक कार्यरत श्रमिक सीमा का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी हां। श्रमिक संख्या में वृद्धि की गई है, जैसा कि परिशिष्ट-1 से स्पष्ट है। केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलने से ज्ञापन में अंकित अनुसार वृद्धि नहीं की जा सकी।

परिशिष्ट–1

Monthwise Labour Ceiling

(Samvat 2059)

S. No.	Capital	August,02	Sept.,02	Oct.,02	Nov.,02	Dec.,02	Jan.,03	Feb.,03	March,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ajmer	12700	13540	31132	36240	52940	53940	53940	77740
2.	Alwar	8400	14200	22407	26000	27100	28350	28050	28350
3.	Banswara	14600	20100	32301	39144	56700	56950	56950	77750
4.	Baran	3800	6000	26652	41650	55700	56200	56200	67700
5.	Barmer	42700	49000	90605	78420	111500	11500	111500	126400
6.	Bharatpur	5900	9000	25819	40339	26200	28200	28200	17900
7.	Bhilwara	11400	14000	15048	35564	55600	57100	57100	82800
8.	Bikaner	32500	50500	54177	88249	89900	90400	90400	93300
9.	Bundi	3800	5800	7726	14734	23500	24750	24750	40150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Chittor	5900	12000	18878	48102	55300	56550	56550	80950
11.	Churu	15900	20600	31414	50340	74700	76450	76450	81250
12.	Dausa	5500	14000	57630	24867	27500	28000	28000	26800
13.	Dholpur	3600	9000	34463	10500	12900	13400	13400	14000
14	Dungarpur	13700	28000	30540	50390	70200	70450	70450	80550
15.	Ganganagar	6800	10300	10248	11958	14300	16300	16300	19100
16.	Hanumangar	4800	11500	11060	17137	26900	28150	28150	34350
17.	Jaipur	23600	30000	32737	45761	62300	64800	64800	85900
18.	Jaisalmer	23600	38500	40462	65668	68500	68750	68750	59850
19.	Jalore	9600	16000	31735	36384	53500	54000	54000	49100
20.	Jhalawar	5500	9000	13228	21384	33200	34200	34200	47900
21.	Jhunjhunu	17700	21000	31049	27253	34500	37000	37000	43900
22.	Jodhpur	20900	28000	53114	66272	87200	87950	87950	86950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Karauli	6300	12000	13902	22974	42500	42750	42750	50150
24.	Kota	3900	9000	9369	11116	18000	18750	18750	41650
25.	Nagaur	19300	23000	43064	51661	62600	64100	64100	75200
26.	Pali	18800	22500	31317	45114	67300	79050	79050	91650
27.	Rajsamand	9900	12500	20358	31786	42600	43350	43350	54300
28.	S. Madhopur	6800	13700	18386	25337	45300	45300	45300	55300
29.	Sikar	15500	20000	27241	36289	45300	47050	47050	51650
30.	Sirohi	5100	13200	17139	31629	46800	47300	47300	47200
31.	Tonk	16700	21500	27312	33060	50400	51400	51400	59500
32.	Udaipur	22800	22800	39636	78203	93800	104800	104800	115200
	TOTAL	**418000**	**605440**	**950149**	**1243525**	**1634740**	**1687240**	**1687240**	**1964100**

Annexure-2

Districtwise Labour Engaged as on 31.01.2003

S. No.	District	Labour Engaged	S. No.	District	Labour Engaged
1.	Ajmer	56860	17.	Jaipur	58518
2.	Alwar	24198	18.	Jaisalmer	68548
3.	Banswara	61596	19.	Jalore	44136
4.	Baran	52496	20.	Jhalawar	34731
5.	Barmer	116478	21.	Jhunjhunu	28411
6.	Bharatpur	10961	22.	Jodhpur	89432
7.	Bhilwara	52433	23.	Karauli	44353
8.	Bikaner	85951	24.	Kota	25245
9.	Bundi	33125	25.	Nagaur	57887
10.	Chittorgarh	63161	26.	Pali	72645
11.	Churu	70593	27.	Rajsamand	39160
12.	Dausa	18877	28.	S.Madhopur	42000
13.	Dholpur	9421	29.	Sikar	48363
14.	Dungarpur	79622	30.	Sirohi	38467
15.	Ganganagar	13458	31.	Tonk	47477
16.	Hanumangarh	23691	32.	Udaipur	11622886
				Total	**1622886**

विद्युत उत्पादन कम्पनी में अभियन्ता स्तर के निलम्बित अधिकारी

280. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्युत उत्पादन कम्पनी के कितने अधिकारी कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणी तथा इससे ऊपर की श्रेणी के निलम्बित चल रहे हैं और कौन-कौन अधिकारी कब से निलम्बित हैं तथा कितना-कितना गुजारा भत्ता उनको दिया जा रहा है?

(2) क्या उक्त से कहीं कोई काम लिया जा रहा है?

(3) उक्त में से किन-किन के विरुद्ध अदालतों में चालान पेश किये जा चुके हैं तथा किन-किन के मामले अभी विभागीय स्तर पर ही जांच में लम्बित हैं और विभागीय स्तर पर कब से जांच चल रही है?

उत्तर

(1) विद्युत उत्पादन कम्पनी के कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणी तथा उससे ऊपर की श्रेणी के चार कर्मचारी निलम्बित चल रहे हैं। इन कर्मचारियों और अधिकारियों के सस्पेंड होने की दिनांक तथा फरवरी माह में दिये गये गुजारा भत्ता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त में से श्री शोभाकांत प्रसाद, सहायक अभियन्ता, श्री अरविन्द सिंह चौहान, कार्मिक अधिकारी और श्री रामकृष्ण अवस्थी, सहायक कार्मिक अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्त पाये जाने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। श्री श्रीनिवास जाखड़, कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक जांच दिनांक 02.05.2002 से चल रही है परन्तु उनकी अनियमित उपस्थिति के कारण यह अभी लम्बित है।

परिशिष्ट–अ

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	निलम्बन की दिनांक	देय गुजारा भत्ता (रुपये)	फरवरी, 2003 में दिया गया गुजारा भत्ता
1.	श्री शोभाकांत प्रसाद	सहायक अभियन्ता	16.1.2001	6838/–	6838/–
2.	श्री अरविन्द सिंह चौहान	कार्मिक अधिकारी	24.11.2001	7267/–	7267/–
3.	श्री रामकृष्ण अवस्थी	सहायक कार्मिक अधिकारी	24.11.2001	9252/–	9252/–
4.	श्री श्रीनिवास जाखड़	कनिष्ठ अभियन्ता	21.11.2001	4713/–	3041/–*

* कर्मचारी को दिया गया गुजारा भत्ता कम होने का कारण, निलम्बनकाल के दौरान उनकी मुख्यालय पर अनियमित उपस्थिति होना है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में कच्चे खालों का पक्का निर्माण

281. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा व नोहर के भाखड़ा सिस्टम में क्षेत्र के अधिकतर खाले कच्चे होने की वजह से सिंचाई व्यवस्था को पूर्णतया प्रभावित करते हैं?

(2) क्या सरकार किसानों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उक्त कच्चे खालों को सिंचित क्षेत्र विकास के तहत शीघ्र पक्का करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। पूरे क्षेत्र में कच्चे खालों को पक्का बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 25 फरवरी, 2003

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) द्वारा अतिक्रमण

282. श्री नाथूराम (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) की स्थापना कब एवं कितनी भूमि पर की गई थी और वर्तमान में उक्त

(श्री नाथूराम)

का कितनी भूमि पर कब्जा है? मय नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र के अधिकारियों ने अनधिकृत रूप से गरीब काश्तकारों की खातेदारी सरकारी निजी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व किस आदेश के तहत?

(3) क्या सरकार अब उक्त अवैध कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) की स्थापना वर्ष 1950 में, 173 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर की गई थी और वर्तमान में उक्त का 173 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा है, नक्शे परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। किसी अधिकारी द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया लेकिन ग्राम सांवतसर के खसरा नम्बर 607 की 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो खातेदारी में श्री भंवरलाल, यशोदा देवी पत्नी भंवरलाल, बाबूलाल पुत्र नारायण व भंवरलाल पुत्र अर्जुन के नाम दर्ज है पर पी.टी.एस. का कब्जा है। जिसके रिकार्ड दुरुस्ती की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पी.टीएस. किशनगढ़ के कब्जे की 151 बीघा 7 बिस्वा भूमि सरकार/ नगरपालिका/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जेल व वन विभागों के नाम दर्ज है। जो प्रारम्भ से ही पी.टीएस. के कब्जे में है।

(3) पी.टीएस. का कोई अवैध कब्जा नहीं है, राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(नक्शे विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अकाल पीड़ित किसानों से ऋण की जबरन वसूली पर रोक

283. श्री केसाराम चौधरी (खारची) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने राज्य में अकाल पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से ऋण वसूली पर रोक लगाई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के उक्त आदेशों की पालना सभी बैंकों द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो किसानों के ट्रैक्टर बैंकों द्वारा किन नियमों के तहत सीज किए जाकर बाड़ों में खड़े कर दिए गए हैं?

(3) राज्य में सहकारी/भूमि विकास व कामर्शियल बैंकों द्वारा कुल कितने ट्रैक्टर ऋण चुकाने के अभाव में सीज किए गए? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार बैंकों द्वारा जबरन ऋण वसूली के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग ने अकाल के कारण अभावग्रस्त एवं भू–राजस्व स्थगित किये क्षेत्रों के पात्र किसानों को खरीफ, 2002 हेतु उपलब्ध कराये गये अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में एवं परिवर्तन/पुनः परिवर्तित/ पुनःश्चरणीकरण करने के निर्देश दिनांक 17.08.2002 को जारी किए गए, जिससे ऐसे पात्र किसानों की वसूली स्वतः स्थगित हो जाती है। आदेश की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के निर्देश दिनांक 17.08.2002 ट्रैक्टर ऋण पर लागू नहीं होने के कारण अवधिपार ट्रैक्टर ऋणों की राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 117–118 (सहपठित सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 1999–2000) के तहत जानबूझकर चूक करने वाले सक्षम चूककर्ताओं के ट्रैक्टर सीज किए गए हैं।

(3) राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा कुल 53 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं। बैंकवार सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। सहकारी बैंकों द्वारा जबरन नियम विरुद्ध ऋण वसूली का मामला जानकारी में नहीं आया है।

सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर परिशिष्-1

क्रमांक प. 15 (12) सविरा/बैंक–3/99 दिनांक 17.3.2002

प्रबन्ध निदेशक

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड,

(समस्त)

विषय : अभावग्रस्त घोषित जिलों में सहकारी समितियों के सदस्यों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन की कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ. 1(1)(1)सआ/सामान्य/2002/14756–825 दिनांक 29.7.2002 के द्वारा राज्य के 32 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है। इसी क्रम में राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.4(16)राज/2/2002 जयपुर, दिनांक 8.8.2002 द्वारा उक्त अभावग्रस्त घोषित जिलों में भू–राजस्व की वसूली दिनांक 30.9.2003 तक स्थगित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 29.7.2002 एवं आदेश दिनांक 8.8.2002 की छाया प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

अतः अभावग्रस्त घोषित जिलों में खरीफ, 2002 के वितरित अल्पकालीन फसलों ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की कार्यवाही तथा पूर्व में परिवर्तित, पुनः परिवर्तित ऋणों की यदि कोई किस्त इस वर्ष देय हो, तो ऐसे ऋणों को रिशैडूलमेन्ट करने की कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में वांछित विस्तृत दिशा–निर्देश राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा शीघ्र आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त अधिसूचना से सम्बन्धित अभावग्रस्त गांव जिलेवार, तहसीलवार सूची मय अनावरी प्रमाण–पत्र सहित सम्बन्धित जिला कलक्टर से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावें।

परिशिष्ट–2

सहकारी बैंकों द्वारा सीज किए गए ट्रैक्टरों का बैंक वार विवरण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीज किए ट्रैक्टरों की संख्या
1.	श्रीगंगानगर	10
2.	बून्दी	01
3.	अजमेर	16
4.	कोटा	01
5.	जालौर	07
6.	उदयपुर	02
7.	बांसवाड़ा	01
	योग	**38**

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीज किए ट्रैक्टरों की संख्या
1.	अजमेर	2
2.	रायसिंहनगर	4
3.	बिलाड़ा	2
4.	चित्तौड़गढ़	7
	योग	**15**

न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु श्रम सलाहकार मण्डल की बैठकें

284. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में न्यूनतम मजदूरी कब बढ़ाई गई? न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक कब हुई थी? यदि नहीं, तो क्यों? अब उक्त बैठक कब होने की सम्भावना है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के अलावा अन्य अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है? यदि हां, तो राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ाई?

(3) राज्य में न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान किन-किन उद्योगों पर लागू हैं तथा कितने ऐसे उद्योग बाकी हैं जिन पर उक्त प्रावधान लागू नहीं हैं? उक्त उद्योगों में उक्त प्रावधान कब तक लागू होगा?

(4) जिन उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है उक्त में क्या ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में प्रदेश के मजदूर संगठनों से वार्ता की गई है?

उत्तर

(1) राज्य में गत बार न्यूनतम मजदूरी की दरें 38 अनुसूचित नियोजनों में दिनांक 16.11.1999 को तथा एक अनुसूचित नियोजन (अकाल राहत कार्य) में दिनांक 1.4.2000 को बढ़ाई गई थी।

न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन हेतु राजस्थान न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल की बैठक बुलाई जाती है जो शीघ्र ही बुलाई जा रही है।

(2) विभिन्न राज्यों में समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में किए जाने का प्रावधान है। चूंकि राजस्थान राज्य में वर्ष 1999 व 2000 में यह पुनर्निधारण किया गया है अब राज्य में न्यूनतम वेतन दरों को पुनः बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राज्य में न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित नियोजनों पर लागू होते हैं। वर्तमान में 39 अनुसूचित नियोजनों पर ये प्रावधान लागू हैं तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स में न्यूनतम मजदूरी की दरें शीघ्र ही लागू करने का विचार रखती है। इसके अतिरिक्त अन्य 20 नवीन नियोजनों पर ये प्रावधान लागू करने की कार्यवाही की जा रही है जिसकी प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की 21.10.2002 की बैठक में मजदूर संगठनों से ठेका श्रमिकों के अधिकारों के बारे में भी वार्ता की गई थी।

परिशिष्ट–"अ"

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.5(1)श्रम/आई.आर./95/1227 **जयपुर, दिनांक 7.9.2002**

अधिसूचना

न्यनूतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11-1948) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-प्रथम में संशोधन कर राजस्थान राज्य में इसके प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियोजनों को जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय में न्यूनतम मजदूरी की दरें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की जानी चाहिए, अनुसूची के भाग प्रथम में सम्मिलित करने के आशय की सूचना समस्त प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु तीन माह का नोटिस प्रकाशित करती है :

1. कैबल आपरेटिंग एवं सम्बन्धित सेवा में नियोजन
2. सीमेंट प्रीस्ट्रेन्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
3. कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नियोजन
4. कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
5. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
6. फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अधिसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
7. गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
8. खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
9. एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
10. मार्केटिंग एवं कंज्यूमर्स काआपरेटिव सोसायटी में नियोजन
11. मेटल फाउण्ड्री एण्ड जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
12. पैस्टीसाइड सहित केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
13. पैट्रोल पम्प एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन

14. एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
15. स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
16. टेलरिंग्स कार्य तथा गार्मेंट्स उद्योग में नियोजन
17. टेक्सीज, आटोरिक्शा एण्ड ट्रेवलिंग एजेंसीज में नियोजन
18. टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
19. टाइल्स निर्माण एण्ड पाटरीज उद्योग में नियोजन
20. वुड वर्क्स एवं फर्नीचर उद्योग में नियोजन

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि (तीन माह) में प्राप्त होने वाले सुझावों अथवा आपत्तियों पर समुचित विचार किया जावेगा। यह सुझाव/आपत्ति श्रम आयुक्त, राजस्थान, जलेब चौक, जयपुर को भेजे जाने चाहिए।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर के अधीन नियुक्त उर्दू अध्यापक

285. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर के अधीन वर्ष 2001-2002 में उर्दू अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2002 में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के कितने आदेश जारी किये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उर्दू अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पदों पर सामान्य अध्यापकों को लगाया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर के अधीन उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	रिक्त पद
2001	21
2002	04

(2) वर्ष 2002 में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर के अधीन संचालित विद्यालयों में

(शिक्षा मंत्री)

87 पद उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत हैं इनमें से 23 पदों पर सामान्य अध्यापक कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। क्योंकि तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट है और भविष्य में आवश्यकतानुसार समायोजन किया जायेगा।

(आदेशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नगर (टोंक) में सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण की प्राप्त शिकायत की जांच

286. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में एक अनुसूचित जाति की सार्वजनिक नाली पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है? क्या उक्त कब्जे को स्थायी रूप देने के लिये स्थानीय सरपंच ने अकाल राहत कार्य वर्ष 2001 में स्वीकृति से अलग कर एक दीवार बना कर पक्का निर्माण करा लिया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंच के उक्त कार्य की शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जांच में यह पाया गया कि सरपंच द्वारा निर्मित दीवार प्रशासन द्वारा स्वीकृत नहीं थी? क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध अब कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त के समक्ष लम्बित है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त के बावजूद राजस्व प्रशासन उक्त अवैधानिक निर्माण/अतिक्रमण को नहीं हटाकर अतिक्रमण को जारी रखने का परोक्ष सहयोग कर रहा है? क्या सरकार का उक्त सहयोग कर रहा है? क्या सरकार का उक्त सहयोग अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के विरुद्ध व अनियमित है?

(4) क्या उक्त विषय में स्थानीय विधायक द्वारा जिला कलक्टर व राजस्व सचिव को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नगर, तहसील मालपुरा जिला टोंक की आराजी खसरा नम्बर 270 गैर मुमकिन तलाई पर कतिपय व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन अकाल राहत वर्ष 2001 के अन्तर्गत दीवार बनाकर पक्का निर्माण नहीं कराया गया है अपितु वर्ष 2000 में अकाल राहत के अन्तर्गत सार्वजनिक तालाब नगर में मिट्टी का कार्य करवाया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि इस सन्दर्भ में शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन, टौंक द्वारा जांच की जाने पर यह पाया गया कि तालाब

(पंचायती राज मंत्री)

की पाल, जो पूर्व में थी उस पर मिट्टी नहीं डलवायी जाकर तालाब के बीच में नये स्थान पर मिट्टी डलवायी गयी है। इस क्रम में सरपंच के विरुद्ध सम्भागीय आयुक्त के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सार्वजनिक गैर–मुमकिन तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटावा दिया गया है।

(4) जी हां। स्थानीय विधायक द्वारा राजस्व सचिव को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी प्रति जिला कलक्टर को प्राप्त होने पर उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा को उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया था तथा उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार, मालपुरा द्वारा मौके पर बने बाड़े को हटाकर भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही कर ली गयी है।

(5) राजस्व प्रशासन द्वारा गैर मुमकिन तलाई में हुए अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

कृषि भूमि का रिहायशी भूमि में स्थानान्तरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट

287. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि भूमि को रिहायशी भूमि में स्थानान्तरण होने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लेने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में क्या–क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

जी हां। कृषि भूमि के आवासीय रूपान्तरण पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित नहीं होता है, किन्तु जयपुर शहर में जहां कृषि भूमि का आवासीय उपभोग किया जा रहा है वहां कृषि भूमि के मालिक से उक्त भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय पर वास्तविक मुद्रांक शुल्क प्रभारित नहीं किया जा रहा है। अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि के विक्रय पत्र, इकरारनामे या मुख्यत्यारनामे के आधार पर किये गये रूपान्तरण/नियमन/आबंटन पर जारी लीज डीड पर नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, शास्ति की राशि एवं दो वर्षों के औसत किराये को सम्मिलित करते हुए ही मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया जा रहा है, जो भूमि के विक्रय मूल्य पर देय मुद्रांक शुल्क से बहुत कम है।

सहकारी निर्माण ठेकों में छोटे ठेकेदारों को प्राथमिकता

288. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार बड़े ठेकेदारों को ठेके बड़े पैकेज के अनुसार देती है?

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) क्या सरकार छोटे ठेकेदारों को छोटे पैकेज के ठेके देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जो जिस श्रेणी के कार्यों का पात्र है उसी अनुसार कार्य नियमानुसार आबंटित किये जाते हैं।

घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों का निजी क्षेत्र को हस्तान्तरण

289. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1997-98 तक राजकीय उपक्रमों में कितने हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था व उसके बाद के वर्ष 2001-2002 तक किस-किस राजकीय उपक्रम में कितने-कितने करोड़ रुपयों की राशि का विनियोजन किया गया है? राजकीय उपक्रमवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निवेश के अलावा राज्य सरकार में किस-किस राजकीय उपक्रम के लिए अलग-अलग राशि की गारंटी बैंकों व वित्तीय संस्थानों को दे रखी है? राजकीय उपक्रम व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजकीय उपक्रमों में किये गये निवेश के फलस्वरूप राज्य सरकार को वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक किस-किस में कितनी-कितनी रिटर्न किस-किस उपक्रम से प्राप्त हुई और किस-किस राजकीय उपक्रम में कितना-कितना घाटा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार ने घाटे के राजकीय उपक्रमों को निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित करने व उनके विक्रय की कोई नीतिगत योजना बनाई है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रमों में वर्ष 1997-98 तक राजकीय उपक्रम ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार रुपये 2215.48 करोड़ का निवेश हो चुका है। वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक के विनियोजन की राजकीय उपक्रमोवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजकीय उपक्रमों के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को दी गई गारंटी की राजकीय उपक्रमवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राजकीय उपक्रमों ब्यूरो की परिधि में आने वाले राजकीय उपक्रमों में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक के लाभ व हानि की स्थिति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है व राजकीय उपक्रमों द्वारा दिये गये लाभांश की स्थिति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(4) राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों के पुनर्संरचना, विकास एवं अपविनियोजन हेतु एक समिति सदस्य आयोजना बोर्ड श्री राजसिंह निर्वाण की अध्यक्षता में बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है जो कि अभी विचाराधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भटपुरा पेयजल योजना (भरतपुर) का क्रियान्वयन

290. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भटपुरा पेयजल योजना (भरतपुर) कुल कितनी राशि की कब बनी थी और कब पूर्ण होनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना निर्धारित समय अवधि से कितने समय पश्चात् पूर्ण हुई और देरी के क्या कारण रहे? उक्त में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? उक्त परियोजना में देरी के कारण कितनी राशि अधिक व्यय हुई?

(3) उक्त योजना पर सरकारी खाते से किन-किन मदों में कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अब उक्त योजना निर्बाध रूप से चल रही है? क्या उक्त में कोई रुकावट है? यदि हां, तो उसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के कब्जा नगर हेतु भटपुरा पेयजल योजना की स्वीकृति सितम्बर, 1996 में रुपये 225.91 लाख अनुमानित लागत पर हुई थी। एवं योजना को मार्च, 1999 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था।

(2) उक्त योजना माह अक्टूबर, 2001 में 2 वर्ष 7 माह लगभग देरी के साथ पूरी हुई। देरी होने के प्रमुख कारण निम्नप्रकार है :

(अ) योजना पर विद्युत सम्बन्ध हेतु डिमाण्ड नोट की राशि 2/98 में जमा करवाने के बाद सम्बन्ध 5/2000 में हुआ (2 वर्ष 3 माह की देरी)

(ब) भट्टपुरा से नगर तक 250 मी.मी. व्यास 25500 मीटर लम्बाई पाइप लाइन के कार्य में देरी (3 वर्ष 3 माह की देरी) संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने के कारण इस योजना की स्वीकृत लागत 225.91 लाख के सन्दर्भ में वास्तविक खर्च रुपये 257.29 लाख हुआ। देरी के कारण अधिक राशि व्यय नहीं हुई है। तद्नुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) उक्त योजना पर सरकारी खाते में अब तक निम्नानुसार भुगतान किया गया है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्टेट शेयर	197.60 लाख रु.
एल.आई.सी. शेयर	59.69 लाख रु.
कुल योग	**257.29 लाख रु.**

(4) जी हां। वर्तमान में भट्टपुरा पर 6 नलकूप नियमित तौर पर चल रहे हैं तथा 15 घंटे प्रतिदिन पावर उपलब्धता के अनुसार इस स्रोत से लगभग 1600-1700 कि.ली. जल उत्पादन किया जा रहा है। योजना निर्बाध रूप में चल रही है तथा कोई रुकावट नहीं है और कस्बा नगर को नियमित एवं सुचारू रूप से जल वितरण किया जा रहा है।

जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्य

291. श्री भाणजी (दानपुर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में अकाल राहत कार्य करवा कर जनता को रोजगार दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा जिले के ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य माह अगस्त से ही चलाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। जिले में माह अगस्त से ही राहत कार्य चलाये जा रहे हैं।

जयपुर विद्युत वितरण में कैबल सप्लाई में अनियमितताएं

292. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी में ट्रांसफार्मर घोटाले के बाद अब घटिया कैबल सप्लाई का घोटाला भी उजागर हुआ है? यदि हां, तो उक्त में कौन-कौन सी फर्म के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उक्त दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त कैबल सप्लाई से पूर्व किस-किस स्तर पर जांच होनी चाहिए थी? क्या निर्देशों के बावजूद भी जांच की ही नहीं गई या उक्त कैबल की क्वालिटी संतोषप्रद या उत्तम बता दी गई? उक्त में किस-किस माप की कैबल सप्लाई हुई तथा इससे कम्पनी व उपभोक्ताओं को कितना नुकसान हुआ व इसकी भरपाई कौन करेगा?

उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कैबल सप्लाई करने वाली निम्नलिखित फार्मों ने घटिया कैबल सप्लाई की है :-

अ. मैं डेको इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली।

ब. मै. नेवलाइट कैबल इण्डस्ट्रीज–दिल्ली

स. मै. वेनटेक पावर कैबल–भिवाड़ी

निम्न अधिकारियों को जिन्होंने कैबल्स का निरीक्षण किया था, को निलम्बित कर दिया गया है :

क. श्री एस. एल. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता।

ख. श्री जे. एस. नूनिया, अधिशासी अभियन्ता।

ग. श्री आर.के. भाटिया, सहायक अभियन्ता।

उक्त फर्मों की घटिया कैबल सप्लाई के विरुद्ध शास्ति (पैनल्टी) का आकलन किया गया और उन्हें रजिस्टर्ड पत्र द्वारा शास्ति की रकम जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

(2) उक्त कैबल सप्लाई के पूर्व विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मनोनीत अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। निर्देशानुसार कैबल फैक्टरी में सैम्पल की जांच की गई थी तथा जांच के दौरान कैबल सैम्पल सही पाई गई थी। सप्लाई की गई कैबल्स के नाम निम्नप्रकार से है :-

एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

3.5 कोर × 300 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

3.5 कोर × 120 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

3.5 कोर × 70 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

4 कोर × 50 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

4 कोर × 25 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

2 कोर × 04 स्क्वायर एम.एम.एल.टी.पी.पी.सी. कैबल

जयपुर विद्युत वितरण निगम को अनुमानित रुपये 15,23,829.50 का नुकसान आंका गया जिसकी भरपाई सम्बन्धित फर्मों द्वारा की जावेगी। प्रत्यक्ष में उपभोक्ताओं को सीधा कोई नुकसान नहीं हुआ है।

भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड का औद्योगिक विवाद

293. श्री अमराराम (धोद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाड़ा में एक दिन में ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10

(श्री अमराराम)

(के) के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया और वह भी तब जब समझौता अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष समझौता वार्ता चल रही थी? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश केवल मिल मालिकों के दबाव में जारी किया गया?

(2) क्या उक्त आदेश जारी करने के पूर्व श्रमिक पक्ष अथवा सिंथेटिक्स व सूती वर्कर्स एम्प्लाइज यूनियन (सीटू) भीलवाड़ा का भी पक्ष जानने का सरकार ने कोई प्रयास किया था?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाड़ा में कार्यरत सिंथेटिक्स वर्क्स एम्प्लाइज यूनियन (सीटू) द्वारा उक्त आदेश के बारे में राज्य सरकार के समक्ष नियमानुसार औद्योगिक विवाद उठा कर उसे औद्योगिक न्यायालय को भेजे जाने का अनुरोध किया था जिस पर करीब 6 माह गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) अब सरकार कब तक उक्त मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधिनियम में पक्ष जानने का प्रावधान नहीं है।

(3) 10 (के) के पूरे आदेश को विखण्डित करने का विवाद औद्योगिक न्यायालय को प्रेषण के योग्य नहीं समझा गया। (विवरण संलग्न है)

(4) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पूरक सामग्री

भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड, भीलवाड़ा एक टैक्सटाईल मिल है जिसमें लगभग 1800 कामगार कार्यरत हैं। संस्थान में इंटक, बीएमएस व सीटू से सम्बद्ध तीन श्रमिक संघ अस्तित्व में है। वित्तीय संकट में होने के कारण प्रबन्धन द्वारा अक्टूबर, 2001 से कार्य प्रणाली में फेर–बदल किए गए थे। संस्थान में सीटू यूनियन का गठन 12.4.2001 को हुआ है। जिसने दिनांक 20.11.2001 के कार्यभार बढ़ाने के मुद्दे को लेकर संस्थान में हड़ताल करवा दी थी जो श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से दिनांक 26.11.2001 को समाप्त करवा दी गई थी। संस्थान में इंटक यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन है।

सेवा शर्तों में परिवर्तन सम्बन्धी विवाद सीटू यूनियन द्वारा उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा को प्रस्तुत था परन्तु यूनियन द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की कि नियोजक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9–ए का उल्लंघन कैसे किया है एवं नियोजक द्वारा किये गये फेर बदल से श्रमिकों की कार्य दशाओं पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सीटू यूनियन से सम्बन्धित कामगारों द्वारा संस्थान के अधिकारियों से मारपीट की गई जिनको नियोजक द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये थे परन्तु श्रमिकों ने आरोप पत्र नहीं लिए विपरीत आर्थिक स्थिति होने के बावजूद प्रबन्धक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने व मिल को सुचारू रूप से चलाने में प्रयासरत रहा है।

संस्थान के अन्य श्रमिक संघों (इंटक व बीएमएस) ने सूचित किया था कि संस्थान में जुलाई, 2002 में जो हड़ताल हैं उससे उनके संघों का कोई लेना देना नहीं है। सीटू यूनियन द्वारा 17.2.2002 को अधिकारियों के साथ मारपीट कर हड़ताल करवाई है। संस्थान के 11 श्रमिक जो मारपीट व अनुशासनहीनता में लिप्त थे नियोजक द्वारा निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी उनको सेवा से पृथक नहीं किया गया था एवं इसी बिन्दु पर सीटू यूनियन द्वारा संस्थान में हड़ताल करवा दी गई थी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की राय में श्रमिकों का नियोजन बनाए रखने, संस्थान में उत्पादन गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने व परिशांति की परिरक्षा हेतु औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता होने के कारण ही आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार के आदेश जारी करने के पूर्व सरकार को किसी पक्षकार का पक्ष जानने की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (के)(2) में धारा 10 (के)(1) के अन्तर्गत जारी आदेशों के उपबन्धों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त औद्योगिक विवाद न्यायिक निर्णयार्थ प्रेषित किया जा सकता है

जबकि यूनियन द्वारा 10 (के) के आदेशों को विखण्डन करने का विवाद प्रस्तुत किया है जो इस धारा में चलने योग्य नहीं है।

महामंत्री सिंथेटिक्स व वर्क्स एम्प्लाईज यूनियन द्वारा दिनांक 12.7.2002 को जारी 10 (के) के आदेश की शर्त संख्या–4 के सम्बन्ध में प्रस्तुत विवाद को राज्य सरकार ने दिनांक 25.1.2003 को न्यायिक निर्णयार्थ प्रेषित कर दिया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पर मालिकों का कोई दबाव नहीं है एवं श्रमिकों के नियोजन व औद्योगिक शांति रखने के लिए ही राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गम्भीर रोगियों के प्रति लापरवाही की जांच

294. **श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती होने वाले गम्भीर रोगी के प्रति यूनिट हैड, प्रोफेसर, अन्य डाक्टर, रेजीडेंट, वार्डंस, पैरामेडिकल स्टाफ एवं वार्ड ब्वाय की क्या ड्यूटी है? उक्त सम्बन्ध में लागू आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जहरीला पदार्थ खाने वाले ऐसे गम्भीर रोगी जिसका 20 दिन पूर्व हृदय का आपरेशन हुआ हो के इलाज के लिये क्या विशेष सतर्कता एवं चिकित्सा बरती जानी चाहिए? जहर की पहचान न होने की स्थिति में उसके पदार्थ की जानकारी करने के लिए कौन से टेस्ट होने चाहिए? क्या उक्त परीक्षणों की उक्त अस्पताल में कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो इसका निर्णय करने के लिए कौन अधिकृत है? जहरीले पदार्थ का पता चलने पर चिकित्सा के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए?

(3) राईस ट्यूब मरीज को क्यों डाली जाती है और कौन डालता है, उसकी देखरेख की किसकी जिम्मेदारी है? राइस ट्यूब बन्द या बाहर होने पर क्या किया जाना चाहिए? दिनांक 19 व 20 नवम्बर, 2002 को मेडिकल बोर्ड में भर्ती रोगी श्रीमती संगीता चतुर्वेदी के सन्दर्भ में राइस ट्यूब बन्द होने की तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) यूनिट हैड/प्रोफेसर वार्ड में एक दिन में कब–कब विजिट करते हैं? गम्भीर रोगी को देखने की क्या व्यवस्था है? क्या रेजीडेंट गम्भीर रोगी की सम्पूर्ण चिकित्सा करने के लिए अधिकृत है?

(5) हृदय के ए. एस. डी. आपरेशन हो चुके रोगी के जहरीले पदार्थ खाने में क्या विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए और ऐसे प्रकरण में गहन चिकित्सा इकाई

(श्री यसवन्त सिंह (रामू)

का बैड क्यों नहीं आबंटित किया जाता है? उक्त प्रकरण में गहन चिकित्सा इकाई में रोगी को रखा जाना चाहिए तो 19 और 20 नवम्बर को इकाई में बिस्तर खाली होते हुए भी रोगी को वहां स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया?

(6) श्रीमती चतुर्वेदी के प्रकरण के क्या कोई प्रशासनिक जांच की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किसी बीमारी के इलाज के सम्बन्ध में इकाई प्रभारी एवं अन्य चिकित्सक तथा उस वार्ड में पदस्थापित रेजीडेंट डाक्टर आपसी समन्वय में वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा किये गये निर्देशों की पालना में बीमारी के निदान हेतु संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करता है तथा च.श्रे.कर्म. भी मरीज हित में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के निर्देशों की पालना करता है।

(2) ए.एस.डी. आपरेटेड (हृदय शल्य चिकित्सा प्राप्त) मरीज के ईलाज हेतु भी वही प्रक्रिया अपनानी होती है जो सामान्य मरीज के इलाज के लिये अपनाई जाती है। मरीज द्वारा जहर का सेवन कर लेने पर भी ए.एस.डी. आपरेटेड मरीज अथवा सामान्य मरीज के इलाज में कोई अन्तर नहीं होता है। जहर खा लेने वाले मरीज का गेस्ट्रीक लवाज और ब्लड जांच हेतु एफ.एस.एल. में जहर की जांच हेतु भेज दिया जाता है। जहर का पता मरीज की हालत एवं परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया जाता है। इस चिकित्सालय में जहर की प्रकृति की जांच के लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीज की हालत एवं परिजनों के बयान से जहर की प्रकृति का पता चलने पर जहर खा लेने के सामान्य इलाज के साथ-साथ जहर की प्रकृति के अनुसार इलाज किया जाता है।

(3) राईल्स ट्यूब का उपयोग गेस्ट्रीक एसपीरेशन तथा मरीज को आहार एवं दवा देने के लिये किया जाता है। यह चिकित्सक अथवा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा डाली जाती है तथा उसकी देखरेख भी वे ही करते हैं। राईल्स ट्यूब में रुकावट आने पर उसे सीरिंज के द्वारा फ्लश करके खोला जाता है एवं बाहर निकालने पर दुबारा डाल दी जाती है। श्रीमती संगीता चतुर्वेदी का प्रकरण अभी भी जांच प्रक्रिया में चल रहा है।

(4) इकाई प्रभारी एवं आचार्य प्रतिदिन सम्बन्धित वार्ड में राउण्ड लेते हैं। इसके अतिरिक्त गम्भीर मरीजों को देखने अथवा अन्य आवश्यकता होने पर जब भी आवश्यकता होती है, वार्ड में जाते हैं। रेजीडेंट डाक्टर्स वार्ड के गम्भीर एवं अन्य समस्त मरीजों का उपचार इकाई प्रभारी

(चिकित्सा मंत्री)

एवं अन्य चिकित्सकों के निर्देशानुसार/ देखरेख में करते हैं

(5) जहर खा लेने वाले ए.एस.डी. आपरेटेड (हृदय शल्य चिकित्सा प्राप्त) मरीज एवं सामान्य मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार का कोई अन्तर नहीं होता है। इलाज करने वाले चिकित्सकों द्वारा मरीज की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए यदि गहन चिकित्सा इकाई में स्थानान्तरित करना मरीज के हित में हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सकों द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त गहन चिकित्सा ईकाई में बैड की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होता है।

(6) श्रीमती संगीता चतुर्वेदी के प्रकरण में गठित जांच समिति द्वारा भी जांच की जा रही है, जो कि प्रक्रिया में है।

राजस्थान मानव विकास योजना के तहत प्रस्तावित विकास योजनाएं

295. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अब समस्त जिलों की विशेषता को ध्यान में रख वहां के लिये विकास योजना तैयार की जायेगी? क्या उक्त के लिये जिला स्तर पर मानव विकास सूचकांक को चिन्हित कर राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट 2002 तैयार की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर राज्य सरकार का विकास करने का विचार है? उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रयोजनार्थ जिला आयोजना समितियों का गठन कर दिया गया है।

राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट, 2002 में साक्षरता दर, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय एवं गरीबी के आधार पर जिलेवार मानव विकास सूचकांक का समावेश किया गया है।

(2) राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

रिपोर्ट की प्रति सदन के सूचनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला धौलपुर में प्रतिबन्धित एरिया में सैण्ड स्टोन का अवैध खनन

296. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में सैण्ड स्टोन पर वाणिज्य कर का ठेका सरकार द्वारा निविदाएं आमंत्रित

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

करके दिया जाता है? यदि हां, तो इस वर्ष प्रतिबन्धित एरिया में सैण्ड स्टोन निकाले जाने की आड़ में कितने ट्रकों को जप्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सैण्ड स्टोन निविदा में प्रति वर्ष कितना घन टन निकालने की राज्य सरकार ने अनुमति दे रखी है तथा कितने ट्रक निकाले जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्रकों से वन व पुलिस विभाग की मिलीभगत से वाणिज्य कर नहीं लेकर एक सुविधा शुल्क की रसीद काटकर निर्धारित सीमा से अधिक सैण्ड स्टोन निकाला जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में निविदादाता द्वारा वाणिज्य कर की रसीद नहीं काट कर एक सुविधा शुल्क नाम की रसीद काटी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार का कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं।

नालवा से डेया तहसील झाड़ोल सड़क का डामरीकरण

297. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नालवा से डेया तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (गुजरात सीमा पर) 23 किलोमीटर सड़क कच्ची है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त कारण जनता को असुविधा हो रही है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण कर पक्की बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इस सड़क पर स्वीकृति नहीं होने से डामरीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्तमान में अकाल की स्थिति एवं सिमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में पोटा कानून की स्थापना

298. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध तथा अपराधियों के बढ़ते हौंसले एवं राजस्थान में आतंकियों की शरणस्थली को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार पोटा लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार ने राज्य के लिये अलग कानून का प्रारूप बना लिया है, जिसकी वजह से पोटा लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा रूपवास में दर्ज अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के दर्ज प्रकरण

299. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कितने प्रकरण में हुये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त प्रकरणों में से कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और कितने प्रकरणों में न्यायालय दर्ज चालान पेश किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक 210 प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज हुए हैं।

(2) उक्त अवधि में उक्त प्रकरणों में से 122 प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और 86 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा 2 प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

300. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बहरोड़ के मांढण नीमराणा क्षेत्र (अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की तकनीकी रूप से योग्यता रखते हैं? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब से प्रारम्भ होंगे?

(2) क्या बहरोड़ क्षेत्र के मुण्डिया खेड़ा व सिरयानी 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण की तकनीकी रूप से योग्यता रखते हैं? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब से प्रारम्भ होंगे?

(3) क्या बहरोड़ नीमराणा क्षेत्र में अन्य किसी स्थान पर 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) बहरोड़ के मांढण नीमराणा क्षेत्र (अलवर) में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव तकनीकी रूप से योग्य है लेकिन आर्थिक आधार पर साध्य पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अभी स्वीकृति योग्य नहीं है।

(2) मुण्डिया खेड़ा में 33 के.वी. सब-स्टेशन तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से साध्य नहीं है। क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार को कम करने के लिये 11 के.वी. के एक एक्सप्रेस फीडर का निर्माण प्रस्तावित है। सिरियानी में सब स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी स्वीकृति मिलने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार सब-स्टेशन का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में बहरोड़ तहसील में मोहम्मदपुर तलवाड़ व सोतानाला में 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में किसी और सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति प्रस्तावित नहीं है।

किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति झोटवाड़ा (जयपुर) की कृषि भूमि का अवैध बेचान

301. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर के झोटवाड़ा इलाके की कालवाड़ रोड पर स्थित लगभग 40 वर्ष पूर्व कृषि भूमि किस उद्देश्य हेतु किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति झोटवाड़ा को मुफ्त दी गई थी?

(2) उक्त किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति झोटवाड़ा के कौन-कौन प्रारम्भिक पंजीकरणों के समय सदस्य थे तथा अब कौन-कौन सदस्य है? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त तरीके से अवाप्त भूमि को बिना राजस्व विभाग की स्वीकृति के बेचा या हस्तान्तरित किया जा सकता है? यदि हां, तो ऐसे आदेशों/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सहकारी समिति के नियमों में इस तरह का प्रावधान नहीं होने के बाद भी उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानान्तरित किया है? क्या उक्त सम्बन्ध में सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को आपत्ति की थी? यदि हां, तो उक्त आपत्ति पर क्या कार्यवाही हुई?

(5) क्या उक्त दस करोड़ की भूमि की अनियमितताओं का मामला सरकार की जानकारी में आया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला जयपुर के झोटवाड़ा इलाके की तकीया चौकी कालवाड़ रोड स्थित भूमि राज्य सरकार द्वारा किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड झोटवाड़ा को 25 रुपये प्रति एकड़ खड़े पेड़ों की कीमत जमा कराने की शर्त के साथ बैटर फार्मिंग के लिए आबंटित की गई थी।

(2) उक्त किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड झोटवाड़ा, जिला जयपुर के प्रारम्भिक पंजीकरण के समय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "एक" पर तथा वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट "दो" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। समिति की भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त किये जाने के पश्चात् कुछ भूमि प्राधिकरण को समर्पित की गई है। जी हां, सहकारी विभाग द्वारा की गई आपत्ति पर कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है।

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा तत्समय प्रभावी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच के आदेश जारी किये गये। धारा 70 की जांच अभी तक लम्बित है। अन्तरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 36 में कार्यवाही प्रारम्भ की गई जो विचाराधीन है।

परिशिष्ट–"1"

किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, झोटवाड़ा

पंजीयन के समय सदस्यों की सूची निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	पूरा पता
1.	श्री तन्नय सिंह	श्री बाल किशन	झोटवाड़ा
2.	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री शमशेर सिंह चौधरी	झोटवाड़ा
3.	श्री लेखराम	श्री लालाराम	झोटवाड़ा
4.	श्री राधा किशन	श्री चेतराम चौधरी	झोटवाड़ा
5.	श्री दौलत राम	श्री दुलाराम	झोटवाड़ा
6.	श्री नाहर सिंह	श्री सुजान सिंह	झोटवाड़ा
7.	श्री फतेह सिंह	श्री हरलाल सिंह	झोटवाड़ा
8.	श्री ईश्वर राम	श्री बीजाराम	झोटवाड़ा
9.	श्री हरिसिंह	श्री उदमीराम	झोटवाड़ा
10.	श्री मेघराज	श्री श्रीराम	झोटवाड़ा
11.	श्री भैरूसिंह	श्री जीवणराम	झोटवाड़ा
12.	श्री बनारसी लाल	श्री मुरलीधर	झोटवाड़ा
13.	श्री बालाराम	श्री पेमाराम	झोटवाड़ा
14.	श्री रामदेव	श्री महादेव	झोटवाड़ा
15.	श्री बीरबल सिंह	श्री रघुवीर सिंह	झोटवाड़ा
16.	श्री रेखसिंह	श्री डालूसिंह	झोटवाड़ा

उप रजिस्ट्रार (हाउसिंग),
सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–"2"

किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड झोटवाड़ा

समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	पूरा पता
1.	श्री लेखराम	श्री लालाराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
2.	श्री लालाराम	श्री मांगीलाल	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
3.	श्री हरिसिंह	श्री उदमीराम	जम्बेश्वर कालोनी, क्वींस रोड
4.	श्री राधाकिशन	श्री चेतराम	दुर्गापुरा, जयपुर
5.	श्री अमर सिंह	श्री लेखराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
6.	श्री गोपाल	श्री गुगनराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
7.	श्री रामकिशन	श्री अगड़ी राम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
8.	श्री विजयपाल आर्य	श्री कुम्भाराम	दुर्गापुरा, जयपुर
9.	श्रीमती नानगी	श्री नाथूराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
10.	श्रीमती मालती	श्री विजयपाल	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
11.	श्रीमती गणेशी देवी	श्री ईश्वर राम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
12.	श्रीमती शांति देवी	श्री शिवप्रसाद	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
13.	श्री रतन सिंह	श्री चुन्नीलाल	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
14.	श्री हनुमान सिंह	श्री गोगाराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
15.	श्री गोपीनाथ	श्री महादेव	स्टेशन रोड, जयपुर
16.	श्रीमती कमला	श्री रामचन्द्र	मालवीय नगर, जयपुर
17.	श्री राम गोपाल	श्री कन्हैया लाल	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
18.	श्री गोपी	श्री मंगलाराम	तकिया चौकी, झोटवाड़ा
19.	श्री संजीव आर्य	श्री राधा किशन	दुर्गापुरा, जयपुर

उप रजिस्ट्रार (हाउसिंग),
सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्यापकों के रिक्त पद

302. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में उर्दू विषय के अध्यापकों के पद कहां-कहां रिक्त हैं? उन्हें अब तक क्यों नहीं भरा गया तथा अब कब तक भर दिये जायेंगे?

(2) उक्त क्षेत्र के जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर्याप्त है उनमें अब कब तक उक्त विषय खोल दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में उर्दू विषय के अध्यापकों के पद निम्न विद्यालयों में रिक्त हैं :-

1. राबाउप्रावि.-सवाईमाधोपुर
2. राबाउप्रावि.-सूरवाल
3. राउप्रावि.-भाड़ोसी
4. रामावि.- शेषा (प्रारम्भिक शिक्षा मूल पद)
5. राबामावि.-खिरनी (प्रारम्भिक शिक्षा मूल पद)

उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु गुणावगुण के आधार पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

(2) गुणावगुण एवं मानदण्डों की पूर्ति होने पर ही विद्यालयों में उर्दू विषय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) की दुकानों का अनियमित आबंटन

303. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में पंचायत समिति की निजी कितनी दुकानें बनी हुई हैं?

(2) उक्त के आबंटन में क्या नियम है?

(3) क्या उक्त दुकानों का आबंटन सही नियमानुसार हुआ है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में पंचायत समिति की निजी दुकानें नहीं है। परन्तु स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना में अकाल राहत के साथ डबटैल कर पंचायत समिति मुख्यालय पर 25 दुकानें निर्मित हुई है।

(2) उक्त दुकानों का आबंटन स्वरोजगार योजनान्तर्गत गठित कमेटी के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को किया गया है, जिनकी पात्रता निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी बी.पी.एल. चयनित हो।
2. बैंक का डिफाल्टर नहीं हो।

(पंचायती राज मंत्री)

3. पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो। गठिम कमेटी द्वारा दुकानों के ज्यादा आवेदन पत्र आने पर लाटरी के द्वारा आबंटन किया गया है।

(3) जी हां। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू के पत्रानुसार आबंटन का कार्य राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही गठित कमेटी के माध्यम से किया गया है।

सतूर से नागौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 की स्वीकृति

304. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 39 सतूर से नागौर स्वीकृत है? यदि हां, तो कब स्वीकृत किया गया?

(2) क्या उक्त मार्ग पर कार्य ब्यावर से बावरा रास लाम्बिया, मेड़ता होते हुये नागौर की तरफ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी राशि स्वीकृत की गई और उक्त राशि का उपयोग कब तक किया जायेगा? क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करवाने हेतु कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के स्वीकृत हैण्ड पम्प

305. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डोली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में विधायक/ सांसद कोष से वर्ष 2000 से 2002 तक कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये?

(2) क्या उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से कई हैण्ड पम्प आज तक नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों को कब तक लगाकर चालू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में विधायक/सांसद कोटे से वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2001–2002 तक विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं किये गये है। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत इस अवधि में विधायक कोष से पंचायत समिति हिण्डौली

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

को कार्यकारी एजेंसी बनाकर 182 हैण्ड पम्प ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी ने लगा दिये हैं।

(3) बिन्दु 2 के अनुसार।

अकाल राहत में जनउपयोगी कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति

306. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के तहत सामग्री राशि के अभाव में कोई भी जनउपयोगी पक्के काम नहीं हो रहे हैं?

(2) क्या सरकार गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 प्रतिशत सामग्री के लिए राशि अकाल राहत कार्य में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अकाल राहत कार्यों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों के साथ डोवटेल कर जनोपयोगी पक्के कार्य भी कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति लाभ योजनाओं के तहत भी जन उपयोगी पक्के कार्य किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार से रोजगार सृजन मद में मांगी गई राशि प्राप्त होने पर सामग्री व्यय के लिए राशि आबंटित की जा सकेगी।

ग्राम काली पहाड़ी (झुंझुनूं) में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

307. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला झुंझुनूं के ग्राम काली पहाड़ी में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण किये जाने के कार्यादेश किस तारीख को जारी किये गये और अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जिला झुंझुनूं के ग्राम काली पहाड़ी में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृति दिनांक 18.6.2002 को जारी की गई है।

(2) उक्त सब-स्टेशन हेतु स्वीकृति दिनांक 18.6.2002 को जारी हुई है तथा सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2002-2003 के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार ही इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

जिला बारां के संस्कृत शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त विद्यार्थी को पुरस्कार

308. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर बारां को सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 21.1.2003 को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो जिला प्रशासन द्वारा पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त पत्र में श्री सुरेन्द्र नागर सरस्वती प्रवेशिका माध्यमिक विद्यालय (अटरू) बारां में उच्च प्राथमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2002 में 89.03 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यदि हां, तो क्या ऐसे होनहार बालक तथा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 26 जनवरी या 15 अगस्त को पुरस्कृत किया जाना चाहिये था? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त बालक का पुरस्कृत होना भूलवश रह गया या जानबूझकर किया गया? जानबूझकर किया गया तो उसका क्या कारण था और भूलवश हुआ तो क्या आगे 15 अगस्त पर उक्त बालक को पुरस्कृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रासंगिक पत्र संख्या 410 दिनांक 21.1.2003 जिला कलक्टर बारां कार्यालय में दिनांक 25.1.2003 को प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्ति पर पुरस्कृत हेतु रखा गया।

(2) जी हां। किन्तु सम्भागीय शिक्षा अधिकारी कोटा का पत्र जिला कलक्टर बारां कार्यालय में दिनांक 25.1.2003 को विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव नहीं हुई।

(3) उक्त पत्र जिला कलक्टर बारां कार्यालय में दिनांक 25.1.2003 को प्राप्त हुआ था। जबकि 26 जनवरी के लिए पुरस्कृत हेतु पत्र सूची को अन्तिम रूप दिया जाकर विज्ञप्ति जारी की जा चुकी थी। जिस कारण समय पर पुरस्कृत नहीं किया जा सका। आगामी 15 अगस्त के लिये चयनित कमेटी के समक्ष रखा जावेगा।

पंचायत समिति बाली (पाली) हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि का आबंटन

309. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 11वें वित्त आयोग द्वारा पंचायत समितियों को स्वीकृत राशि पर रोक लगा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

रखी है? यदि हां, तो क्यों व कब तक रहेगी?

(2) पंचायत समिति बाली (पाली) को 11वें वित्त आयोग से कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें कितनी आबंटित हुई और शेष राशि कब तक आबंटित कर दी जावेगी?

(3) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग से पंचायतों को आबंटित राशि का उपयोग कब तक किया जाना है?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001–2002 में पंचायती राज संस्थाओं को ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत आबंटित राशि के शेष 37.5 प्रतिशत के आहरण पर वित्त विभाग का प्रतिबन्ध लगा हुआ है। जिसे हटाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

(2) पंचायत समिति बाली (पाली) को ग्यारहवें वित्त आयोग से 1991 की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वर्ष 2000–2001 के पेटे राशि रुपये 2090600 एवं वर्ष 2001–2002 के पेटे राशि रुपये 6272000 कुल राशि रुपये 8362600 स्वीकृत की गई तथा पूर्ण स्वीकृत राशि पंचायत समिति बाली को आबंटित कर दी गई है।

(3) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग से पंचायतों के आबंटित राशि का उपयोग जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप योजनावधि 2000–2005 के दौरान किया जाना है।

विधान सभा क्षेत्र नावां में विधायक अनुशंसा पर सड़क उन्नयन व मरम्मत कार्य

310. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत व उन्नयन कार्य विधायकों की अभिशंसा पर प्रथम फैज के कार्य दिनांक 26.12.2000 तक द्वितीय फैज के कार्य दिनांक 16.8.2000 से प्रारम्भ कर पूर्ण किये जाने थे? विधान सभा क्षेत्र नावां के उक्त कार्यों में प्रथम फैज के कितने कार्य किस अवधि तक पूरे कराये जा चुके हैं तथा द्वितीय फैज के कितने कार्य अब तक पूरे कर दिये गये हैं शेष कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2002–2003 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन–कौनसी सड़क की स्वीकृति प्राप्त हुई है? उक्त का व्यय अनुमान कितना है और उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक चालू करा दिया जावेगा?

(3) क्या जिला नागौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण की

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

गई सड़कों पर नामपट्ट व खर्च की गई राशि का ब्यौरा लगा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और नहीं, तो क्यों तथा कब तक लगा दिया जावेगा?

(4) क्या उक्त जिले में हुडिया, चारणवास, भांवता, भूणी, इन्दौखा, बरजन, खाखड़की, छापरी, भैरूपुरा, गुगडवार, मोतीपुरा, गोनेर, पिपराली, रूगनाथपुरा, देपुर, केरपुरा आदि गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण की जानी थी? यदि हां, तो उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा व कितनी अवधि में पूरा करा दिया जायेगा?

(5) क्या उक्त जिले के ग्राम पांचवा, कुकनवाली, चितावा के विलेज पोर्स में सीमेंट रोड अथवा स्टोन पेविंग सड़क निर्माण कराई जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नावां के मरम्मत व उन्नयन कार्यों के प्रथम व द्वितीय फैज के पूर्ण व अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 2002-2003 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। नागौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्ण निर्मित सड़कों पर नामपट्ट लगाये गये है एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार नामपट्ट पर खर्च की राशि अंकित नहीं की जाती। विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) वर्णित गांवों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों से जोड़ने का विवरण परिशिष्ट "द" में संलग्न है।

(5) जी हां। ग्राम पांचवा, कुकनवाली, चितावा के विलेज पोर्शन में आर.यू.पी. में स्वीकृत कार्य में स्टोन पेविंग कार्य का प्रावधान रखा गया है, जिसको कि माह मार्च, 2003 तक पूर्ण कर दिया जाना सम्भावित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल की निविदाओं में अनियमितता

311. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, डी.सी.बी. के बोर होल निर्माण के लिए खुली निविदा के जरिये स्वीकृत की जाने वाली दरें खुले बाजार में प्रचलित दर से 400 से 500

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

फीसदी अधिक होती है? यदि हां, तो क्यों और उक्त के लिए दोषी कौन–कौन है तथा उक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प, व डी.सी.बी. निर्माण के लिए टेंडर कार्यवाही में ऐसे ठेकेदारों को भी शामिल किया जाता है जिनके पास अपनी रिंग्स मशीनें कम्प्रेशर यूनिट नहीं होती है? क्या निविदा खुलने के बाद कार्य सबलेट कर दिये जाते हैं? क्या सरकार का कार्य बिचौलियेपन के जरिये सम्पादित होते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्य पर रोक लगाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय रिंग्स से निर्मित बोर होल प्राइवेट ठेकेदारों की दरों से अपेक्षाकृत महंगी होती है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त दरों पर सरकार समानता रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विभागीय टेंडर में संवेदक के पास आवश्यक उपकरण की उपलब्धता कार्य के प्रकार के सन्दर्भ में सुनिश्चित की जाती है। सबलेट के लिये इजाजत देने का मामला उपलब्ध जानकारी के अनुसार नहीं है।

विभागीय कार्य में 'बिचौलिया' का कोई संदर्भ/रोल नहीं है।

(3) जी नहीं। प्राइवेट ठेकेदार द्वारा दी गई दर स्थान विशेष के लिए होती है जबकि विभागीय मशीन की दर औसत आधार पर पूरे क्षेत्र के लिए होती है। अन्य प्रमुख सम्बन्धित बिन्दु निम्नानुसार है :

(अ) प्राइवेट ठेकेदार स्थान विशेष, स्ट्राटा विशेष तथा स्वयं की सहूलियत के आधार पर दर देता है। विभागीय रिंग सभी स्थानों पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है।

(ब) विभागीय रिंग उन स्थानों पर भी कार्य करती है जहां प्राइवेट रिंग विभिन्न कारणों से कार्य नहीं करती है। कार्य स्थल की एप्रोच भी इसमें एक कारण होता है।

(स) विभागीय रिंग विभिन्न कार्यस्थलों के बाबत विभाग की प्राथमिकता के आधार पर वर्कप्लान बनाकर कार्य करती है जिसमें आकस्मिकता भी शामिल होती है। प्राइवेट रिंग का मुख्य तथा प्रथम आधार व्यावसायिक होता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन दरों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है।

परिशिष्ट–2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-375 का विवरण)

न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की सूची

क्र. सं.	कोषालय का नाम	न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की संख्या	कारण
1	2	3	4
1.	अजमेर	24	दोहरी पेंशन, पेंशन दो भागों में विभक्त
2.	अलवर	कोई नहीं	होने के कारण
3.	बांसवाड़ा	08	विकल्प प्राप्त नहीं होने के कारण
4.	बारां	कोई नहीं	
5.	बाड़मेर	76	वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21.3.1998 की पालना नहीं होने के कारण
6.	ब्यावर	73	पेंशनर द्वारा मिलिट्री पेंशन लिये जाने के कारण पेंशनर द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिये जाने के कारण
7.	भरतपुर	42	सम्बन्धित बैंकों को पेंशन निर्धारण हेतु लिखा गया है।
8.	भीलवाड़ा	कोई नहीं	कोई कार्यवाही नहीं
9.	बीकानेर	376	पेंशनरों द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण
10.	बूंदी	कोई नहीं	
11.	चित्तौड़गढ़	कोई नहीं	
12.	चूरू	75	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण
13.	दौसा	कोई नहीं	
14.	धौलपुर	06	प्रार्थना पत्र नहीं होने के कारण
15.	डूंगरपुर	30	विकल्प पत्र प्रस्तुत न होने के कारण
16.	श्रीगंगानगर	50	

1	2	3	4
17.	हनुमानगढ़	77	
18.	जयपुर (शहर)	कोई नहीं	
19.	जयपुर (पीपीओ)	कोई नहीं	
20.	जयपुर (ग्रामीण)	03	पेंशन विभाग बीकानेर से मार्गदर्शन चाहा गया
21.	जयपुर (सचिवालय)	–	
22.	जैसलमेर	शून्य	
23.	जालौर	45	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
24.	झालावाड़	शून्य	
25.	झुंझुनूं	शून्य	
26.	जोधपुर (शहर)	–	–
27.	जोधपुर (ग्रामीण)	शून्य	
28.	करौली	86	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण
29.	कोटा	273	
30.	नागौर	53	
31.	पाली	शून्य	
32.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	07	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
33.	राजसमंद	शून्य	
34.	सवाईमाधोपुर	83	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण
35.	सीकर	10	बैंक से अधिक पेंशन प्राप्त करने के कारण
36.	सिरोही	शून्य	
37.	टौंक	64	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
38.	उदयपुर	शून्य	
39.	ए.पी.ए.ओ.नई दिल्ली		
	योग	1461	

परिशिष्ट–3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–386 का विवरण)

(लाख रुपयों में)

वर्ष	ओपनिंग बेलेंस	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	क्लोजिंग बेलेंस
ए.आर.पी. सामान्य					
1998–1999	186.40	11941.63	12128.03	9985.24	2142.79
1999–2000	2142.79	12002.50	14145.29	8651.98	5493.31
2000–2001	5493.31	16361.00	21854.31	13958.47	7895.84
2001–2002	7895.84	14919.08	22814.92	16599.57	6215.35
ए.आर.पी. मरूस्थल					
1998–1999	1031.63	4564.84	5596.47	4131.23	1465.24
1999–2000	1465.24	3651.87	5117.11	2443.41	2673.70
2000–2001	2673.70	4151.00	6824.70	5261.53	1563.17
2001–2002	1563.17	5794.65	7357.82	5206.63	2151.19
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना					
2000–2001	0.00	2158.00	2158.00	1297.17	860.83
2001–2002	860.83	1620.00	2480.83	2373.26	107.57
त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना					
1998–1999	144.76	324.81	469.57	168.26	301.31
1999–2000	301.31	0.00	301.31	17.87	283.44
2000–2001	283.44	306.74	590.18	161.43	428.75
2001–2002	428.75	539.73	968.48	371.33	597.15

चूरू बिसाऊ योजना

1998–1999	250.00	0.00	250.00	0.50	249.50
1999–2000	249.50	0.00	249.50	216.76	32.74
2000–2001	32.74	2000.00	2032.74	33.24	1999.50
2001–2002	1999.50	0.00	1999.50	151.41	1848.09

राइजेप

1998–1999	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
1999–2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000–2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001–2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अन्य-राइजेप सेलेरी, कम्प्यूटराइजेशन मय टेनिंग, डीफलोरीडेशन संयंत्र आदि

1998–1999	751.98	345.43	1097.41	255.48	841.93
1999–2000	841.93	26.25	868.18	550.79	317.39
2000–2001	317.39	1292.52	1609.91	1260.05	349.86
2001–2002	349.86	55.64	405.50	102.42	303.08

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-392 की सूची)

कार्यालय परिवहन शाखा पुलिस लाइन, जयपुर शहर

क्र.सं.	परिवहन संख्या	मैक	अधिगृहीत दिनांक	छोड़ने की दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	RJ-02-P-0571	मिनीबस	28.2.2002	1.3.2002	
2.	RJ-14-P-6593	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
3.	RJ-14-P-0409	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
4.	RJ-14-P-6908	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
5.	RJ-14-P-3684	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
6.	RJ-14-P-9391	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
7.	RJ-14-P-6665	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
8.	RJ-14-P-5999	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
9.	RJ-14-P-690	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
10.	RJ-14-P-6082	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
11.	RJ-14-P-5687	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
12.	RJ-14-1P-1548	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
13.	RJ-14-1P-5817	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
14.	RJ-02-P-0892	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
15.	RJ-02-P-0083	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
16.	RJ-14-1P-0844	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
17.	RJ-14-P-5880	–"–	28.2.2002	1.3.2002	

1	2	3	4	5	6
18.	RJ-14-P-6421	मिनीबस	28.2.2002	1.3.2002	
19.	RJ-14-1P-0841	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
20.	RJ-14-P-4128	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
21.	RJ-14-P-4076	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
22.	RJ-27-P-1049	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
23.	RJ-14-P-4081	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
24.	RJ-14-P-3982	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
25.	RJ-14-P-4876	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
26.	RJ-14-P-5939	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
27.	RJ-14-P-3785	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
28.	RJ-14-P-9965	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
29.	RJ-14-P-6222	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
30.	RJ-14-P-1405	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
31.	RJ-14-P-6707	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
32.	RJ-14-P-1621	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
33.	RJ-23-P-0911	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
34.	RJ-14-P-6306	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
35.	RJ-14-P-4827	–"–	28.2.2002	2.3.2002	
36.	RJ-14-1P-1628	–"–	28.2.2002	1.3.2002	
37.	RJ-14-P-9561	–"–	28.2.2002	1.3.2002	

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–396 की सूची)

तहसील डेगाना (नागौर) में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसाविका के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
आंतरोली कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
आंतरोली खुर्द	प्रसाविका	1	1	—	—
देवला मादा	प्रसाविका	1	1	—	—
निम्बोला कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
राजोद	प्रसाविका	1	1	—	—
सिरासना	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
चम्पाखेड़ी	प्रसाविका	1	1	—	—
बछवारी	प्रसाविका	1	—	1	—
बुटाटी	प्रसाविका	1	1	—	—
चोलियास	प्रसाविका	1	1	—	—
निम्बी चान्दावता	प्रसाविका	1	1	—	—
पूनास	प्रसाविका	1	1	—	—
ढाढरिया कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
आकेली 'बी'	प्रसाविका	1	1	—	—
बामना कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
बरना	प्रसाविका	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6
भादरवासी	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
डाबोली मीठी	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
गोरडी चाचा	प्रसाविका	1	1	—	—
खेरवा	प्रसाविका	1	1	—	—
खीवलाना	प्रसाविका	1	1	—	—
हिरणी ढ़ाणी	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
बिखरनियां कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
लूनियास	प्रसाविका	1	1	—	—
मेवड़ा	प्रसाविका	1	1	—	—
नथावाड़ा	प्रसाविका	1	1	—	—
राजलोला	प्रसाविका	1	1	—	—
थाटा	प्रसाविका	1	1	—	—
चांदारूण	प्रसाविका	1	1	—	—
हबचर	प्रसाविका	1	1	—	—
इगडावास	प्रसाविका	1	1	—	—
लगोड़	प्रसाविका	1	1	—	—
माझी	प्रसाविका	1	1	—	—
मिठरिया	प्रसाविका	1	1	—	—
चूई	प्रसाविका	1	1	—	—
चुआ	प्रसाविका	1	1	—	—
गुणसली	प्रसाविका	1	1	—	—
कवाल	प्रसाविका	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6
कुव्यासनी	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
राजापुरा	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
साजू	प्रसाविका	1	1	—	—
लवादर	प्रसाविका	1	1	—	—
माडलजोधा	प्रसाविका	1	1	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
निमड़ी कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
निम्बी कोठारिया	प्रसाविका	1	1	—	—
पालड़ी कलां	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
ढाणीपुरा	प्रसाविका	1	1	—	—
गुढ़ा जगमालोला	प्रसाविका	1	1	—	—
किला	प्रसाविका	1	1	—	—
मोरियाना	प्रसाविका	1	1	—	—
सनेड़िया	प्रसाविका	1	1	—	—
टेहला	प्रसाविका	1	1	—	—
निम्बोलाविस्वा	प्रसाविका	1	1	—	—
डोडियाना	प्रसाविका	1	1	—	—
मोडी कलां	प्रसाविका	1	—	1	—
सूदवाड़	प्रसाविका	1	—	1	—
भैंरूदा	प्रसाविका	1	1	—	—
जालसू कलां	प्रसाविका	1	1	—	—
जालसू खुर्द	प्रसाविका	1	1	—	—
जालसू नानक	प्रसाविका	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6
पालीयास	प्रसाविका	1	1	—	—
मेगार्स	प्रसाविका	1	1	—	—
रामसरी	प्रसाविका	1	—	1	एम.पी.डब्ल्यू. कार्यरत
रेवत	प्रसाविका	1	1	—	—
तामडोली	प्रसाविका	1	1	—	—
तिलोनेस	प्रसाविका	1	1	—	—
कोड	प्रसाविका	1	1	—	—
लाडपुरा	प्रसाविका	1	1	—	—
सूरजगढ़	प्रसाविका	1	1	—	—
सथाना	प्रसाविका	1	1	—	—

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-398 की सूची)

भाग-1 की सूचना

पंचायत समिति रायपुर, सोजत तथा जैतारण के एन.एन.एम. सेंटर (उप केन्द्र) की सूची

पंचायत समिति रायपुर		पंचायत समिति सोजत		पंचायत समिति, जैतारण	
क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1	2	1	2	1	2
1.	सेन्दड़ा	1.	धीनावास	1.	बलाड़ा
2.	चांग	2.	भैंसाना	2.	डिगरना
3.	मैसिया	3.	राजोलाकलां	3.	सेवरिया
4.	धोलिया	4.	गुडाचूतरा	4.	देवरिया
5.	सुमेल	5.	मण्डला	5.	मोहराई
6.	झुंठा	6.	गुडाकल्ला	6.	केकिन्दड़ा
7.	लीलाम्बा	7.	सुरायता	7.	बीरोल
8.	करमावास	8.	खोखरा	8.	अमरपुरा
9.	बिराटियां कलां	9.	बासना	9.	खराड़ी
10.	हाजीवास	10.	चण्डावल स्टेशन	10.	लाटोती
11.	चिताड़	11.	बोयल	11.	आकोदिया
12.	निम्बेड़ाखुर्दा/कलां	12.	छितरिया	12.	आगेवा
13.	कालबकलां	13.	बीजपुर	13.	टुकड़ा
14.	दीपावास	14.	दुरासनी	14.	बाझाकुडी
15.	बासनी	15.	नई ढाणी	15.	आसरलाई
16.	बासियां	16.	नया गांव	16.	फालका
17.	रातड़िया	17.	रूपावास	17.	रामावासकलां
18.	लवाचा	18.	बागावास	18.	लिधरिया
19.	नानणा	19.	मालपुरिया खुर्द	19.	लासणी
20.	बिराठिया खुर्द	20.	मालपुरिया कलां	20.	लिलरिया
21.	जगमालपुरा	21.	देवली हुल्ला	21.	काणेचा
22.	कलालिया	22.	केलवाद	22.	गरनीया

1	2	1	2	1	2
23.	बागेड़ा	23.	खारीया सोडा	23.	रावडियावास
24.	नोख	24.	मामावास	24.	पृथ्वीपुरा
25.	आसन जिलेलाव	25.	सिसरवादा	25.	झुझण्डा
26.	बूटीवास	26.	झुपेलाव	26.	दागला
27.	सबलपुरा	27.	हींगावास	27.	सांगावास
28.	कालकोट	28.	बिलावास	28.	रानीवाल
29.	मोहराकलां	29.	रामासनी बाला	29.	धनेरिया
30.	रामपुरा	30.	रेंदडी	30.	खीनावडी
31.	मालनी	31.	खारीया नींव	31.	कोटड़िया
32.	सोढपुरा	32.	आलवास	32.	सिणला
33.	मेगदड़ा	33.	शिवपुरा	33.	धोडावड़
34.	बगड़ी	34.	थरासनी	34.	रामावासखुर्द
35.	बासनी दधवाड़िया	35.	मेव	35.	भाकरवास
36.	धुलकोट	36.	रून्दिया	36.	तालकिया
37.	रावणिया	37.	सारगवास	37.	राजादण्ड
38.	पचानपुरा	38.	गुडा रामसिंह	38.	भुम्बलिया
39.	कोट किराना	39.	बीजा गुड़ा	39.	फुलमाल
40.	रेलड़ा	40.	लुणेरा	40.	टिबड़ी
41.	कालब खुर्द	41.	रामासनीसाधवान	41.	बिकरलाई
42.	भैंरू का नाका	42.	पाचुण्डाकलां	42.	पिपलिया खुर्द
		43.	चन्दलाई	43.	बोगासनी
		44.	दुण्डा लाम्बोडी	44.	चावण्डिया
		45.	चौपडा	45.	खारचिया
		46.	रेपड़ावास	46.	खेडामहाराजपुरा
		47.	रायराकलां	47.	ठाकरवास
		48.	सांडिया	48.	कावलियाकला
		49.	करमावास पट्टा	49.	पीपाड़ा
		50.	खोडिया	50.	प्रतापपुरा
		51.	मुरडावा	51.	देवगढ़
				52.	बस्सी

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-399 का विवरण)

प्रश्न के भाग-1 की सूचना

राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है :

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	2	2/03, 10/01
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	1	11/97
चिकित्सा अधिकारी	3	—	—
नर्स श्रेणी प्रथम	4	3	8/2000, 10/02, 11/97
नर्स श्रेणी द्वितीय	10	3	8/2000, 8/2000, 11/97
रेडियोग्राफर	1	1	2/03
सहायक रेडियोग्राफर	1	1	—
वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	1	3/01
डेंटल टेक्नीशियन	1	1	11/97
कुक	1	1	2/01
धोबी	1	1	11/97
कनिष्ठ लेखाकार	1	—	—
नेत्र सहायक	1	1	11/97
वरिष्ठ लिपिक	1	1	8/2000
कनिष्ठ लिपिक	1	——	—
वाहन चालक	1	1	1/2000
वार्ड ब्वाय	13	6	9/2000, 6/02, 7/02 4/2002, 10/02, 10/02
स्वीपर	3	—	—

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–400 का विवरण)

राजकीय सआदत चिकित्सालय, टौंक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर सिटी में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार है :

संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
1	2	3	4	5
1. सआदत चिकित्सालय, टौंक	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	2/2003
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	—
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	—	—
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	—	—
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1	4/2002
	उप नियंत्रक	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अनेस्थेशिया)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	1	6/2002
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)	1	1	6/2002
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	1	3/2003
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	—	—

1	2	3	4	5
	चिकित्सा अधिकारी	11	—	—
	चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	—	—
	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–I	1	1	6/1998
	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–II	2	2	12/1996, 1/1999
	नर्सिंग ग्रेड प्रथम	15	10	4/91, 9/1996, 1/1997, 6/1999 7/1999, 10/2002 (2पद) वर्ष 1996-97 से 3 पद
	नर्सिंग ग्रेड द्वितीय	29	3	वर्ष 1996-97 1 पद 2/2002(2पद)
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	प्रसाविका	6	2	10/2002 (2पद)
	केयर टेकर	2	—	—
	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	—	—
	लैब टेक्नीशियन	1	—	—
	रेडियोग्राफर	2	—	—
	सहायक रेडियोग्राफर	1	—	—
	कार्यालय सहायक	1	1	2/2002
	कनिष्ठ लेखाकार	1	—	—
	वरिष्ठ लिपिक	1	—	—
	कनिष्ठ लिपिक	3	—	—
	वाहन चालक	2	—	—
	वार्ड ब्वाय/स्वीपर	36	1	3/2003

1	2	3	4	5
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	—	—
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	—
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
	चिकित्सा अधिकारी	2	—	—
	चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	—	—
	मेल नर्स प्रथम	2	—	—
	मेल नर्स द्वितीय	7	—	—
	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	—	—
	लैब टेक्नीशियन	3	—	—
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	—
	मलेरिया निरीक्षक	1	1	6/2002
	बी.एच.एस. (मेल)	1	1	वर्ष 2001 से
	बी.एच.एस. (फीमेल)	1	—	—
	प्रसाविका	6	—	—
	रेडियोग्राफर	1	—	—
	वरिष्ठ लिपिक	3	—	—
	संगणक	1	—	—
	दंत सहायक	1	—	—
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	—
	वाहन चालक	3	—	—
	वार्ड ब्वाय	7	—	—
	स्वीपर	4	—	—

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–410 का विवरण)

तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वरियता निर्धारण के मानदण्ड का विवरण

1. शैक्षणिक योग्यता :

(अ)	सैकण्डरी	50%
(ब)	सीनियर सैकण्डरी	20%
(स)	प्रशैक्षिक	30%

2. मूल निवास के बोनस अंक :

(अ)	राजस्थान का मूल निवासी	10 अंक
(ब)	जिले का निवासी	10 अंक
(स)	जिले में ग्रामीण क्षेत्र का निवासी	05 अंक

3. सह–शैक्षिक उपलब्धियों के बोनस अंक :

(केवल किसी एक के श्रेष्ठतम स्तर के अंक)

(अ) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु :

(1)	जिला स्तर	1 अंक
(2)	राज्य स्तर	3 अंक
(3)	राष्ट्रीय स्तर	5 अंक

(ब) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु :

(1)	अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय खेलकूद अन्तर संकाय	1 अंक
(2)	विश्वविद्यालय बोनस	3 अंक
(3)	विश्वविद्यालय इन्टर जोन/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय	5 अंक

(स)	एन.सी.सी. "ए" प्रमाणपत्र		1 अंक
	"बी" प्रमाणपत्र		2 अंक
	"सी" प्रमाणपत्र		4 अंक
	अण्डर आफिसर एवं "सी" प्रमाण पत्र होने पर		5 अंक
(द)	स्काउट/गाइड :		
	(1) सैकण्ड क्लास स्काउट/गाइड		1 अंक
	(2) फर्स्ट क्लास स्काउट/गाइड		3 अंक
	(3) राष्ट्रपति स्काउट/गाइड		5 अंक

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–411 की सूची)

व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण तथा क्रीज कोर्स परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्ष 2000 में दी गई नियुक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	जिला	नियुक्तियों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	चूरू	05	
2.	बीकानेर	—	
3.	झुंझुंनू	10	
4.	हनुमानगढ़	05	
5.	गंगानगर	17	
6.	जयपुर	—	
7.	भरतपुर	—	
8.	अलवर	—	
9.	धौलपुर	—	
10.	दौसा	—	
11.	सीकर	24	
12.	जोधपुर	31	
13.	पाली	16	
14.	जैसलमेर	28	
15.	जालौर	32	
16.	सिरोही	12	
17.	बाड़मेर	43	
18.	उदयपुर	25	
19.	बांसवाड़ा	30	

1	2	3	4
20.	डूंगरपुर	17	
21.	राजसंमद	11	
22.	चित्तौड़गढ़	शून्य	
23.	अजमेर	06	
24.	भीलवाड़ा	26	
25.	टौंक	11	
26.	नागौर	73	
27.	कोटा	04	
28.	झालावाड़	11	
29.	सवाईमाधोपुर	03	
30.	बूंदी	35	
31.	बारां	—	
32.	करौली	—	
	योग	473	

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-421 का विवरण)

भालोजी हरिजन बस्ती के उपभोक्ताओं के नाम तथा डिमांड राशि की सूची

क्र.सं.	आवेदन दिनांक	आवेदक का नाम	दूरी	मांग-पत्र की राशि	प्रा.नं.
1	2	3	4	5	6
1.	10.10.2000	श्री हरिराम, फूलाराम चमार	240 मीटर	24315/-	112
2.	10.10.2000	श्री मुरारीलाल, भतराराम चमार	310 मीटर	31315/-	113
3.	10.10.2000	श्री बिहारीलाल, भूरा श्री राम चमार	310 मीटर	31315/-	114
4.	10.10.2000	श्री सोहनलाल, खोटूराम चमार	320 मीटर	32315/-	115
5.	10.10.2000	श्री रामेश्वर, मुरलीराम चमार	320 मीटर	32315/-	116
6.	10.10.2000	श्री कानाराम, दाताराम चमार	380 मीटर	32315/-	117
7.	10.10.2000	श्री बनवारीलाल, दिनाराम चमार	450 मीटर	45315/-	118
8.	10.10.2000	श्री जगदीश, दिनाराम चमार	420 मीटर	42315/-	119
9.	10.10.2000	श्री जगदीश, मूलचन्द भंगी	500 मीटर	50315/-	120
10.	10.10.2000	श्री रोशनलाल, भागचन्द चमार	540 मीटर	54315/-	121
11.	10.10.2000	श्री बंशीराम, गेदनराम चमार	590 मीटर	59315/-	122
12.	10.10.2000	श्री गुलजारीलाल, रामेश्वर चमार	590 मीटर	59315/-	123
13.	11.10.2000	श्री नेतराम, प्रभातीराम चमार	510 मीटर	51315/-	124
14.	11.10.2000	श्री मातादीन, गोरधन चमार	510 मीटर	51315/-	125
15.	11.10.2000	श्री लीलाराम, भगवानाराम चमार	510 मीटर	513315/-	126
16.	11.10.2000	श्री पप्पूराम, सुगा चमार	590 मीटर	59315/-	127

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–422 के आदेश की प्रति)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक:जेपीडी/मु.अ.(पवस)/अअ/सर्वे एवं जांच)/अनु/प–120/प्रे 163

दिनांक 2.5.2002

परिपत्र

विषय : अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा सवर्ण जाति से खरीदी गई भूमि पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के प्रावधान में संशोधन बाबत।

विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक आर.ई.ए. 209 दिनांक 12.7.2000 में वर्णित पैरा 2 में अनुसूचित जाति के आवेदकों की कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाईयों को मध्य नजर रखते हुये दिनांक 30.4.2002 की समन्वय समिति में लिये गये निर्णयानुसार अब यह संशोधित प्रावधान किया जाता है कि भविष्य में अनुसूचित जाति के ऐसे कृषि आवेदक जिन्होंने चालू वित्त वर्ष से 5 वर्ष पूर्व कम से कम दो बीघा कृषि भूमि सवर्ण/पिछड़ी/अनुसूचित जनजाति के कृषक/कृषकों से क्रय की हो, उन्हें जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जांच सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) द्वारा किये जाने के बाद कनेक्शन दे दिये जायें।

जिन प्रकरणों में जमीन की खरीद को चालू वित्त वर्ष में पांच वर्ष से कम समय हुआ है ऐसे प्रकरणों में अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुसूचित जाति प्राथमिकता से कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा, वे चाहे तो साधारण श्रेणी/अन्य प्रभावी योजना में आवेदन कर सकते हैं।

ह०/–

(एस. के. विश्नोई)

(मुख्य अभियन्ता (पवस)

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट "एक"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-424 की सूची)

पंजीयन के समय दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर के पदाधिकारियों की सूची

1.	श्री जगदीश लाल पुत्र श्री रामलाल	अध्यक्ष
2.	श्री फूलचन्द पुत्र श्री गुलाब चन्द	मंत्री
3.	श्री हरिकृष्ण पुत्र श्री बाटीराम	कोषाध्यक्ष
4.	श्री मानीलाल पुत्र श्री पाबूदान	सदस्य
5.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जौहरी राम	सदस्य
6.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री सेडूराम	सदस्य

इसके अतिरिक्त तीन सदस्य प्रबन्धकारिणी पद सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे।

परिशिष्ट "दो"

दी जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

1.	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी	अध्यक्ष
2.	श्री रामसिंह पुत्र श्री डबल सिंह	मंत्री
3.	श्री मोहनलाल गुप्ता पुत्र श्री रूपनारायण गुप्ता	कोषाध्यक्ष
4.	श्री उमाबल्लभ शर्मा पुत्र श्री कृष्णबल्लभ शर्मा	उपाध्यक्ष
5.	श्री शिवरतन हर्ष पुत्र श्री प्रेमरतन हर्ष	सदस्य
6.	श्रीमती पुखराज पत्नी श्री रामशरण दास	सदस्य
7.	श्री डी.के. अग्रवाल पुत्र श्री एस.के. अग्रवाल	सदस्य
8.	श्री गोपाल पुत्र श्री केदार नाथ	सदस्य
9.	श्री मुकेश कुमावत पुत्र श्री छुट्टन लाल कुमावत	सदस्य

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-426 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक खोली गई राजीव गांधी पाठशालाओं की सूची

क्र.सं.	पंचायत	रागांपा का नाम
1	2	3
1.	गोयली	मेघवाल बस्ती, गोयली
2.	माकरोड़ा	उपला दरबार
3.	गोयली	बोकी भागली
4.	कृष्णगंज	पुरानी बाडेली
5.	-''-''-	माईला जोड़
6.	नवारा	बावली
7.	मेर मांड	मेर माण्डवाड़ा
8.	तंवरी	तंवरी
9.	फुंगपी	फुंगपी
10.	कालन्द्री	कालन्द्री
11.	मनोरा	सोटा केकी सेरी
12.	गोल	माण्डवा
13.	पाडिव	गोलिया (पाडिव)
14.	बाल्दा	मोटाल
15.	सिंदरथ	भरकावा ढाणी, मीरपुर
16.	आमतारी	हरिजन बस्ती
17.	हालीवाड़ा	सुरापुरा, हालीवाड़ा
18.	मडिया	मडिया
19.	जैला	कोटड़ा
20.	सनपुर	रानेला
21.	बेलांगरी	ऊटा खेड़ा
22.	रामपुरा	रामपुरा
23.	रामपुरा	वार्ड नं. 2 पालड़ी (आर)
24.	बेलांगिरी	अथल खेड़ा
25.	सिंदरथ	भीलबस्ती
26.	नवारा	वार्ड-10 मेघवालवास
27.	ऊड़	रामनगर, मंडवाड़ा
28.	फुंगणी	नून गांव के दूसरे छोर
29.	ऊड़	मानगढ़ (ऊड़)
30.	भूतगांव	पुरानी बस्ती
31.	मो. नगर	नई बस्ती
32.	न. पा.	हरिजन, बस्ती, वार्ड-4
33.	सिरोही	जोगीवास, सकुर्दूलपुरा
34.	सिरोही	मेघावालवास (दक्षिण)
35.	बड़गांव	काम्बेश्वर कालोनी
36.	झा.वीर	पुरानी खेड़ा

1	2	3
37.	कै. नगर	सोलावा
38.	मनादर	धोरा बस्ती
39.	जोगापुरा	गाजपा की ढाणी
40.	आलपा	आलपा का गोलिया
41.	ओड़ा	रेवारियों का गोलिया
42.	केसरपुरा	केसरपुरा
43.	बागसीण	बागसीण
44.	छीबागांव	छीबागांव
45.	मनादर	मनादर
46.	धूबाना	सिक्कों का जोड़

1	2	3
47.	आलपा	आलपा
48.	जोयला	नया जोयला
49.	ओड़ा	रैबारियों का वास
50.	नारादरा	नेडा बस्ती
51.	धूबाणा	फासरिया
52.	झा. वीर	गोगाजी का थान
53.	कै. नगर	रानेला का तालाब
54.	कै. नगर	भणियों वाला कुआं
55.	कै. नगर	धाड़ला
56.	पोलालिया	खाड़िया

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक रा.प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत हुए विद्यालयों की सूची

वर्ष	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत विद्यालय
12/1998 से 3/1999	
4/1999 से 3/2000	1. राप्रावि., नून
	2. राप्रावि., मनोरा (बालिका)
	3. राप्रावि., बेराबिलपुर
	4. राप्रावि., बेरा रामपुरा
4/2000 से 3/2001	5. राप्रावि., तेलपीखेड़ा
	6. राप्रावि., मोहब्बतनगर (बालिका)
	7. राप्रावि., बलधरी
	8. राप्रावि., गोकुलबाड़ी
	9. राप्रावि., लखमावा छोटा
	10. राप्रावि., कैलाशनगर (बालिका)
4/2001 से 3/2002	—
4/2002 से 1/2003	11. राप्रावि., नई आबादी, जावाल
	12. राप्रावि., लवली
	13. राप्रावि., सेउड़ा
	14. राप्रावि., जबली गंज
	15. राप्रावि., बारेवड़ा

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं.	वर्ष	उ.प्रा. से माध्यमिक	मा. से उ. माध्यमिक
1.	1998 (दिसम्बर)	शून्य	शून्य
2.	1999–2000	रामपुरा	कैलाशनगर
3.	2000–2001	सिंदरथ	बरलूट
4.	2001–2002	शून्य	शून्य
5.	2002–2003	गोल	सिरोही
	(जनवरी–2003 तक)		(नवीन स्वतंत्र)
		बागसीन	वराड़ा
		—	मोहब्बत नगर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-435 का विवरण)

क्र.सं.	नाम चारा डिपो	चारा डिपो खोलने का दिनांक	चारे की दर (प्रति क्विंटल)	
			गन्ना हरा चारा	सोयाबीन भूसी
1.	डाबी	9.12.2002	82	275
2.	छोबड़ा	1.1.2003	—	275
3.	कैथूदा	1.1.2003	—	275
4.	करवर	3.1.2003	—	300
5.	सुमेरगंज मण्डी	3.1.2003	—	300
6.	पापड़ी (लाखेरी)	29.1.2003	—	300
7.	नैनवां	29.1.2003	—	300

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-436 का विवरण)

	छबड़ा	छीपाबड़ौद
अनुसूचित जाति	5309	6262
अनुसूचित जनजाति	7396	11598
अन्य पिछड़ा वर्ग	5494	18259
अल्प संख्यक वर्ग	497	699
सामान्य वर्ग	1657	568
कुल योग	**20353**	**37386**